

६०३७३



## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
स्वायत्त निकाय  
2003 की संख्या - 4

©

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

2003

मूल्य

देश : रुपये 65.00

विदेश : 5 अमरीकी डालर

(डाक खर्च/वायुमेल सहित)

Presented to LOK SABHA

1 9 मार्च 2003

on.....

Pr  
esented to RAJYA SABHA on

1 9 मार्च 2003

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

### का प्रतिवेदन

मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
स्वायत्त निकाय  
2003 की संख्या 4

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

**विषय सूची**

		पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावना टिप्पणियाँ			v
विहंगावलोकन			vii
<b>अध्याय I - सामान्य</b>			
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे		1.1	1
उपयोग प्रमाण पत्र		1.2	4
<b>भाग क - पुनरीक्षण</b>			
<b>अध्याय II - मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>			
<b>माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग</b>			
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद		2.1	7
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली		2.2	37
<b>महिला एंव बाल विकास विभाग</b>			
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड		2.3	67
<b>भाग ख - लेन देन लेखापरीक्षा पैराग्राफ</b>			
<b>अध्याय - III स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय</b>			
<b>स्वास्थ्य विभाग</b>			
चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता			
अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान		3	97
<b>अध्याय - IV मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>			
<b>माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग</b>			
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय			
गैर - हकदार लाभ प्रदान करना		4.1	99
वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान			
अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान		4.2	101
<b>अध्याय V - सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय</b>			
<b>प्रसार भारती</b>			
निष्फल व्यय		5.1	103

बैंकिंग सुविधा का अनियमित अनुप्रयोग	5.2	104
वाणिज्यिक दरों की गलत व्याख्या	5.3	106
एक कार्यक्रम निर्माता को अनुचित लाभ	5.4	108
विद्युत प्रभारों पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	5.5	110
प्रायोजक को अनुचित लाभ	5.6	111
तमिल धारावाहिक जननी के प्रसारण के लिये फीस और ब्याज का वसूल न किया जाना	5.7	113
अनुचित रियायतें	5.8	116
वारण्टी शर्तों के पालन न करने पर आरोप्य निष्फल व्यय	5.9	117
घरेलू उपयोग के लिये औद्योगिक बिजली का उपभोग	5.10	119
नैमित्तिक कलाकारों को भुगतान : स्रोत पर कर की गैर वसूली	5.11	120
<b>अध्याय VI – श्रम मंत्रालय</b>		
<b>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन</b>		
ज़ब्त परिसम्पत्तियों के निपटान में अनियमितताएं	6	122
<b>अध्याय VII – जहाजरानी मंत्रालय</b>		
<b>चेन्नई पत्तन न्यास</b>		
लाइसेंस धारियों से निकर्षण हेतु प्रभारों की गैर वसूली	7.1	126
<b>कोचीन पत्तन न्यास</b>		
पूर्व मानसून निकर्षण पर निष्फल व्यय	7.2	129
<b>कोलकाता पत्तन न्यास</b>		
निष्फल व्यय	7.3	130
व्यर्थ व्यय	7.4	131
तटवर्ती संग्रहालय की स्थापना पर निष्फल निवेश	7.5	133
<b>काण्डला पत्तन न्यास</b>		
परिपूर्णता में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की कम वसूली	7.6	135
<b>मार्मुगाव पत्तन न्यास</b>		
रीच स्टेकर के अल्प उपयोग के कारण हानि	7.7	138

<b>मुम्बई पत्तन न्यास</b>			
<b>परिहार्य व्यय</b>	7.8	140	
<b>नया मंगलौर पत्तन न्यास</b>			
गोदी कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन के बकायों की गैर वसूली के कारण हानि	7.9	142	
<b>अध्याय VIII – लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय</b>			
<b>केन्द्रीय औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र कोलकाता</b>			
मशीन घंटा दरों का गलत निर्धारण	8.1	144	
<b>खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग</b>			
फ्लैटों के अधिग्रहण पर निष्क्रिय निवेश	8.2	147	
<b>अध्याय IX – कपड़ा मंत्रालय</b>			
<b>भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगठन, कोलकाता</b>			
निष्क्रिय संयंत्र एवं उपकरण	9	150	
<b>अध्याय X – शहरी विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय</b>			
<b>शहरी विकास विभाग</b>			
<b>दिल्ली विकास प्राधिकरण</b>			
उच्चतर दरों पर ठेका सौंपना	10.1	153	
लागत वृद्धि के संबंध में परिहार्य अतिरिक्त भुगतान	10.2	154	
फ्लैटों के दौहरे आबंटन के परिणामस्वरूप हानि	10.3	156	
<b>अध्याय – XI</b>			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही: संक्षिप्त स्थिति	11	158	
<b>परिशिष्ट</b>			
I	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 2001-2002 के दौरान प्राप्त अनुदान/कर्जे	161	
II	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2001-2002 के लेखे/सूचना दिसम्बर 2002 तक प्राप्त नहीं हुये	171	
III	नि.म.ले.प.(क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय निकायों द्वारा 2001 -02 के दौरान प्राप्त अनुदान	173	

IV	नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2001-02 के लेखे/सूचना 31 दिसम्बर 2002 तक प्राप्त नहीं हुये थे।	176
V	स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	181
VI	स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2002 तक प्रस्तुत न करना	182
VII	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	183
VIII	अक्टूबर 2002 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां	193


## प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के विविध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (2003 के प्रतिवेदन सं. 5 में शामिल वैज्ञानिक विभागों के अतिरिक्त) के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित पर 33 पैरे तथा तीन पुनरीक्षण शामिल हैं:

- (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
- (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली
- (ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा शाखाओं के स्वायत्त निकाय हैं। इन संगठनों से आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट जन उपयोगिता सेवाएं पूरा करना अथवा सरकार की नीतियों तथा निश्चित कार्यक्रमों का निष्पादन करना अभिप्रेत है। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में मुख्य पत्तन न्यास, गोदी श्रमिक बोर्ड, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज (अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थान, स्वास्थ्य तथा अनुसंधान संस्थान, पण्य बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा संगठन शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2001-2002 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए।



## विहंगावलोकन

### सामान्य

#### स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

2001-02 में 227 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिनके लेखे नि.म.ले.प. (क.अ.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत प्रमाणित किये जाने थे। इनमें से केवल 198 के लेखे ही प्रमाणीकरण के लिए प्राप्त हुये थे। भारत सरकार ने 2001-02 के दौरान 5745.19 करोड़ रु. के अनुदान तथा 248.41 करोड़ रु. के ऋण इन निकायों को जारी किये। शेष 29 निकायों के 2000-2001 के लिए वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए उनके द्वारा प्राप्त सरकारी अनुदानों की राशि उपलब्ध नहीं थीं।

3993.36 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 69.50 प्रतिशत) की राशि के अनुदान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 97 शैक्षिक संस्थाओं की 556.29 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 9.68 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 22 स्वास्थ्य एवं अनुसन्धान संस्थाओं को तथा 340.51 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 5.92 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 11 स्वायत्त निकायों को जारी किये गये थे।

153 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में से 108 के वार्षिक लेखे, (वैज्ञानिक विभाग को छोड़ कर) जिनके लेखे सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किये जाने थे परन्तु नि.म.ले.प. अधिनियम 1971 की धारा 14(1) तथा 14(2) के अन्तर्गत उनकी लेन-देन लेखापरीक्षा अपेक्षित थी, को भी सम्बन्धित निकायों द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था। शेष 45 निकायों ने संघ सरकार से 226.01 करोड़ रु. के अनुदान प्राप्त किये थे।

226 केन्द्रीय निकायों के 2000-2001 के लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2001 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। इनमें से 76 निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अनुबद्ध समय के भीतर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये थे। 31.12.2002 तक आठ निकायों के लेखे सम्बन्धित संगठनों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

(पैराग्राफ 1.1)

## उपयोग प्रमाण पत्र

सांविधिक निकायों को 1976-77 से मार्च 2000 के दौरान जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 5901.29 करोड़ रु. की संस्थीकृत राशियों के 30609 उपयोग प्रमाण पत्र मार्च 2002 के अन्त में बकाया थे। इसने यह दर्शाया कि प्रणाली जिसके द्वारा सरकार स्वयं को सन्तुष्ट करती है कि अनुदानों का उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था जिनके लिये वे दिए गए हैं, प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही थीं।

(पैराग्राफ 1.2)

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

#### अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद) की स्थापना संसद अधिनियम के अन्तर्गत मई 1988 में, तकनीकी शिक्षा के नियोजित तथा समन्वित विकास, गुणवत्ता सुधार के विकास तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली में विनियमन, मापदण्ड तथा मानकों के मानीटर करने के लिये की गई थी। पुनरीक्षण, त्रुटिपूर्ण नई तकनीकी संस्थाओं के विकास की जांच में परिषद की विफलताओं को प्रकट करता है। तकनीकी संस्थाओं में गुणवत्ता नियन्त्रण आश्वासन के लिए विचार किये गए प्रत्यायन के लिए प्रतिक्रिया बहुत कम थी। परिषद द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन अनुप्रयुक्त था। परिषद द्वारा निधिबद्ध परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही का भी बहुत तरह से अभाव था। बहुत-सी परियोजनाओं में लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुये थे। मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रभाग में लेखापरीक्षा ने यह देखा कि जबकि ठेके/प्रतिनियुक्ति आधार पर लगाई गई अधिकतर जनशक्ति में औचित्य का अभाव था, पट्टे पर दिये गये आवास के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1)

#### केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली

सबसे पहले विश्वविद्यालय सौ वर्ष से अधिक पहले स्थापित हुए थे तथा अब तक केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया निधिबद्ध ऐसे अठारह विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। अभी तक, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने स्पष्ट रूप से पारिभाषित उद्देश्यों के सैट के केन्द्रबिन्दु के

बिना कार्य करना जारी रखा है। तथापि, सामान्यता यह माना जाता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का उद्देश्य संस्थाओं तथा उच्चतर शिक्षा में पौष्ट शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए अखिल भारतीय स्वरूप तैयार करना है। लेखापरीक्षा पुनरीक्षण दर्शाता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय भारी रूप से इन उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहे। निधियों की उपलब्धता के बावजूद निधियों के अनियमित तथा गैर-अनुपातिक उपयोग गुणवत्ता अवसंरचना के विकास में लगातार कमियों के साथ जुड़ने के कारण प्रबन्धन की यह असन्तोषजनक स्थिति हुई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आत्मनिर्भरता से काफी दूर, कम से भी कम आन्तरिक राजस्व अर्जित कर रहे हैं। पाठ्यक्रम विकास अधूरे मन से किये गए हैं तथा अनुसन्धान कार्यक्रम लगातार बिना मॉनीटरिंग के कार्य कर रहे हैं। कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य अनुमोदन के बिना डिप्रियां प्रदान कर रहे हैं, गैर-जिम्मेवारी का वातावरण विश्वविद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन में फैल जाता है, जबकि अखिल भारतीय स्वरूप पौष्ण के प्रशंसनीय उद्देश्य तथा गढ़ी हुई शैक्षिक श्रेष्ठता गिर जाती है।

(पैराग्राफ 2.2)

## महिला एवं बाल विकास विभाग

### केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1953 में समाज के आलोच्य तथा शोषित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों की सामाजिक तथा शारीरिक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से की गई थी, इसे पूरा करने में विफल रहा। क्योंकि इसकी भूमिका कल्याण सहायता के वितरक से हटकर अधिकारिकता अवसरों के संभरक के रूप में बदल गई थी, इसकी नीतियां, इसके उद्देश्यों के आसपास घूमने में विफल रहीं। प्रशासनिक मशीनरी में समन्वय का अभाव था, स्वैच्छिक एजेन्सियां जिनके माध्यम से इसके अधिकतर प्रयास तथा हस्तक्षेप प्रवाहित किये गये थे, अपनी कमजोरी तथा भारी मात्रा में गैर जिम्मेदारी के कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विफल रहे। बोर्ड अपने उत्तरदायित्व को लागू करने में विफल रहा क्योंकि स्वैच्छिक एजेंसियों अथवा गैर सरकारी संगठनों, जिन्हें योजनाओं की सुपुर्दगी का कार्य सौंपा गया था, को बीजलेखवाचन करने अथवा सक्षमता के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए बुद्धिसंगत मानदण्ड हेतु कोई उपाय करने में विफल रहा। इसकी अधिकांश लघु योजनाएं जो धुंधले रूप से अधिकारिता के औजार के रूप में प्रकट हुई, लड़खड़ा गई, समाज कल्याण के क्षेत्र में इसने केन्द्रीयता की भूमिका निभानी बन्द कर दी तथा केन्द्र सरकार

के मन्त्रालय तथा विभाग अपनी अलग योजनाओं को साथ-साथ चलाते रहे। छत्र संस्थान तथा अधिकारिता के माध्यम से समाज कल्याण के नेतृत्व के रूप में बोर्ड की विद्यमानता तथा परिवर्तन, नीति पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 2.3)

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

#### चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता ने मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करके अपात्र अलिपिक वर्ग 'ग' तथा 'घ' स्टाफ को भी अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते का भुगतान किया परिणामस्वरूप कुल 25.73 लाख रु. का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3)

### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

#### बल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी 1988 में वर्ग ग तथा घ अस्पताल कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता संस्वीकृत किया। लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 1992 को समाप्त अपने प्रतिवेदन में बताया था कि बल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान ने भत्ते अपने लिपिक वर्गीय ग तथा घ स्टाफ को भी यह भत्ता दे रहा था। इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने अपनी कार्यवाही टिप्पणी (मार्च 1994) में कहा कि संस्थान ने इस भत्ते के भुगतान के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को भी अलिपिक वर्गीय स्टाफ माना था। यद्यपि लेखापरीक्षा ने मन्त्रालय को जुलाई 1994 में इंगित किया था कि संस्थान लिपिक वर्गीय स्टाफ को अलिपिक वर्गीय स्टाफ में परिवर्तन हेतु मन्त्रालय के अनुमोदन को प्रस्तुत करने में विफल रहा था फिर भी मन्त्रालय ने पर्याप्त उपाय नहीं किये तथा अनियमितता जारी रहीं परिणामतः 1993-94 से 2001-02 की अवधि के दौरान संस्थान के ग तथा घ वर्ग के लिपिक वर्गीय स्टाफ को 16.25 लाख रु. का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### प्रसार भारती

कार्यक्रमों की कैप्सूलिंग तथा पार्श्वगायन के लिए दू.द. ने राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (रा.फि.वि.नि.)से तीन डिजिटल भण्डारण प्रणालियां किराये पर खरीदी तथा प्रणालियां क्रमशः अप्रैल, मई तथा अक्टूबर 1995 में स्थापित की गई। तथापि ये दू.द. कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त/लाभकारी नहीं पाई गई तथा तब से बिना उपयोग के पड़ी थीं। महानिदेशक, दूरदर्शन ने दिसम्बर 1996 में उनके निपटान के निदेश दिये। इस प्रकार दू.द. ने रा.फि.वि.नि. को 2.40 करोड़ रु. के अधिक भुगतान के अतिरिक्त प्रणाली, जो कि लाभदायक नहीं थी तथा बिना उपयोग के पड़ी रही, के किराये पर 5.40 करोड़ रु. का निष्फल व्यय किया।

(पैराग्राफ 5.1)

दू.द. ने इसके अन्तर्राष्ट्रीय चैनलों पर पुनः प्रसारण के लिए मई 1995 में प्रायोजकता शुल्क तथा नि.वा.स. निर्धारित किया तथा अतिरिक्त नि.वा.स. की भी व्यवस्था की जिसे जमा तथा सात दिन की अवधि के भीतर अन्य राष्ट्रीय चैनलों पर उपयोग किया जा सकता था जिसे अगस्त 1996 में जब प्रायोजकता शुल्क तथा नि.वा.स. संशोधित किये गए तो 30 दिनों तक बढ़ा दिया गया। तथापि, अपने नियमों के उल्लंघन में, दू.द. ने सात तथा निर्माताओं को तीस दिन की अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पश्चात भी, मई 1995 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान उनके द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त नि.वा.स. का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप दू.द. को 2.31 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 5.2)

दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता द्वारा वाणिज्यिक दरों की गलत व्याख्या करने के परिणामस्वरूप प्रायोजकों के प्रसारण को दो प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए 2.20 करोड़ रु. का अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया।

(पैराग्राफ 5.3)

जनवरी से मार्च 1998 के दौरान दूरदर्शन (दू.द.) द्वारा इसके राष्ट्रीय चैनल पर चुनाव सम्बंधित तीन कार्यक्रम प्रसारित किये गये। यद्यपि ये कार्यक्रम "सुपर ए" के रूप में

वर्गीकृत किये गये थे, दू.द. मानक मापदण्डों से विपर्यित हो गया तथा मानदण्डों से अधिक निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) प्रदान करके निर्माता को बहुत अधिक छूट अनुमति की परिणामस्वरूप 99.35 लाख रु. का अनुचित लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रसारण शुल्क तथा उस पर ब्याज के सम्बन्ध में 59.79 लाख रु. की राशि बिना वसूली के रह गई।

(पैराग्राफ 5.4)

दिल्ली में सूचना भवन की निर्माण अवस्था के दौरान विभिन्न उपकरणों की जांच तथा विद्युत आवश्यकताओं के लिए आकाशवाणी के सिविल निर्माण खण्ड (सि.नि.ख.) ने दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (अब दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) से मार्च 1990 में 50 किलोवाट का अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिया। जब स्थाई कनेक्शन के लिए सि.नि.ख. ने अप्रैल 1990 में अनुरोध किया तो दि.वि.बो. ने दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) के समापन प्रमाण पत्र सहित कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी।

फरवरी 1994 में, अर्थात चार वर्ष के पश्चात, सि.नि.ख. ने समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अपनी असमर्थता जताई क्योंकि सूचना भवन अभी निर्माणाधीन था। यद्यपि यह मांग दि.वि.बो. द्वारा मार्च 2002 में छोड़ दी गई थी केवल एक वर्ष पश्चात् (जुलाई 2001) ही अन्य औपचारिकताएं सि.नि.ख. द्वारा पूरी की गई थी परिणामतः 11 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ जिससे अस्थाई कनेक्शन के दुगनी दर पर बिजली प्रभारों के कारण 1.85 करोड़ रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त उपयुक्त विद्युत भार का कनेक्शन न लेने के लिए भार उल्लंघन प्रभारों के रूप में 99.54 लाख रु. का अन्य परिहार्य व्यय भी हुआ।

(पैराग्राफ 5.5)

28 अगस्त 1996 से प्रायोजकता शुल्क के आधार पर "सुपर ए" स्लॉट में प्रसारण के लिए दू.द. ने मै.यूनाइटेड टेलीविजन को "आखिर कौन" कमीशन कार्यक्रम आर्बांटित किया। तथापि दू.द. ने प्रायोजक के अनुरोध पर बिना किसी औचित्य के प्रायोजक को निर्धारित दरों से अधिक नि.वा.स. अनुमति किया तथा स्पाट बॉय दर भी कम कर दी। इसके परिणामस्वरूप प्रायोजक को 94.92 लाख रु. का अनुचित लाभ पहुँचा दू.द. अपनी वैध आय से भी वंचित रह गया।

(पैराग्राफ 5.6)

प्रायोजक की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक प्रायोजित धारावाहिक के सम्बन्ध में फीस की वसूली को सुनिश्चित करने में विफलता तथा धारावाहिक के प्रसारण को स्थगित करने और बैंक गारन्टी को तत्परता से भुनाने में विफलता को संयोजित करने के परिणामस्वरूप 85.35 लाख रु. की अदान की गई फीस संचित हो गई।

(पैराग्राफ 5.7)

दू.द. ने कार्यक्रम 'परस्मवीर चक्र' जो 14 जुलाई 1999 से प्रसारित किया गया था, के निर्माता द्वारा दिये गए आश्वासन, कि कार्यक्रम की निवल आय "थल सेना जवान कल्याण निधि" को दान दी जाएगी, के आधार पर उसे 74.25 लाख रु. की राशि की छूट प्रदान की। तथापि, सेना मुख्यालय के साथ की गई पूछताछ से पता चला कि 'थलसेना जवान कल्याण निधि' के नाम से कोई निधि नहीं थी। विद्यमान नान पब्लिक फंड नामता 'आर्मी सेन्ट्रल कल्याण निधि' में भी दान प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार, 74.25 लाख रु. के छूट अनुमत करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि दूरदर्शन अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 5.8)

### जहाजरानी मंत्रालय

#### कोलकाता पत्तन न्यास

यद्यपि पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने जुलाई 1993 में ही, जलयान की आर्थिक अव्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, उसे निष्प्रयोगी करने के निर्देश दे दिए थे, जलयान को अक्तूबर 2000 में ही अनुपयोगी घोषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2.91 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 7.3)

कोलकाता पत्तन न्यास प्रचालन में क्रेनों का उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 1.85 करोड़ रु. का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 7.4)

### मुम्बई पत्तन न्यास

आवश्यक अतिरिक्त सिलेण्डरों की अधिप्राप्ति हेतु समायोजित उपाय करने तथा नियमित अनुरक्षण कार्य शुरू करने में मुम्बई पत्तन न्यास की विफलता के परिणामस्वरूप स्ट्राम गेट गिर गया जिससे उसे निकालने और मरम्मत करने पर 1.52 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ और 26.48 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 7.8)

### नया मंगलौर पत्तन न्यास

नया मंगलौर पत्तन न्यास ने, पत्तन निधियों से इसके पत्तन कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के बकायों का भुगतान किया तथा ऐसे भुगतान किए गए बकायों को नौभरकों से, जो कि वास्तव में भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, वसूली हेतु कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप पत्तन न्यास को 1.97 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय/हानि उठानी पड़ी।

(पैराग्राफ 7.9)

### शहरी विकास तथा गरीबी निवारण मंत्रालय

#### शहरी विकास विभाग

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के मुख्य अभियंता ने दि.वि.प्रा. के निर्माण कार्य परामर्शी बोर्ड द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा से उच्चतर दरों पर बसंत कुंज में आवास योजना का निर्माण कार्य सौंप दिया, परिणामतः प्राधिकरण को 1.94 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 10.1)

दि.वि.प्रा. कोडल प्रावधानों का पालन करने तथा तीन निर्माण कार्यों के बिना अवरोध निष्पादन को सुनिश्चित करने में विफल रहा, परिणामतः मजदूरी तथा माल की लागत में वृद्धि के कारण 74.63 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 10.2)

सम्पत्ति अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण तथा अनुवर्ती झां में पहले से ही आबंटित फ्लैटों को शामिल करने के परिणामस्वरूप, दोहरा आबंटन हुआ। वार्स्तविक आबंटन के समय प्रचलित मूल्य प्रभारित करने के कारण, दोहरे आबंटन के सात मामलों में, दि.वि.प्रा. को 24.38 लाख रु. की हानि उठानी पड़ी।

(पैराग्राफ 10.3)



## अध्याय-॥ सामान्य

### 1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अंतर्विष्ट करते हुए निकायों की धारा 19(2) के अन्तर्गत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा की जाती है तथा अन्य संगठनों (निगमों तथा सोसाइटियों) की लेखापरीक्षा जनहित में धारा 20(1) के अन्तर्गत नि.म.ले.प. को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन तथा मुद्रा लेखापरीक्षा के महत्व की है।

31 मार्च 2002 को 227 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (वैज्ञानिक विभागों के अधीन निकायों को छोड़कर) थे, जिनके वार्षिक लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे।

2001-02 के दौरान, संघ सरकार द्वारा 198 स्वायत्त निकायों को क्रमशः 5745.19 करोड़ रु. तथा 248.41 करोड़ रु. राशि के अनुदान तथा ऋण दिए गए थे (परिशिष्ट-॥) इनमें से, 3993.36 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 69.50 प्रतिशत) राशि के अनुदान भानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 97 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए थे, 556.29 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 9.68 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 22 स्वास्थ्य तथा अनुसंधान संस्थानों को तथा 340.51 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 5.92 प्रतिशत) बाणिज्य मंत्रालय द्वारा 11 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए थे।

29 निकायों के सम्बन्ध में 2001-02 के वार्षिक लेखाओं/सूचना को संबंधित निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा इस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त किए गए सरकारी अनुदानों की राशि के विवरण दिसम्बर 2002 तक उपलब्ध नहीं थे (परिशिष्ट-III)

- (i) 31 मार्च 2002 को 153 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिन्हें कि मुख्यतः संघ सरकार द्वारा अनुदानों/ऋणों से वित्त पोषित किया जाता था तथा अधिनियम की धारा 14(1)/14(2) के प्रावधानों के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति मुद्रा लेखापरीक्षा के महत्व की है। इन निकायों के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते थे।

दिसम्बर 2002 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से 45 निकायों ने 2001-02 के दौरान संघ सरकार से 226.01 करोड़ रु. की राशि के अनुदान प्राप्त किए (परिशिष्ट-III)। 108 निकायों के सम्बन्ध में वार्षिक लेखे/सूचना सम्बन्धित निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे (परिशिष्ट-IV)।

(ii) स्वायत्त निकायों की संख्या, जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम की धारा 19(2) और 20(1) तथा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत की जानी थी, की स्थिति तथा 1999-2000 से 2001-02 के दौरान इन निकायों द्वारा प्राप्त अनुदानों/ऋणों की स्थिति नीचे दी गई है:

#### 1999-2000 से 2001-02 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा प्राप्त अनुदानों/ऋणों का सार

वर्ष	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की कुल संख्या	अनुदान	ऋण	अभ्युक्तियाँ	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा जिसके अन्तर्गत लेखापरीक्षा की गई
		(लाख रु. में)			
1999-2000	218	396201.88	44818.23	राशि केवल 203 निकायों से संबंधित है। शेष 15 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	19(2) एवं 20(1)
1999-2000	126	6651.33	शून्य	राशि केवल 32 निकायों से संबंधित है। शेष 94 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	14(1) एवं 14(2)
2000-2001	226	668661.94	30057.36	राशि केवल 203 निकायों से संबंधित है। शेष 23 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	19(2) एवं 20(1)
2000-2001	139	19315.53	शून्य	राशि केवल 40 निकायों से संबंधित है। शेष 99 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	14(1) एवं 14(2)
2001-02	227	574518.76	24841.00	राशि केवल 198 निकायों से संबंधित है। शेष 29 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	19(2) एवं 20(1)
2001-02	153	22601.02	शून्य	राशि केवल 45 निकायों से संबंधित है। शेष 108 निकायों के वार्षिक लेखे/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।	14(1) एवं 14(2)


#### (iii) स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागजपत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद

प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर देने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 2000-2001 के लिए, 226 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत की जानी थी तथा ये लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2001 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। इन में से, केवल 76 स्वायत्त निकायों के लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीनों की निर्धारित सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराये गये थे। 150 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

एक माह तक विलम्ब	59
एक माह से अधिक तथा तीन माह तक का विलम्ब	52
तीन माह से अधिक तथा छः माह तक का विलम्ब	23
छः माह से अधिक विलम्ब	08
लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुई	08
	<hr/>
कुल	<hr/> 150



परिशिष्ट-V में स्वायत्त निकाय, जिनके लेखे तीन माह से छः माह के बीच तथा छः माह से अधिक विलम्बित थे, की स्थिति दी गई है।

परिशिष्ट-VI में उन निकायों की सूची दी गई है, जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2002 तक प्राप्त नहीं हुये।

### 1.2 उपयोग प्रमाण पत्र

1976 में लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए थे उस पर उनका उचित उपयोग किया गया, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे। मार्च 2002 के अन्त में मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 6576.83 करोड़ रु. की राशि के सितम्बर 2001 तक देय (वित्त वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया गया, के 18 माह बाद) कुल 31080 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा विधि, न्याय मंत्रालयों/विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की।

मार्च 2002 के अन्त में 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से 5901.29 करोड़ रु. राशि के कुल 30609 प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण पत्रों में से 3997.94 करोड़ रु. की राशि के 25617 प्रमाण पत्र 1998-99 तक जारी अनुदानों से संबंधित थे जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

#### 31 मार्च 2002 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2000 को समाप्त अवधि के लिए		मार्च 1999 को समाप्त अवधि के लिए	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	हस्तशिल्प विकास आयुक्त, दिल्ली	450	19.77	367	14.77
2.	पर्यावरण एवं वन	4343	552.05	3801	451.35
3.	खाद्य संसाधन उद्योग	235	28.47	122	14.03
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
4.	(i) स्वास्थ्य	1102	573.72	667	290.54
	(ii) परिवार कल्याण	721	300.89	608	103.90
5.	मानव संसाधन विकास				
	(i) महिला एवं बाल विकास	5937	357.90	5527	321.83
	(ii) युवा मामले एवं खेलकूद	4048	269.00	3200	223.18
	(iii) शिक्षा				
	(क) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा	4492	947.16	3474	612.26
	(ख) प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता	1821	2242.42	1357	1491.43
	(iv) संरक्षित	5583	325.68	4870	296.44
6.	श्रम	474	12.45	412	8.96
7.	गैर-परंपरागत जर्जी औत	142	6.18	121	2.91
8.	समुद्री विकास	699	63.95	627	35.80
9.	अन्तरिक्ष	149	2.54	118	1.72
10.	शहरी विकास	413	199.11	346	128.82
	जोड़	30609	5901.29	25617	3997.94

इस प्रकार, सांविधिक निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने से पूर्व, भारत सरकार के प्राधिकारियों ने कुल जारी किए गए अनुदानों के 67.74 प्रतिशत को सम्मिलित करते हुए 83.69 प्रतिशत मामलों में अनुदानों के उपयोग के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट नहीं किया।

यद्यपि उपयोग प्रमाण पत्रों की भारी संख्या प्राप्ति हेतु लम्बित थी, निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने, पिछले वर्षों में जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण पत्रों के लिए आग्रह किए बिना दोषी सांविधिक निकायों/गैर-सरकारी संगठनों को 2001-02 के दौरान नए अनुदान जारी किए।


#### 2001-02 के दौरान जारी किए गए नए अनुदान

(करोड़ रु. में)


क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सितम्बर 2001 तक लम्बित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या; मार्च 2002 के अन्त में स्थिति	राशि	पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्ति किए बिना जारी किए गए नए अनुदानों की राशि
1.	अंडमान तथा निकोबार प्रशासन	10	1.80	78.00
2.	पर्यटन	18	17.59	5.70
3.	सूचना एवं प्रसारण	5	8.87	1.90
4.	क्षे.भु.ले.का. (सू.प्र.) शिलांग	3	2.88	9.26
जोड़		36	31.14	94.86

इससे यह संकेत मिला कि सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को अनुदान जारी करने वाले प्राधिकारियों ने, जिन्होंने यह सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान जारी किए थे, कि पूर्व अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे संस्कीर्त किए गए थे, आगे की किश्तों को जारी करने की अपनी स्वयं की आवश्यक शर्तों में से एक शर्त का उल्लंघन किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास के मंत्रालयों/विभागों ने पूर्व वर्षों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्ति किए बिना, 2001-02 के दौरान जारी किए गए नए अनुदानों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत नहीं की।




भाग क - पुनरीक्षण



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद



### अध्याय III: मानव संसाधन विकास मंत्रालय

#### माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग

##### 2.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना तकनीकी शिक्षा के नियोजित तथा समन्वित विकास के संचालन, गुणात्मक सुधार बढ़ाने तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली में नियमों तथा मानकों को नियंत्रित तथा अनुश्रवण करने के उद्देश्य से की गई थी। 1997-98 से 2001-02 की अवधि के लिए परिषद के लेखापरीक्षा मूल्यांकन ने संकेत दिया कि परिषद अवस्तरीय तकनीकी संस्थानों के अनियोजित विकास को रोकने तथा गुणता नियंत्रण आश्वासन के लिए मानकों को नियंत्रित करने में विफल रही। अनुश्रवण तथा प्रकल्पित आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि प्रभावी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप सतत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बंद हो गई तथा यह परिषद द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रगति पर उचित अनुवर्ती कार्यवाही की व्यवस्था करने में भी विफल रही। बहुत से मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

#### विशिष्टताएं

- संसाधन शुल्क, जो कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 3088.88 लाख रु. तक संचित हो गया था, का लेखा-जोखा प्राप्तियों के रूप में नहीं किया गया।
- 171 नए संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके पास उपयुक्त भवन, अवसंरचना तथा संकाय नहीं थे।
- प्रत्यायन इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका चूंकि इसी अवधि के दौरान स्वीकृत 1829 संस्थानों के प्रति केवल 95 संस्थानों ने प्रत्यायन हेतु आवेदन दिया।
- माड्रास, टेपटैक तथा आर एण्ड डी की 274 परियोजनाओं की संवीक्षा से अभिलेखों का अनुपयुक्त अनुरक्षण, सहायता अनुदानों का अनियमित जारी करना तथा उपयुक्त अनुश्रवण तथा मूल्यांकन की कमी प्रकट हुई।
- विशेषज्ञों द्वारा "ई" वर्गीकृत तीन योजनाओं के अंतर्गत 68 परियोजनाओं के लिए जारी 509 लाख रु. की राशि के सहायता अनुदान 31.12.2002 तक अ.भा.त.शि.प. को वापिस नहीं किए गए थे।

- सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल केन्द्र बंगलौर पर नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान हुए तथा अंततः कार्यक्रम बन्द हो गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 389.05 लाख रु. की राशि के सहायता अनुदान जारी किए गए।
- निर्धारित उच्चतम सीमा के अपालन के परिणामस्वरूप रा.त.ज.सू.प. योजना में पिछले 5 वर्षों के दौरान 873.88 लाख रु. के सहायता अनुदान अधिक जारी किए गए।
- नई दिल्ली में लेड केन्द्र पर उपर्युक्त अनुश्रवण में कमी के परिणामस्वरूप वित्त वर्षों के अन्त में बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त सहायता अनुदान बचे रहे।
- अनुबन्ध / प्रतिनियुक्ति आधार पर बड़ी संख्या में मानवशक्ति की नियुक्ति में औचित्य का अभाव था।
- अप्राधिकृत पट्टा आवास को किराए पर लेने के परिणामस्वरूप 33.75 लाख रु. के अधिक किराए का भुगतान हुआ।

### **2.1.1 प्रस्तावना**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद) की स्थापना नवम्बर 1945 में एक राष्ट्र स्तरीय शीर्ष परामर्शी निकाय के रूप में, तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओं का सर्वेक्षण करने तथा एक समन्वित एवं एकीकृत शैली में देश में विकास संवर्धन हेतु की गई थी। परिषद द्वारा की गई सिफारिशें, परामर्शी प्रकृति की होने से, कुल मिलाकर, राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार नहीं की गई, परिणामतः अवस्तरीय तकनीकी संस्थानों का तीव्र विकास तथा देश में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का असमन्वित प्रसार हुआ।

भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने तकनीकी संस्थानों के प्रफलन, मानकों के अनुरक्षण तथा अन्य सम्बद्ध विषयों के संदर्भ में परिषद की भूमिका का निरीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय कर्मी दल का गठन किया। कर्मी दल ने सिफारिश की कि इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिषद को आवश्यक सांविधिक प्राधिकार प्रदान किया जाना चाहिए तथा इसके लिए आवश्यक अवसंरचना तथा प्रचालन क्रियाविधि सहित परिषद की पुनःसंरचना तथा दृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय कर्मी दल की उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार, संसद के दोनों सदनों में अ.भा.त.शि.प. विधेयक प्रस्तुत किया गया तथा 1987 के अ.भा.त.शि.प. अधिनियम सं.52 के रूप में पारित किया गया। अधिनियम 28 मार्च 1988 से प्रभाव में आया।

सांविधिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 12 मई 1988 को की गई थी।

अ.भा.त.शि.प. अधिनियम (1987) के प्रावधानों के अनुसार, इसकी स्थापना के बाद पहले पाँच वर्षों के लिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री, इस परिषद के अध्यक्ष थे। पहले पूर्ण-कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति 2 जुलाई 1993 को की गई तथा तीन वर्षों की अवधि के लिए मार्च 1994 में परिषद का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान परिषद का पुनर्गठन तीन वर्षों की अवधि के लिए 3 नवम्बर 2001 को किया गया था। परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में तथा इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

#### **2.1.2 उद्देश्य**

परिषद की स्थापना निम्न उद्देश्यों के साथ की गई थी:-

- पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त योजना तथा समन्वित विकास आरंभ करना।
- नियोजित मात्रात्मक विकास के सम्बंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ाना।
- तकनीकी शिक्षा प्रणाली तथा सम्बद्ध मामलों में मानदण्डों तथा मानकों को नियंत्रित तथा अनुश्रवण करना।

#### **2.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र**

निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिषद के निष्पादन तथा उपलब्धियों की आलोचनात्मक जाँच करने के उद्देश्य से 1997-98 से 2001-2002 की अवधि को आवृत्त करते हुए परिषद के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

#### **2.1.4 संगठनात्मक ढांचा**

अ.भा.त.शि.प. में परिषद, कार्यकारी समिति, 10 अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड, सात क्षेत्रीय समितियाँ तथा राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड समाविष्ट हैं। परिषद एक 51-सदस्यीय निकाय है तथा इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव की पूर्ण-कालिक नियुक्ति होती हैं। कार्यकारी समिति ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करती है जो इसे परिषद द्वारा सौंपे जाते हैं। अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड कार्यकारी समिति को मानदण्डों, मानकों, मॉडल

पाठ्यक्रम, माडल सुविधाओं तथा पाठ्यक्रमों की संरचना को सम्मिलित करते हुए उनके क्षेत्र में आने वाले शैक्षिक मामलों में परामर्श देता है। परिषद को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को आवृत करती हुई सात सांविधिक क्षेत्रीय समितियों का सहयोग प्राप्त होता है। परिषद ने तकनीकी संस्थाओं द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, मापदण्डों तथा मानकों के आधार पर उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों (अनुशासनों, पाठ्यक्रमों) को प्राधिकृत करने के लिए इनके आवधिक मूल्यांकन हेतु ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 10(यू) के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की थी। विशेष कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में इसकी सहायता के लिए परिषद ने पांच सलाहकार बोर्डों का भी गठन किया है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने के लिए परिषद के मुख्यालय के ढांचे में नौ ब्यूरो हैं जिनमें प्रत्येक का अध्यक्ष सलाहकार है।

### 2.1.5 वित्तीय प्रबन्ध

#### 2.1.5.1 प्राप्ति एवं व्यय

परिषद अपने कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को चलाने के लिए भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान योजनागत तथा योजनेतर शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान सहायता, उन शीर्षों के अन्तर्गत विविध प्राप्तियां तथा किया गया व्यय निम्न प्रकार हैः-

(लाख रु. में)

वर्ष	अथ शेष		प्राप्त अनुदान सहायता		विविध प्राप्तियां		जोड़		व्यय		अन्य*	अन्त शेष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
1997-98	97.63	0.06	6446.00	895.94	164.89	3.49	6708.52	899.49	4663.55	839.24	(+) 19.59	2064.56	60.25
1998-99	2064.56	60.25	6600.00	1550.00	467.97	5.54	9132.53	1615.79	6824.19	1615.47	(-)	533.93	0.32
1999-00	533.93	0.32	5136.00	1226.25	303.02	8.95	5972.95	1235.52	5575.60	1226.36	(-) 59.53	337.82	9.13
2000-01	2137.82 <sup>#</sup>	9.13	7049.00	1550.00	839.37	3.72	10026.19	1562.85	7375.69	1559.50	(-) 8.72	2641.78	3.34
2001-02	2641.78	3.34	9241.81	1620.00	348.85	1.03	12232.44	1624.37	9536.49	1624.28	(+) 423.73	3119.68	0.09

#### 2.1.5.2 संसाधन शुल्क

30.89 करोड़ रु. का निवल संसाधन शुल्क सरकारी लेखे से बाहर रहा।

नए संस्थान खोलने के लिए प्राप्त प्रस्ताव, इस सम्बंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर संसाधित किये जाते हैं तथा परिषद इस उद्देश्य के लिए प्रार्थी संस्थाओं से संसाधन शुल्क प्रभारित करती है। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि परिषद

\* 'अन्य' में अग्रिम, जमा, निवेश इत्यादि के निवल आंकड़े शामिल हैं, जो कि केवल योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत परिषद के आय एवं व्यय का हिस्सा नहीं बनता है।

# भूमि एवं भवन के लिए मंत्रालय से प्राप्त 1800 लाख रु. की राशि परिषद द्वारा 31.3.2000 को अन्त शेष के रूप में दिखाई नहीं गई थी।

संसाधन शुल्क तथा इससे सम्बद्ध व्यय के लिए पृथक लेखा सैट तैयार कर रही थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान 3088.88 लाख रु. का व्यय के ऊपर आय का आधिक्य सरकारी लेखे से बाहर रहा, जबकि इस प्रकार प्रभारित किया गया संसाधन शुल्क परिषद की मुख्य गतिविधियों में से एक था। वार्षिक अनुदान के प्रति भारी प्राप्तियों के समायोजन न करने में परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। लेखा परीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर परिषद ने कहा (जुलाई 2002) कि उल्लिखित राशि भविष्य में परिषद के समेकित लेखे में शामिल कर दी जाएगी।

#### 2.1.5.3 सहायता अनुदान का संवितरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान परिषद द्वारा अनुसन्धान विकास तथा अन्य योजनाओं के लिए जारी की गई सहायता अनुदान निम्न प्रकार थीं-

वर्ष	जारी सहायता अनुदान की राशि (लाख रु. में)	
	योजनागत	योजनेतर
1997-1998	3980.86	839.24
1998-1999	6029.89	1615.47
1999-2000	4428.60	1226.36
2000-2001	6310.06	1559.50
2001-2002	7865.57	1624.28
जोड़	28614.98	6864.85

उपर्युक्त दिये गये विवरण से यह देखा जा सकता है कि मंत्रालय से प्राप्त कुल सहायता अनुदान अर्थात् 34472.81 लाख रु. का 83 प्रतिशत निरूपण करते हुए 28614<sup>98</sup> लाख रु. का सहायता अनुदान परिषद द्वारा बदले में योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को जारी किया गया था। योजनेतर के अन्तर्गत 6864.85 लाख रु. का सहायता अनुदान जारी किया गया था।

#### 2.1.5.4 योजनागत/योजनेतर अनुदानों पर अनियमित प्रभार

परिषद द्वारा इसके आरम्भ होने से ही योजनागत तथा योजनेतर शीर्षों के अन्तर्गत व्यय डेबिट करने के लिए किसी अलग मापदण्ड का अनुसरण नहीं किया गया था। यह पता चला कि परिषद के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित वेतन, मजदूरी, किराया, यात्रा तथा आकस्मिकताओं पर व्यय को योजनागत अनुदानों को प्रभारित किया गया था जबकि योजनेतर अनुदानों में से जारी की गई निधियों का उपयोग गलत ढंग से विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण पर किया गया था।

### **2.1.5.5 31.20 करोड़ रु. के अव्ययित शेष का संचय**

सरकारी अनुदान का  
अव्ययित शेष 3120  
लाख रु. तक संचित हो  
गया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग ने पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2000-2001 में जारी सहायता अनुदान के अव्ययित शेष के कारण 2642 लाख रु. की राशि अग्रेषित करने तथा इसे चालू वित्त वर्ष (2001-2002) में उद्देश्य जिसके लिए यह पहले संस्वीकृत किया गया था पर व्यय करने की संस्वीकृति प्रदान की (मार्च 2002)। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यह अव्ययित शेष 31 मार्च 2002 को 3120 लाख रु. तक बढ़ गया जिसमें 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए 2642 लाख रु. का अव्ययित शेष शामिल था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2002) कि अव्ययित शेष में से भूमि तथा भवन से सम्बंधित 2400.22 लाख रु. की राशि शामिल थी। परिषद के उत्तर से यह भी पता चला कि भूमि तथा भवन से सम्बंधित 1800 लाख रु. की राशि अन्ततः 2001-2002 में 2400.22 लाख रु. तक बढ़ गई तथा 1998-99 से सावधि जमा में रखी गई थी।

मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का उपयोग उसी विशेष वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्य अर्थात् भूमि एवं भवन के लिए किया जाना चाहिए था तथा न कि सहायता अनुदान का निवेश ब्याज अर्जित करने के लिए जैसा कि परिषद द्वारा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 31.3.2002 को सरकार की 3119.68 लाख रु. की भारी राशि का अवरोधन हुआ।

### **2.1.6 तकनीकी संस्थाओं का अनुमोदन तथा प्रत्यायन**

#### **2.1.6.1 नई संस्थाओं के लिए अनुमोदन**

प्रदान किया गया  
अनुमोदन 14.37 से  
36.41 प्रतिशत तक  
भिन्न था

अधिनियम की धारा 10(के) के अंतर्गत परिषद को सौंपे गए कार्यों के अनुसार यह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रस्ताव की संवीक्षा करने के पश्चात नए संस्थान चलाने तथा नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने/अन्तर्ग्रहण बढ़ाने के लिए अनुदान का अनुमोदन करता है। **अनुबन्ध-I** नए संस्थान खोलने के लिए अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की राज्य वार संख्या तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों की संख्या दर्शाता है। अनुमोदन की प्रतिशतता 1997-98, 1998-99 तथा 2001-02 के दौरान अनुमानतः 30 रही। यह 1999-2000 में उच्चतम 36.41 तथा 2000-01 में न्यूनतम 14.37 थी।

परिषद ने भूमि, निर्मित क्षेत्र, वित्तीय स्थिति तथा पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए मापदण्ड निर्धारित किये हैं जो कि शामिल शिक्षणों के लिए भिन्न-भिन्न थे। 1829

प्रस्तावों, जो कि नए संस्थानों के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये गए थे, 171 की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई थी। लेखापरीक्षा के परिणाम उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिये गये हैं।

#### **2.1.6.2 विशेषज्ञों द्वारा देखी गई कमियां**

परिषद मुख्यालय द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अभ्यर्थी संस्थाओं का दौरा किया तथा निर्धारित मापदण्डों के संदर्भ में बहुत सी कमियां इंगित की जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	निर्धारित मापदण्ड	बताई गई कमी की प्रकृति	शामिल मामलों की संख्या
1.	समिति/न्यास का पंजीकरण	समिति/न्यास जिसने नई संस्था खोलने का प्रस्ताव किया यहां तक कि वह पंजीकृत भी नहीं थी।	1
2.	अनापत्ति प्रमाणपत्र (अ.प्र.प.)	संस्थाओं द्वारा सम्बद्ध प्राधिकारियों से वांछित अ.प्र.प. प्राप्त नहीं किये गये थे	35
3.	भूमि क्षेत्र	न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र नहीं लिया गया था	6
4.	निर्मित क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम था	36
5.	भवन	परिदृश्य किया जाना था अथवा अच्छी सम्पर्क सङ्क बिछाई जानी थी, सिविल निर्माण कार्य/अहाता दीवार पूरी की जानी थी तथा पुराने भवन का पुनःसज्जन किया जाना था	43
6.	पुस्तकालय	किताबें/जर्नलों की संख्या न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम थी	76
7.	निर्मित पुस्तकालय स्थान	पुस्तकालय के लिए स्थान अपर्याप्त था	8
8.	प्राध्यापक वर्ग	प्राध्यापक वर्ग की भर्ती सत्र के आरम्भ होने से पूर्व की जानी थी अथवा योग्यताप्राप्त तथा वरिष्ठ प्राध्यापक वर्ग उपलब्ध नहीं था	100
9.	प्राचार्य	यहां तक कि प्राचार्य की नियुक्ति भी नहीं की गई थी	10
10.	प्रयोगशालाएं/ कार्यशालाएं	उपलब्ध करवाया गया क्षेत्र अपर्याप्त था अथवा उपकरण पर्याप्त नहीं था	27
11.	कम्प्यूटर/साफ्टवेयर सुविधाएं	और अधिक पी.सी. तथा प्रिंटर लगाये जाने थे नया ई.मेल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी थी, तथा लाइसेंस प्राप्त साफ्टवेयर अधिप्राप्त किये जाने चाहिए	44
12.	निधियां	प्रबन्धन के पास अपनी पर्याप्त निधियां नहीं थीं	3
13.	मूल सुविधाएं	सुविधायें जैसे कैन्टीन, अलग छात्रावास प्रसाधन कामन रूम, चिकित्सा सहायता इत्यादि की लड़कों तथा लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी	92

लेखापरीक्षा में जांच किए गए अभिलेखों से न तो यह संकेत मिलता था कि इन कमियों को अनुमोदन से पूर्व किया गया था और न ही उनकी अनदेखी करने के कारण अभिलिखित किये गये थे।

गम्भीर अनियमितताओं से लिप्त कुछ विशेष मामले नीचे दिये गये हैं-

**(क) एकदम अस्वीकार करने के बावजूद अनुमोदन**

इस तथ्य के बावजूद कि विशेषज्ञ समिति जिसने संस्थान का दौरा किया था ने अपर्याप्त अवसंरचना के सम्बंध में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, भारतीय विद्युत अनुसंधान केन्द्र नोएडा को वर्ष 2001-02 के लिए इसे इसके आई.टी. अभियान्त्रिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए एक स्नातकपूर्व संस्थान के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था। तीन अन्य मामलों अर्थात्, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, नेवेली, तमिलनाडु; भारती दसान अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, वेल्लौर, तमिलनाडु तथा लक्ष्मी चन्द रजनी अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तिरुवेल्लूर, तमिलनाडु में विशेषज्ञ समिति का यह विचार था कि प्रस्तावित संस्थानों में अवसंरचना तथा सुविधायें आगामी सत्र से पाठ्यक्रम आरम्भ करने में लिए उपयुक्त नहीं थीं तथा स्पष्ट रूप से सिफारिश की कि इन संस्थाओं का अनुमोदन केवल अगले शैक्षिक वर्ष से प्रदान किया जाए बशर्ते कि कमियों को पूरा किया जाए। तथापि यह देखा गया कि परिषद ने कोई स्पष्टीकरण दर्ज किए बिना इन संस्थाओं को आगामी सत्र से अनुमोदन प्रदान किया।

**(ख) निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना**

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि संस्थान को कमी पत्र जारी किया जाता है वह परिषद द्वारा इंगित की गई अपर्याप्तताओं को दूर करने के संबंध में प्रमाण सहित मामले का पुनःविचार करने के लिए अपील दर्ज कर सकता है। इस प्रकार की अपील पर परिषद द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाता है और समिति की सिफारिशें आगे परिषद मुख्यालय में अपील समिति द्वारा जांच की जाती है। यदि अपील समिति सिफारिश करती है, परिषद द्वारा दुबारा मांग पत्र जारी किया जाता है और समिति विशेषज्ञ सम्बंधित संस्थान के दावों को नये सिरे से जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है और उसकी सिफारिशों के आधार पर, परिषद द्वारा अनुमोदन या गैर-अनुमोदन का निर्णय लिया जाता है। तथापि, दो मामलों में, अर्थात् मारुथी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम तमिलनाडु तथा अन्नाई विलंकनी इंजीनियरिंग कालेज, कांचीपुरम तमिलनाडु, परिषद ने संबंधित प्रबन्धनों द्वारा त्रुटियों को दूर करने के

लिए किए गए दावों के आधार पर ही नई इंजीनियरिंग डिग्री शुरू करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये बिना अनुमोदन प्रदान किया। मेरीना इंजीनियरिंग कालेज, कांचीपुरम, तमिलनाडु, के मामले में, विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि अपर्याप्तताओं को दूर करने के अधीन अगले शैक्षिक वर्ष के लिए ही अनुमोदन दिया जा सकता है लेकिन परिषद ने निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये बिना ही संबंधित संस्थान द्वारा दर्ज अपील के आधार पर आगामी सत्र में ही प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

विशेषज्ञ समिति द्वारा  
नामंजूर करने के बावजूद  
अनुमोदन प्रदान किया

मोहम्मद सदक न्यास, चेन्नई ने 1999-2000 में एक नया इंजीनियरिंग संस्थान शुरू करने के लिए अनुमोदन का आवेदन किया था। कालेज परित्यक्त राजमार्ग मोटल में अस्थाई रूप से चलाने का प्रस्ताव किया गया और न्यूनतम मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। निरीक्षण के दिन के लिए प्रधानाचार्य को किराए पर लिया बताया गया था। विशेषज्ञ समिति ने प्रस्तावित संस्थान का दौरा किया और मामले को नामंजूर करने की सिफारिश की क्योंकि वह आवश्यक पेरामीटर की पूर्ति नहीं करता था। समिति ने निरपेक्ष रूप से बताया कि इस प्रकार संदिग्ध प्रबन्धन को इंजीनियरिंग कालेजों को चलाने की अनुमति कभी भी नहीं दी जानी चाहिए। तदनुसार, उपरोक्त न्यास को परिषद ने कमी पत्र जारी किया (8/2000)। न्यास ने अपील की और समिति द्वारा बतायी गई कमियों को दूर करने का दावा किया। न्यास ने यह भी दावा किया कि उसने दूसरी जगह खरीद ली थी और वहाँ स्थायी रूप से कालेज निर्माण करने का प्रस्ताव किया क्योंकि पहले वाला स्थान प्रथम वर्ष के लिए कालेज के लिए अस्थायी रूप से प्रस्तावित किया गया था। विशेषज्ञ समिति को प्रस्तावित कालेज का दौरा करने के लिए दुबारा प्रतिनियुक्त किया गया और उनकी सिफारिशों के आधार पर, परिषद ने तीन पाठ्यक्रमों प्रत्येक में 40 विद्यार्थियों के अन्तर्ग्रहण के साथ कालेज को शुरू करने का अनुमोदन दिया। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दूसरी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार भी स्थायी स्थान पर भवन का नक्शा अनुमोदित नहीं किया गया (आवेदनों की छटनी करते समय पर पूर्वपेक्षित) तथा कक्षाओं का आकार प्रत्येक में 40 विद्यार्थियों के बैठने के लिए ही था। न्यास ने रासायनिक इंजीनियरिंग के स्थान पर आई.टी. इंजीनियरिंग चलाने की स्वीकृति के लिए फिर से परिषद को प्रस्तावित किया (4/2001) जैसा शुरू में प्रस्ताव किया गया और विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। परिषद अन्तर्ग्रहण में कोई परिवर्तन किए बिना प्रतिस्थापन के लिए सहमत हो गया (5/2001)। इसके अतिरिक्त, परिषद ने विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को ध्यान में

रखे बिना विशेषतः कक्षों के आकार के संबंध में, अनुमोदित पाठ्यक्रम में अन्तर्ग्रहण क्षमता को 40 से 60 तक बढ़ा दिया था (6/2001)।

अन्य दो मामलों अर्थात् श्रीराम सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुरी, उड़ीसा और मीनाक्षी सुन्दराजन इंजीनियरिंग कालेज, चैनई, तमिलनाडु में परिषद ने नये संस्थानों का अनुमोदन प्रदान किया जिनमें अधिकतर सभी मूल न्यूनतम आवश्यकताओं का अभाव था। अधिग्रहीत भूमि न्यूनतम आवश्यकता से कम थी, वहाँ कोई पुस्तकालय नहीं था, प्रयोगशालाओं के लिए उपरकर की अधिप्राप्ति अभी की जानी थी, संकाय भी स्थापित किया जाना था और सुख सुविधाओं का सर्जन नहीं किया गया था। पहले मामले में, विशेषज्ञ समिति ने यह भी टिप्पणी दी थी कि चिन्हित भूमि में प्रस्तावित भवन में विद्यालय विद्यामान था और भवन का कुछ भाग किसी लघु उद्योग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। धनलक्ष्मी इंजीनियरिंग कालेज, चैनई तमिलनाडु के मामले में, परिषद ने शैक्षिक वर्ष 2000-01 से उनके पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए कालेज को अनुमोदन प्रदान किया जबकि अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। इस तथ्य के बावजूद कि महाविद्यालय मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण 2000-01 में पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं कर सका था, अगले वर्ष के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा बताई गई कमियों के बावजूद परिषद द्वारा लेखापरीक्षा में जांच किए गए सभी 171 मामलों में एक तरह का अनुमोदन प्रदान किया गया था। इससे तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया। इन संस्थाओं को अविवेचित अनुदान प्रदान करने से देश में अवस्तरीय तकनीकी शिक्षा की तीव्र वृद्धि हुई।

#### 2.1.6.3 प्रत्यायन

परिषद द्वारा सितम्बर 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (रा.प्र.बो.) स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मसी, नगरयोजना और प्रबन्धन में डिप्लोमा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा संस्थानों के गुणात्मक सक्षमता का मूल्यांकन करना था। रा.प्रा.बो. शिक्षा संस्थानों के विभिन्न संघटक तत्वों की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं आश्वस्त करने से भी सम्बन्धित है। प्रत्यायन एक गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया है जबकि अनुमोदित संस्थान में कार्यक्रम संस्थान या कार्यक्रम के समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूरा करने के सत्यापन को छः माह से अधिक नहीं के अंतराल पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है।

**1829 अनुमोदित संस्थानों के विरुद्ध केवल 95 ने प्रत्यायन के लिए आवेदन किया।**

प्रत्यायन का उद्देश्य एक नये भर्ती किए गए विद्यार्थी को ऐसे व्यक्ति में बदलने में जिसे सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान हो तथा उत्तरदायित्व कार्यों में तुरन्त नियुक्ति हेतु स्वीकार्य स्तर की व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत क्षमता हो, उपयोगिता संवर्धन को मान्य तथा अभिस्वकार करना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि परिषद द्वारा 1997-98 से 2001-02 के दौरान अनुमोदित 1829 विभागों/संस्थानों के विरुद्ध केवल 95 संस्थानों ने अवधि के दौरान प्रत्यायन के लिए आवेदन किया था। जो संस्थाएं प्रत्यायन के लिए सामने आयी उनकी प्रतिक्रिया बहुत कम थी।

परिषद ने रा.प्र.बो.कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रवर्तन नहीं किया था और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर प्रत्यायन प्राप्त कराना अनुमोदित संस्थानों के लिए अनिवार्य बना दिया था।

इस प्रकार, रा.प्र.बो. तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

### **2.1.7 योजनाएँ**

परिषद इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जिसका विवरण अनुबन्ध II क और II ख में दिया गया है। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, परिषद ने उच्च क्षमता बोर्ड को स्थापित किया जिसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक इंजीनियर, परिषत्सदस्य, उद्योगपति एवं शिल्प वैज्ञानिक समाविष्ट थे। इन योजनाओं के लिए योजनागत एवं योजनेतर शीर्षों के अंतर्गत 1997-98 से 2001-2002 पांच वर्षों के दौरान कुल 354.55 करोड़ रु. सहायता अनुदान जारी की थी। लेखापरीक्षा में छ: योजनाओं के संबंध में जांच की गई जिसमें 230.37 करोड़ रु. शामिल थे (कुल सहायता अनुदान का 65 प्रतिशत बनता था) (अनुबन्ध II ग)। अनुवर्ती पैराग्राफों में उपलब्धियाँ दी गई हैं:

#### **2.1.7.1 अप्रचलन का निराकरण तथा आधुनिकीकरण (मोडरोब्स)**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अविरत प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी संस्थानों को आधुनिक उपकरण/अवसंरचना सुविधाओं से लैस करना तथा विद्यमान प्रयोगशालाओं में नई प्रौद्योगिकी का प्रारंभ करना है। योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता सामान्यतः 15 लाख रु. तक सीमित होती है। परिषद पूरे देश के

तकनीकी संस्थानों से योजना के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करती है। व्यूरो स्तर पर प्रारंभिक संवीक्षा के पश्चात्, विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की जाती है तथा अगर सिफारिश की जाती है तो प्रस्तावित परियोजना के समन्वयक को उसके/उसकी परियोजना के प्रस्तुतिकरण के लिए एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष आमंत्रित किया जाता है। विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं पर तब स्वीकृति के लिए अनुसंधान व्यूरो (अ.व्यू) द्वारा विचार किया जाता है तथा एक बार जब परियोजना अ.व्यू. द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तब सहायता अनुदान जारी किए जाते हैं। तथापि योजना में उस उपचार का उल्लेख नहीं है जो कि प्रतिस्थापित किए जाने वाले पुराने उपकरणों/शिक्षा सामग्री के साथ किया जाना चाहिए।

प्रारम्भ में प्राप्त किए गए तथा तदनंतर वित्तपोषण हेतु स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों की कुल संख्या, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 1378 परियोजनाओं हेतु परिषद ने 121.60 करोड़ रु. राशि के सहायता अनुदान जारी किए थे जिसमें से लेखापरीक्षा में 173 परियोजनाओं की नमूना जांच की गई जिसमें निर्धारित मानकों से विपर्यय/कमियों के कई मामले सामने आए।

**अनुदान सहायता प्राप्त कर रहे 52 स्व. वित्त पोषित संस्थान प्रत्यायित नहीं थे।**

38 मामलों में जारी की गई अनुदान राशि विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक थी।

**मूल्यांकन केवल 7.9 प्रतिशत परियोजनाओं के लिए किया गया था।**

गैर हकदार संगठन को 1 करोड़ रु. का भुगतान किया था।

14 मामलों में, सम्बन्धित फाइलों में परियोजना प्रस्ताव तक उपलब्ध नहीं थे, जबकि कुल 173 मामलों में, व्यूरो स्तर से उनके अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुमोदन तक, प्रस्ताव का मूल्यांकन उपलब्ध नहीं था। 3.10 करोड़ रु. की अनुदान सहायता उन 52 स्व. वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराई गई थी जो प्रत्यायन के अनिवार्य प्रावधान को पूरा नहीं करते थे, जबकि 38 मामलों में जारी की गई अनुदान सहायता, विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक थी। 108 मामलों में परियोजना मूल्यांकन समिति के गठन की सूचना नहीं दी गई थी।

विशेषज्ञों की समिति द्वारा परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन, यद्यपि प्रत्येक वर्ष करना अपेक्षित था, बड़ी संख्या के मामलों में नहीं किया गया था परिषद ने सूचित किया (सितम्बर 2002) कि 1997-98 से 2001-2002 के दौरान, मोडरोब्स की 109 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था जोकि इस अवधि के दौरान स्वीकृत 1378 परियोजनाओं की कुल संख्या का केवल 7.9 प्रतिशत था।

मोडरोब्स के अन्तर्गत सरकारी संगठन राष्ट्रीय सूचकांक सेवा केन्द्र को 1 करोड़ रु की अनुदान सहायता प्रदान की (मार्च, 1998)। यह बात समझ में नहीं आ रही थी ऐसी

संस्था जो तकनीकी शिक्षा नहीं दे रही थी अतः वह योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती थी, उसको क्यों ऐसा अत्यधिक अनुदान जारी किया था।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, विभाग के अध्यक्ष (अ.वि.) जो प्रधान जांचकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर परिषद को केवल प्रत्येक विभाग के एक प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। यद्यपि यह देखा गया कि 39 मामलों में योजना के प्रावधानों का दृढ़ता से पालन नहीं किया था तथा उसी प्रधान जांचकर्ता (प्र.जा.) को (क) दो परियोजनाएं उसी विभाग से (ख) दो विभिन्न विभागों से दो परियोजनाएं (ग) तीन विभिन्न विभागों से तीन परियोजनाएं दी गई थी। यह भी अवलोकन किया गया था कि (क) दो विभिन्न प्र.जा. को उसी विभाग से परियोजनाएं दी गई (ख) तीन विभिन्न प्र.जा. को उसी विभाग से परियोजनाएं दी गई थी इस प्रकार परिषद ने मानक/प्रक्रिया के विरुद्ध 281.70 लाख रु. की अनुदान सहायता जारी की।

नियमन अनुसार, अंनतिम उपयोग प्रमाण पत्र/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात ही दूसरी एवं अनुवर्ती अनुदान सहायता की किस्तों को जारी करना था। तथापि, यह देखा गया कि 103 मामलों में अंनतिम उपयोग प्रमाण पत्र/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही दूसरी एवं अनुवर्ती अनुदान सहायता प्रदान की गई थी। योजना के 1998-99 से 2000-01 तक अनुदान सहायता के रजिस्ट्रों से यह ज्ञात हुआ कि 1998-99 से 2000-01 तक के दौरान 746 परियोजनाओं के लिए अनुदान सहातया मंजूर की गई थी जिसमें से 173 के अंनतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। तथापि केवल 105 मामलों में ही अंतिम लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे।

#### **2.1.7.2 अनुसंधान एवं विकास (अ.वि.) तथा तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्यक्रम (टेपटैक)**

##### **अ.वि.**

कार्यक्रम का उद्देश्य अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध क्षेत्रों में शैक्षिक सदस्यों के बीच सामान्य अनुसंधान सामर्थ्य की उन्नति करना था। प्रस्तावों में विशेष अ.वि. परियोजना शामिल की जानी चाहिए तथा इस योजना के अन्तर्गत सहायता के माध्यम से अधिप्राप्त करने हेतु प्रस्तावित उपकरणों तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विवरण दिया जाना चाहिए। अ.वि. क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र होना जरुरी नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत निधियन 10 लाख रु. तक सीमित है।

### टेपटैक

यह योजना मुख्यतः राष्ट्रीय विकास के इंजीनियरी कार्मिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के श्रेष्ठता और आवश्यकता आधारित अनुसंधान पहचान किये गये सोये हुए क्षेत्र में सुनिश्चित बढ़ावा देने के लिये हैं। सौंपे गये क्षेत्र आवधिकी संसाधित हुए हैं। इस योजना के अधीन सामान्यतः 20 लाख रु. से अधिक सहायता नहीं दी गई, इस उद्देश्य से कि परियोजना का परिणाम एक बड़ी परियोजना का होना और अन्य शाखाओं जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करना।

इन योजनाओं के तहत, अनुसंधान और संस्थागत विकास व्यूरों में तकनीकी संस्थाओं से परियोजनाओं को लेने के प्रस्तावों का प्रारम्भिक स्तर पर छंटाई की गई। चयनित प्रस्तावों की सिफारिश के आधार पर विषय विशेषज्ञों द्वारा संवीक्षा की जाती है। प्रस्तावित परियोजना के समन्वयक को विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत, करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। परियोजनायें समिति द्वारा अनुमत होने पर अन्त में अनुसंधान बोर्ड (अ.बो.) द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों में 1081 परियोजनाओं के लिए 8894.75 लाख रु. अनुदान सहायता दिये गये और 101 परियोजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों का नमूना परीक्षण किया गया और बहुत सी कमियों का पता लगा।

सात मामलों में यहाँ तक कि परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धित फाईलों में उपलब्ध नहीं थे जबकि 101 मामलों में प्रस्ताव का मूल्यांकन ठीक व्यूरो स्तर से अनुसंधान बोर्ड के अनुमोदन तक उपलब्ध नहीं था। 11 मामलों में सिफारिश की गई राशि से अधिक अनुदान सहायता दी गई जबकि 77 मामलों में परियोजना मूल्यांकन समिति का गठन सूचित नहीं किया गया।

नियमों एवं शर्तों के अनुसार एक परियोजना के लिए संस्वीकृत अनुदानों का आवर्ती भाग कुल अनुदान सहायता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। 2000-01 में टेपटैक/आर. और डी. से सम्बन्धित 38 परियोजनाओं में 12, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी में आवर्ती व्यय, निर्धारित सीमा से अधिक था जो कि 16.67 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक पहुंच गया, परिणामत 8.41 लाख रु. की अधिक अनुदान सहायता जारी की गई।

**8.41 लाख रु. की अनुदान राशि निर्धारित सीमा से अधिक जारी की गई थी।**

परिषद ने पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से, उसके परियोजना प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने को कहा जिसे न तो निर्धारित फार्मेट में तैयार किया गया था और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किया था। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जो यह दर्शाये कि पंजाबी विश्वविद्यालय द्वारा शोधक मापदण्ड अपनाए गए थे, बावजूद 5 लाख रु. की सहायता अनुदान जारी की गई थी।

अ.एवं वि. योजनाओं के दो मामलों में बिना कई औचित्य अथवा कारण बताए, सहायता अनुदान 16 लाख<sup>रु.</sup> तथा 14.5 लाख<sup>रु.</sup> की अधिक राशि जारी की गई थी।

**366** परियोजनाओं में से केवल 26 में लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुये।

नियमों के अनुसार सहायता-अनुदान की दूसरी/उत्तरवर्ती किश्तें अनन्तिम उपयोग प्रमाणपत्र/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त करने के उपरान्त ही जारी करनी थीं। तथापि, 68 मामलों में यह देखा गया, कि सहायता-अनुदानों की दूसरी/उत्तरवर्ती किस्त अनन्तिम उपयोग प्रमाण-पत्र/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त किए बिना जारी की थी। अ. एवं वि. योजना के मामले में, उपयोग प्रमाण पत्र 366 परियोजनाओं में से 93 में प्राप्त हुये थे और अन्तिम लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र केवल 26 मामलों में ही प्राप्त हुये थे। उसी प्रकार, तीन वर्ष अर्थात् 1998-99 से 2000-01 के अन्तर्गत 340 निधिक परियोजनाओं में से टेपटैक योजना के संबंध में अनन्तिम उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या 88 थी और केवल 25 परियोजनाओं में अन्तिम लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण प्राप्त किए गए थे। ए आई सी टी ई सम्पूर्ण परियोजनाओं की पूर्ण संख्या नहीं जुटा सकी, जो कि 1997-98 से 2001-2002 के दौरान वित्तपोषित थीं।

किसी परियोजना के लिए सहायता-अनुदान जारी करने हेतु दक्ष समिति/अनुसंधान बोर्ड द्वारा मूल्यांकन एक पूर्वापेक्षित है। तथापि, 4 मामलों में यह देखा गया था इन तथ्यों के होते हुए कि पूर्व मूल्यांकन की कमी के बिना संबंधित ब्यूरो ने अपनी अस्वीकृति जताई के बावजूद भी भावी चयन समिति द्वारा उनके मूल्यांकन हेतु सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों सहित आदेशों पर 24.45 लाख रु. अनुदान राशि जारी की गई।

### 2.1.7.3 सामान्य

#### 2.1.7.3.1 509 लाख रु. का निष्फल व्यय

ड श्रेणीकृत परियोजनाओं हेतु जारी 509 लाख रु. को नहीं लौटाया था।

परिषद द्वारा अनुश्रवण कार्यशालाओं को गठित करते समय प्रत्येक वर्ष परिषद द्वारा निधिक परियोजनाओं के मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता थी। विशेषज्ञों द्वारा उनके निष्पादन को निर्णित होने के आधार पर परियोजनाएँ "क", "ख", "ग", "घ" तथा "ड" वर्गों में अनुरूपित की जानी थीं। "ड" श्रेणीकृत परियोजनाएँ समाप्त कर दी गई हैं और

संस्थानों से अनुदानों के लौटाने के लिए कहा गया है। यह देखा गया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन अनुसन्धान एवं विकास योजनाओं के अन्तर्गत 509 लाख रु. के सहायता अनुदान को शामिल करते हुये 69 परियोजनाओं को "ड" श्रेणी दी गई थी। इस राशि की वापसी के बारे में सूचित करने में परिषद विफल रही।

#### 2.1.7.4 उद्यमवृत्ति तथा प्रबन्धन विकास

उद्यमवृत्ति तथा प्रबन्धन विकास की योजना का उद्देश्य डिप्लोमा धारकों की उद्यमी योग्यता का विकास करना तथा स्वरोजगार का सृजन करना था। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (वि.त.वि.) तथा राज्य सरकार संगठनों की सहायता से, गैर-निगमित एवं गैर संगठित सैक्टर की आवश्यकतानुसार अल्पावधि कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। योजना 20 समन्वय तथा नोडल केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो विभिन्न पोलिटेक्निकों में कार्यरत हैं तथा निधियां परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। परिषद ने 1997-98 से 2001-2002 के दौरान इन नोडल केन्द्रों को 383.10 लाख रु. की राशि की अनुदान सहायता जारी की थी। अनुदान भुगतान, उ.प्र. तथा 1999-2000 से 2001-2002 के वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केन्द्रवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं-

क्र. सं.	नोडल केन्द्र का नाम	1999-2002 से 2001-2002 तक दौरान जारी अनुदान सहायता	उ.प्र.प्राप्त 1 हुए या नहीं	आयोजित किये गये कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या							
				उद्यमी श्रेणी जागरूकता कौम्प (उ.त्रे.जा.कै.)	उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (उ.वि.का.)	निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम (नि.शि.क.)	निपुणता विकास कार्यक्रम (नि.वि.का.)	कार्यशाला (का.शा.)	सी.जी.मी	प्रबन्धन विकास कार्यक्रम	कार्यक्रमों की कुल संख्या
1	भुवनन्दा उड़ीसा स्कूल	6.00	हीं	1	2	1	-	1	-	-	5
2	सरकारी पोली, सुन्दर नगर हिं.प्र.	6.00	नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सरकारी पोली खड़वाई हिं.प्र.	6.00	हीं	2	1	-	2	-	1	-	6
4	डा. बी. आर. आर्बेडकर सरकारी पोली अंडमान	6.00	नहीं	4	2	-	-	-	-	-	6
5	सरकारी पोली, सागर म.प्र.	6.00	हीं	6	-	-	-	6	-	-	12
6	एम.एस.एस. पोली केरल	9.00	हीं	15	2	7	24	2	-	-	-
7	ग्रामीण पोली प्रेमरा नगर	9.00	हीं	10	-	9	8	-	-	11	38
8	जेएसएस कालेज ऊटी	9.00	हीं	10	8	-	5	3	-	9	35
9	मिन्ड ऑफ वैल्स संस्था जोहांट, असम	9.00	हीं	7	-	-	24	-	-	-	31
10	सरकारी पोली, सुरत गुजरात	9.00	हीं	4	12	69	18	5	-	-	108
11	फाटदर एंगल, नई दिल्ली के सी बी औ पोली. महिला, - जम्मू	9.00	हीं	6	3	19	15	3	-	-	46
12	पीएसजी पोली महाविद्यालय, कोयम्बटूर	9.00	हीं	6	4	9	10	-	-	-	29
13	आईआरटी इलाहाबाद	9.00	हीं	10	7	5	33	11	-	-	66
14	कमला नेहरू पोली महिला, हैदराबाद	9.00	हीं	12	5	18	36	15	-	-	86
15	वाईएमसीए फरीदाबाद	12.00	हीं	1	2	-	30	-	-	-	33
16	असम इंजीनियरिंग कालेज, असम गोवाहाटी	12.00	हीं	1	2	-	30	-	-	-	33
17	तुलानी काउंडेशन, गुजरात	12.00	हीं	13	6	5	8	4	-	-	36
18	जूट टेक.संस्था, कलकता	12.00	हीं	-	15	6	26	-	-	8	55
19	थापर पोली, पटियाला, पंजाब	12.00	हीं	4	3	10	9	1	-	-	27

टिप्पणी:- 1997-98 तथा 1998-99 के लिए सूचना यद्यपि मांगी गई थी, उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

### नोडल केन्द्रों का असंतोषप्रद अनुपालन

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ है कि 12 लाख रुपये रकम के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र, दो नोडल केन्द्रों से अभी तक प्रतीक्षित थे। इन नोडल केन्द्रों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की गतिविधि विषम थी। नोडल केन्द्रों द्वारा निष्पादित/संचालित, क्रियाकलापों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहुत अधिक अन्तर था जो 6 लाख रुपये तक के अनुदान की श्रेणी में 0 से 12 तक था, 9 लाख रुपये तक अनुदान की श्रेणी में 50 से 108 तक और 12 लाख रु. के अनुदान की श्रेणी में 27 से 108 तक था। यह भी देखा गया कि पिछले तीन सालों में, किसी भी नोडल केन्द्र ने परिषद द्वारा विचार किये गये सभी क्रियाकलापों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित नहीं किया था। अतः नोडल केन्द्रों द्वारा योजना का उचित कार्यान्वयन और अनुश्रवण, साथ ही उद्देश्यों की प्राप्ति, जैसी कि योजना में निहित थी, नहीं हो सकी।

#### 2.1.7.5 निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम (नि.शि.का.)

निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम की योजना, 1986 ही शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ, शुरू की गयी —

- विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी व्यवसायों की आगामी आवश्यकताओं का मूल्यांकन।
- निरन्तर शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना संस्थानों और व्यवसायिक संस्थाओं को कार्यक्रम प्रस्तुत करना।
- योजना बनाना, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुश्रवण और योजनाओं का प्रभाव प्राप्त करना और उपयुक्त शोधक मानदण्ड लागू करना।

उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए पठन सामग्री तैयार की जाती है और कार्यक्रमों के द्वारा जैसे कि विभिन्न संस्थानों, उद्योगों और व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यशिविर, लघु एवं दीर्घकालीन पाठ्यक्रम और गोष्ठियाँ कार्यरत व्यवसायियों को प्रसारित की जाती है। परियोजना, परिषद को 1994 में स्थान्तरित की गयी ओर नोडल केन्द्र बंगलौर सहित, नौ केन्द्रों के द्वारा कार्यान्वयन की गयी। बाद में केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर 31.3.2002 तक, 27 कर दी गयी और पिछले पाँच वर्षों की अवधि में 389.05 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

नि.शि.का. केन्द्र बंगलौर का प्राइवेट चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा 2000 में किया गया, एक पुनरीक्षण परिषद ने प्राप्त किया। पुनरीक्षण की कुंछ मुख्य उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं -

- ⑤ परिषद मुख्यालय की जानकारी के बिना, संस्थानों को अनधिकृत मंजूरी दी जा रही थी जो न ही अभियांत्रिकी महाविद्यालय थे और न ही पौलीटेक्नीक्स थे। इस मंजूरी के आधार पर, इन संस्थानों ने, नये छात्रों के लिये, जो अकार्यरत व्यवसायी थे, व्यवसायिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम चलाने शुरू कर दिये। नि.शि.का. केन्द्र, बंगलौर ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए परीक्षाएं आयोजित की और इन अवैध रूप से मान्य संस्थाओं से परीक्षा फीस, मताधिकार फीस; प्रमाणपत्र मूल्य आदि, की वसूली की/डिग्रीधारियों की पेशेवर सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए इन प्रमाणपत्रों पर स्पष्टतः परिषद का नाम और लोगो, प्रयोग किया गया।
- ⑥ विभिन्न नि.शि.का. केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री का उत्पादन किया जाता है तथा संसाधन एवं प्रसार हेतु बंगलौर केन्द्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। यद्यपि, विभिन्न केन्द्रों, जिन्होंने इस आशय के लिए परिषद से अनुदान प्राप्त किये थे, से प्राप्त पाठ्यक्रम सामग्री का कोई गुणवत्ता निधारण नहीं किया जाता था। इसलिए सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता था।
- ⑦ नि.शि.का. केन्द्र बंगलौर द्वारा संस्थान के परिसर में अतिरिक्त स्थल/सुविधाएं आदि के निर्माण पर वर्षों से 5.94 लाख रु. खर्च किये गये थे, इसके बावजूद संस्थान के प्राधिकारियों के पास कोई अनुबन्ध/एम ओ यू नहीं था।
- ⑧ नोडल केन्द्र को दो अस्थायी पदों का सृजन करने के लिए प्राधिकृत किया गया था (एक कार्यक्रम कार्यकारी/प्रोफेसर तथा एक आशुलिपिक)। तथापि, बंगलौर केन्द्र ने समय-समय पर, परिषद या मंत्रालय के किसी औपचारिक अनुमोदन के बिना, 20 स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति की थी।

4.62 लाख रु. का  
अनियमित व्यय

निदेशक, नि.शि.का. के सम्बन्ध में जैसी कि सूचना मिली थी, प्रतिनियुक्ति भत्ते तथा मासिक टैक्सी प्रभारों पर 4.62 लाख रु. तक के अनियमित भुगतान/अधिक भुगतान किये गये थे।

इस प्रकार उपर्युक्त अनियमितताओं के संदर्भ में यह टिप्पणी की जाती है कि परिषद मुख्यालय पर उचित नियंत्रण तंत्र के अभाव से ना केवल सार्वजनिक राजकोष में एक बड़ा दांता बन गया बल्कि, पिछले पांच वर्षों में जिस योजना के लिए 389.05 लाख की राशि की अनुदान सहायता जारी की गई थीं, उसके मूल उद्देश्य भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। परिषद तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारियों

नियंत्रण तंत्र की  
कमी से योजना बंद

के विरुद्ध इस सम्बन्ध में ना तो कभी कोई विभागीय जांच कराई और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की थी। व्यक्तियों के विरुद्ध जांच को मिलाकर पुनरीक्षण रिपोर्ट की सिफारिशों पर परिषद द्वारा की गई कार्यवाही की मांग की गई थी (सितम्बर 2000) परन्तु यह लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी (दिसम्बर 2002)।

नि.शि.का. योजना को, परिषद द्वारा जुलाई 2000 में समाप्त कर दिया गया था तथा बंगलौर केन्द्र को बन्द कर दिया गया था।

#### **2.1.7.6 राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पद्धति (रा.त.ज.सू.प.)**

रा.त.ज.सू.प. का उद्देश्य एक डाटा बेस का सर्जन करना तथा देश में तकनीकी शिक्षा को नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, अभियांत्रिक और तकनीकी शिक्षा मानवशक्ति की मांग एवं पूर्ति का अनुश्रवण करना है। योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:-

- तकनीकी मानव शक्ति का विभिन्न कार्यक्षेत्र में शाखाओं के विशिष्टीकरण के साथ और विभिन्न अभियांत्रिक श्रेणियों की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन मांगों का अनुमान।
- मौजूदा अन्तरग्रहण और बहिर्गमन आँकड़ों के आधार पर विभिन्न अभियांत्रिक तथा तकनीकी मानवशक्ति की विभिन्न श्रेणियों की पूर्ति का अनुमान।
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं के साथ नौकरी की आवश्यकताओं से मिलान के लिए डाटा का एकत्रण एवं विश्लेषण।
- भविष्य के वर्षों में मानवशक्ति की आवश्यकताओं की पर्याप्ता या कमी और बाद में वर्तमान नामांकन दर में पर्याप्ता के बारे में भविष्यवाणी प्रदान करना।

मानवशक्ति सूचना पद्धति द्वारा मानवशक्ति सूचना इकाई की स्थापना, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर तथा अभियांत्रिक मानव शक्ति के समूह के संदर्भ में लीड केन्द्र एवं 21 नोडल केन्द्रों विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में एवं पूरे देश के विभागों में स्थापित है परिषद, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (अ.ज.अ.स.) के साथ रा.त.ज.सू.प. की योजना को संचालित करती है।

इस योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच की गई थी और उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं : -

#### 2.1.7.6.1 अनुदानों का अधिक जारी किया जाना

874 लाख रु. की अनुदान सहायता अधिक जारी की गयी थी।

1988-89 से, लीड केन्द्र के लिए अनुदान सहायता जारी करने की उच्चतम सीमा 16.35 लाख रु. तक संशोधित की गई थी, तथा प्रत्येक नोडल केन्द्र के लिए यह 2.42 लाख रु. वार्षिक थी। एक वर्ष में अनुदान सहायता की कुल राशि जो लीड एवं 21 नोडल केन्द्रों के लिए जारी की जा सकती थी, 67.17 लाख रु. थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 1209.73 लाख रु. की अनुदान सहायता राशि जारी की गई थी जो निश्चित अधिकतम सीमा पर आधारित 335.85 लाख रु. से बहुत अधिक (873.88 लाख रु.) थी। परिषद ने बताया (सितम्बर 2002) कि राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार नियमित बजटीय प्रणाली अपनाई गई थी तथा तभी से वही प्रणाली प्रचलन में थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत जारी की गई अनुदान सहायता तथा इस अवधि में किये गये व्यय के ब्यौरे (उपयोग प्रमाण पत्रों पर आधारित) नीचे दर्शाये गये हैं:

(लाख रु. में)

वर्ष	अथ शेष	जारी की गई अनुदान सहायता	किया गया व्यय	अन्त शेष
1997-1998	46.86	21.10	14.01	53.95
1998-1999	53.95	113.89	25.19	142.65
1999-2000	142.65 (-5.81) <u>136.84</u>	15.96 + 0.97 16.93	23.33	130.44
2000-2001	130.44 + 0.48 130.92	-	49.50	81.42
2001-2002	81.42	-	56.70	24.72

टिप्पणी : 5.81 लाख रु. गैर-योजना को हस्तान्तरित किये गये थे जबकि 0.97 लाख रु. तथा 0.48 लाख रु. क्रमशः विविध प्राप्ति तथा अग्रिम की वापरी को दर्शाते थे।

लीड तथा नोडल केन्द्रों को जारी अनुदानों पर कोई नियंत्रण नहीं।

यह स्पष्ट नहीं था कि आवश्यकता के निर्धारण के बिना, लीड केन्द्र को बड़ी अनुदानों क्यों जारी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के अन्त में, इसका अधिक भाग अनुपयोगी पड़ा रहा। परिषद ने दिसम्बर 2002 तक इसका कोई कारण नहीं बताया था।

### 2.1.7.6.2 उपयोग प्रमाण पत्र

उ.प्र. में अनुदानों का गलत लेखाबद्ध करना।

ब्यूरो द्वारा, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति को दर्शाता कोई समेकित रिकार्ड या रजिस्टर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उ.प्र. की फाईलों से पाया गया था कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग चैन्सई ने गैर-योजना के अन्तर्गत 9.39 लाख रु. की अनुदान सहायता को 1999-2000 के लिये उ.प्र. में लेखा बद्ध कर दिया था, जबकि ब्यूरों के अनुसार उस वर्ष में केवल 2.64 लाख रु. की अनुदान सहायता जारी की गई थी। ब्यूरो के अनुसार 2001-2002 के दौरान योजनागत के अन्तर्गत 3.80 लाख रु. के विरुद्ध 9.29 लाख रु. ही जारी किये गये थे।

31.3.2002 को विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाणपत्रों में अनुदान सहायता की भारी अव्ययित राशि शेष थी।

अभिलेखों में इस बात का भी जिक्र नहीं था जिससे पता चल सके कि अव्ययित शेष परिषद को लौटाये गये थे। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि परिषद रोजमर्रा तौर पर वास्तविक आवश्यकता/हकदारी की बिना उचित जाँच के ही मुख्य केन्द्रों को अनुदान सहायता देता रहा (अनुबन्ध-III)।

### 2.1.8 अनुश्रवण एवं नियन्त्रण

सहायता प्राप्त संस्थाओं की आन्तरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण नहीं हुआ

स्वीकृत संस्थाओं का अनुश्रवण एवं नियन्त्रण पूरे देश में तकनीकी शिक्षा के निरंतर एवं स्तरीय विकास के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 150(1) के अनुसार सभी संस्थाओं के लेखे स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण/लेखापरीक्षा के निरीक्षण हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होने चाहिए एवं इस प्रभाव का प्रावधान अनुदान सहायता देते समय आदेशों में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। यद्यपि परिषद ने संस्तुति पत्रों के संबंधित उपबंधों में इसका उल्लेख किया था लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह प्रदर्शित नहीं होता था कि परिषद ने विगत पांच वर्षों में सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखाओं का निरीक्षण किया गया था। आगे भी सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के निरीक्षण हेतु किसी आन्तरिक लेखापरीक्षा या अन्य व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था। परिषद द्वारा निधिबद्ध परियोजनाओं का विगत पांच वर्षों में उचित मूल्यांकन भी नहीं किया गया था। विभिन्न योजनाओं से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्रों का भारी संख्या में लम्बित रहना परिषद के कमज़ोर अनुश्रवण एवं नियन्त्रण का द्योतक है।

## 2.1.9 विविध

### 2.1.9.1 परिषद में मानव संसाधन की स्थिति

31 मार्च 2002 को परिषद में संस्वीकृत संख्या एवं तैनात कार्मिकों का विवरण अनुबंध IV में दर्शाया गया है।

इन विवरणों से देखा जा सकता है कि 210 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध 95 व्यक्ति ही तैनात थे। नियमित कर्मचारियों की संख्या 11 थी जो संस्वीकृत पदों का 5 प्रतिशत थी। आगे भी दो नवनियुक्त निश्चित अवधि के पदों पर थे, 37 कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे जिनमें से 7 तदर्थ क्षमता में तथा 38 ठेके पर। ऐसा भी देखा गया कि 15 व्यक्ति सहायक निदेशक एवं इससे ऊंचे पद पर ठेके पर कार्य कर रहे थे। अन्य 23 कर्मचारी, मुख्यतया डाटा एन्ट्री आपरेटर भी ठेके पर कार्य कर रहे थे।

इतनी बड़ी संख्या में अनुबंध आधार पर मानवशक्ति की तैनाती जोखिम से भरी थी चूंकि न तो उन पर आचरण नियम लागू होते थे और न ही नियमित कर्मचारियों की तरह उनकी जवाबदेही निर्धारित की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रशासनिक तथा अनुसंधान योजनाओं के निष्पादन के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्त संविदा कर्मचारियों का अवैष्टन, पूरे देश में गुणात्मक तकनीकी शिक्षा प्रणाली के प्रोत्साहन में सरकारी हितों को व्यर्थ कर सकता था। इसके अतिरिक्त, एक स्वायत्त निकाय जिसे एक सौ करोड़ रु. से अधिक का वार्षिक अनुदान प्राप्त होता था, में नियमित जनशक्ति संसाधनों का अनस्तित्व औचित्य से परे था।

### 2.1.9.2 अप्राधिकृत पट्टा आवास को किराए पर लेना

जून 1992 में परिषद ने 1 जुलाई 1992 से अवर सचिव तथा उससे ऊपर पद के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पट्टा आवास के मान तथा पात्रता पर ध्यान दिए बिना पट्टा आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। दिसम्बर 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि सिर्फ निदेशक और उससे ऊपर के अधिकारियों को पट्टा आवास उपलब्ध कराया जा सकता था किन्तु सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए परिषद ने अवर सचिव पद तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को पट्टा आवास उपलब्ध कराना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, परिषद ने अपने आप ही, 1 नवम्बर 1999 से सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों (ग्रुप डी सहित) को यह सुविधा प्रदान कर दी। 16 जुलाई 1992 से 15 मई 2002 की अवधि के दौरान

नियमित कर्मचारी  
संस्वीकृत पदों के पांच  
प्रतिशत थे

अप्राधिकृत पट्टा आवास  
हेतु 33.75 लाख रु. खर्च  
किए गए

इस कारण परिषद द्वारा भुगतान किया गया 33.75 लाख रु. (मकान किराया भत्ता तथा वसूला गया लाइसेंस शुल्क छोड़कर) का अधिक किराया लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित किया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि हकदार अधिकारियों के सम्बन्ध में पट्टा आवास किराए पर लेते समय परिषद ने किराए के भुगतान पर निर्धारित सरकारी उच्चतम सीमा का अतिक्रमण किया था तथा 1 अप्रैल 1999 से 15 मई 2002 की अवधि के दौरान, इस कारण 2.56 लाख रु. का अधिक व्यय किया।

अक्टूबर 2000 तथा सितम्बर 2001 में दो बार लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, परिषद ने बताया कि मंत्रालय के निर्देशों पर इसने 15 मई 2002 अपराह्न से निदेशक स्तर नीचे पट्टा आवास योजना वापस लेने का तथा पट्टा सुविधा को केवल हकदार अधिकारियों तक सीमित करने का निर्णय किया था। तथापि, दिसम्बर 2002 तक न तो अधिक अदायगी की वसूली की गई और न ही इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2003 में भेजा गया था; उनका उत्तर मार्च 2003 तक प्रतीक्षित था।

**अनुबन्ध I**  
**(पैराग्राफ 2.1.6.1 देखें)**

**नई संस्थायें**

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदनार्थ प्राप्त मामलों की संख्या							अनुमोदन किये गये मामलों की संख्या						
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जोड़	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जोड़		
1.	महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा	202	184	275	202	390	1253	35	34	47	21	64	201		
2.	केरल	11	29	68	83	135	326	-	02	02	13	28	45		
3.	कर्नाटक	135	102	169	103	245	754	42	33	64	19	44	202		
4.	उत्तर प्रदेश	52	52	57	143	126	430	36	44	52	26	64	222		
5.	बिहार	07	02	07	12	08	36	-	01	-	01	01	03		
6.	मध्य प्रदेश	49	36	60	59	61	265	13	15	18	07	26	79		
7.	उड़ीसा	28	21	57	84	-	190	-	12	19	03	18	52		
8.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	08	08	-	-	-	-	03	03		
9.	अण्डमान तथा निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
11.	असम	-	01	-	-	-	01	-	01	-	01	-	02		
12.	झारखण्ड	-	-	-	-	02	02	-	-	-	-	-	02	02	
13.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01		
14.	मेघालय	-	-	01	-	-	01	-	-	-	01	-	01		
15.	मिजोरम	-	01	-	-	-	01	-	-	01	-	-	01		
16.	सिक्किम	02	-	-	-	-	02	-	-	01	-	01	02		
17.	त्रिपुरा	01	01	-	-	-	02	-	01	-	-	-	01		
18.	पश्चिम बंगाल	08	16	16	32	23	95	01	06	13	13	13	46		
19.	आंध्र प्रदेश	143	212	53	231	555	1194	81	74	84	34	151	424		
20.	तमिलनाडु	215	184	146	235	283	1063	61	74	65	39	132	371		
21.	पाँडिचेरी	04	05	04	05	09	27	01	01	02	03	02	09		
22.	चंडीगढ़ क्षेत्र - हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर	46	98	202	209	316	871	18	-	38	20	86	162		
	जोड़	903	944	1115	1398	2161	6521	289	298	406	201	635	1829		

	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के संदर्भ में अनुमोदन की प्रतिशतता							32.00	31.57	36.41	14.37	29.38		
--	---	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

**अनुबन्ध-II क**  
**(पैराग्राफ 2.1.7 देखें)**

(आयोजना) अन्तर्गत योजना को जारी की गई अनुदान सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जोड़
1	जीविका पुरस्कार	68.90	96.70	71.11	199.07	164.24	600.02
2	यात्रा अनुदान	31.25	23.23	33.03	40.59	41.87	169.97
3	पारस्परिक उद्योग संस्थान	20.15	78.05	77.60	104.10	369.21	649.11
4	सेमीनार अनुदान	26.87	39.88	27.43	58.67	67.10	219.95
5	अवकाश प्राप्त संसर्ग	35.95	60.18	79.10	118.94	79.82	373.99
6	राष्ट्रीय तकनीकी मानवशक्ति सूचना पद्धति	95.40	164.58	90.31	113.24	173.94	637.47
7	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	153.00	200.92	138.57	116.73	135.21	744.43
8	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्य	405.68	199.01	200.88	1000.00	965.76	2771.33
9	अन्यागत प्राध्यापकी	-	4.22	10.75	12.09	12.95	40.01
10	व्यावसायिक निकाय को सहायता	20.00	29.35	6.27	14.90	10.30	80.82
11	संकाय तथा स्टाफ विकास	27.00	29.15	24.67	29.42	19.96	130.20
12	उद्यमवृति और प्रबन्धन विकास	61.00	60.00	60.00	63.00	139.10	383.10
13	अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम	72.23	52.75	53.33	163.05	47.69	389.05
14	नेटवर्किंग तकनीकी संस्था	-	-	-	48.62	45.75	94.37
15	अनुसंधान तथा विकास	598.30	1002.30	1245.72	716.90	950.74	4513.96
16	आधुनिकरण एवं अप्रचलन की कार्यव्यूह	1370.09	2667.77	1511.84	2702.65	3908.11	12160.46
17	तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय कार्यक्रम दूसना	961.70	1310.76	797.99	665.64	644.70	4380.79
18	शीघ्र संकाय अधिष्ठान कार्यक्रम (श स अ क)	-	-	-	142.40	89.09	231.49
	जोड़	3947.52	6018.85	4428.60	6310.01	7865.54	28570.52

अनुबन्ध II ख  
(पैराग्राफ 2.1.7 देखें)

(योजनेत्तर) अन्तर्गत योजना को जारी की गई अनुदान सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	जोड़
1	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	285.85	355.84	273.88	778.36	465.33	<b>2159.26</b>
2	राष्ट्रीय तकनीकी मानवशक्ति सूचना पद्धति	64.64	119.62	93.75	181.80	112.45	<b>572.26</b>
3	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्य	488.74	1140.00	858.73	599.33	1046.49	<b>4133.29</b>
	<b>जोड़</b>	<b>839.23</b>	<b>1615.46</b>	<b>1226.36</b>	<b>1559.49</b>	<b>1624.27</b>	<b>6864.81</b>

योजनागत के अन्तर्गत कुल जारी की गई रु. 28570.52  
योजनेत्तर के अन्तर्गत रु. 6864.81  
जोड़ रु. 35435.33

**अनुबन्ध II ग**  
**(पैराग्राफ 2.1.7 देखें)**

योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई अनुदान सहायता जो लेखापरीक्षा में नमुना जांच की गई थीं

**योजनागत**

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि (लाख रु. में)
1.	राष्ट्रीय तकनीकी मानवशक्ति सूचना पद्धति	637.47
2.	उद्यमवृति और प्रबन्धन विकास	383.10
3.	अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम	389.05
4.	अनुसंधान एवं विकास	4513.96
5.	अप्रचलन का निराकरण तथा आधुनिकीकरण	12160.46
6.	तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्र	4380.79
	जोड़	22464.83

**योजनेतर**

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि (लाख रु. में)
1.	राष्ट्रीय तकनीकी जन शक्ति सूचना पद्धति	572.26
	जोड़	572.26

योजनागत  
योजनेतर  
कुल जोड़

22464.83 रु.

572.26 रु.

23037.09 रु.

### अनुबन्ध III

(पैराग्राफ 2.1.7.6.2 देखें)- रा.त.म.सू.प


31.3.2002 को अव्ययित शेष का व्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	योजनागत	योजनेतर	जोड़
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिक कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन	2.46	1.76	4.22
2.	वीर माता जीजा बाई प्रौद्योगिक संस्थान, मुम्बई	3.32	(-)0.64	2.68
3.	शिक्षुकर्ता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	1.12	0.16	1.28
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, राउरकेला, उड़ीसा	1.71	--	1.71
5.	उत्तर-पूर्वीय क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान, इटानगर	3.08	0.66	3.74
6.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, चैन्नई	2.14	--	2.14
8.	बिरला प्रौद्योगिक संस्थान, रांची	-	-	4.42


**अनुबन्ध IV**  
**(पैराग्राफ 2.1.9.1 देखें)**

क्र. सं.	पद का नाम	संखीकृत कार्मिक संख्या	कार्मिकों की स्थिति	रिक्त	नियुक्ति की रीति
1	अध्यक्ष	1	1	-	कार्यकाल
2	उपाध्यक्ष	1	-	1	-
3	सदस्य सचिव	1	1	-	कार्यकाल
4	सलाहकार (प्रशासन)	1	-	1	-
5	सलाहकार-I	4	3	1	3 प्रतिनियुक्ति
6	सलाहकार-II	3	2	1	1 प्रतिनियुक्ति 1 संविदा
7	निदेशक (एफ)	1	1	-	प्रतिनियुक्ति
8	निदेशक	8	6	2	4 प्रतिनियुक्ति 2 ठेका, संविदा
9	उप निदेशक	10	10	-	5 प्रतिनियुक्ति 5 संविदा
10	सहायक निदेशक	20	12	8	5 प्रतिनियुक्ति 7 संविदा
11	उप सचिव	3	1	2	सलाहकार (नियमित अवर सचिव)
12	अवर सचिव	6	4	2	4 तदर्थ (नियमित व.नि.स. एवं प्र.अ.)
13	उप क्षेत्रीय अधिकारी	1	-	1	-
14	लेखा अधिकारी	1	1	-	1 संविदा
15	प्रशासनिक अधिकारी	6	5	1	4 प्रतिनियुक्ति 1 संविदा
16	सहायक लाइब्रेरियन	1	-	1	-
17	निजी सचिव	3	3	-	3 प्रतिनियुक्ति
18	परिषद अभियंता	1	-	1	-
19	सहायक क्षेत्रीय अधिकारी	4	-	4	-
20	निजी सहायक	8	2	6	2 नियमित
21	आशुलिपिक	6	-	6	-
22	लेखाकार	5	5	-	5 प्रतिनियुक्ति
23	सहायक	12	5	7	5 प्रतिनियुक्ति
24	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	2	-	2	-
25	प्रवर श्रेणी लिपिक	15	4	11	3 नियमित 1 प्रतिनियुक्ति
26	अवर श्रेणी लिपिक	19	-	19	-
27	डी.ई.ओ. ग्रेड बी एवं सी	52	21	31	21 संविदा
28	फोटो कोपी आपरेटर	1	1	-	1 तदर्थ (नियमित) दफतरी
29	ड्राइवर	4	2	2	2 नियमित
30	अन्य	10	5	5	1 तदर्थ 4 नियमित
जोड़		210	95	115	



**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली**



## 2.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली

देश में अठारह केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं प्रत्येक संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं, सबसे पहले वाले 1857 में केन्द्रीय विधानमण्डल के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। समय के दिये गए व्यापक विस्तार जिसमें वे विकसित हुये तथा जिस सामाजिक राजनैतिक समाकृति का उन्होंने निरूपण किया, उनके विकास में कोई भी समन्वित उद्देश्य केन्द्र बिन्दु नहीं था। पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के सौ वर्ष से अधिक के पश्चात विशेषकर 1964 से 1982 की अवधि के दौरान और ऐसी संस्थाएं, केन्द्रीय रूप से निर्धिबद्ध स्थापित की गई, उद्देश्यों के व्यापक सेट को आकार दिया गया। कर्तव्य निश्चयन पर विलम्बित प्रयास के लिए किये गये पश्च-स्वतन्त्रता उद्देश्यों ने उनके अखिल भारतीय स्वरूप तथा पाठ्यक्रम में श्रेष्ठता के सम्बन्ध में निधियन के अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विशेष स्थिति में ला दिया। इन अठारह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विशेष स्थिति में ला दिया। इन अठारह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से आठ की कार्यप्रणाली के लेखापरीक्षा पुनरीक्षण से अखिल भारतीय स्वरूप तथा पाठ्यक्रम विकास की कूट रचना में उनकी विफलता के बहुत से उदाहरणों को प्रकट किया है केन्द्रीय वास्तविक केन्द्रबिन्दु अभी उभरना है क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक तथा प्रशासनिक फ्रेमवर्क के भीतर स्वायत्त अस्तित्व के रूप में चलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के प्रति उदासीन हैं। इसकी गैर जिम्मेवारी की स्थिति को और अधिक खराब करने के लिए वि.आ.आ. ने निधियन एजेन्सी के रूप में या तो इसकी उपेक्षा की थी अथवा अपनी नियामक भूमिका का कम पालन किया था। (देखें नि.म.ले.प. का वर्ष 2002 का प्रतिवेदन संख्या 4)। लेखापरीक्षित किये गए किसी भी विश्वविद्यालय ने, उन्हें आबंटित किये गए संसाधनों का, उन्हें अनुमत की गई अवसंरचनाओं को या तो अधूरा रखकर अथवा अपर्याप्त रख कर, पूर्णता अथवा कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं किया था। आन्तरिक संसाधन सृजन घटिया था। पाठ्यक्रम विकास अव्यवस्थित था। इनमें कुछ विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के बिना डिग्रियां प्रदान की। शिक्षकों के कार्यभार पर कोई नियंत्रण नहीं था। अनुसंधान परियोनाओं में मॉनीटरिंग का अभाव था। कम्प्यूटर में विशेष सुविधायें बिना उपयोग के रहीं। भर्ती ने अखिल भारतीय स्वरूप नहीं दर्शाया। कुल मिलाकर, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली ने विलम्बित कर्तव्य निश्चयन, नियामन नियंत्रण के अभाव, सांस्थानिक प्रबन्धन में कमियां, शैक्षिक नैतृत्व के बहुत सी विफलताएं तथा गैर जिम्मेवारी की भारी मात्रा दर्शाई।

### विशेषज्ञताएं

- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अनुरक्षण अनुदानों का उपयोग अनियमित तथा मानदण्ड के अनुपात में नहीं था। जबकि निर्धारित किये गए मानदण्ड में भोटे तौर पर शैक्षिक लागत, प्रशासन तथा विविध सेवाओं के लिए क्रमशः 65:15:25 का अनुपात था, उपयोग का अनुपात एक विश्वविद्यालय से दूसरे से बहुत भिन्न था। ज.ने.वि. ने शैक्षिक लागत पर न्यूनतम (22 प्रतिशत), जबकि हि.वि. तथा दि.वि. ने (क्रमशः 59 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत) व्यय किया। प्रशासन पर ब.हि.वि. तथा उ.पू.प.वि. ने उच्चतम (60 प्रतिशत) जबकि अ.मु.वि. तथा दि.वि. ने न्यूनतम (12 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत) व्यय किया। विविध लेखे में अ.मु.वि. ने न्यूनतम (51 प्रतिशत), जबकि ब.हि.वि. तथा उ.पू.प.वि. ने न्यूनतम (3 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत) व्यय किया। यह दर्शाता है कि व्यय पद्धति मानदण्डों से कितनी दूर थी। यह महत्व के क्षेत्रों को भी दर्शाता है जिन्हें प्रत्येक विश्वविद्यालय ने विवेकपूर्ण समर्पित वृद्धि की क्षमता के लिए अपनाया है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास कुल मिलाकर विकास सहायता का 38 प्रतिशत से अधिक बिना उपयोग के पड़ा रहा। विकास सहायता का 40 प्रतिशत अधिक दिल्ली विश्वविद्यालय (54 प्रतिशत), उ.पू.प.वि. (62.15 प्रतिशत) तथा विश्वभारती (44.15 प्रतिशत) द्वारा अनुपयोजित रह गया। पांडिचेरी विश्वविद्यालय (4.47 प्रतिशत) तथा ज.ने.वि. (18.05 प्रतिशत) के पास न्यूनतम अप्रयुक्त विकास सहायता थी।
- गुणवत्ता अवसरंरचना की वृद्धि में बहुत सी कमियां थीं: निर्माणकार्य बिना अनुमोदन के किये गए जिससे विलम्ब हुआ, निष्पादन में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि अविवेकपूर्ण निर्माण, अधिप्राप्त भूमि का गैर-उपयोग, व्यय की क्षमता के बिना संसाधनों का भारी एकत्रण तथा नेटवर्क की गैर साझेदारी हुई।
- विश्वविद्यालयों द्वारा आन्तरिक संसाधनों का सृजन लगातार कम रहा। 2002 के अन्त तक आवर्ती व्यय के 15 से 25 प्रतिशत के आन्तरिक सृजन के लक्ष्य के प्रति केवल एक ही वर्ष (1999-2000) में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया सृजन अधिकतम 12.25 प्रतिशत था। अधिकतर विश्वविद्यालय 2 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की सीमा में रहे। इस प्रकार अपनी पर्याप्त मात्रा की आरे कार्रवाई कार्यान्वित करने से बहुत दूर थी।
- पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक श्रेष्ठता का केन्द्रीय अंश उपेक्षित रहा। मानकीकरण तथा गुणवत्ता योग्यताकीकरण हेतु वि.अ.आ. द्वारा स्थापित पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पा.वि.के) की सिफारिशों को कुछ तर्क अथवा अन्य कारणों से

अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया नहीं गया था। सामग्री इनपुट के समय तथा प्रकृति के सन्दर्भ में विश्वविद्यालयों तथा पा.वि.के. के बीच सामंजस्य की कमी थी। विश्वविद्यालयों ने अधिकांशतः अपनी शर्तों पर अपने पाठ्यक्रमों को अत्रेषित करना पसंद किया। स्पष्ट रूप से विशेष अध्ययन केन्द्र के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास के संकल्प के सार को उपयुक्त ढंग से परिकलित नहीं किया गया था।

- कुछ मुख्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अ.मु.वि., ब.हि.वि., दि.वि. तथा ज.ने.वि.) नियमों का उल्लंघन करके वि.अ.आ. के अनुमोदन के बिना डिग्रियां प्रदान कर रहे थे। यह देश में उच्चतर शिक्षा के ढांचे पर गभीर उलझाव है।
- अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान कार्यक्रम मानीटरिंग के बिना रहे जिससे अस्पष्ट बैक लॉग हुये, अनुचित विलम्ब तथा सामान्य गैर-जिम्मेवारी हुई।
- अधिकतर विश्वविद्यालय, उनके स्वीकृत अखिल भारतीय स्तर के बावजूद, एक क्षेत्रीय या स्थानीय पाश्वर्क के रूप में पहचाने जाते हैं जो राज्य विश्वविद्यालयों से अधिक नहीं हैं।

### **2.2.1 प्रस्तावना**

1857 में केन्द्रीय विधानमंडल ने, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थाना हेतु अधिनियम पारित किये। उसके बाद पंजाब (1882), इलाहाबाद (1887), बनारस हिन्दु (1916), पटना (1917) तथा अलीगढ़ मुस्लिम (1920) विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। मोन्टेग चैम्सफोर्ड सुधारों (1919) के अनुसरण में व.हि.वि. तथा अ.मु.वि. के अतिरिक्त सभी विश्व विद्यालय प्रांतीय सरकारों को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, स्थापना की गई थी। 1950 में संविधान के प्रख्यापन के साथ ये तीनों विश्वविद्यालय (ब.हि.वि, अ.मु.वि. तथा दि.वि.) संघ सूची में सूचीबद्ध कर दिये गये थे। 1951 में, विश्वभारती विश्वविद्यालय की एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की गई थी। उसके बाद, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (1969), इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (1985), उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (1973), हैदराबाद विश्वविद्यालय (1974), पाँडीचेरी विश्वविद्यालय (1985), जामिया मिलिया इस्लामिया (1988), केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (1993), असम विश्वविद्यालय (1994),

तेजपुर विश्वविद्यालय (1994), बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (1996), मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उद्यू विश्वविद्यालय (1997), महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (1997) तथा मिजोरम विश्वविद्यालय (2000), स्थापित किये गये थे। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय जांच समिति ने प्रथम बार अपनी रिपोर्ट (1964) में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सम्भावित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को परिकल्पनात्मक बनाने का प्रयास किये जिन्हें बाद में, यह जांच करने के लिये कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय उनके लिए उनके लिए उनके अधिनियमों एवं अध्यादेशों में तय किये गये उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, वि.अ.आ. द्वारा (1982) में नियुक्त की गई समिति द्वारा भी पृष्ठांकित किया गया था। समिति ने टिप्पणी की कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दाखिलों, नियुक्तियों तथा उनके पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों के स्वरूप में दर्शाने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर होना चाहिये तथा अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठता को उभारना चाहिये।

### 2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वैयक्तिक अधिनियमों में सामान्यतः निम्नलिखित प्रशासनिक तथा शैक्षिक निकायों के लिए प्रावधानों के एक सैट का निगमन किया गया है:

- न्यायालय;
- कार्यकारी परिषद;
- शैक्षिक परिषद;
- वित्तीय समिति तथा
- अध्ययन विद्यालय/प्राध्यापक वर्ग/समन्वय बोर्ड आदि

कुछ अधिनियमों में न्यायालय को, कार्यकारी परिषद तथा शैक्षिक परिषद की क्रियाओं का पुनरीक्षण करने तथा विश्वविद्यालय के सभी अधिकारों, जिनका अधिनियमों में प्रावधान ना भी हो, का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। दूसरे कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत न्यायालय के केवल सलाहकार के कार्य हैं। इसे, समय-समय पर, इसके सुधार एवं विकास हेतु विश्वविद्यालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने का अधिकार है।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी तथा शैक्षिक अधिकारी होता है एवं कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद तथा वित्तीय समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

### **2.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र**

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है। वर्तमान पुनरीक्षण में अठारह में से आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इन विश्वविद्यालयों का चयन, भौगोलिक प्रतिनिधित्व का मापदण्ड, अनुदानों की मात्रा तथा उद्देश्य के सहयोग को ध्यान में रखकर किया गया है। ये आठ विश्वविद्यालय हैं-

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ.मु.वि.)	5. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (ज.ने.वि.)
2. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (ब.हि.वि.)	6. उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (उ.पू.प.वि.)
3. दिल्ली विश्वविद्यालय (दि.वि.)	7. पांडिचेरी विश्वविद्यालय (पां.वि.)
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय (है.वि.)	8. विश्व भारती (वि.भा.)

### **2.2.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य**

लेखापरीक्षा का उद्देश्य मौटे तौर पर चुने गए आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संविधियों से उत्पन्न संकेतकों तथा सामान्य विशेषताओं का परिणाम निकालना था। इन उद्देश्यों के अनुसरण में लेखापरीक्षा संवीक्षा निम्नलिखित से सम्बन्धित थी (i) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान पद्धति (ii) विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन (iii) विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन (iv) विकसित अवसंरचना की कोटि (v) शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए पाठ्यक्रम विकास हेतु उठाये गए कदम तथा (vi) स्टाफ की स्थिति, नामांकन तथा संबंधन

### **2.2.5 पुनरीक्षण के परिणाम**

#### **2.2.5.1 वित्त तथा लेखे**

केन्द्रीय विश्वविद्यालय मुख्यता वि.अ.आ., केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों जैसे सी.ए.आई.आर. तथा आई.सी.एम.आर. द्वारा दिये गए अनुदानों से वित्तपोषित होता है। वि.अ.आ. जो कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास तथा अनुरक्षण के नियामक निकाय तथा निधियन एजेंसी दोनों हैं, कानून के अधीन इसे दी गई जिम्मेवारियों को निभाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से योजनागत तथा योजनेत्तर अनुदान प्राप्त करता है। वि.अ.आ., केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इंग्नू), जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय

द्वारा सीधे ही वित्तपोषित होता है, को छोड़ कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण तथा विकास अनुदान आबंटित तथा वितरित करता है।

1997-98 से 2001-2002 की अवधि के लिए आठ चुने गये केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं का सार परिशिष्ट-I में दिया गया है।

#### 2.2.5.1.1 अनुरक्षण अनुदान का उपयोग

विश्वविद्यालयों की प्रकृति एवं विकास के कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय का स्वरूप जटिल हो गया है। शैक्षिक, अनुसंधान तथा अन्य कार्यक्रमों पर किये गए व्यय अनुरक्षण व्यय के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। विश्वविद्यालय विभिन्न एजेंसियों, सरकारी विभागों तथा संगठनों के लिए अनुसंधान एवं परामर्शीय परियोजनाएं चलाते हैं। इन परियोजनाओं के लिए स्टाफ की नियुक्ति, उपकरण की खरीद तथा कई मामलों में इमारतों के निर्माण की आवश्यकता होती है। जबकि परियोजना पर नियुक्त स्टाफ को सामान्यतः परियोजना की समाप्ति पर हटा दिया जाता है, उपकरण के अनुरक्षण तथा चलाने के लिए आवश्यक मूल स्टाफ को बनाए रखा जाता है। इन सब के परिणामस्वरूप मुख्यतः उच्च स्टाफ लागत के रूप में वर्ष दर वर्ष विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण अनुदान में भारी बढ़ोतरी हुई।

1992-93 में स्थापित पुनरन्या कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, वि.अ.आ. ने अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करने के लिए नीचे दिया गया अनुपात अपनाया:

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	सिफारिश किए गए व्यय की प्रतिशतता
1.	शैक्षिक लागत अध्यापन विभागों से सम्बद्ध लागत (अध्यापन विभागों में अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ का वेतन जमा अन्य व्यय), परीक्षाओं पर आई लागत, विद्यार्थी सुविधाएं, हॉस्टल, छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति, प्रकाशन आदि	60-65 प्रतिशत
2.	शैक्षिक प्रशासन कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त, ज.सं.अ., प्रॉफेटर के कार्यालयों के लिए स्थापना प्रभार, सामान्य सेवाएँ, जल प्रभार, विद्युत प्रभार, टेलीफोन, मरम्मत तथा अनुरक्षण आदि जैसे गैर-स्थापना प्रभार	10-12 प्रतिशत
3.	अन्य विभागीय सहायक सेवाओं पर व्यय विविध व्यय जैसे कि भविष्य निधि के भुगतान, पेंशन, म.भ., वेतन तथा भत्ते, विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवाएं, खेल तथा खेलकूद आदि	20-25 प्रतिशत

### 2.2.5.1.2 अनुरक्षण अनुदान के उपयोग में मानकों का अपालन

अनुरक्षण अनुदान के उपयोग की विश्वविद्यालयवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है

	अ.मु.वि*	ब.हि.वि.	दि.वि.*	है.वि.	ज.न.वि.	उ.पू.प.वि.*	पा.वि.	(लाख रु. मे)
1. शैक्षिक लागत	20011.86 (37 %)	14140.48 (37 %)	20000.01 (55 %)	7208.00 (59 %)	4889.16 (22 %)	3452.84 (33 %)	2356.90 (45 %)	5277.57 (39%)
2. शैक्षिक प्रशासन	6380.04 (12 %)	23076.65 (60%)	6321.63 (17 %)	1727.75 (14 %)	7881.07 (36 %)	6312.71 (60 %)	2178.18 (42 %)	2499.88 (18 %)
3. अन्य	27243.86 (51%)	1222.30 (3 %)	10140.08 (28 %)	3271.79 (27 %)	9156.70 (42%)	789.65 (7 %)	691.05 (13 %)	5787.98 (43 %)

\* 1997-98 से 2000-01 के दौरान व्यय

इससे यह संकेत मिलता है कि हि.वि. के संभाव्य अपवाद सहित किसी भी विश्वविद्यालय ने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। 60-65 प्रतिशत के निर्धारित मानक के प्रति अध्यापन तथा अनुसंधान पर व्यय 22 और 59 प्रतिशत के बीच परिवर्तित रहा। शैक्षिक प्रशासन पर व्यय 12 और 60 प्रतिशत के बीच परिवर्तित रहा, जो कि 10-12 प्रतिशत के निर्धारित मानक से अत्यधिक था तथा अन्य विभागीय सहायक सेवाओं पर व्यय 20-25 प्रतिशत के प्रति 3 और 51 प्रतिशत के बीच रहा। अध्यापन तथा अनुसंधान पर कम व्यय के परिणामस्वरूप उपकरण, किताबों तथा पत्रिकाओं, उपभोज्य सामान (प्रयोगशाला के लिए) जैसे घटिया क्वालिटी के शैक्षणिक तथा अपर्याप्त संकाय संख्या जिसको अध्यापन तथा अनुसंधान क्रियाकलापों पर निधियों के एक बड़े अनुपात के आंबटन के उद्देश्य के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक प्रशासन पर अधिक संसाधनों का उपयोग शैक्षिक लागत की कीमत पर हुआ।

### 2.2.5.2 विकास सहायता का उपयोग

विकास सहायता का उद्देश्य विद्यमान अवसंरचना का सुधार तथा प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण किताबों तथा पत्रिकाओं की खरीद, भवनों के निर्माण तथा पुराने भवनों की मरम्मत/नवीकरण, कैम्पस विकास तथा अन्य विद्यार्थी सुविधाओं के सृजन आदि द्वारा विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए मूल सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। सामान्यतः यह देखा गया कि विकास सहायता का एक बड़ा अनुपात अप्रयुक्त रहा। जैसाकि आगे आने वाले उप-पैराग्राफों में वर्णित विशिष्ट

उदाहरणों से प्रकट होगा, उपयोग की गई निधियाँ भी हमेशा उन सेवाओं से सम्बद्ध नहीं थीं जिनके लिए वे अभिप्रेत थीं।

#### 2.2.5.2.1 कमियों का विश्लेषण

पुनरीक्षण के लिए चयनित आठ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित अनुदान, विश्वविद्यालय अभिलेखों के अनुसार उपयोग किए गए अनुदान तथा 31.3.2002 को अव्ययित अनुदानों के शेष निम्नलिखित थे:

(लाख रु. में)

विश्वविद्यालय का नाम	1997-98 से 2001-02 के दौरान विकास सहायता				
	नौंवी योजना के दौरान आबंटित राशि	कुल दिया गया अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान	31.3.02 को अव्ययित अनुदान का शेष	गैर-उपयोग की प्रतिशतता
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1400	1320.00	1038.91	281.09	21.29
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1500	1350.00	1349.61	00.39	-
दिल्ली विश्वविद्यालय	1700	1360.00	625.51	734.49	54.00
हैदराबाद विश्वविद्यालय	1400	1345.00	990.28*	354.72	26.37
जयाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1700	1360.00	1114.67	245.33	18.03
उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1134.60	5656.18	2140.33	3515.85	62.15
पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	1500	1446.65	1381.86	64.79	4.47
विश्वभारती विश्वविद्यालय	1300	1261.49	704.46	557.03	44.15
जोड़	11634.60	15099.32	9345.63	5753.69	38.10

\* सूचना वि.अ.आ. के अभिलेखों पर आधारित है, चौंकि विश्वविद्यालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विश्वविद्यालय विकास सहायता का केवल 61.90 प्रतिशत उपयोग कर सके

ऊपर दिए गए विवरण से, ऐसा प्रतीत होता है कि नौंवी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में मूल सुविधाओं तथा अवसंरचना में सुधार हेतु विकास सहायता के रूप में वि.अ.आ. ने 11634.60 लाख रु. के आबंटन के प्रति 15099.32 लाख रु. के अनुदानों का भुगतान किया। तथापि, 5753.69 लाख रु. की राशि के अव्ययित शेष (38.10 प्रतिशत), को छोड़ते हुए, जो कि अलग-अलग विश्वविद्यालय में 4.47 और 62.15 प्रतिशत के बीच था; 31.3.2002 तक विश्वविद्यालय केवल 9345.63 लाख रु. (61.90 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सके। निधियों के अनियंत्रित प्रवाह के प्रभाव से विश्वविद्यालयों के पास भारी मात्रा में निधियाँ अप्रयुक्त पड़ी रहीं। निधियों का उपयोग न करने से, विश्वविद्यालय, विद्यमान अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रशासन का आधुनिकीकरण करने में भी विफल रहे तथा इस प्रकार अनुदानों को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया।

निधियों के उपयोग में पाई गई विशिष्ट अनियमितताएं, विश्वविद्यालय-वार, नीचे दर्शाई गई है।

- अ.मु.वि.

वर्ष 2001-02 में जोड़ प्रतिस्थापन केन्द्र (औषधि घटक के अन्तर्गत) के लिए 51.00 लाख रु. की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ था जिसे कि वर्ष के दौरान उपयोग किया जाना था। तथापि, 30.79 लाख (60 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही।

- ब.हि.वि.

आठवीं योजना अवधि के 629.52 लाख रु. के व्यय को नींवी योजना प्राप्तियों के नामे में डाल दिया गया।

आठवीं योजना अवधि से सम्बन्धित, योजनागत के अन्तर्गत 428.27 लाख रु. तथा योजनेतर के अन्तर्गत 201.25 लाख रु. के निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को 1997-98 के लिए नींवी योजना प्राप्तियों के नामे में डाल दिया गया।

- दि.वि.

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु शुल्क को विश्वविद्यालय के अनुरक्षण खाते में अन्तरित करना आवश्यक होता है।

950.09 लाख रु. की अप्रयुक्त राशि को देयता के रूप में अन्य जमा शीर्ष के अन्तर्गत रखा गया।

अप्रयुक्त शेष को विश्वविद्यालय के अनुरक्षण खाते में अन्तरित करने के बजाय, 2000-2001 तक संचित 950.09 लाख रु. की राशि को देयता के रूप में अन्य जमा शीर्ष के अन्तर्गत अनियमित रूप से रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप न सिर्फ निधियों का अनुचित लेखाकरण हुआ अपितु अनुरक्षण अनुदान के प्रति इस राशि के गैर-समायोजन के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

- ज.ने.वि.

270.42 लाख रु. तक की प्राप्तियों को विश्वविद्यालय के अनुरक्षण खाते के बजाय अनियमित रूप से समग्र निधि में अन्तरित कर दिया गया।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु भुगतान किए गए शुल्क के कारण 270.42 लाख रु. की प्राप्तियों तथा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों से मान्यता शुल्क/संबंधन प्रभारों को अनुरक्षण खाते में अन्तरित करने के बजाय, अनियमित रूप से विश्वविद्यालय की “समग्र निधि” में अन्तरित कर दिया गया। इसके

परिणामस्वरूप न सिर्फ प्राप्तियों का अनुचित लेखाकरण हुआ अपितु अनुरक्षण अनुदान के प्रति इस राशि के गैर-समायोजन के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

### **2.2.5.3 विकसित की गई अवसंरचना की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता**

अवसंरचना के विकास में पाई गई कमियों तथा अनियमितताओं को विश्वविद्यालय-वार नीचे दिया गया है

किताबों एवं पत्रिकाओं  
के लिए 90 लाख रु. के  
आबंटन में से  
विश्वविद्यालय 57.87  
लाख रु. का उपयोग  
नहीं कर सका।

- ब.हि.वि.

किताबों एवं पत्रिकाओं के लिए 115 लाख रु. के नींवी योजना आबंटन के प्रति, वि.आ.आ. ने 90.00 लाख रु. जारी किए, जिसके प्रति वास्तविक व्यय केवल 32.13 <sup>(35.7% पुरिशाल)</sup> लाख रु. हुआ था, परिणामस्वरूप अल्प उपयोग हुआ।

- दि.वि.

#### **> नगर पालिका प्राधिकारियों से स्वीकृति के बगैर निर्माण**

स्थानीय प्राधिकरण से  
अनुमोदन हेतु लम्बित  
निर्माण कार्य प्रारंभ  
कर दिया गया।

दि.न.नि. द्वारा सम्पूर्ण कैम्पस के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान के गैर-अनुमोदन के बावजूद, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने 1997-98 से 2001-02 के दौरान 317 लाख रु. की लागत वाली तीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया तथा अगस्त 2002 तक 314.36 लाख का व्यय किया। इन परियोजनाओं के लिए स्थानीय प्राधिकरण से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, जिससे यह निर्माण कार्य अनियमित हो गया। विश्वविद्यालय ने बताया (अक्तूबर 2002) कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित स्थान की भारी कमी का सामना करने के कारण, स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन लम्बित रहते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था तथा स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई थी। उत्तर उपयुक्त नहीं था चूंकि निर्माण कार्य केवल स्थानीय प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ ही अनुमत था।

#### **> विलम्बित निर्माण के कारण लागत वृद्धि**

उचित सर्वेक्षण के अभाव  
के परिणामस्वरूप हास्टल  
के पूर्ण होने में विलम्ब  
हुआ।

चूंकि, ग्वायर हाल के अहाते में 120 लोगों की क्षमता वाले पी.जी. व्यायज हास्टल के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था, अत्यधिक उच्च स्तर तक अवमृदा जल का सामना करना पड़ा परिणामतः निर्माण कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

परियोजना (सितम्बर 1998 में पूर्ण होने के लिए अनुसूचित) 31.3.99 को पूर्ण हुई किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कुछ खामियाँ जोकि अगस्त 2002 तक उपेक्षित रही, नोटिस किए जाने के कारण अन्तिम लागत निर्धारित नहीं की गई। 113.78 लाख रु. की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी थी जिसने मार्च 2002 तक 14.62 लाख रु. की लागत वृद्धि को अपरिहार्य योग्य बना दिया।

#### ► शिक्षक पारगमन हास्टल का विवेकहीन निर्माण

**180 लाख रु.** से  
अधिक की लागत पर  
निर्मित 36 शिक्षक  
पारगमन फ्लैट 2000-  
01 से उपयोग में नहीं  
लाए गए।

279 लाख रु. की लागत पर 1999-2000 में पूर्ण हुए शिक्षक पारगमन हास्टल में 56 फ्लैटों में से, किसी भी समय अधिकतम अधिवास केवल 20 रहा तथा 36 फ्लैट हमेशा ही खाली पड़े रहे। 180 लाख रु. से अधिक की लागत पर निर्मित 36 फ्लैटों का अनुपयोग, निर्माण शुरू करने से पूर्व अवसंरचना की वास्तविक आवश्यकता के संबंध में घटिया क्रियाप्रणाली को प्रकट करता है।

#### ● ज.ने.वि.

#### ► अप्रयुक्त रही 519.38 एकड़ भूमि

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में, 2.44 करोड़ रु. की लागत पर (5 रु. प्रति वर्ग गज), 1009.38 एकड़ भूमि को प्राप्त किया गया तथा 10,000 विद्यार्थियों एवं 1250 संकाय सदस्यों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कैम्पस विकास हेतु ज.ने.वि. को आवंटित किया। तीन चरणों में विश्वविद्यालय के विकास की परिकल्पना की गई थीं।

**चरण-I :** 3200 विद्यार्थी क्षमता तथा 400 संकाय क्षमता सहित पश्च डाक्टरीय, डाक्टरीय, पूर्व-डाक्टरीय तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का आरंभ तथा विकास।

**चरण-II :** पश्च डाक्टरीय, डाक्टरीय, पूर्व-डाक्टरीय तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का विस्तारण, विकास तथा समेकन एवं 6400 विद्यार्थी क्षमता तथा 800 संकाय क्षमता सहित पूर्व-स्नातक कार्यक्रमों का आरंभ एवं विकास।

**चरण-III :** 10,000 विद्यार्थी संख्या और 1250 संकाय संख्या के साथ सभी स्तरों पर कार्यक्रमों का परिवर्धन, विकास और समेकन। विश्वविद्यालय को एक पूर्ण आवासी विश्वविद्यालय बनाने का विचार किया गया था।

यह पाया गया कि ज.ने.वि. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुमोदन तथा किसी लाइसेंस शुल्क के बिना अन्य शैक्षिक संस्थानों को 150 एकड़ भूमि किराये पर देने के

अलावा जून 2002 तक केवल 340 एकड़ भूमि का ही उपयोग कर सकी थी। आगे यह पाया गया कि लक्षित 10,000 विद्यार्थियों और 1250 संकाय सदस्यों के प्रति ज.ने.वि. के पास मार्च 2002 तक केवल 4555 विद्यार्थी और 405 संकाय सदस्य थे।

ज.ने.वि. के विकास की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप 1970 तक 1.27 करोड़ रु. मूल्य की 519.38 एकड़ भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका।

➤ **ज.ने.वि. कैम्पस में निर्मित भवनों के संबंध में समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विफलता**

ज.ने.वि. 30 वर्षों से अधिक तक अपने कैम्पस में निर्मित भवनों के संबंध में भूमि दस्तावेज और समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सका

ज.ने.वि. ने अपने कैम्पस में निर्मित भवनों के लिए प्रारंभ से ही समापन प्रमाण-पत्र नहीं लिए थे क्योंकि दि.वि.प्रा. ने जिस भूमि पर ज.ने.वि. कैम्पस स्थापित था ज.ने.वि. को स्वामित्व की मान्यता नहीं दी थी और किराया पट्टा ज.ने.वि. के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि भारत सरकार ने तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज के आधार पर 1970 में 1009.38 एकड़ भूमि दी थी और इस उद्देश्य के लिए ज.ने.वि. के पक्ष में मंत्रालय द्वारा आगे कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए।

● **उ.पू.प.वि.**

➤ **निधियों के अनियंत्रित प्रवाह के परिणामस्वरूप अधिक निधियाँ अप्रयुक्त रहीं।**

निधियों के अनियंत्रित प्रवाह के परिणामस्वरूप अधिक निधियाँ  
(3762.23 लाख रु.)  
अप्रयुक्त रही।

उ.पू.प.वि. ने वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित 1700 लाख रु. की वित्तीय सीमा के विरुद्ध 5062.88 लाख रु. के लिए अपना नौर्झी योजना प्रस्ताव तैयार किया था। वि.अ.आ. 1997-98 से 2001-02 के दौरान 5656.18 लाख रु. जारी किए गए जिसके विरुद्ध 3515.85 लाख रु. की अव्ययित राशि छोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा केवल 2140.33 लाख रु. (37.84 प्रतिशत) वार्तविक व्यय किया गया था।

31 मार्च 2002 तक विकास अनुदान में से 3762.23 लाख रु. अंतशेष थे जिसमें योजना अवधि (1ली अप्रैल 1997) के प्रारंभ में 246.38 लाख रु. की अप्रयुक्त निधि भी शामिल थी।

● **पा.वि.**

विश्वविद्यालय विकास निधि का 97.48 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा

वि.अ.आ. के अनुदेशों के अनुसार निधि जो "विश्वविद्यालय विकास निधि" कहलाती है का सृजन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक/छात्रवृत्तियाँ, संकाय को विशेष पुरस्कार और अन्य अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं प्रारंभ करने के लिए अनुसंधान/विकास क्रियाक्रलापों के लिए विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध संस्थानों के विद्यार्थियों से अलग शुल्क एकत्रित करके किया

जाता था। मार्च 2001 तक, निधि में से केवल 5.40 लाख रु. ही उपयोग में लाए गए और शेष 209.02 लाख रु. अप्रयुक्त रहे।

#### ३ वि.भा.

##### ➤ पुस्तकें खरीदी गई लेकिन सूचीबद्ध नहीं की गई

1991 तक पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने नौंवी योजना अवधि (2001-02 तक) के दौरान 21,366 पुस्तकों की खरीद की, जिसमें से 10,000 पुस्तकों का अभी भी सूचीबद्ध किया जाना था (अगस्त 2002)। परिणामतः ये पाठकों को उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय का 1991 तक पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। इस प्रकार, 2000-01 के दौरान केवल 20,000 पुस्तकों और 2001-02 के दौरान केवल 30,000 पुस्तकों का सत्यापन किया गया, जो कुल स्टॉक का क्रमशः केवल 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत बनता था।

##### ➤ इन्फलिबनेट् अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ उपलब्ध सूचना और संसाधनों की भागी दारी नहीं की गई

सूचना एवं संसाधन भागेदारी अप्राप्त रही।

वि.अ.आ. ने जनवरी 1995 में एक करोड़ रु. का विशेष अनुदान, विश्व भारती को अपने पुस्तकालय सुविधा का प्रचालन, कम्प्यूटरीकृत द्वारा करके मतबूत बनाने और आधुनिक करने, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फलिबनेट) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संस्वीकृत किया। गीतांजली नेट पद्धति को 28 दिसम्बर 1999 को पूर्ण रूप से प्रचालित घोषित किया गया था। 28 फरवरी 2001 तक, इस परियोजना पर 113.83 लाख रु. का व्यय हुआ। लेन पलेक्स बैंकबोन स्वीच जो विभिन्न खण्डों से डाटा संभालता था शुरू से ही कठिनाइयाँ देने लगा था और जनवरी 2001 में खराब हो गया था। विश्वविद्यालय ने वारंटी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया (चालू तिथि से एक वर्ष) और किसी फर्म को वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध नहीं दिया गया था। विश्वविद्यालय को 2.82 लाख रु. की लागत पर पद्धति प्रचालित करने के लिए स्वीच की मरम्मत करवानी पड़ी थी (जुलाई 2002)। तथापि, समर्पित इंटरनेट सेयोजक के अभाव के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सम्बन्ध परिचालित नहीं किया जा सका। जुलाई 2002 तक विश्वविद्यालय कुल 6,99,961 पुस्तकों में से 4,000 पुस्तकों का ही डाटा दर्ज कर सका। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय द्वारा सूचना एवं उपलब्ध संसाधनों की भागीदारी इन्फलिबनेट कार्यक्रम में भाग लेने का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

#### 2.2.5.4 आंतरिक संसाधनों का अपर्याप्त संग्रहण

यद्यपि वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की, फीस एवं अन्य संसाधनों से आय सीमित थी। 1992-93 में पुनर्या समिति ने राय दी कि यद्यपि

सरकार/वि.अ.आ. मुख्य निधियन एजेंसी रहनी चाहिए, विश्वविद्यालयों को आंतरिक संसाधनों का सृजन करना चाहिए, जिसका यथासमय विस्तार होना चाहिए और पांच वर्षों के अंत तक कुल आवर्ती व्यय का कम से कम 15 प्रतिशत और 10 वर्षों के अंत तक कम से कम 25 प्रतिशत बनना चाहिए/यह अनुदेश दिया गया था कि शिक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, भोजन शुल्क आदि सहित विभिन्न शुल्कों को वास्तविक आवर्ती लागत पूरा करने के लिए और साथ ही पूँजी यथा समय पूँजीगत लागत के भाग को तुरन्त संशोधित किया जाना चाहिए।

संग्रहित आंतरिक संसाधनों की विश्वविद्यालय-वार स्थिति नीचे दर्शायी गई है:-

(लाख रु. में)

आंतरिक संसाधन					
वर्ष	अ.मु.वि.	दि.वि.	ज.ने.वि.	उ.पू.प.वि.	वि.भा.
1997-98	848.27	726.35	199.82	83.09	52.90
1998-99	577.78	846.08	322.09	150.64	105.00
1999-2000	604.15	1555.09	325.33	152.02	108.23
2000-01	776.92	1197.91	269.54	163.06	139.33
2001-02	-	-	434.87	-	-
आवर्ती व्यय					
1997-98	9182.47	6883.40	2691.27	1932.79	2218.33
1998-99	13904.94	12817.64	3662.91	2811.79	3576.78
1999-2000	15419.09	12698.41	4606.04	3204.76	3994.68
2000-01	15133.26	15126.02	4590.82	3159.47	3775.64
2001-02	-	-	5034.60	-	-
आवर्ती व्यय के संदर्भ में आंतरिक संसाधनों की प्रतिशतता					
1997-98	9.24	10.55	7.42	4.30	2.38
1998-99	4.16	6.60	8.79	5.36	2.94
1999-2000	3.92	12.25	7.06	4.74	2.71
2000-01	5.13	7.92	5.87	5.16	3.69
2001-02	-	-	8.64	-	-

व.हि.वि., है.वि. तथा पा.वि. द्वारा संग्रहित आंतरिक संसाधन से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गई थी। उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आवर्ती व्यय के संदर्भ में आंतरिक संसाधनों की प्रतिशतता 2.38 से 12.25 के बीच रही जो 25 प्रतिशत के सिफारिश ऑँकड़े से काफी कम थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीखा द्वारा समीक्षा की गई अवधि (1997-98 से 2001-2002 तक) के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा शुल्क/खेलकूद शुल्क/छात्रावास शुल्क/प्रयोगशाला शुल्क/पुस्तकालय शुल्क आदि संशोधित नहीं किए गएथे। ज.ने.वि. द्वारा प्रभारित वर्तमान शुल्कों और भा.प्रौ.सं. द्वारा प्रभारित किए गए के बीच तुलना करने पर शुल्क ढाँचे में काफी अन्तर दर्शाते थे:

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम शुल्क ज.ने.वि.(प्रति विद्यार्थी प्र.व.)	पाठ्यक्रम शुल्क भा.प्रौ.सं.(प्रति विद्यार्थी प्र.व.)
एम.सी.सी. (इंजीनियरिंग)	235 रु.	2184 रु.
एम.ए.	235 रु.	-
पी.एच.डी.	386 रु.	3339 रु (विज्ञान)

पुनर्या समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को परामर्श, मूलभूत सुविधाओं को किराए पर देने और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों को आयोजित करके आंतरिक संसाधन बढ़ाने चाहिए। परन्तु इस दिशा में किसी भी विश्वविद्यालय ने प्रसंशनीय कदम नहं उठाए थे।

#### 2.2.5.5 शैक्षिक विशिष्टता के लिए पाठ्यचर्चा विकास में विफलताएं

##### 2.2.5.5.1 पाठ्यचर्चा विकास केन्द्रों की सिफारिश को अपनाया न जाना/ विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं ही पाठ्यचर्चा को विकसित करना

पा.वि.के. को स्थापित करने के लिए वि.अ.आ. सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

वि.अ.आ. ने 1986 में पाठ्यक्रामों को आधुनिक बनाने और सीखने पर बल देने के साथ वैकल्पिक तरीकों का विकास करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपायों का सुझाव देने के लिए 27 पाठ्यचर्चा विकास केन्द्रों (पा.वि.के.) (विज्ञान में 10 और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में 17) को स्थापित किया। वि.अ.आ. सभी पा.वि. के. से सिफारिशों प्राप्त कर रहा था और 1992-93 तक मुद्रित दस्तावेजों के रूप में सभी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करवाया जा रहा था। पा.वि.के. की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा विश्वविद्यालयों द्वारा सर्वयं विकसित पाठ्यचर्चा की विश्वविद्यालय-वार स्थिति इस प्रकार थी:-

- अ.मु.वि.

विश्वविद्यालय ने पाठ्यचर्चा विकास केन्द्रों (पा.वि.के.) की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया था। यह बताया गया कि वि.अ.आ. से विवरणिका विलम्बन से प्राप्त होने के कारण (2000-01 में प्राप्त), पाठ्यचर्चा के प्रावधान को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था।

- है.वि.

शैक्षिक वर्ष 2001-02 के दौरान विश्वविद्यालय ने 26 नमूना पाठ्यचर्चा पुस्तकों प्राप्त की थी और 23 सुसंगत पुस्तकों शैक्षिक परिषद (मार्च 2002) द्वारा संबंधित विद्यालयों/

विभागों को वि.अ.आ. के निदेशों को अनुपालन करने के अनुरोध के साथ भेजी गई थी। तथापि वास्तविक कार्यान्वयन रिकार्ड में नहीं था।

५ ज.ने.वि.

विश्वविद्यालय द्वारा मई 2002 में सूचित किया गया था कि पाठ्यचर्चा का संशोधन बदलते हुए वातावरण के साथ लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी और ज.ने.वि. पा.वि.के. से परामर्श करना जरूरी नहीं समझता क्योंकि पाठ्यक्रमों को उन्नत करने के लिए उसके पास अपनी क्रियाविधि एवं सुविज्ञता थी।

६ उ.पू.प.वि.

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2002) कि उसने 1997-98 से 2001-02 के दौरान वि.अ.आ. से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं की थी। विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं ही एक पा.वि.के. स्थापित किया गया था लेकिन अगस्त 2002 तक शैक्षिक परिषद को उसके द्वारा पाठ्यक्रमों के आधुनिकरण का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।

७ पां.वि.

यद्यपि नौरी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के 27 विभागों में 54 नये पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना बनाई गई थी, यह देखा गया कि शैक्षिक वर्ष 2001-02 के अंत तक केवल एक ही पाठ्यक्रम शुरू किया गया था।

सभी विश्वविद्यालयों ने बताया कि उन्हें वि.अ.आ. से पा.वि.के. की सिफारिशों समय पर प्राप्त नहीं हुई थी। उपरोक्त स्थिति यह भी दर्शाती है कि विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यचर्चा विकसित करने के संबंध में पाठ्यक्रम कार्यान्वयन करने/अपनाने से पूर्व वि.अ.आ. से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

**2.2.5.5.2 वि.अ.आ. के अनुमोदन के बिना डिग्रियां प्रदान करना**

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 22 के अनुसार विश्वविद्यालय केवल वहीं डिग्रियां प्रदान कर सकता है जो वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित की गई हों। अन्य शब्दों में एक विश्वविद्यालय ऐसा कोई डिग्री कार्यक्रम नहीं चला सकता अथवा कोई डिग्री प्रदान नहीं कर सकता जब तक वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता। परन्तु लेखापरीक्षा में

यह देखा गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय नीचे दी गई तालिका के विवरणों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा जारी अधिसूचना से पहले ही डिग्रियां प्रदान कर रहे थे:

विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
अ.मु.वि.	कृषि आर्थिक तथा व्यापार प्रबन्धन निष्णात, वित्त तथा नियंत्रण निष्णात, पर्यटन प्रशासन निष्णात, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबन्धन निष्णात, पत्रकारिता तथा जन संचार निष्णात, धर्मशास्त्र स्नातक (शिक्षा), धर्मशास्त्र स्नातक (सुन्नी), धर्मशास्त्र निष्णात (शिया), धर्मशास्त्र निष्णात (सुन्नी), माहिए-ए- जराहन (एम.एस. जराहन) माहिए-ए-तिब (एम.डी. यूनानी)
ब.हि.वि.	पर्यटन प्रबन्धन निष्णात, कार्मिक प्रबन्धन एवं औद्योगिक सम्बन्ध निष्णात (का.प्र.औ.सं.नि.), सामाजिक विज्ञान में क.नि., अपराध विन में क.नि., लोक प्रशासन निष्णात (लो.प्र.नि.), पर्यावरण विज्ञान में वि.नि., मालेक्यूल तथा मानवीय जैनेटिक में वि.नि., वित्त नियंत्रण निष्णात (वि.नि.वि.) मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा में एल.एल.एम. पाठ्यक्रम।
दि.वि.	व्यवसाय अध्ययन स्नातक (व्य.अ.स्ना.) वित्त एवं नियेश विश्लेषण स्नातक, जन माध्यम एवं जन संचार स्नातक, वित्त एवं नियंत्रण निष्णात (वि.नि.नि.) मानव संसाधन एवं संगठन प्रभाग निष्णात (मा.सं.स.प्र.नि.), अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय निष्णात (अ.व्य.नि.) एम नर्सिंग तुलनात्मक विधि निष्णात (तु.वि.नि.) बी.एप्लाइड सांइंस (इलेक्ट्रॉनिक) बी.एप्लाइड साइंस (फोर्ड प्रौद्योगिकी, बी.एप्लाइड साइंस (इन्स्ट्रूमेंटेशन) चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री।
ज.ने.वि.	सामुदायिक स्वास्थ्य निष्णात (सा.स्वा.नि.) कम्प्यूटर विज्ञान में प्रौ.नि. उर्दू में जन माध्यम में प्रवीणता में एडवांस डिप्लोमा, जनसंख्या तथा विकास में डिप्लोमा

वि.अ.आ. के अनुमोदन के बिना डिग्रीयां प्रदान करना वि.अ.आ. अधिनियम का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा के पूछे जाने पर ज.ने.वि. ने जून 2002 में बताया कि यह डिग्रियां प्रदान करने के सम्बन्ध में वि.अ.आ. को समय-समय पर अवगत करवा रहा था परन्तु यह पता नहीं था कि वि.अ.आ. ने इसे वि.अ.आ. अधिनियम में क्यों अधिसूचित नहीं किया था। लेखापरीक्षा में उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य था कि डिग्रियां प्रदान करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व पाठ्यक्रम वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित कर दिये गये हों।

अन्य विश्वविद्यालयों से कोई उत्तर उपलब्ध नहीं था।

#### 2.2.5.5.3 शिक्षकों के कार्यबोझ पर नियंत्रण का अभाव

वि.अ.आ. नियामक, 1985 के अनुसार शिक्षक के लिए समय सूची में उल्लब्ध करवाई गई कुल अवधि एक सप्ताह में 40 घण्टों से कम नहीं होनी चाहिए। कार्यदिवसों पर समय सूची इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि प्रत्यक्ष सुविधाओं का पर्याप्त रूप से उपयोग हो जाए तथा न कि एक दिन में केवल कुछ घण्टों में ही उपयोग हो जाए।

शिक्षकों के कार्य के बोझ को मॉनीटर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई गई थी।

शिक्षकों के कार्यबोझ से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच ने विश्वविद्यालयों द्वारा नियंत्रण में दूरी को दर्शाया। ज.ने.वि. ने सूचित किया कि शिक्षक वर्ग ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यक्रम/अनुसूचि निश्चित की। प्रतिसप्ताह के घण्टों की औसतन संख्या जिसके लिये शिक्षकों ने शिक्षण/ट्यूटोरियल कक्षाओं/व्यवहारिक कक्षाओं/अनुसन्धान कार्य के लिए अपना योगदान दिया के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना बास-बार अनुरोध करने पर भी विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत नहीं की। उ.पू.प.वि. के शिक्षकों का कार्यबोझ, वर्ष में सामान्यता 30 कार्य सप्ताहों से अधिक बताया गया। तथापि विश्वविद्यालय ने प्रति सप्ताह कार्य घण्टों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। पांडिचेरी विश्वविद्यालय में यह देखा गया कि शिक्षक वर्ग केवल 36 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 30 घण्टे कार्य कर रहे थे।

#### 2.2.5.6 अनुसन्धान परियोजनाएं

वि.अ.आ. अनुसन्धान परियोजनाओं को मुख्य अथवा लघु परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत करता है। मुख्य परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 7 लाख रु. तथा इसकी अवधि 3 वर्ष है। वे विशिष्ट क्षेत्रों/विषयों के सघन अध्ययन के लिए अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से आबंटित किये जाते हैं। लघु परियोजनाओं के लिए अनुदान की अधिकतम राशि पचास हजार रु. तथा इसकी अवधि 2 वर्ष तक है जिसे अगले छः माह तक बढ़ाया जा सकता है। उन्हें संस्थाओं/विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों को अनुमोदित पर्यवेक्षण के अधीन डाक्ट्रेट डिग्री के लिए शिक्षण के साथ-साथ करने के लिए आबंटित किया जाता है।

अनुसन्धान परियोजनाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय बार स्थिति निम्नानुसार थी:-

- अ.मु.वि.

परियोजनाओं की प्रगति के पुनरीक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी। अनुसन्धान परियोजनाओं के चुनाव के लिए कसौटी बाह्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित की गई थी तथा न कि विश्वविद्यालय द्वारा। अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए शिक्षक प्रस्ताव अलग से सीधे वि.अ.आ. को प्रस्तुत करते थे। अनुसन्धान के बारे में प्रत्यक्ष तथा वित्तीय रिपोर्ट उन एजेंसियों को प्रस्तुत की गई थीं। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने अनुसन्धान परियोजनाओं के परिणामों की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन नहीं किया।

● दि.वि.

**29 अध्यापकों के पास एक समय में एक के पास एक से अधिक अनुसंधान परियोजना थी जिसमें 1509.64 लाख रु. लगे हुए थे**

एक परियोजना में एक अन्वेषक के रूप में होने के अतिरिक्त एक समय में केवल एक अनुसंधान परियोजना के लिए एक अध्यापक को सहायता से सम्बन्धित वि.अ.आ. के दिशानिर्देशों के विपरीत, 29 अध्यापकों के पास एक समय में एक से अधिक अनुसंधान परियोजनाएं थीं जिन में 1509.64 लाख रु. लगे हुए थे। एजेंसियों द्वारा निधियन की गई अनुसंधान परियोजनाओं सम्बन्धी संवीक्षा से पता चला कि 1992-93 से सितम्बर 2002 के दौरान संस्थीकृत 100 परियोजनाओं में से 810.36 लाख रु. की परियोजनाएं, उनकी परिपूर्णता की निर्धारित तिथियों की समाप्ति के उपरांत भी अपूर्ण रहीं थीं (सितम्बर 2002)।

● है.वि.

**169 अनुसंधान परियोजनाओं पर आवंटित अनुदानों से अधिक 57.91 लाख रु. की राशि व्यय की गई थी**

विश्वविद्यालय के अनुदान रजिस्टर की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान 169 अनुसंधान परियोजनाओं पर आवंटित/संस्थीकृत अनुदानों से अधिक 57.91 लाख रु. का व्यय किया गया था। इसके इंगित करने पर यह उत्तर दिया गया था कि अधिक व्यय विश्वविद्यालय की निधियों का आहरण करके किया गया था, ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो। यह भी बताया गया था कि सम्बन्धित अन्वेषक तथा नोडल/उपभोगी विभागों से, सम्बन्धित निधियन निकायों को प्राप्तियों में कमी की पुनः पूर्ति हेतु सम्बोधन का अनुरोध किया गया था। 57.91 लाख रु. के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2002)।

● ज.ने.वि.

**परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं थी, 156 परियोजनाओं से संबंधित 48.75 लाख रु. अन्वेषकों के पास बकाया थे**

विश्वविद्यालय, सम्पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या, उन परियोजनाओं/योजनाओं जिनकी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई थी/नहीं हुई थी, की संख्या तथा अनुसंधान उपलब्धियों के प्रकाशन सम्बन्धी कोई सूचना नहीं दे सका था। यह देखा गया था कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए विश्वविद्यालय के पास कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं थी। अनुसंधान अनुभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि, जब कि 156 परियोजनाओं से सम्बंधित 48.75 लाख रु. अन्वेषकों के पास बकाया थे, 11 परियोजनाओं से सम्बंधित जो 2 से 5 वर्ष पहले बन्द हो चुकी थीं, 1.84 लाख रु. बकाया था।

### ● उ.पू.प.वि.

सम्बंधित निधियन एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार अनुदान के वित्तीय पहलू के प्रबन्धन के अतिरिक्त, प्रत्येक अनुसंधान परियोजना के नियन्त्रण या उसकी उन्नति का निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय के पास कोई रचना तन्त्र नहीं था। विश्वविद्यालय ने, इस आधार पर कि निष्पादन पर निधियन एजेंसी द्वारा निगरानी रखी जा रही थी, परियोजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु कोई समिति गठित नहीं की थी। विश्वविद्यालय द्वारा, अनुसंधान परियोजनाओं की उपलब्धियों के प्रकाशन से सम्बंधित कोई रिकार्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये थे।

### ● वि.भा.

परियोजनाओं के चयन की कसौटी, उनके समय से पूरा होने तथा विलम्ब के कारणों को जानने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का अनुश्रवण करने हेतु विश्वविद्यालय के पास कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं थी। परिणामतः अनुसंधान परियोजनाओं के चयन के लिए कसौटी, परियोजनाओं के समय से पूरा होने, रिपोर्ट प्रस्तुत होने में विलम्ब, प्रकाशित परियोजना रिपोर्टों की संख्या, तथा बन्द की गई परियोजनाओं, से सम्बंधित सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सका। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनकी परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण सम्बंधी रिकार्ड भी विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत नहीं किये थे।

परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण करने हेतु विश्वविद्यालयों में से किसी में भी कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी तथा परियोजनाओं के पूरे विवरण की कोई भी फाईल नहीं तैयार की गई थी जैसे कि आवधिक प्रगति रिपोर्ट, क्या अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/नहीं की गई थीं, अनुसंधान की उपलब्धियां प्रकाशित की गई या नहीं आदि। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के उद्देश्यों में एक, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना था, परन्तु विश्वविद्यालयों का अनुसंधान परियोजनाओं के चयन पर कोई नियन्त्रण नहीं था क्योंकि सम्बद्ध निधियन एजेंसियों द्वारा चयन हेतु कोई कसौटी तय नहीं की गई थी।

### 2.2.5.7 कम्प्यूटर केन्द्र

वि.अ.आ., 1970 से, (क) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (ख) प्रत्येक क्षेत्र/विषय में कम्प्यूटर के उपयोग तथ (ग) परीक्षा/प्रशासन से संबंधित कार्य में उपयोग हेतु कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता करता रहा है। वि.अ.आ. की सहायता से स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों से विभिन्न कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिनमें, परामर्श/कम्प्यूटर सुविधाओं के उपयोग सम्बन्धी संविदात्मक कार्य तथा

विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/संविधियों के अनुसार कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास/अनुरक्षण हेतु राजस्व सृजन के लिए भुगतान के आधार पर साफ्टवेयर विकास के कार्य सम्मिलित हैं। ऐसे कार्य या तो स्वतन्त्र रूप से या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से अन्य व्यावसायिकों के साथ एक संयुक्त साहसिक के रूप में किये जा सकते हैं।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटर केन्द्रों की क्रियाप्रणाली में पाई गई अनियमिततायें निम्न प्रकार थीं-

- **दि.वि.**

- **कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नति**

यह देखा गया था कि केन्द्र अपने उच्चतम स्तर पर कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि वर्ष 2001-02 की लॉग बुक की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि कम्प्यूटरों का केवल 129 दिनों में ही उपयोग किया गया था। केन्द्र द्वारा साफ्टवेयर का विकास, अनुसंधान करने में सहायता प्रदान करना तथा कार्य कुशलता एवं साफ्टवेयर के आदान प्रदान हेतु अन्य विश्वविद्यालयों के केन्द्रों के साथ नेटवर्किंग में समन्वय के रूप में कार्य किया जाना था।

यद्यपि, केन्द्र द्वारा कभी भी ऐसे कार्य कलाप नहीं किये गये थे।

- **ज.ने.वि.**

- **कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा वि.आ.आ. के दिशा निर्देशों के अनुसार परामर्श/संविदात्मक कार्य नहीं किये गये थे।**

लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आया कि कम्प्यूटर केन्द्र के पास प्रोग्रामिंग के लिए केवल एक अधिकारी था तथा इसलिए कोई परामर्श/निविदात्मक कार्य नहीं किया जा रहा था। केन्द्र द्वारा अनुसंधान कार्य करने में सहायता का प्रस्ताव, तथा अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सुविज्ञता एवं सॉफ्टवेयर के आदान प्रदान हेतु समन्वयक केन्द्र के रूप में, कार्य किया जाना था परन्तु ऐसी गतिविधियों के कोई रिकार्ड नहीं थे। किये गये या करने के लिए विचार किये गये कार्यों का कोई विवरण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

**कम्प्यूटर केन्द्र अपने उच्चतम स्तर पर कार्य नहीं कर रहा था**

**अन्य विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श तथा समन्वयक कार्य नहीं किया जा रहा था**

### ➤ कम्प्यूटर सुविधाओं का कम उपयोग

**92.30** लाख रु. के  
व्यय के बावजूद  
कम्प्यूटरीकरण सुविधाओं  
का लाभ नहीं उठाया जा  
सका।

कागज के बिना कार्य का वातावरण बनाने के लिए और विभिन्न विद्यालयों, पुस्तकालय, प्रशासन और वित्त कार्यों से संपर्क करने के लिए 92.30 लाख रु. की कुल लागत पर जुलाई 1997 में एक कैम्पस वाइट एरिया नेटवर्किंग सिस्टम स्थापित किया गया था। कम्प्यूटरीकरण के प्रारंभ के समय पर निर्धारित लक्ष्यों की कहाँ तक उपलब्धता हुई इस का कोई रिकार्ड नहीं था। उपरोक्त उल्लेखित अधिकतर सभी कार्य जुलाई 2002 तक हाथ से ही किए गए थे जबकि इस प्रयोजन के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका था। जून 2002 में ज.ने.वि. द्वारा यह बताया गया कि प्रशासन और वित्त शाखाओं में ई.डी.पी. आंशिक रूप से लागू किया गया था और विश्वविद्यालय सभी अन्य प्रमुख क्षेत्रों को संघटित विकसित करने के लिए उचित पैकेज लेने की योजना बना रही थी।

#### 2.2.5.8 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा

देश में मुकुलित विद्यार्थी जनसंख्या की मांगों को पूरा करने में क्योंकि शिक्षा की प्रचलित पद्धतियाँ असमर्थ हैं, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति एक समाधान हो सकता है। वि.अ.आ. दिशानिर्देशों स्वाक्षित आधार पर दूरस्थ शिक्षा खण्ड को चलाने पर विचार करती है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय-वार स्थिति इस प्रकार है:-

#### ④ उ.पू.प.वि.

अगस्त 2002 तक केन्द्र द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई जबकि अगस्त 1986 से कार्य प्रारंभ हो गया था।

दूरस्थ शिक्षा (उ.पू.प.वि.) के लिए केन्द्र शिलांग, दिसम्बर 1985 में शैक्षिक परिषद ने अपनी बैठक में हुए समाधान से बनायी गई थी। केन्द्र ने अगस्त 1986 से कार्य करना प्रारंभ किया था। अगस्त 2002 तक कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2002) कि कार्य योजना तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। यद्यपि जब से दूरस्थ शिक्षा केन्द्र बनाया गया था तब से ही कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था, एक संकाय सदस्य और तीन प्रशासनिक स्टाफ (एक आशुलिपिक, एक लिपिक, एक चपरासी) 1986-87 से ही रखे गए थे।

1997-98 से 2001-02 अवधि के दौरान केन्द्र के अनुरक्षण पर 22.60 लाख रु. का व्यय हुआ। चूंकि केन्द्र का काई प्रतिफल नहीं था, 22.60 लाख रु. का समग्र व्यय निष्फल रहा।

## १ पांचवी

जबकि विश्वविद्यालय को वि.अ.आ. द्वारा अगस्त 2001 में निजी एजेंसी के माध्यम से विशेषाधिकार डिग्री शिक्षा को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, उसने निजी संस्थाओं के सहयोग से विद्यार्थियों का नामांकन जारी रखा।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय एक स्वयं-वित्तपोषित संस्थान के रूप में दूरस्थ शिक्षा खण्ड शुरू किया और विभिन्न पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक वर्ष 1995-96 से विद्यार्थियों का नामांकन शुरू किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 1998-99 और 1999-2000 में विकास अनुदान के लिए प्राप्त क्रमशः 5 लाख रु. और 15 लाख रु. अभिप्रेत उद्देश्य के लिए अप्रयुक्त रहे (जुलाई 2002) दूरस्थ शिक्षा खण्ड के लिए वि.अ.आ. द्वारा कोई अनुदान संस्थीकृत नहीं किया गया था। इन संस्थाओं के प्राप्ति एवं व्यय लेखे विश्वविद्यालय के योजनागत एवं योजनेत्तर लेखाओं से अलग रखे गए थे। तथापि, योजनेत्तर के अंतर्गत विश्वविद्यालय को वि.अ.आ. द्वारा स्टाफ अनुभाग संस्थीकृत किया गया जो इन संस्थाओं में पूरा समय कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता था जो कि अप्राधिकृत था। स्टाफ का वेतन का विपथन इन संस्थाओं को किया गया और योजनेत्तर लेखा को डेबिट किया गया लेकिन इस स्वयं-वित्तपोषित संस्थान की निधियों से समायोजन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 1997-98 से 2000-01 अवधि के लिए 80.56 लाख रु. तक वि.अ.आ. से अनुरक्षण अनुदान का अधिक आहरण हुआ। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय ने जुलाई 1999 में लोयोला कालेज, चैन्सई और क्राइस्ट कालेज, बैंगलौर के साथ अनुबन्ध किया। तदनुसार, लोयोला कालेज तथा क्राइस्ट कालेज को क्रमशः 5 पूर्व स्नातक, 6 स्नातकोत्तर और 10 पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा 3 पूर्व स्नातक, 3 स्नातकोत्तर और 11 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए। जबकि वि.अ.आ. द्वारा अगस्त 2001 में कुलपति को निजी एजेंसी/स्थापना के माध्यम से विशेषाधिकार डिग्री शिक्षा को तुरन्त बंद करने के निर्देश दिए गए थे, विश्वविद्यालय ने उपरोक्त दो निजी संस्थानों के सहयोग से शैक्षिक वर्षों 2001-02 और 2002-03 के लिए विद्यार्थियों का नामांकन जारी रखा था।

### 2.2.5.9 मानवशक्ति प्रबंधन

शैक्षिक स्टाफ के अनुपात में अशैक्षिक स्टाफ स्वीकार्य मानदण्ड से परे थे

1992-93 में पूनरेया समिति ने सिफारिश की कि शैक्षिक और अशैक्षिक स्टाफ को 1:3 के स्तर पर लाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास के वर्तमान निर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक तथा अशैक्षिक स्टाफ का 1:1:5 से 1:2 के श्रेणी में होना चाहिये। यह अनुपात अगले कुछ सालों में सम्बंधित शैक्षिक संस्थाओं से कहकर प्राप्त करना है कि वर्ष के दौरान खाली होने वाले 75 प्रतिशत

संस्थाओं का उन्मूलन कर दिया जाये जब तक की इच्छित अनुपात प्राप्त नहीं होता है। आठ चुने हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा अशैक्षिक स्टाफ की 31.03.2000 तक की स्थिति इस प्रकार थी।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षिक स्टाफ की संख्या	अशैक्षिक स्टाफ की संख्या	अनुपात
1	ए.एम.यू.	1457	5899	1:4
2	बी.एच.यू.	1115	5655	1:5
3	डी.यू.	662	3303	1:5
4	एच.यू.	245	1213	1:5
5	जे.एन.यू.	519	1444	1:3
6	एन.ई.एच.यू.	278	1446	1:5
7	पी.यू.	127	564	1:4.44
8	वी.बी.	516	1605	1:3

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि हर विश्वविद्यालय में, अशैक्षिक स्टाफ के अनुपात में शैक्षिक स्टाफ स्वीकार्य मानदण्ड से परे थे। इसलिए, अशैक्षिक स्टाफ को कम करने की अत्यावश्यक जरूरत है जिससे आगामी कुछ वर्षों में शैक्षिक तथा अशैक्षिक स्टाफ का अनुपात 1:1:5 से 1:2 प्राप्त किया जा सके जो मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया है।

#### 2.2.5.9.1 कर्मचारी भर्ती

##### ➤ वेतनमानों की अनियमित स्वीकृति

पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु वि.अ.आ. द्वारा गठित समिति के जाँच परिणाम से पता चला कि कुछ संस्थानों ने उर्ध्वगामी नियन्त्रण योजना तथा भारत सरकार के अनुदेशों एवं मानदण्डों की अवहेलना में व्यक्तिक प्रोत्साहन योजना और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विस्तार किया। तदनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श में वि.अ.आ. ने निर्णय लिया (25 सितम्बर 1998 तथा 02 दिसम्बर 1998) कि व्यक्तिक प्रोत्साहन/जीविका संवृद्धि योजनाओं की समाप्ति के बाद ही पाँचवें केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतन मानों का विस्तार 8 अप्रैल 1998 से प्रासंगिक हो सकेगा। फिर भी कुछ मामलों में दिल्ली और पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने स्वयं की योजनाओं का प्रचालन जारी रखा। विश्वभारती में, विश्वविद्यालय में स्कूल अध्यापकों के तर्दर्थ लाभ अनुमत रहे। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

विश्वविद्यालय का नाम	वेतनमानों के अनियमित स्वीकृति ध्यान में आई
दि.वि.	<p>(i) वि.आ.आ. से स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों का अनियमितता पूर्वक संवधन जारी रखा जाना। नौ कालेजों में 56 प्रतिशत गैर शिक्षण स्टाफ के वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत किये जाने के परिणामतः सरकारी खजाने पर 98.50 लाख रु. की औसत वार्षिक राशि का अतिरिक्त बोझ पड़ा।</p> <p>(ii) का.स. के अवरुद्धता प्रस्तावों के तत्वावधान में अनियमित वेतन के परिणाम स्वरूप नौ विद्यालयों में मार्च 2002 तक 18.91 लाख रु. का अनियमित भुगतान हुआ।</p> <p>(iii) का.स. के रोक लगाने के प्रस्ताव की शर्तों में उर्ध्वगामी निस्सरण योजना द्वारा किरोड़ी मल कालेज में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के बिना अनुमोदन के 42 कर्मचारियों के अनुकूलता के कारण मार्च 2002 तक 14.58 लाख रु. का अनियमित भुगतान</p>
वि.आ.आ. के अनुदेशों के उल्लंघन में 134 कर्मचारियों के वेतनमानों के उर्ध्वमुखी संशोधन किये गये	<p>वि.वि.आ.आ. के प्रेक्षणों के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर स्टाफ को एक उर्ध्वगामी निस्सरण के लाभ के विच्छेदन तिथि 31 दिसम्बर 1993 थी, जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयच पॉडिचेरी की कार्यकारिणि ने, विभिन्न संवर्गों में 1.11.97 को सेवा के 8 वर्ष पूर्ण कर चुके थे उन कर्मचारियों के लिए, वि.वि.आ.आ./मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्वात अनुमोदन पर यह सुविधा प्रदान की। तदनुसार, वरिष्ठ सहायकों/कार्यालय प्रबन्धकों, निजी सहायकों, टक्क एवं लिपिक, चपरासी एवं चौकीदार, मजदूर वर्ग में 134 कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन उर्ध्वमुखी किए गए थे। परन्तु वि.आ.आ. ने जुलाई 2000 तथा फरवरी 2001 में स्पष्ट किया कि 31 दिसम्बर 1993 के बाद आगे के किसी आवेदन के लिए लाभ उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तथा इसलिए आदेशों के पुनः अवलोकन और प्रभागित वसूली के निदेश दिए। विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई थी।</p>
सहायक लेक्चरों को उच्च वेतनमान के अनियमित भर्तों के फलस्वरूप 16 सहायक लेक्चरों को 37.57 लाख रु. का अनुचित लाभ हुआ	<p>विश्वभारती के विद्यालय स्तर अध्यापकों को सहायक लेक्चरों के रूप में पदनाम दिया गया। विश्वभारतीय के सहायक लेक्चरों के वेतन एवं भत्ते नियमन करने के लिए मंत्रालय ने वि.आ.आ. के साथ परामर्श करके विश्वविद्यालय को सहायक लेक्चरों को अध्यापकों के रूप में पुनःपदनामित करने के दिसम्बर 1989 के अनुदेश जारी किए तथा उनके लिए केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों को अनुसरण करने को कहा।</p> <p>विश्वभारती के 140 सहायक लेक्चरों के 16 सेवा रिकार्ड की जांच करने पर पता चला कि उनकी योग्यता का ध्यान किए बिना सहायक लेक्चरों की नियुक्ति एकल वेतन मान में की गई थी, और केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित वेतनमान से अधिक वेतनमान दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा निर्धारित 12 वर्षों एवं 24 वर्षों के विरुद्ध सेवा के 8 वर्षों एवं 20 वर्षों के पूरे होने पर वेतनमानों का ग्रेड बढ़ाया गया था इस प्रकार, जनवरी 1986 और सितम्बर 2001 के बीच सहायक लेक्चरों के वेतनमानों के ग्रेड बढ़ाने और उच्च वेतनमानों के अनियमित भुगतान के फलस्वरूप 16 सहायक लेक्चरों को 37.57 लाख रु. के अनुचित लाभ दिए गए। यद्यपि यह विश्वविद्यालय को नवम्बर 2001 में भेजा गया था, इन मामलों पर कार्रवाई विश्वविद्यालय की कर्मा समिति के पास विलम्बित थी। (सितम्बर 2002)</p>

### ➤ सेवा निवृत्त शिक्षकों का नैमी पुनः सेवायोजन

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान की समीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर रस्तोगी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में (मई 1997) यह सिफारिश की कि सेवा निवृत्त शिक्षकों का पुनःसेवायोजन एक नैमी कार्य नहीं होना चाहिए। पुनःसेवायोजन केवल चयनात्मक, संस्था की आवश्यकताओं को न्यायोचित ठहराती हो, के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तथापि अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज तक की तिथि तक ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये थे और सभी मामलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों का पुनःसेवायोजन नैमी रूप से चलता रहा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

विश्वविद्यालय का नाम	शिक्षकों की पुनःसेवायोजन की स्थिति
दि.वि.	<p>विश्वविद्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय के कुलपति की संस्तुतियों पर कार्यकारी परिषद के द्वारा सेवा निवृत्त शिक्षकों का पुनःसेवायोजन किया जा रहा ज्ञाता। 1997-98 से 2001-02 तक के दौरान 100 सेवा निवृत्त में से 85 शिक्षकों ने पुनःसेवायोजन के लिए आवेदन दिये थे और 65 वर्ष की आयु तक के उन सभी को पुनःसेवायोजन की अनुमति दे दी।</p> <p>65 पुनःनियुक्त किये गये शिक्षकों के सम्बन्ध में एकत्रित किये गये डाटा से पता चला कि इन शिक्षकों की सेवाएँ पेन्शन योग्य थीं और सेवा निवृत्ति के उपरान्त इन्हें पेन्शन मंजुर की गई थीं। तथापि पुनःनियुक्ति के बाद इन्होंने अंशदान भविष्य निधि को अपनाया था, फलस्वरूप विश्वविद्यालय को इनकी नियुक्ति पर वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त इनके वेतन का 10% भाग के अंशदान भविष्य निधि के प्रति वहन करना पड़ा था। 65 पुनःनियुक्त किये गये शिक्षकों के सम्बन्ध में एकत्रित किये गये डाटा से पता चला कि विश्वविद्यालय ने 1997-98 से 2001-02 तक के दौरान वेतन तथा भत्तों के लिए (293.03 लाख रु.) और केन्द्रीय भविष्य निधि के प्रति (37.29 लाख रु.) 3.30 करोड़ रु. व्यय किया। शेष 20 पुनःनियुक्त किये गये शिक्षकों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। अतः उनसे सम्बन्धित व्यय को परिकलित नहीं किया जा सका।</p> <p>इस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुरक्षित नौ महाविद्यालयों के अभिलेखों से की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 1.4.1998 से नौ महाविद्यालयों से 64 शिक्षक सेवा निवृत्त हुए थे, 61 शिक्षकों को जो 63 वर्ष की आयु से अधिक थे नैमी रूप से पुनःनियुक्त किया गया था परिणामस्वरूप मार्च 2002 तक उनके वेतन एवं भत्तों पर 3.32 करोड़ रु. का व्यय हुआ (व्यक्तियों द्वारा आहरित की पेन्शन को छोड़ते हुए)</p>
ज.ने.वि.	1997-98 से 2001-02 के दौरान 35 लेक्चरर/प्रौफेसर सेवा निवृत्त हुये थे, जिनमें से 34 पुनःसेवायोजन किये गये थे
वि.भ.	1997-98 से 2001-02 तक के दौरान 44 पुनःसेवायोजन हुये थे, 20 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें एक से तीन वर्ष से अधिक के लिए पुनःसेवायोजन किया गया था

इस प्रकार रस्तौगी समिति की सिफारिशों को लागू करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विफलता के परिणामस्वरूप पुनःसेवायोजन के लिए व्यवस्था नैमी रूप से जारी रही।

### ➤ भविष्य निधि संचय का निवेश

**सिर्फ 2 प्रतिशत भ.नि.**  
शेषों का केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जो कि भारत सरकार के आदेशों के अन्तर्गत 35 प्रतिशत होना चाहिए

भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के निवेश भिन्न-भिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों इत्यादि में होना चाहिए। सरकारी अधिसूचना 12 जून 1998 में अप्रैल 1998 के बाद निवेश पद्धति नियत की गई थी जिसका अनुसरण सभी सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को करना चाहिए था। सरकारी आदेशों के विपरीत, ज.ने.वि. ने 31.3.02 तक 45.86 करोड़ रुपये जो कि कुल निवेश 46.86 करोड़ रु. का 98 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों/बान्ड्स में निवेश किया जो नियत की गई अधिकतम 60 प्रतिशत के विरुद्ध था। केवल 2 प्रतिशत यानि 1 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जो कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 12 जून 1998, 35 प्रतिशत होना चाहिए के विरुद्ध था। जून 2002 में ज.ने.वि. ने बताया कि भविष्य निधि लेखे का अधिशेष समय-समय पर उप कुलपति की मंजूरी और कार्यवाहक परिषद की स्वीकृति के आधार पर निवेश किया गया था। भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में सभी भविष्य निधि न्यासों पर लागू होती है, ज.ने.वि. का दावा स्वीकार्य नहीं है।

#### 2.2.5.10 नामांकन - अखिल भारतीय स्वरूप का अनुरक्षण नहीं किया गया

विश्वविद्यालय अपने आप को अखिल भारतीय/ अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के समान प्रक्षेपित करने में विफल रहा

एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय स्वरूप होना चाहिए जो दाखिलों, नियुक्तियों और उनके पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के स्वरूप में प्रतिबिंबित हो और उनको सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता परिष्कार करना चाहिए। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अपने संसाधनों को फैलाकर स्थानीय विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं है मूलरूप से जो राज्य सरकार द्वारा विद्यमान कालेजों या अगर जरूरत हो तो नये कालेजों में दाखिला दिलाकर पूरा करना चाहिए। लेखा समीक्षा से पता लगा कि न तो कोई ऐसा पैमाना इस शर्त को पूरा करने के लिए तय है और न ही विश्वविद्यालयों से समस्त नामांकन के जांच की कोई शर्त है। परिणामस्वरूप ज्यादा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अंतर्निहित महानगरीय स्थिति सुलाभ के बजाए उनकी सर्व भारत स्वरूप प्रोत्साहित करने के शर्तों में बहुत कम किया।

### 2.2.5.11 युवा कल्याण एवं खेल कूद

#### ० ज.ने.वि.

वेतनों का खर्च खेलकूद और अन्य गतिविधियों से ज्यादा था जो दर्शाता है कि खेलकूद आदि को कम प्राथमिकता

1997-98 से 2001-02 के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद गतिविधियों और खेलों पर किए गए खर्चों की प्रवृत्ति से यह प्रकट होता है कि ज्यादा खर्च वेतनों पर व्यय किया गया जो कि 1997-98 में 5.16 लाख रु., 12.64 लाख रुपये 2001-02 में बढ़ गया अर्थात् एक बढ़त 144.53 प्रतिशत की। जबकि उपकरणों पर, गतिविधियों और अवसंरचना पर 1997-98 में खर्च 4.19 लाख रु. से बढ़कर 2001-02 में 4.64 लाख दज किया गया अर्थात् एक बढ़त सिर्फ 10.74 प्रतिशत थी।

### 2.2.5.12 परिवीक्षण और मूल्यांकन


भिन्न-भिन्न शैक्षिक और प्रशासकीय गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए विश्वविद्यालयों में से किसी के पास कोई असरदार परिवीक्षण पद्धति को स्थापित नहीं कर थीं। शैक्षिक प्रशासन के नियंत्रण में कमी के कारण नुकशान हुआ जैसे विशिष्ट उद्देश्य हेतु का अनुदान अनेक शैक्षिक परियोजनायें जिनमें शोध परियोजनायें सम्मिलित है बिना खर्च किये रहा और अनेक विकासात्मक गतिविधियों के कारण उचित प्रगति दर्ज करने के लिए नाकाम रही। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151(3) (ग) के अनुसार 10 लाख रु. से अधिक प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्राप्त अनुदान ग्राही संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा संस्थीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा तीन से पांच वर्षों में एक बार प्रत्येक मामलों में जरूरी है। ऐसी समीक्षा नहीं की गई। चयनित आठ विश्वविद्यालयों ने कभी भी स्वतन्त्र रूप से अपने कार्यों की समीक्षा नहीं की थी।

मामला मन्त्रालय को नवम्बर 2002 में भेजा गया था, दिसम्बर 2002 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

**परिशिष्ट I**  
**(पैराग्राफ 2.2.5.1 देखें)**  
**(1997-98 से 2001-02 तक के अनुदानों की प्राप्तियों एवं व्यय की स्थिति)**


क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	1.4.97 का अथ शेष	1997-98 से 2001-02 तक के दौरान प्राप्त अनुदान	1997-98 से 2001-02 तक खर्च किए गये व्यय	31.3.2002 को अंतशेष
1	अ.मु.वि. (यो)	(-) 400.34	4442.44	3736.14	305.96
	(यो.इतर)	शून्य	70409.47	69514.72	894.75
	(मू.)	18.69	4721.01	4215.01	524.69
2	ब.हि.वि.* (यो)	(-) 428.27	6191.02	5297.07	465.68
	(यो.इतर)	(-) 201.25	105700.87	104509.60	990.02
	(मू.)	122.01	4624.21	4275.57	470.65
3	दि.वि.* (यो)	(-) 228.81	5262.09	4414.02	619.26
	(यो.इतर)	204.27	50009.47	47525.47	2688.27
	(मू.)	1737.83	55148.79	52678.96	4207.66
4	है.वि. (यो)	उ.न.	1722.58	1679.54	उ.न.
	(यो.इतर)	उ.न.	12474.44	12207.54	उ.न.
	(मू.)	उ.न.	5261.40	3836.95	उ.न.
5	ज.ने.वि. (यो)	43.05	6438.61	6208.44	273.22
	(यो.इतर)	105.67	22958.67	21927.39	1136.95
	(मू.)	116.19	4620.19	3834.64	901.74
6	उ.पू.प.वि. (यो)	उ.न.	2735.24	2140.32	उ.न.
	(यो.इतर)	उ.न.	14007.64	14129.45	उ.न.
	(मू.)	उ.न.	16756.07	17811.79	उ.न.
7	पां.वि.* (यो)	2.99	2058.87	1491.87	569.99
	(यो.इतर)	13.12	4665.48	4577.26	101.34
	(मू.)	416.38	2164.28	1532.55	1048.11
8	वि.भा. (यो)	शून्य	1261.49	704.47	557.02
	(यो.इतर)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	(मू.)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

\* 2000-01 तक के अँकड़ों का निरूपण करता है।



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड



## महिला एवं बाल विकास विभाग

### 2.3 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने तथा समाज में सामाजिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों में व्याप्त उपेक्षा एवं पीड़ा के शमन हेतु एक साधन के रूप में की गई थी। बोर्ड के कार्यक्रमों का उद्देश्य सामाजिक सेवाओं को प्रोत्साहित करना एवं उनमें समन्वय स्थापित करना था। इसके लिए गै.स.सं. एवं राज्य समाज कल्याण बोर्डों का देशव्यापी तंत्र स्थापित करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने और कल्याण संसाधनों एवं सेवाओं को तृणमूल स्तर पर लाभभोगियों तक इन गै.स.सं. के माध्यम से पहुँचाने के लिए द्विशासी कार्य-नीति बनाई गई। इस विषय में लो.ले.स. की सिफारिशों के बावजूद राज्य बोर्डों को विधिक स्थान नहीं दिया गया। केन्द्रीय बोर्ड के अस्तित्व में आने के उनचास वर्षों में भी समाज के वंचित और सुविधाहीन वर्गों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केन्द्रीय और राज्य बोर्डों में निरन्तर कमी के फलस्वरूप, विपरित गै.स.सं. के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि कार्यक्रम/योजनाएं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही जिनके लिए उन्हें निधियां प्रदान की गई थी। गै.स.सं. की योजनाओं की तकनीकी क्षमता और उनके द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता उनके चयन करने से पूर्व कभी भी आलोचनात्मक रूप से नहीं जांची गई थी। इसके फलस्वरूप असंतोषजनक सेवाएं दी गई जिसके कारण कल्याण योजनाओं को भारी विफलता मिली। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की समाज कल्याण गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, केन्द्रीय बोर्ड को प्रारंभ में सौंपा गया एक मुख्य कार्य था। यह निर्धारित रहा क्योंकि महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाए जा रहे बहुत से कार्यक्रम/योजनाएं केन्द्रीय बोर्ड के समरूप हैं। यह केन्द्रीय बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने की आवश्यकता को पुनः निर्धारित करने का समय है।

#### विशिष्टताएं

- अनियमित निधियन के कारण अधिक निधियाँ अप्रयुक्त रहीं। रा.सा.क.बो. को विधिक स्थिति न सौंपने तथा व्यय एजेंसियों के ऊपर नियंत्रण के अभाव के कारण दुरुपयोग एवं दुरुविनियोजन हुआ। उपयोग-प्रमाण पत्रों का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण निरन्तर उपेक्षित था।

- केन्द्रीय बोर्ड ने आर्थिक अधिकारिता के अपने कार्यक्रम कम कर दिए थे क्योंकि 1994-95 में 537 इकाइयों के विरुद्ध 1996-2002 के दौरान केवल 39 उत्पादक इकाइयाँ ही संरचीकृत की गई थीं और 1997 के बाद कृषि आधारित डायरी इकाइयों के अन्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिए गए थे। केन्द्रीय बोर्ड ने सरकारी अनुदान की सहायता से गै.स.सं. द्वारा महिला लाभभोगियों को उचित लाभकारी वेतन के भुगतान के लिए कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किए थे। परिणामतः न केवल कार्यकर्ताओं को भुगतान किए गए मासिक वेतन में अधिक अन्तर था बल्कि कुछ मामलों में वेतन इतने कम थे कि महिला के आर्थिक अधिकारिता के अपेक्षित उद्देश्य को विफल करते थे।
- राज्य बोर्डों द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति का कोई रिकार्ड नहीं था। इस प्रकार योजना के अंतर्गत हुई उपलब्धि का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। महिला, रोजगार एवं आय सूजन-प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए नोरड से प्राप्त अनुदान सहायक प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए ही प्रयोग में लाया गया था। रोजगार पूर्वाभिमुखीकरण की हानि से योजना का अपेक्षित उद्देश्य विफल रहा।
- कल्याण विस्तार परियोजनाओं (समुदाय विकास) के अंतर्गत 767.50 लाख रु. का समग्र अनुदान तथा सीमा क्षेत्र परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग अनुदान का 99 प्रतिशत स्टाफ के वेतन एवं अन्य स्थापना प्रभारों के भुगतान के लिए उपयोग किया गया और एक प्रतिशत से कम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करवाया गया।
- शिशुगृह योजना के अंतर्गत बहुत से गै.स.सं. अनुरूपयोजी अनुदान के रूप में अनुमोदित व्यय का 10 प्रतिशत सहयोग देने में विफल रहे। इसलिए, केन्द्रीय बोर्ड ने गै.स.सं. को अपना 10 प्रतिशत अंश कम कर दिया, जिसके फलस्वरूप निधियों में कमी आई। पुनरीक्षण अवधि के दौरान, शिशुगृह कार्यकर्ताओं के लिए कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया गया था क्योंकि मंत्रालय से इस शीर्ष के अंतर्गत कोई निधियाँ प्राप्त नहीं की गई थीं।
- विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुसंधान मूल्यांकन एवं सांख्यिकीय प्रभाग मुख्यतः सूचना प्रबन्धन में सम्मिलित था जो अपने आप में त्रुटिपूर्ण था। निरीक्षण के पश्चात फील्ड अधिकारियों से प्राप्त होने वाली आवश्यक रिपोर्ट अनेक राज्य बोर्डों द्वारा प्राप्त नहीं की गई थीं। कुछ राज्य बोर्डों में, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या के संबंध में कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, जबकि शेष में किसी भी कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पूर्व लाभभोगियों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया गया था।

### 2.3.1. प्रस्तावना

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (इसके बाद "केन्द्रीय बोर्ड" के नाम जाना जाए) भारत सरकार के संकल्प द्वारा अगस्त 1953 में स्थापित किया गया था तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पुण्यार्थ कम्पनी के रूप में गैर सरकारी संगठन (गै.स.स.) के माध्यम से समाज कल्याण गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा महिलाओं, बाल एवं विकलांगों के लिए कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित करने तथा शिक्षा, प्रशिक्षण, सामूहिक संघटन तथा जागरूकता उत्पन्न करने, आय सृजन सुविधाओं और सहायक सेवाओं के माध्यम से उनमें विकास लाने के उद्देश्य से <sup>अप्रैल 1961 में</sup> पर्याप्ति किया गया था।

### 2.3.2 बोर्ड के उद्देश्य

विशेष रूप से केन्द्रीय बोर्ड के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं-

- निर्धारण, मूल्यांकन, समन्वय करना और समाज कल्याण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और संगठनात्मक वृद्धि को सहायता देना
- प्रशिक्षण या समाज कार्य का आयोजन और विपत्ति राहत सहायता प्रदान करना

इस प्रकार बोर्ड के उद्देश्य समाज कल्याण के व्यापक क्षेत्र में प्रशासनिक, तकनीकी, विकासात्मक एवं सहायक उपायों का एक जटिल निकाय बनाता था।

### 2.3.3 राज्य नेटवर्क सहित बोर्ड का संगठन

केन्द्रीय बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग से निहित था। केन्द्रीय बोर्ड की साधारण सभा 52 सदस्यों से बनी हुई थी इसके अंतर्गत अध्यक्ष (1), केन्द्रीय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक (1), केन्द्र बोर्ड, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बोर्डों के सभी अध्यक्ष (31), व्यवसायी (5) - विधि, चिकित्सा, पोषण, समाज कार्य, शिक्षा एवं समाज विकास से प्रत्येक एक, प्रतिष्ठित व्यक्ति (3) सामाजिक कार्य में व्यापक अनुभव के साथ, प्रतिनिधि (8) - महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, श्रम, वित्त एवं योजना आयोग विभागों से प्रत्येक एक, संसद सदस्य (3)- दो लोक सभा तथा एक राज्य सभा से नामित थे। केन्द्रीय बोर्ड के प्रशासन के कार्य 15 सदस्यों की समाविष्ट कार्यकारी समिति में निहित थे। सदस्यों में एक अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड का एक कार्यकारी निदेशक, पांच राज्य/सं.राक्षे. बोर्डों के अध्यक्ष, दो व्यवसायिक तथा श्रम एवं योजना आयोग को छोड़कर साधारण सभा में प्रतिनिधित्व

मंत्रालयों से एक प्रतिनिधि। कार्यकारी समिति को तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक था। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, विस्तार एवं विकास को सुगम बनाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य समाज कल्याण परामर्शी बोर्ड (रा.स.क.प.बो.) स्थापित किए गए थे। विभिन्न राज्यों/सं.रा.क्षे. में तीस राज्य/सं.रा.क्षे. बोर्ड बनाए गए हैं। राज्य बोर्ड के आधे सदस्य केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मानित हैं और शेष आधे सम्बन्धित राज्य सरकार/सं.रा.क्षे. प्रशासन द्वारा नामित है। राज्य बोर्ड के अध्यक्ष का चयन केन्द्रीय बोर्ड के साथ परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य बोर्ड वही कार्य करता है जो उसे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सौंपे जाते हैं।

#### **2.3.4 पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र**

पुनरीक्षण में केन्द्रीय बोर्ड के कार्य तथा 1993-94 से 2001-2002 अवधि के लिए जांच किए गए 30 राज्य/सं.रा.क्षे. बोर्ड शामिल हैं।

#### **2.3.5 पुनरीक्षण के परिणाम**

##### **2.3.5.1 संसाधनों का प्रबन्धन**

केन्द्रीय बोर्ड योजनागत एवं योजनेतर क्षेत्रों के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करता है। नार्वे सरकार भी केन्द्रीय बोर्ड को केन्द्रीय सरकार के माध्यम से शर्तबद्ध-योजना के वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

##### **2.3.5.2 निधियों का प्रवाह**

केन्द्रीकृत योजनाओं के लिए निधियां केन्द्रीय बोर्ड द्वारा गै.स.सं. को प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती है जबकि विकेन्द्रित एवं विकेन्द्रित योजनाओं को निधियां राज्य बोर्डों को आंशिक रूप से जारी की जाती है जो गै.स.सं. को आगे जारी करता है। केन्द्रीत योजनाओं में जिनके सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम (सा.आ.का.)-उत्पादन इकाइयों तथा निरूपण परियोजनाएं (बालवाडी) शामिल हैं केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है। विकेन्द्रीत योजनाएं जिनमें कल्याण विस्तार परियोजनाएं (समुदाय विकास) तथा सीमा क्षेत्र परियोजनाएं शामिल हैं राज्य बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है। आंशिक रूप से केन्द्रीत/विकेन्द्रीत योजनाएं जिसमें एस.ई.पी.-कृषि आधारित डायरी इकाइयां, संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षण (सं.पा.एवं पू.प्र.) नोरड जागरूकता सृजन कार्यक्रम तथा शिशुगृह शामिल हैं केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डों दोनों द्वारा निरीक्षण किया

जाता है। राज्य बोर्डों की स्थापना पर हुआ व्यय केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड द्वारा बराबर सहभाजित किया जाता है।

1993-94 से 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की प्राप्तियाँ तथा व्यय नीचे दर्शाए गए हैं-

वर्ष	अथ शेष (योजना एवं योजनेतर)	प्राप्तियाँ			व्यय			अंत शेष	व्यय की प्रतिशतता	(करोड़ रु. में)
		योजनेतर	योजना	जोड़	योजनेतर	योजना	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1993-94	3.99	4.51	43.53	52.03	4.47	44.27	48.74	3.29	94	
1994-95	3.29	4.17	52.52	59.98	4.15	50.13	54.28	5.70	90	
1995-96	5.70	5.16	61.46	72.32	5.20	61.80	67.00	5.32	93	
1996-97	5.32	5.95	49.07	60.34	5.17	41.09	46.26	14.08	77	
1997-98	14.08	28.31	28.54	70.93	26.28	28.28	54.56	16.37	77	
1998-99	16.37	20.68	36.68	73.73	20.26	26.12	46.38	27.35	63	
1999-00	27.35	20.69	42.51	90.55	22.96	40.99	63.95	26.60	71	
2000-01	14.50**	22.74	45.86	83.10	22.42	44.42	66.84	16.26	80	
2001-02*	12.15***	27.89	39.53	79.57	27.53	38.63	66.16	13.41	83	

\* गैर लेखापरीक्षित आंकड़े

\*\* 26.60(-) 12.10 समायोजित=14.50

\*\*\* 16.26 (-) 4.11 समायोजित= 12.15

ऊपर दी गई तालिका से यह प्रकट होता है कि वर्ष 1994-95 में मंत्रालय द्वारा योजना तथा योजनेतर के बीच निधीयन का अनुपात 1:12 था वह वर्ष 1997-98 में घटकर 1:1 रह गया जो कि स्थापना व्यय में अधिक वृद्धि तथा उद्देश्यात्मक व्यय में कटौती को दर्शाता है। यह अनुपात 1998-99 में 1:1.5 पर, 2000-01 में 1:2 पर तथा 2001-02 में 1:1.5 पर बना रहा। केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (अगस्त 2001) कि वर्ष 1996-97 तक कार्यक्रमों से संबंधित सभी प्राप्तियों तथा व्यय को त्रुटिवश योजना शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता था यद्यपि उनमें से बहुत से योजनेतर आवंटन/व्यय होने थे। यह सही नहीं है चूंकि आवंटन पृथक-पृथक किए गए थे। योजना खण्ड से बड़ी राशियों का निकाला जाना योजनेतर उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर निपथन को दर्शाएगा। इसका केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निधि प्रबन्धन पर गंभीर प्रभाव है।

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1993-94 (3.29 करोड़ रु.) तथा 1998-99 (27.35 करोड़ रु.) के वर्षों के बीच अन्त शेष लगातार बढ़ रहा था जब इसने सात गुणा से अधिक की वृद्धि दर्शाई। इसके पश्चात यह वर्ष 1999-2000 में 2.7 प्रतिशत तक सीमांततः घट गया जब यह नीचे आकर 26.60 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2001-02 के अन्त में यह 13.41 करोड़ रु. था। अन्त शेष का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। केन्द्रीय बोर्ड ने वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त अनुदानों को मंत्रालय को वापिस

1993-99 के दौरान  
अव्ययित शेष की  
आरोही प्रवृत्ति

नहीं किया न ही मंत्रालय ने अगले वर्ष के लिए अनुदान जारी करते समय ऐसे बचे शेषों को समायोजित किया। केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2001) कि अव्ययित शेष का एक बड़ा भाग 2000-01 के अन्त तक मंत्रालय द्वारा समायोजित कर दिया गया था। तथापि, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों ने इंगित किया कि इसके पास 31 मार्च 2001 को 16.26 करोड़, तथा 31 मार्च 2002 को 13.41 करोड़ रु. के अव्ययित शेष थे।

#### 2.3.5.1.2 अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 के नीचे टिप्पणी 3 में यह अनुबन्ध है कि विशेषतया वित्त वर्ष के अन्तिम महीनों में अंधाधुंध व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन समझा जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि वर्ष 1994-95 को छोड़कर, मंत्रालय द्वारा 1993-2002 के वित्त वर्षों की आखिरी तिमाही के दौरान 43 से 67 प्रतिशत तक अनुदान जारी किए गए थे जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके पास अध शेष के रूप में उपलब्ध निधियों की भारी मात्रा के बावजूद, वित्त वर्षों की अन्तिम तिमाही में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा व्यय/राज्य बोर्ड/गै.स.सं. को जारी राशि, कुल व्यय के 37 प्रतिशत और 65 प्रतिशत के बीच परिवर्ती रही, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	मंत्रालय द्वारा			केन्द्रीय बोर्ड द्वारा व्यय			
	केन्द्रीय बोर्ड को जारी कुल अनुदान	पिछली तिमाही के दौरान जारी अनुदान	कुल अनुदान से प्रतिशत	अथ शेष	राज्य बोर्ड/गै.स.सं. को जारी अनुदान/कुल व्यय	पिछली तिमाही के दौरान जारी कुल अनुदान	आखिरी तिमाही में जारी अनुदान का प्रतिशत
1993-94	46.41	21.73	47	3.99	48.75	31.54	65
1994-95	55.84	14.67	26	3.29	54.28	20.23	37
1995-96	65.79	28.07	43	5.70	67.00	36.75	55
1996-97	52.69	30.19	57	5.32	46.26	23.69	51
1997-98	55.66	26.94	48	14.08	54.56	29.43	54
1998-99	54.99	36.82	67	16.37	46.39	25.74	55
1999-00	55.75	24.64	44	27.35	63.95	35.91	56
2000-01	67.19	34.54	51	14.50	66.84	34.06	51
2001-02	66.19	32.06	48	12.15	66.16	30.11	46
जोड़	<b>520.51</b>	<b>249.66</b>			<b>514.19</b>	<b>267.46</b>	

राज्य सरकारों के पास 35.34 करोड़ रु. के भारी अव्ययित शेष

वर्ष की अन्तिम तिमाही में भारी मात्रा में निधियों को जारी करने के परिणामस्वरूप 31.3.2002 को राज्य बोर्डों के पास 35.34 करोड़ रु. (अनुबन्ध-II) के भारी अव्ययित शेष पड़े रहे। एक अवसर पर 31 मार्च 1998 को ही, मंत्रालय ने 10.22 करोड़ रु. जारी किए।

मंत्रालय द्वारा वर्ष के अंत में निधियों को जारी करने की एक श्रृंखलित प्रतिक्रिया होती है जो कि अन्ततः गै.स.सं. की संसाधन स्थिति को प्रभावित करती है जिन्हें, उन साधनों से ऋण लेना पड़ सकता है जो कि उधार देने की घटिया परंपरा से ग्रस्त होते हैं अथवा कल्याण योजना को अस्थायी तौर पर स्थगित करना पड़ता है।

केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2001) कि निधियों की एक बड़ी मात्रा इसके द्वारा माच माह में प्राप्त की गई थी। इसे इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इसके पास अथ शेष के रूप में निधियों की भारी मात्रा उपलब्ध थी जो कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इसके कुल व्यय का क्रमशः 34 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत थी।

#### 2.3.5.1.3 लेखा नियन्त्रकों का अभाव

राज्य बोर्ड "केन्द्रीय बोर्ड को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय बोर्ड की आन्तरिक जांच ईकाई (आ.जा.ई) इन वार्षिक लेखाओं की परिशुद्धता को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय बोर्ड के विभिन्न भंडल भी राज्य बोर्डों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) तथा सम्बन्धित योजनाओं के लेखाओं की परिशुद्धता को सत्यापित करते हैं।

राज्य बोर्डों के साथ आंकड़ों के समाधान की विश्वसनीय प्रणाली का अभाव

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य बोर्डों द्वारा निधियों की लेखाविधि की विशुद्धता को सत्यापित करने के लिए आन्तरिक जांच ईकाई ने कोई प्रणाली विकसित नहीं की। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी अनुदानों के वर्ष-वार आंकड़ों का राज्य बोर्डों द्वारा लेखे में लिए गए अनुदानों से गैर-समाधान, इस तथ्य पर विचार करते हुए अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि राज्य सरकारों को जारी अनुदानों के वर्ष वार आंकड़ों का केन्द्रीय बोर्ड द्वारा संकलन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप समय बीतने के साथ-साथ आंकड़ों में हेराफेरी तथा साक्ष्यों की क्षति हो सकती थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 1993-2002 के दौरान, "संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण" कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 82 प्रतिशत दो वर्षीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 55 प्रतिशत तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत 76 प्रतिशत राज्य बोर्डों के लेखे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे। "क्षेत्र परियोजना" योजना के संबंध में, 1985-86 वर्ष के बाद के राज्य बोर्डों के लेखे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं किए

जा सके, तथा मार्च 1991 में, केन्द्रीय बोर्ड ने यह मामला राज्य बोर्डों पर छोड़ने का निर्णय लिया। उड़ीसा के राज्य बोर्ड ने केन्द्र/राज्य निधियों के योजना एवं योजनेतर लेखाओं के विवरण अलग-अलग अनुरक्षित नहीं किए तथा राशि को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यय कर दिया। केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (नवम्बर 2001) कि योजना तथा योजनेतर का वर्गीकरण राज्य बोर्डों के लिए संगत नहीं था। केन्द्रीय बोर्ड का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि योजनेतर व्यय को योजना निधियों से पूरा करने के प्रति नियंत्रण करने के लिए योजना तथा योजनेतर निधि को अलग-अलग लेखाबद्ध किया जाना आवश्यक होता है।

#### 2.3.5.1.4 बकाया उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)

वार्षिक लेखे तथा  
18.95 करोड़ के उ.प्र.  
प्रतिक्षित।

अनुदान की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात छ: महीनों के भीतर अनुदान ग्राही संस्थानों को वार्षिक लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। केन्द्रीकृत/आंशिक रूप से विकेन्द्रीकृत योजनाओं के विषय में केन्द्रीय बोर्ड, गै.स.सं./राज्य बोर्डों से लेखाओं तथा उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति की परिवीक्षा करता है। राज्य बोर्ड, आंशिक रूप से विकेन्द्रीकृत/पूर्णतः विकेन्द्रीकृत योजनाओं विषय में गै.स.सं. से लेखाओं तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं। यह पाया गया कि 31 मार्च 2002 को केन्द्रीय बोर्ड में 3446 गै.स.सं. से 805.79 लाख रु. के उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे, तथा बारह राज्य बोर्डों में, 2792 गै.स.सं. जिन्हें राज्य बोर्ड द्वारा राशि दी गई थी, ने वार्षिक लेखे तथा 1088.71 लाख रु. के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए थे, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

#### बकाया उपयोग प्रमाणपत्र/लेखे

(लाख रु. में)

क्र	अवधि	गै.स.सं. की संख्या	राशि
क	केन्द्रीय बोर्ड	1993-2002	3446
ख	राज्य बोर्ड तथा उनके माध्यम से नियिकद्वारा गै.स.सं.		805.79
	आन्ध्र प्रदेश	1993-2000	प्र.न.*
	चंगलीगढ़	1993-2000	24
	हरियाणा	1993-1999	103
	हिमाचल प्रदेश	1982-2002	148
	जम्मू एवं कश्मीर	प्र.न.*	89.70
	कर्नाटक	1993-2002	385
	मध्य प्रदेश	1995-2002	41
	महाराष्ट्र	1963-2001	669
	नागालैण्ड	1993-2002	159
	राजस्थान	1993-2000	प्र.न.*
	तमिलनाडु	1993-2000	324
	उत्तर प्रदेश	1993-2001	939
	जोड़	2792	1088.71

\* प्र.न.- प्रस्तुत नहीं किए गए

### 2.3.5.1.5 राज्य समाज कल्याण परामर्शी बोर्ड (रा.स.क.प.बो.) का महत्व

राज्य बोर्डों को विधिक महत्व प्रदान करने के मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

109वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा 1981-82) में लो.ले.स. की सिफारिश के बावजूद कि केन्द्रीय बोर्ड को उन्हें विधिक महत्व प्रदान करने के विषय में तत्काल निर्णय करना चाहिए, रा.स.क.प.बो. को कोई विधिक महत्व प्रदान नहीं किया गया। अक्टूबर 2002 में केन्द्रीय बोर्ड ने बताया कि म.बा.वि.वि. को समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति अभी तक केन्द्रीय बोर्ड में प्रतीक्षित थी। विधिक स्थिति प्रदान न करने से रा.स.क.प.बो. की कार्यप्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है। परिणामस्वरूप कार्यात्मक उत्तरदायित्व का अभाव रहा।

### 2.3.5.2 विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करना

#### 2.3.5.2.1 कल्याण विस्तार परियोजनाएं (समुदाय विकास)

बिना किसी कार्यक्रम व्यय के स्थापना पर 7.63 करोड़ रु. का व्यय।

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों तथा महिलाओं को एकीकृत कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समुदाय विकास खण्डों में वर्ष 1957 के दौरान कल्याण विस्तार परियोजनाओं को आरम्भ किया गया। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रायोजित ये परियोजनाएं, प्रकृति से बहुदेशीय थी तथा इन्होंने पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा, महिलाओं के लिए दस्तकारी क्रियाकलाप, सामाजिक शिक्षा तथा प्रसूति सुविधाओं जैसी कल्याण सेवाएं प्रदान कीं। केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों के बीच में बजट 2:1 के अनुपात में बाँटा जाता है। पाँच राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय तथा राजस्थान में आरंभ से 44 परियोजनाएं, परिचालन में थीं तथा इनको भारत सरकार (सितम्बर 1975) की प्रस्तावित एकीकृत बाल विकास योजना (ए.बा.वि.यो.) के अन्तर्गत आवृत्त करना अभिप्रेत था। किन्तु इन राज्यों में 44 परियोजनाओं में से 41 अभी भी परिचालन में थी तथा उन्हें ए.बा.वि. का के अन्तर्गत आवृत नहीं किया गया था। फरवरी 1999 में केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रत्येक परियोजना/केन्द्र में अन्तिम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी। बिना किसी कार्यक्रम व्यय के, 1993-94 से 2001-02 के दौरान परियोजनाओं में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य स्थापना व्ययों के लिए 767.50 लाख रु. के अनुदान जारी किए गए थे।

#### 2.3.5.2.2 सीमा क्षेत्र परियोजनाएं (सी.क्षे.प.)

देश के साथ इन क्षेत्रों के भावनात्मक तथा सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 1962 में सीमा राज्यों में सीमा क्षेत्र परियोजनाएं आरंभ की गई थीं। सीमा क्षेत्र

परियोजनाएं बहुदेशीय प्रकृति की हैं तथा बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, पोषण तथा मनोरंजन सुविधाओं के अतिरिक्त सामान्य चिकित्सा सहायता, शिल्प क्रियाकलाप तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। यह योजना 14 राज्यों/के.शा.प्र., अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, लक्ष्मीपुर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही थी।

सीमा क्षेत्र (पांच केन्द्रों सहित) में एक वर्ष के लिए कल्याण प्रसार परियोजना के लिए योजनाबद्ध बजट तीन घटकों; कर्मचारियों का वेतन, कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (का.का.स.) के लिए आवर्ती व्यय तथा केन्द्रों को सप्लाई, का बना होता है। 1996-97 से का.का.स. के लिए आवर्ती व्यय, मंत्रालय द्वारा प्रति परियोजना प्रतिवर्ष 14000 रु. से संशोधित करके 28,600 रु. कर दिया गया। तथापि मंत्रालय की अनुमोदन के बिना बोर्ड द्वारा, इसे बाद में घटाकर 1997-98 से 14000 रु. कर दिया गया। इसी प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों पर माल आपूर्ति के लिए प्रति परियोजना प्रति वर्ष योजनाबद्ध बजट को 1996-97 से भारत सरकार द्वारा 29000 रु. से संशोधित करके 49400 रु. कर दिया गया। तथापि, केन्द्रीय बोर्ड ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 1997-98 से केन्द्रों को आपूर्ति के लिए इस अनुदान को घटाकर केवल 2400 रु. कर दिया।

स्थापना पर, व्यय का  
लगभग 99 प्रतिशत  
तथा कार्यक्रम पर  
बमुश्किल 1 प्रतिशत।

इस परियोजना में भी, 1993-2002 के दौरान कार्यक्रम घटक 44.45 करोड़ रु. के कुल व्यय का बमुश्किल एक से दो प्रतिशत था। 1999-2000 से आपूर्तियां भी बन्द कर दी गई थीं। इस प्रकार परियोजना स्थापनायें, बिना किसी भूमिका या सुरक्षित साधनों के केवल स्टाफ का अनुरक्षण करने हेतु चल रही थीं।

अगस्त 1998 में मंत्रालय ने सी.क्षे.प. का ए.वा.वि.यो. के साथ विलय करने का निर्णय किया और एकीकरण को मार्च 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। यद्यपि कोई निश्चय मात्रायें निर्धारित नहीं की गई थीं। आगे किसी भी राज्य से इस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई थी।

### 2.3.5.2.3 सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम (सा.आ.का.)

सा.आ.का. का आरम्भ 1958 में लाभप्रद रोजगार एवं स्व रोजगार की आय सुजनात्मक इकाईयों को संगठित करने, तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी शारिरिक तौर पर विकलांग तथा मध्य एवं निम्न श्रेणी की सामाजिक तौर पर अव्यवस्थित महिलाओं को भी कार्य तथा मजदूरी के लिए एक अवसर प्रदान करने तथा इस प्रकार उनके पुनर्वास को

सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। सा.आ.का. तीन धाराओं में चलता है:  
 (i) उत्पादन इकाईया (ii) एग्रो आधारित डेरी कार्यक्रम तथा (iii) स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना।

### उत्पादन इकाईयाँ

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन लाख रु. तक के अनुदान, का भुगतान उत्पादन इकाईयाँ लगाने के लिए इच्छुक स्वेच्छिक कल्याण संस्थानों को किया गया था। बोर्ड का अंशदान लाभ भोगी संस्थान द्वारा 15 प्रतिशत/60 प्रतिशत अंशदान की तुलना में, कुल परियोजना लागत एवं कार्यशील पूँजी आवश्यक के क्रमशः 85 प्रतिशत/40 प्रतिशत तक सीमित था। इकाईयाँ स्थापित करने वाले संस्थानों से कार्यशील पूँजी का, उत्पादों की बिक्री की आय द्वारा आपूरण करने तथा अर्जित लाभ के साथ नई उत्पादन क्रिया कलापों को आरम्भ करके क्षेत्र का विस्तार करने की अपेक्षा की जाती थी जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में जरूरत मद महिलाओं को रोजगार मिले।

केन्द्रीय बोर्ड ने 1993-94 से 2001-02 तक 1148 उत्पादन इकाईयाँ स्थापित करने के लिए 1128.57 लाख रु. संस्थीकृत किये। इसके प्रति 1078.33 लाख रु. की राशि जारी की गई थी। वर्षवार और निम्न प्रकार थे:

(लाख रु. में)

वर्ष	अनुमोदित इकाईयाँ	संस्थीकृत राशि	जारी की गई राशि
1993-94	502	460.22	398.36
1994-95	537	467.67	480.47
1995-96	70	110.01	109.23
1996-97	2	4.40	28.59
1997-98	5	13.64	5.21
1998-99	5	13.20	6.46
1999-00	2	3.16	2.45
2000-01	2	3.50	1.26
2001-02	23	52.77	46.30
जोड़	1148	1128.57	1078.33

निष्पादन में उग्र  
गिरावट।

जैसा कि उपयुक्त तालिका से देखा जा सकता है कि गत वर्ष 1994-95 की 537 इकाईयों के विरुद्ध, बोर्ड द्वारा 1995-96 में केवल 70 इकाईयाँ अनुमोदित की गई थीं। निष्पादन में 1996-2002 के दौरान विचारणीय गिरावट आई जब केन्द्रीय बोर्ड ने 6 वर्ष

की अवधि में केवल 39 उत्पादन इकाईयों को अनुमोदित किया था। लेखापरीक्षा ने, तीन मापकों के सन्दर्भ इस उप-योजना के निष्पादन का परीक्षण करने का प्रयास किया था।

- ० बन्द हो गई इकाईयां
- ० रोजगार अवसर
- ० मजदूरी कमाना

इनका विवरण नीचे दिया गया है:

### बन्द हो गई इकाईयां

कार्यक्रम के अन्तर्गत मदद की गई उत्पादन इकाईयों से लाभभोगियों को स्थायी रोजगार प्रदान करने की अपेक्षा थी। यद्यपि यह देखा गया था कि सा.आ.का. के अन्तर्गत मदद की गई एक बड़ी संख्या में गै.स.स. ने या तो उत्पादन इकाईयां स्थापित ही नहीं की गई थी या प्रारंभिक उत्पन्न के थोड़े समय के बाद ही बन्द कर दी गई थी। केन्द्रीय बोर्ड ने सूचित किया (अगस्त 2002) कि 22 राज्य/स.शा.क्षे. बोर्डों में 418 उत्पादन इकाईयां, जिन्हें 3.18 करोड़ रु. जारी किये गये थे, बन्द कर दी गई थी, तथा आठ राज्य बोर्डों ने बन्द हो गई इकाईयों के बारे में सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। यद्यपि 17 राज्यों में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बन्द बताई गई 254 इकाईयों के विरुद्ध राज्य/सं.शा.क्षे. बोर्डों ने 570 इकाईयों को बन्द हो गई सूचित किया था जैसा कि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	मदद की गई इकाईयों की सं.	केन्द्रीय बोर्ड के अनुसार बन्द हो गई इकाईयों की सं.	राज्य बोर्ड के अनुसार बन्द हो गई इकाई की सं.	बन्द हो गई इकाईयों की प्रतिशतता (5/3)
1	2	3	4	5	6
1	अण्डमान एवं निकोबार	6	5	6	100
2	आन्ध्र प्रदेश	प्र.न.	35	36	प्र.न.
3	चण्णीगढ़	3	3	3	100
4	विल्ली	52	36	35	67
5	गुजरात	71	12	22	31
6	द्विमाचल प्रदेश	28	6	27	96
7	जम्मू एवं कश्मीर	प्र.न.	3	38	प्र.न.
8	कर्नाटक	92	28	67	73
9	केरल	11	3	--	प्र.न.
10	मध्य प्रदेश	प्र.न.	9	67	प्र.न.
11	मेघालय	55	20	53	96
12	उड़ीसा	86	NF	86	100
13	पंजाब	प्र.न.	9	17	प्र.न.
14	राजस्थान	78	59	58	74
15	तमिलनाडु	प्र.न.	7	19	प्र.न.
16	उत्तर प्रदेश	189	19	32	17
17	पश्चिम बंगाल	9	प्र.न.	4	44
	जोड़		254	570	

(टिप्पणी: प्र.न. - प्रस्तुत नहीं की)

इससे प्रकट होता है कि केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के बीच सही तालमेल की कमी थी। उड़ीसा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और अंडमान एवं निकोबार प्रायद्वीप पाँच राज्यों/संघीय क्षेत्रों के बोर्डों पर बन्द इकाईयां पर असन्तुष्ट वित्तीय निष्पादन, प्रबन्धीय अनुभव की कमी, कड़ी प्रतिस्पर्धी बाजार और अप्रचलित मशीनें इत्यादि जैसे कारणों की बजह से इनका भारी दायित्व है। केन्द्रीय बोर्ड ने नवम्बर 1999 में बताया कि योजना में यह उल्लेख नहीं किया कि उत्पादन इकाई किस अवधि में चालू रही और कोई भी निश्चित प्रक्रिया का विकास नहीं किया गया जिसके तहत चूक करने वाले संगठनों जिनकी इकाईयाँ बन्द हो गई, से पूदताछ कर सके। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा दिया गया उत्तर उचित नहीं है जबकि सरकारी निधि से सहायता प्राप्त रोजगार उन्मुख उत्पादन इकाईयों से दीर्घकालिक रोजगार अवसर बनाने की आशा की जाती है। और केन्द्रीय बोर्ड के पास उनके निरन्तर उत्तर जीविता के लिए योजनाबद्ध उपाय होने चाहिए। केन्द्रीय बोर्ड ने अक्तूबर 2001 में यह भी बताया कि यह जरूरी था कि योजना को कुछ और निधि संगठन को पुराने यंत्रों को बदलने के लिए देने चाहिए। केन्द्रीय बोर्ड का उत्तर ठीक नहीं था क्योंकि उत्पादन इकाईयों का आत्मनिर्भर होना अपेक्षित था।

### रोजगार एवं मजदूरी

सामाजिक-आर्थिक उत्पादन कार्यक्रम कल्पना करता है कि प्रत्येक उत्पादन इकाई, कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त 20-30 महिलाओं के लिए रोजगार सहायता का सजन करेगा। महाराष्ट्र में वर्ष 1993-94 से 2001-02 तक प्रति इकाई 8 से 100 प्रतिशत की कमी के साथ 557 लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 334 महिलाओं को रोजगार दिये गये। एक इकाई में 30 महिलाओं के लक्ष्य के विरुद्ध दो पुरुषों की नियुक्त किया गया। उड़ीसा में 1993-2002 के दौरान 315 के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 55 महिलाओं को नियुक्त हुई। हिमाचल प्रदेश में 28 उत्पादन इकाईयों में से 27 इकाईयाँ संक्रियात्मक नहीं थी। जम्मू एवं काश्मीर में एक इकाई में 10 करघे के लक्ष्य के विरुद्ध तीन करघे प्रतिष्ठापित हुए और कोई भी महिला नियुक्त नहीं की गई। तमिलनाडु में एक इकाई में 30 महिलाओं के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ आठ महिलायें काम कर रही थीं।

रोजगार का निर्माण तथा उचित वेतनों का भुगतान का अनुश्रवण नहीं किया गया

रोजगार मुहैया कराने के अतिरिक्त, एस.इ.जी. को, उचित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना था। हैरानी, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा महिला कार्यकर्ताओं को वेतन भुगतान हेतु कोई मानक नियत नहीं किये गये। राजस्थान और पांडिचेरी दो राज्यों में 400 रु. और 750 रु. के अनुबद्ध वेतन/वजीफे के क्रमशः 32~~6~~ रु. और 150 रु. हर महीना भुगतान किया गया। केन्द्रीय बोर्ड के पास वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कोई अनुश्रवण नहीं किया था।

केन्द्रीय बोर्ड ने अक्टूबर 2001 में बताया कि महिलाओं के वेतनों के भुगतान के लिए मानक निर्धारित नहीं थे क्योंकि सभी लाभार्थी बराबर समय नहीं दे रहे थे। केन्द्रीय बोर्ड का उत्तर दस्ताविजी लाक्ष्य से प्रमाणित नहीं था जैसा कि निरीक्षण पार्टी द्वारा भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये कार्य के घंटों को इंगित नहीं किया और केन्द्रीय बोर्ड ने उन मामलों में भी कोई कार्यवाही नहीं की, जहाँ पर वास्तविक भुगतान, गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय, जो नियोजित भुगतानों से कम थे।

### एग्रो पर आधारित डेरी इकाईयां

विधवा, निराश्रय, परित्यक्त एवं गरीब महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 4800 रु. से अधिक नहीं थी, के पुनर्वास की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 1975-76 में, डेरी कार्य कलापों के लिए एग्रो पर आधारित योजना आरम्भ की गई थी। योजना का उद्देश्य, उनके बच्चों को पौष्टिक आहार देने के अतिरिक्त परिवार को अनुपूरक आय प्रदान कराना था। 1992 से पूर्व, पांच लाभभागियों की प्रति इकाई के लिये वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 20870 रु. थी। मंत्रालय के अनुमोदन के बिना, केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा 1992 में संशोधित की गई थी। कार्यान्वयन के क्षेत्र पर आधारित पांच लाभभागियों की प्रत्येक इकाई ने 72838 रु. से 98400 रु. तक के बीच सहायता प्राप्त की थी।

**9.74 करोड़ रु. अधिक जारी किए गये।**

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि मंत्रालय के अनुमोदन के बिना संशोधित अनुमानों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 1992-97 के दोरान 9.74 करोड़ रु. अधिक जारी किये गये। मंत्रालय ने दिसम्बर 1998 में केन्द्रीय बोर्ड पर संशोधित दरों के आधार पर कोई अधिक व्यय करने की रोक लगाई। यद्यपि, केन्द्रीय बोर्ड ने, इस तथ्य के बावजूद कि यह योजना को पूर्व संशोधित दरों पर कार्यान्वित कर सकता था, योजना को 1997 से आगे पूर्णरूप से बन्द कर दिया।

### परिक्रामी निधि

एग्रो आधारित डेरी योजना में अनुबद्ध था कि ऋण भाग 42 किस्तों में वसूल किया जाना था। किसी भी राज्य से वसूलनीय ऋण की राशि के बारे में सूचना नहीं मिल रही थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने, 14 राज्यों से सम्बन्धित, 31.3.2002 को, ऋण घटक की वसूली की उपलब्ध सूचना के संकलित किया था, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:-

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य बोर्ड का नाम	अवधि		कर्ज घटक	राज्य बोर्ड द्वारा वसूली	न वसूला गया कर्ज घटक और कुल कर्ज घटक में इसका प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	74-96		239.00	82.10	156.90 (66)
2.	অসম	74-98		46.21	5.53	40.68 (88)
3.	बिहार	93-96		22.85	5.31	17.54 (77)
4.	दिल्ली	76-95		5.75	2.39	3.36 (58)
5.	गुजरात	93-00		84.60	70.65	13.95 (16)
6.	हरियाणा	80-97		110.44	47.83	62.61 (57)
7.	जम्मू और कश्मीर	2001-02 तक		59.39	28.43	30.96 (52)
8.	कर्नाटक	93-97		67.76	10.35	57.41 (85)
9.	मध्य प्रदेश	93-96		60.18	15.62	44.56 (74)
10.	मणिपुर	74-00		50.34	6.41	43.93 (87)
11.	उड़ीसा	75-84 (No release 93-02)		20.97	5.49	15.48 (74)
12.	त्रिपुरा	82-99		24.28	8.86	15.42 (64)
13.	उत्तर प्रदेश	75-97		204.56	97.63	106.93 (52)
14.	पश्चिम बंगाल	79-86		16.52	4.53	11.99 (73)
जोड़				1012.85	391.13	621.72 (61)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 14 राज्यों को 1974 से 2002 तक की अवधि में कर्ज के रूप में दिये गये 1012.85 लाख रुपये के अग्रिम में से, 391.13 लाख रुपये (39 प्रतिशत) की रकम ही वसूली जा सकी, 621.72 लाख रुपये (61 प्रतिशत) वसूले जाने वाकी थे। नौ राज्यों से 60 प्रतिशत से भी अधिक कर्ज घटक नहीं वसूला जा सका। असम, कर्नाटक और मणिपुर में स्थिति सबसे बुरी थी जहाँ न वसूली का प्रतिशत क्रमशः 88, 85 और 87 तक था।

केन्द्रीय बोर्ड ने जून 2002 में सूचित किया कि 19 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 2875 गैर सरकारी संगठनों, जो काली सूची में इंगित थे, से 637.07 लाख रुपये की रकम वसूली जानी वाकी थी (असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पांडिचेरी, पंजाब, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल)। अन्य आठ राज्यों/कें.शा.प्र. (आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, लक्ष्मीप, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम) 739 दोषी गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में शामिल किया गया। तथापि, केन्द्रीय बोर्ड के पास, बकाया कर्जों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इन कर्जों की वापसी की सम्भावना बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि परियोजना की निरन्तरता समाप्त कर दी गई है।

कर्जों की अपर्याप्त वापसी से परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि जैसा कि योजना में निहित था, कर्ज की वापसी रकम, आवर्ती निधि में जमा कर दी जायेगी, जो कि, लाभभोगियों को, दुबारा दुधारू पशुओं की मंजूरी देने के लिये प्रयोग की जायेगी। राज्य बोर्ड द्वारा एक आवर्ती निधि, बनायी और चालू की गई। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि लाभभोगियों को दुबारा दुधारू पशु देने के लिये, आवर्ती निधि से निकासी नगण्य थी। असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और लक्ष्मीप के नौ राज्यों में दुबारा पशु के लिये कोई भी रकम निर्मुक्त नहीं की गयी। दिल्ली में 9.29 लाख रुपये की पूरी रकम, प्रदर्शनी आयोजित करने और इंटरकॉम खरीदने के लिये प्रयोग की गयी, जो कि परियोजना के क्षेत्र से बाहर था। गुजरात में, 182.21 लाख रुपये, प्लान कार्यक्रमों, खरीददारी ओर कार्यालय भवन निर्माण के लिये अपवर्तिक किये गये।

केन्द्रीय बोर्ड ने (अक्टूबर 2001) में कहा कि वे गैर सरकारी संगठन जिन्हें पहले दुधारू पशु के कर्ज का कड़वा अनुभव था, दूसरे दुधारू पशु के लिए आगे नहीं आये, परिणामस्वरूप, कोष राज्य बोर्ड के पास बिना उपयोग किए ही पड़ा रहा। राज्य बोर्ड के पास आवर्ती निधि में उपलब्ध राशि के अपर्याप्त उपयोगिता के कारणों को जानने के लिये बोर्ड ने कोई अध्ययन/सर्वेक्षण भी नहीं किया 31 मार्च 2002 को आवर्ती निधि में विशाल बकायों (1590.44 लाख रुपये) के बावजूद, राशि के समुचित उपयोग के विषय में कोई भी हिदायतें जारी नहीं की गयी और राशि राज्य सरकारों के पास रुकी पड़ी रहीं।

**राज्य बोर्ड से 11.46 करोड़ रु. के परिक्रामी निधि शेष तथा 4.00 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान की पुनः प्राप्ति नहीं की गई।**

इस मामले की ओर 1988 में पहले भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 9 में ध्यान दिलाया गया था, मंत्रालय ने (अप्रैल 1994) कार्यवाही टिप्पणी में कहा कि आवर्ती निधि, केन्द्रीय बोर्ड में रखने का प्रस्ताव, विचाराधीन था। तथापि, इस मामले में निर्णय मार्च 1999 में ही लिया जा सका। मंत्रालय ने, केन्द्रीय बोर्ड को योजना के तहत राज्य बोर्ड के पास उपलब्ध सारी खर्च न की जा सकी राशि, प्रथम बार सहायता को (4.55 करोड़ रु. अव्ययित शेष और आवर्ती निधि का 15.90 करोड़ बकाया) वापस लेने और इस राशि को राज्य बोर्ड के प्रस्तावों और राशि को उपयोग किये जाने की क्षमता के आधार, पर दुबारा बाँटने के, आदेश दिये। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जून 2002 में दी गयी सूचना के अनुसार, आवर्ती निधि और एस.ई.पी. के अव्ययित अनुदान में से राज्य बोर्ड से, क्रमशः 4.44 करोड़ रु. और 0.55 करोड़ रु. की राशि प्राप्त की जा चुकी थी। इस प्रकार मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी, एस.ई.पी. के अन्तर्गत, 11.46 करोड़ रु. की परिक्रामी निधि शेष और अव्ययित अनुदान 4.00 करोड़

रु. राज्य बोर्डों द्वारा जारी नहीं किये गये। केन्द्रीय बोर्ड ने (मई 2002) में कहा कि राज्य बोर्डों को अलग से स्मरण कराया जा रहा है।

#### **2.3.5.2.4 जागरूकता सृजन कार्यक्रम (जा.सृ.का.)**

शहरी और ग्रामीण महिलाओं में, परिवार और समाज में उनके स्तर और अधिकारों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने और सामाजिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान और अन्याय के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करने जैसे सामाजिक पहलूओं पर विचार करने के लिये, यह परियोजना 1986-87 में प्रारम्भ की गयी। 10,000 रु. की राशि, विभिन्न विषयों पर आठ दिनों की अवधि का जागरूकता सृजन शिविर आयोजित करने के लिये संस्थाओं को दी गयी जो 1996-97 में 5 दिनों के शिविर के लिये, या यथानुपात आवंटन 2000 रु. प्रति शिविर के हिसाब से संशोधित की गयीं।

**गै.स.स. जागरूकता  
सर्जन करने में विफल रहे**

1993-2000 के दौरान, दो राज्य बोर्डों, बिहार और हिमाचल प्रदेश की नमूना जाँच से, यह देखा गया कि गैर सरकारी संगठनों ने राशि (17.64 लाख रु.) प्राप्त करने के बावजूद भी शिविरों का आयोजन नहीं किया। राज्य बोर्ड नागार्लैंड ने 1997-99 में, 11 संस्थाओं को 2.00 लाख रु. दिये, किन्तु किसी भी शिविर के आयोजन के विषय में जानकारी नहीं थी।

आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के राज्य बोर्डों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि परियोजना में अनुबद्ध शिविरों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थीं।

1998-2000 में, दिल्ली में, 53 शिविरों का आयोजन किया गया लेकिन फील्ड स्टाफ ने केवल 22 शिविरों का दौरा किया।

1993-97 में, केन्द्रीय बोर्ड ने जा.सृ.का. के अन्तर्गत दोषित 2918 संस्थानों को दुबारा नियन्त्रण के लिये बहिष्कृत किया। इन संस्थानों को 363.40 लाख रु. की राशि बंटित थी, जिसके लेखे बकाया थे।

#### **2.3.5.2.5 संघनित पाठ्यक्रम और व्यवसायिक प्रशिक्षण (स.पा.और व्य.प्र.) नौरड**

संघनित पाठ्यक्रमों की परियोजना, 1958 में प्रारम्भ की गयी। बाद में, 1975 में, एक अन्य कार्यक्रम-व्यवसायिक प्रशिक्षण के जुड़ जाने से, कार्यक्रम का पुनः नामांकन स.पा.और व्य.प्र. हुआ।

परियोजना दोहरे उद्देश्य (i) बड़ी संख्या में योग्य और जरूरतमंद महिलाओं के लिये रोजगार के नये परिदृश्य खोलना, और (ii) कम से कम समय में, ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के लिये, सुयोग्य प्रशिक्षित महिलाओं का समूह बनाना, के उद्देश्य से शुरू की गयी।

1993-94 से 2001-02 की अवधि में, केन्द्रीय बोर्ड ने, इस परियोजना के अंतर्गत, 4502.30 लाख रु. का अनुदान मंजूर किया। 1997-98 में, एक बाहरी एजेंसी ने, (नौरविरियन एजेंसी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट - नोरड) परियोजना की व्यवसायिक प्रशिक्षण शाखा को वित्तीय सहायता प्रदान की। 1997-2002 के दौरान, बोर्ड ने नोरड से 27.33 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता (मंत्रालय द्वारा) प्राप्त की और 2768 संस्थानों को बैंटित कर दी।

योजना में महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय उत्पादक प्रशिक्षण एवं रोजगार तथा उत्पादन इकाईयाँ स्थापित करने के लिए सरकारी उपक्रमों/निगमों/विश्वविद्यालयों के महिला विकास केन्द्रों/स्वायत्त संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को सहायता पर विचार किया गया था। उन मामलों में, जहाँ प्रायोजक संगठन सीधे जिम्मेदारी हाथ में लेने तथा प्रशिक्षणार्थियों को इसके अपने कर्मचारियों के रूप में आत्मसात करने की स्थिति में नहीं थी, रोजगार के ढंग के रूप में महिला उत्पादकों की एक सहकारी संस्था के निर्माण पर जोर दिया जाना था।

लाभभोगी संगठन को प्रशिक्षित महिलाओं जो कि नौकरी में था तथा उनके भी जिहें कि अभी नौकरी प्राप्त करनी थी, के विवरण अनुरक्षित करने आवश्यक थे ताकि उनसे उपयुक्त रोजगार अवसर उत्पन्न होने पर सम्पर्क किया जा सके। संगठन से प्रशिक्षण के दौरान तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा प्रशिक्षणार्थियों की रोजगार स्थिति पर पाँच वर्षों तक छमाही रिपोर्ट प्राप्त की जानी थीं। निष्पादन का मूल्यांकन तथा इकाईयों का मार्गदर्शन करने के लिए भी केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर अनुश्रवण किया जाना था।

कई राज्य बोर्डों में लेखापरीक्षा परिणामों ने प्रकट किया कि यद्यपि प्रशिक्षण CC तथा VT के अन्तर्गत दिया जा रहा था, प्रतिक्षित कर्मचारियों के रोजगार के विवरण अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप CC तथा VT पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। नोरैड द्वारा सहायता का उद्देश्य भी प्रशिक्षण एवं आय उत्पादक इकाईयाँ स्थापित करके रोजगार उपलब्ध कराने का था। तथापि, नोरैड सहायता ने भी खुद को केवल प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराने तक ही सीमित रखा। रोजगार अभिविन्यास की

योजना के उद्देश्य विफल हो गए।

कमी ने योजना के वास्तविक उद्देश्य को विफल कर दिया। कुछ राज्य बोर्डों से सम्बन्धित कुछ रूचिकर उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

- नमूना जांच के दौरान असम, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, नागालैण्ड तथा उत्तर प्रदेश सात राज्य बोर्डों में यह पाया गया कि 1995-2002 के दौरान 26 गै.स.सं. से 10.49 लाख रु. की राशि वसूली हेतु लम्बित थी चूंकि उन्होंने न तो पाठ्यक्रम आरम्भ किए और न ही अनुदान को वापिस किया। केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2001) सम्बन्धित राज्य बोर्डों से वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ करने का अनुरोध किया जा रहा था।
- मंत्रालय द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय में शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष है। तथापि, मध्यप्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय बोर्ड ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अनुदान जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप 51.61 लाख रु. की सीमा तक अधिक अनुदान जारी किए गए। यद्यपि केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (नवम्बर 1993) कि तीन वर्षीय अनावासिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के पश्चात ही जारी किए गए थे, सक्षम प्राधिकारी (केन्द्रीय बोर्ड/भारत सरकार की कार्यकारी समिति) का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
- हिमाचल प्रदेश में, चार संस्थानों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 1995 और फरवरी 1999 के बीच सफल घोषित किए गए 115 अभ्यर्थियों में से, केवल दो महिलाओं की नियुक्ति की गई थी, मध्य प्रदेश में 1995-2002 के दौरान प्रशिक्षित 6595 अभ्यर्थियों में से किसी को भी अगस्त 2002 तक रोजगार नहीं मिला।
- किसी संस्थान को अनुवर्ती अनुदान इस शर्त पर जारी करना था पिछली खेप में विद्यार्थियों की सफलता 50 प्रतिशत से कम न हो। तथापि, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडू में यह शर्त पूर्ण नहीं की गई थी तथा 42 ऐसे संस्थानों को 1993-2002 के दौरान 32.91 लाख रु. की राशि जारी की गई जो कि आवश्यक सफलता दर दर्ज नहीं करा सके थे। पश्चिम बंगाल में, कोई भी अभ्यर्थी 19 गै.स.सं. द्वारा चलाए जा रहे माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम में सफल नहीं हो सका, जिसे 25.32 लाख रु. के अनुदान दिए गए थे तथा 16

अन्य गे.स..सं. के मामले में, (22.54 लाख रु. अनुदान) केवल चार प्रतिशत अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की।

- ग्रामीण विकास शिक्षा समिति, होड़ल (हरियाणा), ने वर्ष 1996-98 के दौरान दो-वर्षीय प्राथमिक रस्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 0.95 लाख रु. का अनुदान प्राप्त किया था। तथापि, 18-30 वर्ष योग्य आयु वर्ग के प्रति, नामांकित अभ्यर्थी 10 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के थे। यह इंगित किए जाने पर, बोर्ड ने बताया (जून 2002) कि संस्थान को अनुदान की वापसी हेतु पुनः स्मरण कराया जा रहा था।
- उत्तर प्रदेश में, एक विशेषज्ञ समिति ने पाया कि ज्यादातर संगठन, जिनकी संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए सिफारिश की गई थी, व्यापारिक विद्यालय थे तथा उनकी कोई सामजिक अवस्थिति नहीं थी।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आन्ध्रप्रदेश द्वारा बालिकाओं तथा व्यस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से प्रकट हुआ कि निरीक्षण किए गए 76 केन्द्रों में से 65 केन्द्रों (86 प्रतिशत) का प्रदर्शन, अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण/अप्रस्तुतिकरण, निधियों के अनुचित उपयोग, गै.स.सं. का लाभ कमाने वाले संस्थानों के रूप में चलाया जाना, 80 प्रतिशत केन्द्रों में शिक्षण/अध्ययन सामग्री की अनुपलब्धता, पाठ्यक्रमों का स्थानीय समाज की आवश्यकताओं के आधार पर न होना, अप्रशिक्षित स्टाफ आदि जैसे कारणों की वजह से, असंतोषजनक पाया गया।
- दिल्ली में, क्षेत्रीय अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, एक इकाई में 23 पंजीकृत लाभभोगियों/प्रशिक्षणार्थियों के प्रति केवल 10 उपस्थित थे तथा दूसरी इकाई में पंजीकृत 25 अभ्यर्थियों में से केवल 13 उपस्थित पाए गए। योजना के अंतर्गत केवल 64 प्रतिशत सहायता प्राप्त इकाईयों का क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया था।
- उड़ीसा में, अनुदान की पहली किस्त जारी करने में एक से 11 माह का विलम्ब हुआ था। दस संस्थानों के मामले में, पहली किस्त पाठ्यक्रम अवधि समाप्त होने पर भी जारी नहीं की गई थी। 16 मामलों में, पहली किस्त की राशि 50 प्रतिशत सीमा से बहुत आगे बढ़ गई थी। 51 संस्थानों को दूसरी और तीसरी

किस्त प्राप्त नहीं हुई थी जबकि उन्होंने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त कर लिया था।

प्रशिक्षित महिलाओं  
की नियोजन स्थिति  
अनुरक्षित नहीं थी।

- योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित महिलाओं की कमी को पूरा करने में कहाँ तक अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया इसका मूल्यांकन करने के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी का रिकार्ड राज्य बोर्ड द्वारा सूचक कार्ड में अनुरक्षित किया जाना चाहिए था। तथापि, यह पाया गया कि इस प्रकार का रिकार्ड न तो केन्द्रीय बोर्ड में और न ही अण्डमान एवं निकोबार द्वीप, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक केरल, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में राज्य/सं.राक्षे. बोर्ड में अनुरक्षित किया गया। परिणामतः प्रशिक्षित एवं नियोजित महिलाओं की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, वीटी. नोर्ड योजना जो शहरी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जरूरतमंद महिलाओं को, प्रशिक्षण द्वारा रोजगार पर विशेष बल देने के साथ, प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लाभकर रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी थी।

केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (अक्तूबर 2001) कि संबंधित राज्य बोर्डों से स्पष्टीकरण मांगा गया था क्योंकि अनुश्रवण उन्हें सौंपा गया था और निधियां समय पर जारी की गई को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य बोर्डों को अनुदेश जारी किए गए थे।

### 2.3.5.3 सहायता सेवा प्रदान करना

#### 2.3.5.3.1 शिशुगृह

बोर्ड शिशुगृह योजना के अंतर्गत काम करने वाली और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए सहायता सेवाएं भी उपलब्ध करावाता था।

केन्द्रीय बोर्ड ने प्रवासी, दैनिक मजदूर, कृषि मजदूर, निर्माण कार्य करने वाली और निम्न आय वर्ग की भी बीमार महिलाओं के, 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं उपलब्ध करने के लिए 1977-78 में शिशुगृह योजना आरंभ की थी। योजना स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी।

शिशुगृह इकाइयों में  
अनधिकृत कटौती

1993-94 से 2001-2002 के दौरान बोर्ड ने शिशुगृह योजना के लिए 138.73 करोड़ रु. की अनुदान जारी किए थे। 1993-94 में, मंत्रालय ने बोर्ड द्वारा संस्वीकृत किए जाने वाले शिशुगृह की संख्या 9738 तक निर्धारित कर दी थी (5315 केन्द्रित एवं 4423 विकेन्द्रित)। तथापि, मार्च 2002 तक 9442 शिशुगृह इकाइयों कार्य कर रही थी। अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया था तथा शेष 10 प्रतिशत का अनुदानग्राही संस्थान द्वारा अंशदान दिया जाना था। यह पाए जाने पर कि बहुत से गै.स.सं. अपना अंशदान नहीं दे रहे थे, मंत्रालय ने (जून 1999) केन्द्रीय बोर्ड को इस शर्त के अनुपालन करने के लिए गै.स.सं. पर दबाव डालने के निर्देश दिए थे। तथापि, केन्द्रीय बोर्ड ने इस निर्देश की उपेक्षा करते हुए, अनुदानग्राही संस्थानों को उसके द्वारा गए 90 प्रतिशत अंश में से 10 प्रातिशत अंश की कटौती कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप निधियों की कमी हुई जिसके कारण जरुरतमंद बच्चे उस सीमा तक लाभ से वंचित रहे। जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तीन राज्यों, जो संस्थान विकेन्द्रित केंद्र चला रहे थे, ने अपने भाग का अंशदान नहीं दिया था। इसके अलावा, सभी उपभोज्य स्टोरों की वापसी के लिए प्रत्येक गै.स.सं. को पांच वर्षों के अंतराल पर 2000 रु. प्रति शिशुगृह अनावर्ती अनुदान दिया जाना था। विकेन्द्रित शिशुगृहों इकाइयों के मामले में, केन्द्रीय बोर्ड ने 2000-01 तक कोई अनुदान जारी नहीं किए थे जबकि वह 6154 इकाइयों को देय था तथा सात राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में 2001-02 के दौरान 12 प्रतिशत इकाइयों के लिए ही अनुदान जारी किए गए थे। छ: राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा) के 106 शिशुगृह केन्द्रों में 1423 अपात्र बच्चों को प्रवेश दिया गया था।

**गुजरात:** 1996-2000 के दौरान सात इकाइयों को ऐसे स्थान पर जहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र भी विद्यमान थे, चलाने पर 25.09 लाख रु. का व्यय किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग (म.बा.वि.वि.) द्वारा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर पुनरीक्षण बैठक में अगस्त 1998 में सूचित किये गए इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के विपरीत बोर्ड ने पांच वर्षों से अधिक तक उसी क्षेत्र में उसी योजना के अन्तर्गत कार्य के लिए 19 गै.स.सं. को 1999-2000 के दौरान 37.23 लाख रु. का अनुदान जारी किया। बन्द किये गए छ: शिशुसदन केन्द्रों के सम्बन्ध में राजस्थान महिला परिषद द्वारा पेशकश की गई परिसम्पत्तियों (मार्च 98) की पुनः प्राप्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

शिशुसदन  
कार्यकर्ताओं के  
प्रशिक्षण की व्यवस्था  
नहीं की गई थी।

आवधिक स्वास्थ्य  
जांच सुनिश्चित नहीं  
की गई।

9.51 करोड़ रु. का  
अनुदान मुख्यतः स्थापना  
व्यय के लिए किया गया  
था।

शिशुसदन इकाइयों को चलाने के लिए शिशुसदन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया कि 1993-2002 की अवधि के दौरान शिशुसदन इकाइयों के कार्यकर्ताओं के लिए किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसे मंत्रालय से इस शीर्ष के अन्तर्गत निधियों की अप्राप्ति पर आरोपित किया गया था।

अनुपूरक पौष्ण के लिए 40 प्रतिशत के आवंटन के बावजूद शिशुसदन बच्चों को आपूर्ती की जाने वाली खाद्य मदों में केन्द्रीय बोर्ड ने प्रोटीन का कोई उष्मीय मूल्य अथवा राशि निर्धारित नहीं की। बच्चों को विभिन्न संक्रमणों से बचाने के लिए शिशुसदनों में आवधिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। केन्द्रीय बोर्ड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों द्वारा शिशुसदनों की आवधिक स्वास्थ्य जांच हेतु दौरे करने के लिए राज्य सरकारें को निर्देश जारी करने हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया (जून 1995)। तथापि, केन्द्रीय बोर्ड तथा मंत्रालय द्वारा आगे इसका अनुसरण नहीं किया गया।

### 2.3.5.3.2 प्रदर्शन परियोजनाएं (बालवाड़ियां)

प्रदर्शन परियोजनाओं में बालवाड़ियों का कार्यक्रम 1964 में भारत सरकार द्वारा कुछ चुने हुये सामुदायिक विकास खण्डों में प्रायोजित किया गया था तथा प्रत्येक राज्य में गठित विशेष बालवाड़ी समिति को सौंपा गया था। इन बालवाड़ियों ने बच्चों को मनोरंजन, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करवाई। सारा व्यय केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वहन किया गया तथा कार्यक्रम का आयोजन राज्य बोर्डों के पर्यवेक्षण में हुआ। अधिकांश प्रदर्शन परिवार तथा बाल विकास कार्यक्रम में परिवर्तित हो गये तथा शेष राज्य बोर्ड को दिये जाने के लिए प्रस्तावित किये गए अथवा पांचवीं पंच वर्षीय योजना (1977-82) के दौरान ए.वा.वि.यो. कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किये गए। यारह राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली में 249 केन्द्रों से बनी शेष 11 परियोजनाओं को 1993-94 से 2001-02 के दौरान 950.90 लाख रु. का अनुदान जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त अगस्त 1998 में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, ये परियोजनाएं तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जानी थीं क्योंकि योजना की पहुंच बहुत सीमित थी तथा इसी प्रकार की योजनाएं भी अन्य विभागों द्वारा राज्य/केन्द्रीय क्षेत्रों में चलाई जा रही। भारत सरकार के निर्णय के बावजूद यह योजना जारी थी। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बोर्ड ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2002), कि इन बालवाड़ियों को निधियां मुख्यतः स्थापना तथा कर्मचारियों के वेतन के लिए दी जा रही थीं। तथापि फरवरी 1999 में कार्यकारी समिति की बैठक में उल्लेख किया गया था कि

जहां पर राज्यों ने इन परियोजनाओं को अपनाया नहीं था, वर्तमान प्रणाली प्रत्येक परियोजना/केन्द्र के अंतिम कर्मचारी की सेवानिवृति तक चालू रहेगी इस का अर्थ है कि केन्द्रीय बोर्ड को इन वालवाड़ियों की स्थापना व्यय के भार को काफी समय तक सहन करना पड़ेगा।

#### 2.3.5.4 राज्य बोर्डों की कार्यप्रणाली

##### 2.3.5.4.1 राज्य बोर्डों द्वारा निधियों का विपथन

राज्य बोर्डों द्वारा भारी मात्रा में विपथन

17 राज्य/सं.शा. बोर्डों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि उनके द्वारा प्राप्त किये गए 295.15 करोड़ रु. के अनुदान में से 13.70 करोड़ रु. का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जैसा कि नीच की तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

राज्य/सं.शा. बोर्ड का नाम	1993-2002 के दौरान अनुदान	वेतन/स्थापना लागत पर व्यय को पूरा करने हेतु विपथित निधियां	अन्तर विपथन	कार्यक्रम	राशि विपथित
अप्डमान एवं निकोबार	3.63	0.22	0.19		0.41
आन्ध्र प्रदेश	19.19	0.20	0.07		0.27
असम	10.15	0.40	--		0.40
बिहार	48.15	0.80	0.16		0.96
चण्डीगढ़	1.05	0.05	0.04		0.09
गुजरात	40.87	1.82	0.10		1.92
हिमाचल प्रदेश	7.82	0.17	--		0.17
जम्मू व कश्मीर	10.84	0.35	0.95		1.30
केरल	10.66	0.63	0.14		0.77
लक्षद्वीप	1.68	0.05	--		0.05
मध्यप्रदेश	23.12	0.47	2.60		3.07
महाराष्ट्र	37.93	0.22	0.51		0.73
मणिपुर	5.95	0.24	--		0.24
राजस्थान	13.13	0.42	0.47		0.89
त्रिपुरा	10.95	0.22	1.20		1.42
उत्तर प्रदेश	26.88	0.41	0.29		0.70
पश्चिम बंगाल	23.15	0.03	0.28		0.31
जोड़	295.15	6.70	7.00		13.70

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश (3.07 करोड़ रु.) गुजरात (19.2 करोड़ रु.), त्रिपुरा (1.42 करोड़ रु.) तथा राजस्थान (0.89 करोड़ रु.) के राज्य बोर्डों द्वारा भारी विपथन किये गये थे।

केन्द्रीय बोर्ड ने बताया (नवम्बर 2001) कि राज्य बोर्ड राज्य सरकार/केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निधियों के निर्गम में विलम्ब के मामले में विपथन करने के लिए बाध्य थे तथा विपथित निधियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्य बोर्डों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

#### 2.3.5.4.2 गै.स.सं. द्वारा निधियों का दुरुपयोग

**गै.स.सं. द्वारा 80.48**  
लाख रु. का दुरुपयोग/  
दुर्विनियोजन

लेखापरीक्षा में नमूना जांच में यह पता चला कि दस राज्यों में 60 गै.स.सं. ने कुल 80.48 लाख रु. निधियों का दुरुपयोग/दुर्विनियोजन किया, जिसमें से 13.08 लाख रु. दो राज्य बोर्डों द्वारा वसूल किये जा चुके हैं तथा 67.40 लाख रु. की शेष राशि वसूली हेतु बकाया थी राज्य बोर्ड वार विवरण निम्न प्रकार है:

(लाख रु. में)

राज्य बोर्ड का नाम	गै.स.सं. की संख्या	दुरुपयोग/दुर्विनियोग की गई राशि	वसूली राशि	गई राशि	शेष
हरियाणा	9	5.30	--	--	5.30
जम्मू व कश्मीर	3	3.89	--	--	3.89
कर्नाटक	1	2.48	--	--	2.48
केरल	9	12.16	1.92	10.24	
महाराष्ट्र	2	5.51	--	--	5.51
मणिपुर	3	1.12	--	--	1.12
उड़ीसा	13	14.89	--	--	14.89
राजस्थान	17	23.65	11.16	12.49	
उत्तर प्रदेश	1	8.19	--	--	8.19
पश्चिम बंगाल	2	3.29	--	--	3.29
जोड़	60	80.48	13.08	67.40	

केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के बिना 1988 से 1998 के दौरान गुजरात में 31.67 लाख रु. कार्यालय भवन की खरीद तथा निर्माण के लिए विपथित किये गये थे तथा हरियाणा में राज्य बोर्ड ने 9.24 लाख रु. गैर्स्ट हाउस के किराये पर खर्च किये।

#### 2.3.5.5 गै.स.सं. की कार्यप्रणाली

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यप्रणाली में गै.स.सं. महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इसकी सारी गतिविधियां तथा कार्यक्रम इनके माध्यम से किये जाते हैं। इन गतिविधियों के लिए निधियां केन्द्रीयकृत तथा अंशता केन्द्रीयकृत/विकेन्द्रीयकृत योजनाओं के लिए गै.स.सं., क्रमशः केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों से प्राप्त करते हैं।

कुछ गै.स.सं. कार्यालयों तथा राज्य बोर्डों का दौरा करके अभिलेखों की नमूना जांच करने पर अवहेलना तथा कुप्रबन्ध के बहुत से मामलों का पता चला:

- गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्यों में पांच गै.स.सं. जो 1997-98 से पहले बन्द हो गए थे। रद्द कर दिये गये थे, से 1.58 लाख रु. की राशि वसूल नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त 1985 तथा 2000 के बीच कर्नाटक, गुजरात तथा महाराष्ट्र के 15 गै.स.सं. को 30.34 लाख रु. की राशि जारी की गई थी। तथापि, इनमें से किसी गै.स.सं. ने कार्य करना शुरू नहीं किया था।
- 1998-2001 के बीच बोर्ड के स्टाफ ने फील्ड पर निरीक्षण करने के दौरान महाराष्ट्र में पांच गैर-सरकारी संगठनों के कार्य को सन्तोषजनक नहीं पाया था। बोर्ड द्वारा उन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई थीं अपितु उन गै.स.सं. को 5.33 लाख रु. की राशि जारी की। उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के दस गै.स.सं. ने इच्छुक लाभभोगियों को या तो छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की या भुगतान संदेहास्पद था। पाठ्यक्रम को चलाने के लिए 1998-99 के दौरान गुजरात में न तो प्रशिक्षण, ना ही परीक्षा, इन गै.स.सं. द्वारा आयोजित की गई थी।
- 1994-95 से 1995-96 तक अरुणाचल प्रदेश में छ: गै.स.सं. को 2.46 लाख रु. जारी की गई राशि का इन संगठनों द्वारा अपयोजन किया गया था। बोर्ड ने काली सूची उल्लेखित के अतिरिक्त उन गै.स.सं. के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की। जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडू में छ: गै.स.सं. ने अनुदानों, जिस उद्देश्य के लिए उन्हें स्वीकृत की गई थी, के अतिरिक्त दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग किया था।
- एक गै.स.सं. असम में (अनुदान 1.44 लाख रु.) छ: गै.स.सं. जम्मू व कश्मीर में और एक गै.स.सं. उत्तर प्रदेश में (अनुदान 1.02 लाख रु.) लेखापरीक्षा दल द्वारा व्यैक्तिक निरीक्षण करने पर उनका पता नहीं लगाया जा सका। अतः उनका अस्तित्व संदेहास्पद था।
- अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के नौ गैर सरकारी संगठनों को अनियमित रूप से 8.31 लाख रु. की अनुदान राशि जारी की गई थी। इनमें से,

फील्ड अधिकारियों की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद गै.स.सं. को अनुदान जारी किए गए थे।

आठ गैर सरकारी संगठनों को फील्ड निरीक्षण के दौरान प्रतिकूल उपलब्धियों के बावजूद, अनुदान जारी किये गये थे।

- ० बिहार में सात गै.स.सं., पंजाब में 20 तथा जम्मू व कश्मीर में 10 जे, अपेक्षित रिकार्ड/लेखा को अनुरक्षण/प्रस्तुत नहीं किये।

### **2.3.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन**

अनुदान का उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हुये, बोर्ड के लिए अलग से उनके कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने का अधिक महत्वपूर्ण अर्थ है। योजनाओं के सम्बन्ध में संस्थाओं की तकनीकी योग्यता तथा उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता का भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया गया था।

**बोर्ड द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की अवहेलना की गई।**

केन्द्रीय स्तर पर, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी (अ.मू.सां.) प्रभाग बोर्ड में, बोर्ड के कार्यक्रमों अनुसंधान, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी है। वह राज्यबोर्ड से निष्पादन की मासिक के साथ-साथ तिमाही रिपोर्ट भी प्राप्त करता तथा इन रिपोर्ट को समेकित करता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने संस्थागत सुदृढ़ीकरण अध्ययन पर अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1998 में बोर्ड के लिए इंगित किया था कि अ.मू.सां. प्रभाग मुख्यतः सूचना प्रबन्धन और समन्वय कार्य में सम्मिलित था और अनुसंधान कार्य में कम था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था संकलन कार्य के अलावा, अ.मू.सां. प्रभाग द्वारा बोर्ड के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के कोई प्रयास नहीं किए गए। अ.मू.सां. के अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यक्रम के प्रभारी प्रभाग भी राज्य बोर्डों में नियुक्त कल्याण अधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि सा.आ.का. कार्यक्रम के अंतर्गत, कोई अनुश्रवण नहीं किया गया था।

राज्य स्तर पर, अनुश्रवण एवं निरीक्षण का कार्य सम्मिलित क्षेत्रीय अधिकारियों तथा राज्यबोर्डों पर नियुक्त केन्द्रीय बोर्ड के कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जाता था। विभिन्न राज्यों के लिए, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त परियोजना अधिकारियों को, केन्द्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड क्षेत्रीय टिप्पणियों के आधार पर चालू एवं भविष्य कार्यक्रम की प्रतिपुष्टि और विश्लेषणात्मक तिमाही रिपोर्ट भेजा जाना अनिवार्य था। यह देखा गया कि कथित रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और अण्डामान एवं निकोबार राज्य बोर्डों से नहीं भेजी गई थी।

प्रत्येक संस्थान का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। तथापि, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार तथा लक्ष्मीप में निरीक्षण, किसी निर्धारित आवधिकता से नियंत्रित नहीं थे। निरीक्षण अनियमित आधार पर तथा लम्बे अंतरालों के पश्चात किए गए थे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, नागालैण्ड तथा महाराष्ट्र में, निरीक्षणों में कसी क्रमशः 18 तथा 87 प्रतिशत, 15 तथा 81 प्रतिशत, 20 तथा 69 प्रतिशत, 28 प्रतिशत एवं 10 तथा 31 प्रतिशत के बीच रही। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड द्वारा विकासात्मक कार्य निष्पादित नहीं किए गए।

स्वैच्छिक एजेंसियों सहित विभिन्न सूचकों के डाटाबेस हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा अंडमान एवं निकोबार राज्य बोर्ड में अनुरक्षित नहीं किए गए थे। असम, केरल तथा मिजोरम राज्य बोर्ड में, किसी कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पूर्व लाभभोगियों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए थे।

असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडू, अंडमान और निकोबार, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी राज्य बोर्ड द्वारा, लो.ले.स. की सिफरिशों कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनका समाज पर प्रभाव के मूल्यांकन का सही तरीका विकासित किया जाना चाहिए, के बावजूद भी, कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन नहीं करवाया गया।

आन्ध्र प्रदेश में 1999 में, केवल स.पा. और व्य.प्र. कार्यक्रमों के अनुपालन का मूल्यांकन किया गया। अतः यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों में, अनुश्रवण और मूल्यांकन सबसे उपेक्षित अंग थे।


मामला मंत्रालय को नवम्बर 2002 में भेजा गया; जिसका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

## अनुबंध -I


(पैराग्राफ 2.3.5.1.2 देखें)  
राज्य बोर्डों के पास अनुदान की बचत/आधिक्य दर्शाती विवरणी

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य बोर्ड का नाम	अथ शेष 1.4.1993 को	प्राप्त अनुदान		1993-2002 के दौरान व्यय	अन्य शेष	
			1993-2002 के दौरान	योग		बचत (+)	आधिक्य (-)
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	5.28	363.02	368.30	349.04	19.26	
2.	आंध्र प्रदेश	63.80	1918.56	1982.36	1941.68	40.68	
3.	अरुणाचल प्रदेश	7.90	852.25	860.15	841.81	18.34	
4.	असम	10.00	1014.65	1024.65	1049.93		25.28
5.	बिहार	232.75	4815.12	5047.87	2019.10	3028.77	
6.	चण्डीगढ़	7.89	104.96	112.85	103.91	8.94	
7.	दिल्ली	- 0.84	679.46	678.62	674.94	3.68	
8.	गोवा	1.81	148.59	150.40	146.38	4.02	
9.	गुजरात	12.81	4087.16	4099.97	4099.35	0.62	
10.	हरियाणा	33.55	588.51	622.06	596.89	25.17	
11.	हिमाचल प्रदेश	15.06	782.31	797.37	796.26	1.11	
12.	जम्मू तथा कश्मीर	34.05	1084.07	1118.12	1095.78	22.34	
13.	कर्नाटक	56.34	1653.69	1710.03	1657.79	52.24	
14.	केरल	104.89	1066.44	1171.33	1162.34	8.99	
15.	लक्ष्मीप	5.07	168.08	173.15	166.02	7.13	
16.	मध्य प्रदेश	120.08	2311.78	2431.86	2376.44	55.42	
17.	महाराष्ट्र	51.07	3792.96	3844.03	3913.43		69.40
18.	मणिपुर	14.02	594.66	608.68	601.49	7.19	
19.	मेघालय	3.05	489.42	492.47	498.53		6.06
20.	मिजोरम	16.94	585.19	602.13	591.40	10.73	
21.	नागालैण्ड	3.34	739.65	742.99	725.55	17.44	
22.	उड़ीसा	42.48	1545.70	1588.18	1552.03	36.15	
23.	पांडिचेरी	3.09	237.76	240.85	246.35		5.50
24.	ਪंजाब	98.98	1448.30	1547.28	1515.88	31.40	
25.	राजस्थान	67.52	1313.08	1380.60	1405.91		25.31
26.	सिक्किम	2.34	454.71	457.05	448.79	8.26	
27.	तमिलनाडु	37.30	1559.16	1596.46	1559.20	37.26	
28.	त्रिपुरा	13.80	1095.44	1109.24	1096.08	13.16	
29.	उत्तर प्रदेश	19.88	2687.70	2707.58	2631.77	75.81	
30.	पश्चिम बंगाल	36.78	2314.88	2351.66	2366.32	--	14.66
	जोड़	1121.03	40497.26	41618.29	38230.39	3534.09	146.21



**भाग ख - लेन देन लेखापरीक्षा पैराग्राफ**



### अध्याय III : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

**स्वास्थ्य विभाग**

**चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता**

#### **3. अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान**

मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान द्वारा अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते के अपात्र अलिपिक-वर्गीय स्टाफ के लिए विस्तार के परिणामस्वरूप औसतन 25.73 लाख रु. के अनियमित भुगतान किये गये थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1988 में, अलिपिक-वर्गीय ‘ग’ तथा ‘घ’ श्रेणी के अस्पताल कर्मचारियों के लिए, दिसम्बर 1987 से प्रभावी, अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की थी। भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए था जो प्रत्यक्ष तौर पर रोगी देखभाल सेवाओं में व्यस्त थे तथा अनुसंधान संगठनों में कार्यरत कर्मचारी भत्ते के पात्र नहीं थे। मंत्रालय के आदेश के उल्लंघन में संस्थान ने, भत्ते को पूर्वप्रभावी तौर पर दिसम्बर 1987 से इसके अनुसंधान खंड में कार्यरत अलिपिक-वर्गीय कर्मचारियों को भी दे दिया था। मंत्रालय के जुलाई 1992 में यह स्पष्ट करने, कि भत्ता संस्थान के अनुसंधान खंड के कर्मचारियों को ग्राह्य नहीं था, के बावजूद किया गया था।

जनवरी 1999 में, मंत्रालय ने भत्ते की दरों में 29 दिसम्बर 1998 से प्रभावी संशोधन किया। लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 1998 से आगे की अवधि से सम्बन्धित वेतन बिलों की संवीक्षा से पता चला कि संस्थान ने इसके अनुसंधान खंड में कार्यरत कर्मचारियों को 29 दिसम्बर 1998 से भत्ते का भुगतान किया था।

मार्च 2002 तक इस मद पर किया गया अनियमित भुगतान कुल 25.73 लाख रु. बनता था।

मंत्रालय ने अपने जवाब में नवम्बर 2002 में बताया कि संस्थान की आवश्यकतानुसार ‘ग’ तथा ‘घ’ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रायः अनुसंधान से अस्पताल तथा अस्पताल से अनुसंधान की ओर होता रहता है अतः संस्थान के सारे स्टाफ को भत्ते का भुगतान कर दिया गया था।

उत्तर, लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बारम्बार मांगने पर भी संस्थान अनुसंधान विंग में तैनात कर्मचारियों के अस्पताल में तथा अस्पताल से अनुसंधान विंग में तैनाती के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तथा अनियमित भुगतान का आंकलन दिसम्बर 1998 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान निरन्तर अनुसंधान विंग में तैनात कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही किया गया है।

## अध्याय IV : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### **माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग**

#### **जामिया मिलिया इस्लामिया**

##### **4.1 गैर-हकदार लाभ प्रदान करना।**

जामिया मिलिया इस्लामिया की कार्यपरिषद् ने अनियमित निर्धारण तथा बकायों के गलत परिकलन के माध्यम से इसके कर्मचारियों को गैर-हकदार लाभ प्रदान किए जिसके परिणामस्वरूप 70,17 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

जामिया मिलिया इस्लामिया (जा.मि.इ.) की कार्य परिषद (का.प.) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक-मुश्त प्रौन्नति (ए.प्रौ.) योजना के अन्तर्गत पात्र कर्मचारियों को उच्च वेतनमानों का लाभ प्रदान करने के लिए 8 जनवरी 1997 को निम्न श्रेणी लिपिकों/टंककों, अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों (वर्ग 'घ') तथा तकनीकी कर्मचारियों/प्रशिक्षकों के वेतनमानों को तुरन्त प्रभाव से बढ़ा दिया तथा उन्हें क्रमशः 1200-2040 रु., 1400-2300 रु. तथा 1640-2900 रु. के उच्चतर पूर्व-संशोधित वेतनमानों में नियुक्त कर दिया।

30 सितम्बर 1997 को, का.प. ने इसके पहले के प्रस्ताव में परिवर्तन करके 8 जनवरी 1997 से पहले की अवधि के लिए बकायों के भुगतान के बगैर पूर्वव्यापी प्रभाव से, 1 जनवरी 1986 से अथवा उनकी नियुक्ति की तिथि अथवा उनकी पदान्नति की तिथि कर्मचारियों की इन श्रेणियों को जो भी बाद में हो, वेतन के निर्धारण का लाभ अनुमत किया।

दोनों कार्यवाहियाँ अर्थात् ए.प्रौ. के अन्तर्गत वेतन को बढ़ाना तथा पूर्वव्यापी प्रभाव से इसे लागू करना, अप्राधिकृत थे। वेतन की बढ़ोतरी ने मार्च 1996 में वि.अ.आ. द्वारा जा.मि.इ. को जारी विशिष्ट अनुदेशों का उल्लंघन किया जिसमें उसने ए.प्रौ. योजना को तब तक लागू न करने को कहा था जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा वृत्ति उन्नति की एक समयबद्ध संकल्पना प्रस्तुत नहीं की जाती। प्रत्यक्षतः धारणा, केन्द्र सरकार में रोजगार संभावनाओं की विस्तृत रूपरेखा से विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वृत्ति प्रस्तावों को जोड़ने की रही थी। इसके अतिरिक्त, जब तक कि, विद्यमान वेतन संरचना में

परिवर्तन हेतु कुलाध्यक्ष (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा इस प्रभाव का अध्यादेश जारी नहीं होता, जा.मि.इ. की का.प. इसके कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं थी।

जा.मि.इ. ने इसकी 8 जनवरी 1997 की कार्यवाही, जो कि अप्राधिकृत थी, के लिए फरवरी 1998 में कुलाध्यक्ष से स्वीकृति मांगी। कुलाध्यक्ष ने अगस्त 1999 में इस चूक को माफ कर दिया। तथापि, जा.मि.इ. इस बात को कुलाध्यक्ष के ध्यान में लाने में विफल रहा कि जा.मि.इ. की का.प. ने इसके आगे भी पूर्वव्यापी प्रभाव से निर्धारण लाभ प्रदान करने की अनियमितता की थी।

इस प्रकार अप्राधिकृत रूप से वेतन बढ़ाने की कार्यवाही पर कुलाध्यक्ष द्वारा माफी, बढ़ाए गए वेतनमानों के अनुप्रयोग को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की अन्य अप्राधिकृत कार्यवाही को नियमित करने में विफल रही।

इस अनियमितता का वित्तीय प्रभाव प्रकट हुआ जब केन्द्र सरकार ने 1.1.96 से पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया तथा वि.अ.आ. ने इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किया। जा.मि.इ. के कर्मचारी पहले से ही इस निर्णयक तिथि पर उच्चतर पूर्व-संशोधित वेतनमान के गैर-हकदार बढ़े हुए वेतन सहित प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें का.प., जा.मि.इ. के सितम्बर 1997 के निर्णय के कारण उनको अभिप्रायात्मक रूप से प्रोद्भूत निधारण लाभ शामिल थे। जा.मि.इ. ने, पाँचवें वेतन आयोग अधिनिर्णय के अन्तर्गत पूर्वव्यापी अधिकार के लाभ का फायदा उठाते हुए कतिपय वेतन के आधार पर देय बकायों का परिकलन किया, जो कि पूर्वव्यापी प्रभाव से अप्राधिकृत रूप से 1.1.86 से लागू करने पर आधारित थी। इसके परिणामस्वरूप, फरवरी 2002 तक 182 कर्मचारियों को 47.32 लाख रु. के अप्राधिकृत उच्चतर वेतन लाभ के साथ-साथ जा.मि.इ. के वर्ग "गौ तथा "घौ के 232 कर्मचारियों को 1.1.96 से 7.1.97 के लिए 22.85 लाख रु. बकायों का भुगतान, तथा निर्णयक तिथि (1.1.96) पर कल्पित वेतन में स्फीति हुई। इस प्रकार, कुल मिलाकर, 70.17 लाख रु. (22.85 लाख रु. + 47.32 लाख रु.) की अधिक अदायगी हुई, जो कि प्रति माह 0.86 लाख रु. की दर पर आगे संचित होती जा रही है तथा जब तक कि उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती, इसके यूं ही जारी रहने की सम्भावना है।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2002) कि पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन निर्धारण अनुमत करने वाले का.प. के 30 सितम्बर 1997 का प्रस्ताव संख्या 11 चूक को अगस्त 1999 में एकमुश्त विपथन के रूप में माफ करने से पूर्व (अर्थात् 8 जनवरी 1997 का प्रस्ताव संख्या 6) ही कुलाध्यक्ष के ध्यान में लाया गया था। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पुष्टि की (जून 2002) कि सिर्फ 8 जनवरी 1997 के प्रस्ताव सं.6 को ही माफ किया गया था। स्पष्टतया, जा.मि.इ. कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने के सीमित उद्देश्य से ही अनियमितताओं को जारी रखना स्वीकृत किया गया, जबकि ऐसे कोई लाभ देय नहीं थे।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### **वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान**

##### **4.2 अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान**

सरकारी आदेशों के उल्लंघन में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान द्वारा अस्पताल रोगी देखभाल भत्ते के अपात्र 'ग' और 'घ' श्रेणी के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 16.25 लाख रु. का अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

भारत सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) ने 'ग' और 'घ' श्रेणी के (अलिपिक-वर्गीय) कर्मचारियों को 1 दिसम्बर 1987 से क्रमशः 80 रु. और 75 रु. प्रति माह के हिसाब से अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (अ.रो.दे.भ.) दिये जाने की मंजूरी दी (जनवरी 1988)। यह दरें 1 फरवरी 1997 से 160 रु. और 150 रु. प्रतिमाह और बाद में 29 दिसम्बर 1998 से 700रु. और 695 रु. प्रतिमाह संशोधित की गयी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में पैरा 9 में यह उल्लेख किया गया था कि वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान 'ग' और 'घ' श्रेणी के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को भी अ.रो.दे.भ. दे रहा था। मंत्रालय ने लोक लेखा समिति को प्रस्तुत अपनी कार्यवाही टिप्पणी में कहा (मार्च 1994) कि संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष ने, लिपिक-वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय कर्मचारियों को, अ.भा.आ.सं. और दिल्ली सरकार के अस्पातलों में उसी श्रेणी में कार्य कर रहे लिपिक वर्गीय पद के कर्मचारी, जो कि अ.रो.दे.भ. के भुगतान के उद्देश्य से अलिपिक वर्गीय घोषित किये गये थे, के सावृश्य माना था।

संस्थान के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि, शासी निकाय के अध्यक्ष की, इस तरह की कोई मंजूरी विद्यमान नहीं थी। वास्तव में, संस्थान के निदेशक ने अध्यक्ष, शासी निकाय को लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को, अ.रो.दे.भ. का ‘केवल अस्थायी रूप से’ भुगतान करने का प्रस्ताव (अप्रैल 1990) इस शर्त के साथ भेजा था कि कर्मचारियों द्वारा यह प्रतिज्ञा करने कि यदि मंत्रालय इस प्रस्ताव का अनुमोदन न करे तो ऐसे में भत्ता राशि लौटानी होगी। निदेशक ने मामले को मंत्रालय को स्वीकृति/अनुमोदन हेतु भेजने का प्रस्ताव भी किया था। यह तथ्य कि ‘ग’ और ‘घ’ श्रेणी के लिपिक वर्गीय स्टाफ को अलिपिक वर्गीय स्टाफ में परिवर्तन किये जाने की मंत्रालय की स्वीकृति, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, मंत्रालय को जुलाई 1994 में सूचित किया गया था। फिर भी मंत्रालय ने, लोक लेखा समिति को कार्यवाही टिप्पणी (का.टि.) भेजने से पहले मामले की जाँच नहीं की।

यह ध्यान दिलाये जाने पर, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2002) कि यह पैरा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च 1992 को समाप्त हुए प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया गया था और का.टि. भी प्रस्तुत की जा चुकी थी और अनुरोध किया कि इस पैरे को छोड़ दिया जाये। मंत्रालय को सूचित किया गया (अक्टूबर 2002) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी के बावजूद अनियमितता का बना रहना और भी गम्भीर मामला था। मंत्रालय से सरकार के विचार भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया किन्तु उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, लगातार अनियमितताओं के परिणामस्वरूप 1993-94 से 2001-02 के दौरान संस्थान के वर्ग ‘ग’ तथा ‘घ’ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 16.25 लाख रु. कि राशि के अ.रो.दे.भ. का अनियमित भुगतान हुआ।

## अध्याय V : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### **प्रसार भारती**

#### **5.1 निष्फल व्यय**

डिजीटल संग्रहण प्रणाली का उचित उपयोग सुनिश्चित करने में दूरदर्शन की विफलता के परिणामस्वरूप 2.40 करोड़ रु. के अधिक भुगतान के अतिरिक्त इसकी खरीद पर 5.40 करोड़ रु. का अपव्यय हुआ।

दूरदर्शन (दू.द.) तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (रा.फि.वि.नि.) के बीच में एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) हुआ जिसके अंतर्गत डी.डी. III तथा डी.डी. इन्टरनेशनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कैप्सूलिंग तथा पार्श्वगायन के लिए दू.द. ने रा.फि.वि.नि. से तीन एविड एअर प्ले प्रणालियों (डिजीटल संग्रहण प्रणालियाँ) की किराया-खरीद की। उपकरण के मूल्यहास, ब्याज, प्रचालन लागत, आनुषंगिकों तथा लाभ की गुंजाइश की व्यवस्था करने के लिए दू.द. को 15 लाख रु. प्रति माह के सेवा प्रभारों का भुगतान करना था तथा तीन वर्षों तक इसके उपयोग के पश्चात उपकरण दू.द. की सम्पत्ति बन जाना था।

उपकरण को पीतमपुरा, आकाशवाणी भवन तथा विज्ञान भवन में क्रमशः अप्रैल, मई और अक्टूबर 1995 में प्रतिष्ठापित किया गया था। तथापि दूरदर्शन कार्यक्रमों हेतु प्रणालियों को उपयुक्त/उपयोगी नहीं पाया गया तथा उस समय से ही अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

अक्टूबर 1996 में दू.द. के अभियांत्रिकी खण्ड ने टिप्पणी की कि उपकरण केवल प्रोमोज़, मुख्य कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों जैसे कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोगी थे तथा विश्व में कहीं पर भी प्रसारण पूरी तरह हार्ड डिस्क आधारिक संग्रहण प्रणालियों द्वारा नहीं किया जा रहा था।

महानिदेशक, दूरदर्शन ने भी दिसम्बर 1996 में निष्कर्ष निकाला कि प्रणालियों को उचित तरह से उपयोग करना सम्भव नहीं था तथा उनके शीघ्रतम निपटान के निर्देश दिए। तदनुसार, दू.द. ने अंतिम निर्णय के लिए सामला मंत्रालय के पास भेजा।

जनवरी 1997 में मंत्रालय ने कहा कि चूंकि उपकरण को दू.द. की पहल पर खरीदा गया था, उपकरण का निपटान आरंभ करने से पूर्व उन्हें तीन वर्षों के लिए मासिक आधार पर तय सेवा शुल्कों का भुगतान करना पड़ेगा।

दू.द. द्वारा रा.फि.वि.नि. को किए गए भुगतान के विवरणों की संवीक्षा से आगे पता चला कि किराया प्रभारों के लिए रा.फि.वि.नि. को देय 5.40 करोड़ रु. के प्रति, रा.फि.वि.नि. ने इसके द्वारा दू.द. को देय राशियों में से पहले ही 2.70 करोड़ रु. समायोजित कर लिए थे; इसके बावजूद दू.द. ने अनियमित रूप से रा.फि.वि.नि. को 5.10 करोड़ रु. का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 2.40 करोड़ रु. का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार, दू.द. ने रा.फि.वि.नि. को 2.40 करोड़ रु. का अधिक भुगतान करने के अतिरिक्त एक ऐसी प्रणाली को किराये पर लेने के लिए 5.40 करोड़ रु. का निष्फल व्यय किया जो कि उपयोगी नहीं थी तथा अप्रयुक्त रही।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

### **5.2 बैंकिंग सुविधा का अनियमित अनुप्रयोग**

**दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम के प्रति राष्ट्रीय चैनलों पर बैंकिंग सुविधा सहित अतिरिक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय अनुमत करने के दूरदर्शन के निर्णय के परिणामस्वरूप 2.31 करोड़ रु. की हानि हुई।**

अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित होने वाले पुनरावृत्त कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन ने मई 1995 में, 90 सैंकिंड के निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) सहित प्रति आधा घंटे के लिए 5000/- रु. प्रायोजकता शुल्क निर्धारित किया। निर्माता को 30 सैंकिंड का अतिरिक्त नि.वा.स. भी उपलब्ध कराया, जिसे जमा किया जा सकता था तथा सात दिनों की अवधि के भीतर अन्य राष्ट्रीय चैनलों में उपयोग किया जा सकता था। अगस्त 1996 में, जब प्रसारण शुल्क तथा नि.वा.स. को संशोधित किया गया, इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया। तदनंतर, मई 1997 में पुनरावृत्त कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सुविधा को वापस ले लिया गया और इसका विस्तार केवल उन्हीं कार्यक्रमों के लिये, इस प्रतिबन्ध सहित किया गया कि अतिरिक्त नि.वा.स. को प्रसारण तिथि के 30 दिन के भीतर उपयोग कर लिया जाना चाहिए, किया गया जो विशेष रूप से दूरदर्शन के अन्तर्राष्ट्रीय चैनल के लिये प्रस्तुत किये गये थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दूरदर्शन ने अपने ही अनुदेशों के उल्लंघन में, मई 1995 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान निर्माताओं द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त नि.वा.स. को उनके द्वारा सात तथा तीस दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात भी उपयोग करने की अनुमति प्रदान की। इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित बाहर तैयार किए गए कार्यक्रमों की 660 कड़ियों में बैंकिंग सुविधा का आह्वान करके, निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात 12,570 सैकिंडों का नकदीकरण किया गया। दिसम्बर 1996 से जून 2001 की अवधि को छोड़कर, जब 20,000 रु. की स्पाट बॉई दर लागू थी मई 1995 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान 15,000/- रु. प्रति 10 सैकिंड के स्पॉट बॉई दर पर एयरटाइम का मूल्य 2.31 करोड़ रु. परिकलित किया गया।

दू.द. ने बताया (अक्तूबर 2002) कि सामान्यतः उसने निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग सुविधा के उपयोग की अनुमति नहीं दी थी, किन्तु 1996 के दौरान विश्व कप क्रिकेट प्रसारण के कारण समय सीमा को बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई चूंकि निर्माता जमा नि.वा.स. का उपयोग नहीं कर सके थे। इसने आगे बताया कि जब ऐसा महसूस किया गया कि निर्माताओं के नहीं अपितु, दू.द. को आरोप्य कारणों के कारण निर्माता बैंकिंग सुविधा का उपयोग नहीं कर सके थे, सुविधा को सात दिनों की समाप्ति के पश्चात उपयोग करने की अनुमति दी गई। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि उत्तर में उद्धृत ज्यादातर कार्यक्रम अप्रत्याशित प्रकृति के नहीं हैं तथा बाद में समय वृद्धि प्रदान करने के बजाय, हमेशा ही बैंकिंग सुविधा के उपयोग हेतु रूपरेखा बनाने तथा तिथियां निर्धारित करने के लिए पर्याप्त समय होता था। तथापि, निर्माताओं को लिखित में समय वृद्धि प्रदान करने के औचित्य तथा ऐसे किसी प्रयास के अभाव में, इसे एक सोचा-समझा उत्तर माना गया। इसके अतिरिक्त, विभाग का यह तर्क कि 'बी' वर्ग में एयरटाइम की बिक्री के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, तथ्यों पर आधारित नहीं है चूंकि किसी भी निर्माता ने अपना जमा नि.वा.स. अभ्यर्पित नहीं किया था। वास्तव में, कुछ निर्माताओं ने अतिरिक्त नि.वा.स. प्रदान करने का अनुरोध किया था।

इस प्रकार, उपयोग की निर्धारित सीमा के परे, डी.डी.इन्टरनेशनल पर प्रसारित कार्यक्रमों के प्रति राष्ट्रीय चैनलों पर बैंकिंग सुविधा की अनुमति प्रदान करने के परिणामस्वरूप दूरदर्शन को 2.31 करोड़ रु. की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

**5.3 वाणिज्यिक दरों की गलत व्याख्या**

**दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता द्वारा वाणिज्यिक दरों की गलत व्याख्या करने के परिणामस्वरूप प्रायोजकों को 2.20 करोड़ रु. का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।**

(i) दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता (दू.द.को.) के अन्तर्गत भिन्न प्रशुल्क संरचना सहित जिसका कि दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा द्वारा स्वीकृत दर कार्ड में वर्णन है, डी.डी.-। तथा डी.डी.-बांगला दो पृथक चैनल हैं। दर कार्ड में दोनों चैनलों पर एक ही प्रायोजित धारावाहिक के एक साथ प्रसारण के लिए समेकित दरों का उल्लेख नहीं है।

5 मिनट के एक प्रायोजित कार्यक्रम "आजके" को 23 फरवरी 2000 तथा 24 मार्च 2001 के मध्य 334 दिनों के लिए डी.डी.-। तथा डी.डी. बांगला चैनलों पर एक साथ तथा 28 दिनों के लिए डी.डी.-बांगला पर प्रसारित किया गया। सितम्बर 2000, में कार्यक्रम को आठ दिनों के लिए डी.डी.-। तथा डी.डी. बांगला पर एक साथ तथा सात दिनों के लिए डी.डी. बांगला पर दोबारा दिखाया गया। दर कार्ड के अनुसार 15 मिनट की प्रोग्रामिंग के आधार पर प्रायोजकों को प्रति प्रसारण डी.डी.-। तथा डी.डी. बांगला चैनलों पर क्रमशः 5000 रु. एवं 2500 रु. तथा पुनरावृत्त प्रसारणों के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभारित किया जाना था तथा प्रति प्रसारण 90 सैकिंड एवं 105 सैकिंड का निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) अनुमत किया जाना था। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र कोलकाता ने नीचे दिए विवरण के अनुसार प्रायोजकता शुल्क प्रभारित तथा नि.वा.स. अनुमत किया:-

चैनल का नाम	प्रभारित प्रायोजकता शुल्क	अनुमत नि.वा.स.
डी.डी.-। तथा डी.डी.बांगला (एक साथ)	5000 रु.	90+90=180 सैकिंड
डी.डी. बांगला	2500 रु.	105 सैकिंड
डी.डी.-। तथा डी.डी.बांगला पर एक साथ पुनरावृत्ति	7500 रु.	90+90=180 सैकिंड
डी.डी. बांगला पर पुनरावृत्ति	2500 रु.	105 सैकिंड

दर कार्ड में प्रायोजकता शुल्क प्रभारित करने तथा यथानुपात आधार पर नि.वा.स. अनुमत करने के लिए भी व्यवस्था है। यह देखा गया कि इस अधिकार का उपयोग नहीं किया गया। "स्पाट बॉई दर" (स.बा.द.) जो कि 10 सैकिंड के लिए डी.डी.-। तथा डी.डी. बांगला पर क्रमशः 5000 रु. तथा 3000 थी, के आधार पर नि.वा.स. का मुद्रा मूल्य परिकलित किया जा सकता है। पूर्वोल्लिखित आधार पर, यह देखा जा सकता है

कि डी.डी.-। तथा डी.डी.बांगला पर एक साथ प्रसारण के लिए दू.द. को 2500 रु. का घटा हुआ प्रायोजकता शुल्क, केवल डी.डी. बांगला पर प्रसारण के लिए 833 रु., डी.डी.-। तथा डी.डी. बांगला पर एक साथ पुनरावृत्त प्रसारणों के लिए 3750 रु. तथा केवल डी.डी. बांगला पर पुनरावृत्त प्रसारण के लिए 1250 रु. प्रभारित करना चाहिए था। इसी प्रकार एक साथ प्रसारण के लिए 90 सैकिंड तथा केवल डी.डी. बांगला पर प्रसारण के लिए 105 सैकिंड अनुमत करने के बजाय यथानुपात आधार का प्रयोग के इसके अधिकार का उपयोग करके इसे डी.डी.-। तथा डी.डी. बांगला पर क्रमशः प्रति प्रसारण 30 सैकिंड तथा 35 सैकिंड के नि.वा.स. की अनुमति देनी चाहिए थी। ऊपर वर्णित आधार पर परिकलित करने पर अनुमति किए गए अतिरिक्त नि.वा.स. का मुद्रा मूल्य 166.38 लाख रु. बनता है तथा प्रायोजकता शुल्क के कारण 9.21 लाख रु. की यथापुनात कटौती के समायोजन के पश्चात प्रायोजक को 1.57 करोड़ रु. का अनुचित लाभ पहुँचा।

(ii) डी.डी. बांगला चैनल पर रैनबो प्रॉडेक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 31 जनवरी 2000 से 30 मिनट का "मुखो मुखी" शीर्षक का एक कार्यक्रम प्राइम टाइम में प्रायोजित किया। 30 अक्टूबर 2002 से इसकी समयावधि घटा कर 22 मिनट कर दी गयी। दूरदर्शन के दर कार्ड के अनुसार, प्रायोजक से 10,000 रु. प्रति प्रसारण के हिसाब से शुल्क लिया जाना था और 210 सैकेंड प्रति प्रसारण का निःशुल्क वाणिज्य समय (नि.वा.स.) अनुमत था; 16 दिसम्बर 2000 से 30 मिनट के कार्यक्रम के आधार पर इसे घटा कर 180 सैकेंड कर दिया गया।

यद्यपि, दर कार्ड में भी प्रायोजकता शुल्क वसूलने और यथानुपात आधार पर नि.वा.स. देने की व्यवस्था थी। यह देखा गया कि इस अधिकार का उपयोग नहीं किया गया। नि.वा.स. का मुद्रा मूल्य स्पाट बॉय दर (स.बा.द.) के आधार पर निकाला जा सकता था जोकि प्राइम टाइम में 4500 रु. प्रति 10 सैकेंड था, 16 दिसम्बर 2000 से इसे घटा कर 2500 रु. प्रति 10 सैकेंड कर दिया गया था।

जबकि दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता द्वारा वसूला गया प्रायोजकता शुल्क और नि.वा.स. नीचे दिये हुए विवरण के अनुसार है:

समयावधि		प्रसारणों की संख्या	नि.वा.स.प्रति प्रसारण (सैकेंड में)			अधिकतम नि.वा.स. का मूल्य प्रति 10 से. (रु.)	नि.वा.स. का आधिक्य कुल मूल्य (लाख रुपये में)	प्रति प्रसारण शुल्क			प्रसारण कुल अधिक (लाख रु. में)
से	तक		देय	अनुमत	अधिकतम			देय (रु.)	प्रभास्ति (रु.)	अधिकतम (रु.)	
30.10.00	15.12.00	47	154	210	56	4500	11.84	7333	10000	2667	1.25
16.12.00	30.06.02	559	132	180	48	2500	67.08	7333	10000	2667	14.9
							78.92				16.16

(कुल निवल अनुचित वित्तीय लाभ 78.92 लाख रु. घटा 16.16 लाख रु. = 62.76 लाख रु.)

इस प्रकार, दूरदर्शन द्वारा यथानुपात आधार पर वसूलने के अपने अधिकार के प्रयोग की विफलता के परिणामस्वरूप, प्रायोजक को 62.76 लाख रु. का अनुचित लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2002 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### 5.4 एक कार्यक्रम-निर्माता को अनुचित लाभ

जनवरी-फरवरी 1998 के चुनावों से संबंधित तीन कार्यक्रमों को ‘सुपर ए’ में श्रेणीबद्ध किए जाने के बावजूद दूरदर्शन ने मानकों से विचलित होकर कार्यक्रमों के निर्माता को 99.35 लाख रु का अनुचित लाभ पहुँचाया साथ ही प्रसारण शुल्क तथा उस पर ब्याज की 59.79 लाख रु कुल राशि की वसूली भी नहीं की।

चुनाव से संबंधित तीन कार्यक्रमों (“चुनावी दौड़”, “चुनाव-पूर्वानुमान” एवं ‘सरकार के गठन’ पर सीधी परिचर्चा) का प्रसारण राष्ट्रीय चैनल पर जनवरी से मार्च 1998 में किया गया। इन कार्यक्रमों को ‘सुपर ए’ श्रेणी में रखा गया था। प्रसारण की शर्तों की जांच से प्रकट हुआ कि इन कार्यक्रमों के निर्माता टी.वी. लाइव इण्डिया प्रा.लि., से दर कार्ड के अनुसार वसूली नहीं की गई थी तथा उन्हें मानक स्तर से अधिक नि.वा.स. के रूप में बड़ी छूट प्रदान की गई थी। नीचे दिए विश्लेषण से स्पष्ट होगा कि दर कार्ड का अनुसरण करते हुए तथा दरों को मनमाने ढंग से तय करके दूरदर्शन ने निर्माता को 99.35 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया:

## वाणिज्यिक समय में हानि

कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत नि.वा.स. प्रति भाग (सेकेंडों में)	स्वीकार्य नि.वा.स. प्रति भाग (सेकेंडों में)	अतिरिक्त स्वीकृत नि.वा.स. (सेकेंडों में)	प्रसारित भागों की संख्या	कुल अतिरिक्त नि.वा.स. उपयोग में लिए गए (सेकेंडों में)	स्पॉट बॉई दर प्रति 10 सेकेण्ड (रु.)	अतिरिक्त स्वीकृत नि.वा.स. का मूल्य (लाख रु में)
चुनावी दौड़	120	90	30	7	210	80000	16.80
चुनाव पूर्वानुमान	150	90	60	10	595	80000	47.60
सरकार के गठन पर सीधी परिचर्चा	150	90	60	9	540	80000	43.20
						कुल	107.60(क)

## प्रसारण शुल्क में लाभ

(लाख रु. में)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रति भाग प्राप्त प्रसारण शुल्क	दर कार्ड के अनुसार प्राप्त प्रसारण शुल्क	अन्तर हानि (-) लाभ (+)	प्रसारित भागों की संख्या	कुल हानि/लाभ
1.	चुनावी दौड़	2.25	3.00	(-) 0.75	7	(-) 5.25
2.	चुनाव पूर्वानुमान	3.00	3.00	-	10	-
3.	सरकार के गठन पर सीधी परिचर्चा	4.50	3.00	(+) 1.50	9	(+) 13.50
						योग (+) 8.25(ख)

निवल हानि = क-ख = 107.60 (-) 8.25 = 99.35 लाख रु

आगे भी तीनों कार्यक्रमों की वसूली जाने वाली 66.30 लाख रु की निवल राशि में से केवल 33.54 लाख रु ही प्राप्त हुए थे इस प्रकार 32.76 लाख रु निर्माता से अभी भी लिए जाने थे जिस पर जून 1998 से दिसम्बर 2002 तक की अवधि में 18 प्रतिशत की दर से देय 27.03 लाख रु (कुल 59.79 लाख रु.) ब्याज बनता था।

विभाग ने जुलाई 2001 में बताया कि कार्यक्रम की अधिक निर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए स्थापित मानदण्डों से हटकर वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप दिया गया तथा समाचार एवं अद्यतन घटनाओं से संबंधित कार्यक्रमों पर अतिरिक्त नि.वा.स. अनुमत किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम निर्माता ने कभी भी ऊंची लागत निर्माण के आधार पर किसी छूट के लिए अथवा अतिरिक्त नि.वा.स. हेतु अनुरोध नहीं किया था, दूसरे अतिरिक्त नि.वा.स. किसी मामले में, जैसे समाचार एवं अद्यतन घटनाएं कार्यक्रम, तभी स्वीकृत किया जाता है जब उसका प्रसारण प्रतिदिन हो न कि कभी कभी, जैसा कि इस कार्यक्रम में हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2001 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

### 5.5 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सूचना भवन के लिए उपलब्ध करवाये गए अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई में परिवर्तित करने के उद्धरण का प्रभावी रूप से अनुसरण करने में आकाशवाणी की विफलता के परिणामस्वरूप मामला ग्यारह वर्ष से अधिक तक डावाँडोल रहा तथा कुल 99.54 लाख रु. के भार उल्लंघन प्रभारों के भुगतान के अतिरिक्त आकाशवाणी में विद्युत के निर्माण के सम्बंध में 1.85 करोड़ रु. की अनुमानित अतिरिक्त देयता को स्वीकार करना पड़ा।

दिल्ली विद्युत बोर्ड अस्थाई कनेक्शनों के माध्यम से आपूर्त विद्युत के लिए इसकी सामान्य दर के लिए लागू दरों से दुगुनी दर पर प्रभारों की वसूली करता है। इसलिए किसी भी सरकारी संस्थान के लिए यह आवश्यक है कि या तो वह आरम्भ से ही स्थाई विद्युत कनेक्शन ले अथवा जितनी जल्दी सम्भव हो अस्थाई कनेक्शन को स्थाई में परिवर्तित करवा दे ताकि अस्थाई कनेक्शनों को लागू दरों पर आधारित अधिक भुगतानों से बचा जा सके।

आकाशवाणी के सिविल निर्माण खण्ड ने दिल्ली में सूचना भवन का निर्माण प्रावस्थाओं में किया। 1989 में, दिल्ली प्रशासन ने भवन के लिए स्थाई विद्युत की व्यवस्था करने के लिए 327 किलोवाट का भार संस्वीकृत किया। इसके पूरा होने तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा समापन प्रमाण पत्र लम्बित रहते हुए, तत्कालीन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दिल्ली विद्युत बोर्ड) ने निर्माण प्रावस्था के दौरान विभिन्न उपकरणों की जांच तथा विद्युत की आवश्यकता के लिए मार्च 1990 में आरम्भिक तौर पर 50 किलोवाट के अस्थाई विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था की।

अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करने के सम्बंध में सिविल निर्माण खण्ड द्वारा अप्रैल 1990 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को किये गये अनुरोध पर बाद वाले ने पहले वाले को नगर निगम से समापन प्रमाण पत्र, स्थापित किये गये पार्श्वपथ संधारित्र के विवरण, भवन में स्थापित की गई लिफ्टों के सम्बंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए कहा ताकि स्थाई विद्युत कनेक्शन निर्गम को सरल बनाने के लिए इस सम्बंध में निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके।

यद्यपि इनकी मांग के संबंध में अप्रैल 1990 में सूचना दे दी गई थी, लगभग चार वर्ष पश्चात् फरवरी 1994 में सिविल निर्माण खण्ड ने दिल्ली विद्युत बोर्ड को सूचित किया कि नगर निगम के उप नियम, भवन, जो कि निर्माणाधीन हो, के समापन प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था नहीं करते थे तथा उन्होंने समापन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की मांग का अधित्याग करने का अनुरोध किया। इसके पश्चात् आवधिक स्मरण पत्र

जारी करने के अतिरिक्त अधित्याग के प्रश्न पर प्रबल अनुसरण किया गया प्रतीत नहीं होता।

अन्ततः, मार्च 2000 में समापन प्रमाण पत्र की मांग का अधित्याग करने पर दिल्ली विद्युत बोर्ड सहमत हो गया। जबकि ऐसा करते समय, बोर्ड ने फिर भी इंगित किया कि अन्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं आकाशवाणी को पूरी करनी होगी। एक वर्ष पश्चात् जुलाई 2001 में सिविल निर्माण खण्ड ने पार्श्वपथ संघारित्र की स्थापना के बारे में सूचित किया तथा भवन में स्थापित की गई लिफ्टों के सम्बंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात्, विद्युत बोर्ड 13 अक्टूबर 2001 से अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन मानने पर सहमत हो गया।

परिणामस्वरूप, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों के स्थाई परिवर्तन में ग्यारह वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ। विद्युत प्रभारों के सम्बंध में 2.76 लाख रु. के औसत मासिक भुगतान के आधार पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्बंध में ही अप्रैल 1996 से अक्टूबर 2001 की अवधि के दौरान अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.85 करोड़ रु. का अनुमानित अतिरिक्त व्यय हुआ। यदि समापन प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने की मांग के अधित्याग के सम्बंध में अधिक प्रबलता से अनुसरण किया होता तथा अन्य औपचारिकताएं, जिनके सम्बंध में सिविल निर्माण खण्ड को अप्रैल 1990 में ही पता था, को पहले ही पूरा कर लिया जाता तो यह अतिरिक्त व्यय यदि पूर्ण रूप से न बचता तो इसे कम से कम न्यूनतम तो किया जा सकता था।

इसके अतिरिक्त, जबकि केवल 50 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया था, मई 1997 से अक्टूबर 2001 के दौरान विद्युत का वास्तविक उपभोग औसतन 200 किलोवाट अथवा अधिक था। परिणामतः इस अवधि के दौरान संस्वीकृत भार से अधिक के लिए भार उल्लंघन प्रभारों के रूप में आकाशवाणी को 99.54 लाख रु. की अतिरिक्त देयता वहन करनी पड़ी।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2002 में भेजा गया था, दिसम्बर 2002 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

### 5.6 प्रायोजक को अनुचित लाभ

एक प्रायोजक को निर्धारित मानकों से अधिक निःशुल्क वाणिज्यिक समय देने और "स्पॉट बॉई दर" को स्वेच्छा से कम करने से दूरदर्शन को 94.92 लाख रु. की हानि हुई।

14 नवम्बर 1996 तक मान्य दर कार्ड के अनुसार, दूरदर्शन (दू.द.) द्वारा "सुपर ए" श्रेणी में अधिकृत रूप से प्रायोजित होने वाले कार्यक्रमों पर, एक आधा घंटे के कार्यक्रम पर प्रायोजकता शुल्क 2.40 लाख रुपये था निशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) 60 सैकेंड का नि.वा.स., प्रायोजकता शुल्क था और (स.बा.द.) प्रति दस सैकेंड 70,000 हजार रुपये था। 15 नवम्बर 1996 से दर कार्ड संशोधित कर दिया गया और इस श्रेणी में प्रायोजकता शुल्क बढ़ाकर 3 लाख रुपये 80 सैकेंड में नि.वा.स. के साथ और (स.बा.द.) 80,000 रुपये प्रति 10 सैकेंड कर दिया गया। 28 अगस्त, 1996 से मैसर्स यूनाइटेड टेलीविजन को "सुपर ए" स्लॉट में, प्रायोजकता शुल्क के आधार पर, एक अधिकृत कार्यक्रम "आखिर कौन" आवंटित किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 14 नवम्बर 1996 तक (11 कड़ियाँ) क्रमशः 60 सैकेंड और 80 सैकेंड में स्वीकार्य नि.वा.स. के प्रति, प्रायोजक को 90 सैकेंड का नि.वा.स. और 15 नवम्बर 1996 (14 कड़ियाँ) से 120 सैकेंड का नि.वा.स., बिना किसी अभिलेखित औचित्य के दिया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रायोजक को 67.90 लाख रु का अनुचित लाभ मिला।

यह ध्यान दिलाये जाने पर, दूरदर्शन ने कहा (जुलाई 1999) कि दूरदर्शन कार्यक्रम बाजार में प्रायोजकों को लुभाने के लिये, अन्तिम समय में तैयार और विपणन के लिये छोटे नोटिस पर उपलब्ध, अधिकृत कार्यक्रमों के लिये, दूरदर्शन नि.वा.स. को घटा और बढ़ा सकता है। दूरदर्शन ने अगला तर्क दिया (अक्टूबर 2002) कि दूरदर्शन के राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए प्रायोजक का नि.वा.स. बढ़ाने की छूट दी गयी क्योंकि कार्यक्रमों के लिये प्रायोजक नहीं मिल रहे थे। दूरदर्शन ने यह भी दावा किया कि मंत्रालय के पास तभी प्रस्ताव भेजा जाता जब दर कार्ड को पूर्णरूप से संशोधित करना हो, तथा महानिदेशक (दू.द.) अलग-अलग मामले के अनुसार, दर ढांचे को बदलने के लिये अधिकृत है। दूरदर्शन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उनका कोई भी औचित्य अभिलेखों में मौजूद नहीं था। वास्तव में, "आखिर कौन" के प्रायोजक को अधिक नि.वा.स. देने का फैसला, म.नि., दूरदर्शन द्वारा किसी भी स्तर पर स्वीकृत नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, नि.वा.स. में वृद्धि को, दूरदर्शन ने (मई 1995) अनधिकृत आदेश, जिसमें सभी अधिकृत कार्यक्रमों का नि.वा.स. बिना मंत्रालय की मंजूरी के, 60 से बढ़ाकर 90 सैकेंड कर दिया गया, के साथ गलत ढंग से जोड़ा था। वास्तव में, दर कार्ड में, सिद्धान्त और/अथवा सामान्यतः कोई भी परिवर्तन दूरदर्शन की क्षमता से परे है और मंत्रालय की मंजूरी अपेक्षित है।

नि.वा.स. में वृद्धि के अलावा, प्रायोजक को स्पॉट बॉई दर 80,000 रु. से घटा कर 25,000 रु. करने का भी अनुचित लाभ दिया गया, रोचक तथ्य है कि यह प्रायोजक

की प्रार्थना पर बिना किसी औचित्य के किया गया। इस विषय में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर दू.द. ने अपने जबाब में कहा (जुलाई 2002) कि 545 सैकेंड के अतिरिक्त वाणिज्यिक समय के विरुद्ध प्रायोजक का, 25,000 प्रति सैकेंड की दर से 575 सैकेंड का बिल तैयार किया गया और प्रत्यक्षतः दूरदर्शन इस प्रक्रिया में लाभान्वित रहा। दूरदर्शन यह ध्यान देने में असफल रहा कि अतिरिक्त 30 सैकेंड प्रभास्ति करने पर दू.द. को घटी दर पर नगण्य 75,000 रु. की रकम का लाभ हुआ जबकि दू.द. ने प्रथमतः इस सौदे में प्रायोजक को निम्न स्पॉट बॉई दर अनुमत करके, 27.02 लाख रु गंवाये।

दू.द. ने दर कार्ड में अनधिकृत संशोधन लागू किया और 60 सैकेंड के विरुद्ध 90 सैकेंड का नि.वा.स., बिना मंत्रालय की मंजूरी के, दिया। रोचकरूप से, स्पॉट बॉई दर में कमी और नि.वा.स. में 80 से 120 सैकेंड की वृद्धि न ही म.नि., दू.द. से और न ही मंत्रालय से मंजूर करायी गयी। इस प्रकार, अधिक नि.वा.स. व कम स्पॉट बॉई दर देकर, दूरदर्शन ने, स्वयं को वैध आय से वंचित करके, प्रायोजक को 94.92 लाख रु. तक का लाभ दिया।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2002 में भेजा गया था; जिसका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### **5.7 तमिल धारावाहिक “जननी” के प्रसारण के लिए फीस और ब्याज का वसूल न किया जाना**

प्रायोजक की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक प्रायोजित धारावाहिक के सम्बन्ध में फीस की वसूली को सुनिश्चित करने में विफलता तथा धारावाहिक के प्रसारण को स्थगित करने और बैंक गारन्टी को तत्परता से भुनाने में विफलता संयोजित होने के परिणामस्वरूप 85.35 लाख रु. की अदान की गई फीस संचित हो गई।

प्रसार भारती के दूरदर्शन केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए विभिन्न प्राधिकृत तथा पंजीकृत एजेंसियों से ठेका करते हैं। ऐसे कार्यक्रम या तो न्यूनतम गारन्टी प्रणाली या सम्बन्धित एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए खरीदे गए प्रत्येक 10 सैकन्ड के विज्ञापन स्पॉट के आधार पर “अतिरिक्त स्पॉट बॉई” के रूप में जाना जाने वाला) प्रसारित किए जाए सकते हैं।

न्यूनतम गारन्टी प्रणाली के अन्तर्गत, कार्यक्रम प्रायोजित करने वाली एजेंसियां एक निश्चित समय के निःशुल्क वाणिज्यिक समय, जिसके लिए वे प्राधिकृत हैं, के एक मुश्त राशि के भुगतान की गारन्टी देती है। इसके अतिरिक्त, निःशुल्क वाणिज्यिक समय से

परे स्पॉट बॉई का प्रस्ताव देने वाली एजेन्सियां भी इस सम्बन्ध में निर्धारित दरों पर देय राशि में छूट की हकदार हैं। जबकि प्रायोजित कार्यक्रमों के बिल 15 प्रतिशत की मान्य एजेन्सी दलाली घटाने के पश्चात मासिक आधार पर सम्बन्धित एजेन्सियों को प्रस्तुत करने होते हैं तथापि एजेन्सियां प्रसारण की तिथि के अगले महीने की पहली तारीख से 60 दिन की क्रेडिट सुविधा की हकदार थी। प्राधिकृत एजेन्सियों के मानक आरूप करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि अगर एजेन्सियां वर्ष में तीन अवसरों से अधिक अथवा क्रेडिट अवधि की समाप्ति के पश्चात 60 दिनों में मासिक बिलों का निर्धारित तिथि तक भुगतान करने में असफल रहती हैं तो उनका प्रत्यायन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्राधिकृत एजेन्सियां बिलों जिनका भुगतान उनके द्वारा अनुबद्ध अवधि तक नहीं किया गया है पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

कोलकाता दूरदर्शन केन्द्र द्वारा “जननी” दूरदर्शन धारावाहिक के सफलतापूर्वक प्रसारण के पश्चात, धारावाहिक के प्रायोजक (चैनल आठ) ने न्यूनतम गारन्टी प्रणाली के अन्तर्गत चेन्नई केन्द्र द्वारा प्रसारित किए जाने के लिए तमिल अभिनेता-अभिनेत्रियों सहित कुल 253 कड़ियों वाले धारावाहिक के तमिल रूपान्तर देने के प्रस्ताव के साथ चेन्नई दूरदर्शन केन्द्र को मई 1998 में प्रस्ताव भेजा। केन्द्र ने अक्टूबर 1998 में प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और धारावाहिक का प्रसारण 18 अक्टूबर 1999 से प्रारम्भ हो गया।

चेन्नई केन्द्र तथा चैनल आठ के मध्य हुए करार के अनुसार, चैनल आठ को प्रत्येक कड़ी के लिए प्रायोजित करने/प्रसारण करने की फीस के रूप में 15000/- रु. की अदायगी करनी थी तथा 180 सैकिन्ड के निःशुल्क वाणिज्यिक समय का हकदार था। इसके अतिरिक्त, प्रायोजक ने पहली 65 कड़ियों के लिए 180 सैकिन्ड प्रति कड़ी के दो स्पॉट बॉई का प्रस्ताव भी दिया। अतिरिक्त स्पॉट बॉई के भुगतान की संगणना 10,000/- रु. प्रति दस सैकिन्ड की दर से की जानी थी। प्रायोजक को पहली अतिरिक्त स्पॉट बॉई के प्रति की जाने वाली भुगतान की राशि पर 35 प्रतिशत तथा दूसरी अतिरिक्त स्पॉट बॉई के प्रति की जाने वाली भुगतान की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की गई थी।

चेन्नई केन्द्र ने प्रत्येक महीने स्वीकार्य एजेन्सी की दलाली घटाकर सम्बद्ध बिल प्रस्तुत किए थे। चैनल आठ ने नियमित रूप से पहली 44 कड़ियों से सम्बन्धित समस्त बिलों का निपटान भी कर दिया। तथापि, जनवरी 2000 में प्रसारित की गई 45 वीं से 62 वीं

कड़ियों के एक फरवरी 2000 को प्रस्तुत किए गए तथा 31 मार्च 2000 को भुगतान किए जाने वाले बिलों का निपटान केवल अगस्त 2000 में किया गया था। इन परिस्थितियों में, एजेन्सी की प्रत्यायन स्थिति 31 मई, 2000 से स्वतः समाप्त हुई समझी जानी चाहिए थी और उसे पंजीकृत के रूप में मानकर देय फीस का भुगतान पहले से ही करने के लिए कहना चाहिए था। केन्द्र आगे की समस्त कड़ियों के प्रसारण को समाप्त करने के लिए भी प्राधिकृत था। तथापि, यह नहीं किया गया। अपितु, केन्द्र ने समस्त 253 कड़ियों का प्रसारण किया तथा सम्बद्ध बिल प्रस्तुत करता रहा मानों कि एजेन्सी अभी भी प्राधिकृत थी।

धारावाहिक का प्रसारण 2 जनवरी, 2001 तक किया गया। जब अन्तिम कड़ी का प्रसारण किया गया, चैनल आठ ने 62 वीं कड़ी से परे कोई भुगतान नहीं किया। परिणामतः प्रसारण फीस तथा एजेन्सी द्वारा देय अतिरिक्त स्पॉट बॉई की फीस का बकाया 58.52 लाख रु. तक संचित हो गया। तथापि, केन्द्र द्वारा प्राप्तों की वसूली के लिए अथवा एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत कुल 39 लाख रु. की पांच बैंक गारन्टीयों को भुनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। ब्याज सहित देयों के भुगतान की मांग करते हुए केन्द्र ने केवल अगस्त 2001 में कानूनी नोटिस जारी किया जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। केन्द्र द्वारा बैंक गारन्टीयों को भुनाने के लिए किए गए प्रयास भी विफल रहे क्योंकि इन गारन्टीयों की वैधता की अवधि अक्टूबर 2000 में समाप्त हो गई थी। अप्रैल 2002 में, बकाया राशि वसूल करने के लिए केन्द्र ने दिल्ली में दूरदर्शन निदेशालय से मुकदमा दायर करने की प्रार्थना की क्योंकि एजेन्सी के साथ किए गए करार के अनुसार यह निदेशालय के क्षेत्राधिकार में आता था। भुगतान पर देय ब्याज की अनुपस्थिति में सितम्बर 2002 तक कुल ब्याज 26.83 लाख रु. हो गया। तथापि, अगस्त 2000 के पश्चात प्रस्तुत किए गए मासिक बिलों में इस प्रकार का कोई दावा शामिल नहीं किया गया।

इसे पंजीकृत एजेन्सी मानकर, फरवरी 2000 में प्रस्तुत किए गए बिल की एजेन्सी द्वारा भुगतान में चूक किए जाने के पश्चात चैनल आठ से पहले से ही प्राप्तों की वसूली सुनिश्चित करने में विफलता तथा आगे के कड़ियों को प्रसारण को स्थगित करने ओर बैंक गारन्टीयों को तत्परता से भुनाने को संयोजित होने के परिणामस्वरूप सितम्बर 2002 तक 85.35 लाख रु. के प्राप्त संचित हो गए। न्यायालय में मुकदमा दायर करने जिसमें बहुत लम्बी मुकदमे बाजी अन्तर्गत है, के निर्णय के प्रसंग में इन प्राप्तों की वसूली निकट भविष्य में केवल एक दूर की सम्भावना है।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2002 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

### 5.8 अनुचित रियायतें

थल सेना जवान कल्याण निधि को कार्यक्रम की निवल प्राप्ति देने के लिए “परमवीर चक्र” कार्यक्रम के निर्माता को 74.25 लाख रु. की राशि की रियायतें अनुमति की गई, जो अनुचित थी क्योंकि दूरदर्शन इसका अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

दूरदर्शन (दू.द.) ने 14 जुलाई 1999 से “परमवीर चक्र” शीर्षक का 45 मिनट कार्यक्रम बुधवार रात्रि 9.30 बजे से रात्रि 10.15 बजे के स्लाट में पुनरावृत्त प्रसारण शुल्क के आधार पर प्रसारण आरंभ किया। स्लाट ‘सुपर ऐंश्रेणी में आता था और प्रसारण शुल्क और निःशुल्क वाणिज्य समय (नि.वा.स.) आधे घंटे के स्लाट के लिए क्रमशः 4.50 लाख रु. और 90 सैकंड प्रति धारावाहिक लागू होते थे। इसलिए, इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए अनुपातिक प्रसारण शुल्क और नि.वा.स. 6.75 लाख रु. और 135 सैकंड प्रति धारावाहिक थे।

चूंकि इस कार्यक्रम के निर्माता ने कार्यक्रम की निवल प्राप्ति थल सेना जवान कल्याण निधि, को देना स्वीकार कर लिया था, दू.द. ने प्रत्येक धारावाहिक के लिए प्रसारण शुल्क केवल 6 लाख रु. प्रभासित किया और 210 सैकंड नि.वा.स. की अनुमति दी थी। इस प्रकार, निर्माता को प्रत्येक धारावाहिक प्रसारण के लिए 6.75 लाख रु. रियायत दी गई (प्रसारण शुल्क में 0.75 लाख रु. और 75 सैकंड के अतिरिक्त नि.वा.स. में 6 लाख रु. अर्थात् 210-135 80,000 रु. प्रति सैकंड मूल्य पर) और ग्यारह धारावाहिक प्रसारण के लिए कुल रियायत की राशि 74.25 लाख रु. थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं था जो यह दर्शाता कि निर्माता द्वारा कार्यक्रम की प्राप्ति को थल सेना जवान कल्याण निधि को क्रेडिट किया गया और दू.द. से भी यह मामला नहीं उठाया। थल सेना मुख्यालय के साथ जांच करने पर, यह पाया गया कि “थल सेना” जवान कल्याण निधि “ नाम से कोई निधि विद्यमान नहीं थी। तथापि, वहाँ “थल सेना केन्द्रीय कल्याण निधि” शीर्षक की एक गैर-सार्वजनिक निधि अनुरक्षित की जा रही थी और उस निधि में न तो किसी सम्बंधित फर्म से और न ही व्यक्तिगत कोई दान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, 74.25 लाख रु. की रियायतों की

अनुमति देने का प्रयोजन अपनिहित था और इसके परिणामस्वरूप निर्माता को अनुचित लाभ दिया गया।

विभाग ने अक्टूबर 2002 में बताया कि पुनरावृत्त प्रसारण शुल्क की बजाए सामान्य प्रसारण शुल्क प्रभारित किया गया था और निर्माता के अनुरोध पर इस तर्क पर अतिरिक्त नि.वा.स. अनुमति किया गया कि वह धारावाहिक से निवल प्राप्ति कल्याण निधि में जमा करेगा। विभाग ने आगे बताया कि चूंकि निर्माता ने उसे अनुमति नि.वा.स. की पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया था, वह अतिरिक्त राजस्व सर्जित नहीं कर सका। विभाग का उत्तर एक तो तर्कसंगत नहीं था क्योंकि रियायतों की अनुमति निधि के लिए अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए दू.द. के सुझाव पर दी गई थी और न कि निर्माता के अनुरोध पर जैसा कि दू.द. द्वारा दावा किया गया था। दूसरे, निर्माता द्वारा सर्जित सकल राजस्व 80,000 रु. प्रति दस सैकंड पर 1495 सैकंड विक्रय का 119.60 लाख रु. निकलता था। (निवल 101.66 लाख रु.) और दू.द. को 56.10 लाख रु. की निवल प्रयोजकता शुल्क के भुगतान के बाद, निर्माता को, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया था, 45.56 लाख रु. का निवल शेष राजस्व “थल सेना जवान कल्याण निधि” को जमा करना था, जो उसने नहीं किया। तीसरा, जबकि, 2310 सैकंड के अधिक अनुमति नि.वा.स. के प्रति एजेंसी ने केवल 1495 सैकंड का उपयोग किया था, नि.वा.स. के जमा लेखा के संबंध में कोई रिकार्ड न मिलने के अभाव में, किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जमा नि.वा.स. के उपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, अप्रयुक्त 815 सैकंड का नि.वा.स. क्योंकि निर्माता के प्रति बुक किया गया था, दू.द. ने किसी अन्य एजेंसी को उसी को उपयोग करने के लिए नहीं दे सका और 65.20 लाख रु. के प्रत्याशी राजस्व से अपने आप को वंचित रखा।

### **5.9 वारण्टी शर्तों के पालन न करने पर आरोप्य निष्फल व्यय**

आकाशवाणी के रॉची और एलपे स्टेशनों का अनुबद्ध वारण्टी शर्तों के पालन करने की विफलता के परिणामस्वरूप दो ट्रांसमीटर की ट्यूबों की अधिप्राप्ति पर 16.79 लाख रु. का व्यय हुआ जो पूर्णतः निष्फल रहा।

स्टेशन इंजीनियर (केन्द्रीय भण्डार), आकाशवाणी ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से 17.67 लाख रु. की कुल लागत पर दो ट्रांसमीटर की ट्यूबों की अधिप्राप्ति की, जिनकी रॉची और एलपे रेडियो स्टेशनों पर सीधे आपूर्ति की गई थी।

राँची स्टेशन को 29 अप्रैल 1995 को आपूर्त की गई ट्रांसमीटर की ट्यूब (लागत 9.77 लाख रु.) को हीटर फ़िलामेन्ट प्रचालन के 5000 घंटे या प्रेषण तिथि से 24 माह जो भी पहले हो, के लिए गारण्टी दी गई थी। तथापि, यदि ट्यूब पहले 500 घंटे के प्रचालन के भीतर काम करना बंद कर देती है तो पूर्ण खरीद मूल्य की प्रतिपूर्ति की जाएगी या निशुल्क लागत पर बदल दी जाएगी। केवल 40 घंटों के प्रयोग के बाद 16 जुलाई 1995 को ट्यूब ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए उसको निःशुल्क बदलने के लिए 19 जुलाई 1995 को भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को दावा प्रस्तुत किया गया। यद्यपि, वास्तव में पांच वर्षों से भी अधिक के बाद आपूर्तिकर्ता को जांच के लिए ट्यूब 8 जनवरी 2001 को ही भेजी गई। इससे प्रतीत होता था कि स्टेशन द्वारा ट्यूब खो जाने के कारण विलम्ब हुआ था। फरवरी 2001 में, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने इस आधार पर दावा अस्वीकार कर दिया कि निबंधन और शर्तों के अनुसार निर्धारित वारण्टी के अनुसार कालातीत हो गया था।

दूसरी ट्यूब (लागत: 7.90 लाख रु.) एलपे स्टेशन में 30 सितम्बर 1995 में प्राप्त की गई थी। वारण्टी की एक शर्त यह थी कि उसका फ़िलामेन्ट करंट सरकिट में ले जाने पर जांच किया जाना चाहिए और फ़िलामेन्ट करंट में कोई क्षति या असामान्यता होने पर प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। तथापि, निर्धारित जांच दो वर्ष से भी अधिक के बाद 9 मार्च 1998 को ही की गई, जबकि 24 माह की वारण्टी अवधि समाप्त हो चुकी थी। चूंकि इस प्रारंभिक स्वीकृति जांच के दौरान ट्यूब ने काम करना बंद कर दिया था, स्टेशन ने अप्रैल 1998 में आपूर्तिकर्ता पर दावा पेश किया। भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने मई 1998 में इस दावे को भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि वारण्टी की शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में, इन दो परिहार्य विलम्ब के उदाहरणों को इंगित किये जाने पर स्टेशन इंजीनियर (केन्द्रीय भण्डार) ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के पास फिर से दावे प्रस्तुत किए। दावों को, यद्यपि अंत में अगस्त 2002 में उनके द्वारा पूर्व में उल्लेख किए गए कारणों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया।

राँची स्टेशन द्वारा 9.77 लाख रु. की लागत की ट्यूब का गुम हो जाना और 7.90 लाख रु. की लागत की दूसरी ट्यूब का एलपे स्टेशन द्वारा वारण्टी अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रारंभिक स्वीकृत जांच का किया जाना यह सूचित करता था कि त्रुटियों के सुधार या ट्यूबों का निःशुल्क प्रतिस्थापन का प्रश्न अत्यावश्यकता और गंभीरता की समझ के साथ नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप 16.79 लाख रु. (केन्द्रीय भण्डार द्वारा

रोके गए पांच प्रतिशत भुगतान को छोड़कर) उनकी अधिप्राप्ति पर किया गया व्यय पूर्णतः निष्फल रहा।

मामला जुलाई 2002 में मंत्रालय को भेजा गया। जबकि दिसम्बर 2002 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था, स्टेशन इंजीनियर (केन्द्रीय भण्डार) ने बताया (सितम्बर 2002) कि मामले की जांच की जा रही थी।

### 5.10 घरेलू उपयोग के लिए औद्योगिक बिजली का उपभोग

घरेलू उपभोग के लिए औद्योगिक बिजली के विपथन के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं को 13.08 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता दी गई।

अधिशासी अभियंता (अ.अ.) उच्चशक्ति ट्रांसमीटर (उ.ट्रां), किंग्सवे कैम्प, दिल्ली, ट्रांसमीटरों को चलाने तथा कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) से विद्यमान औद्योगिक दर, जो अप्रैल 1997 में 2.40 रु. प्रति इकाई तथा मार्च 2002 में 3.40 रु. प्रति इकाई के बीच थी पर, थोक में बिजली खरीदता रहा है। इस औद्योगिक आपूर्ति में से, 89 स्टाफ क्वार्टरों को घरेलू दर पर बिजली आपूर्त की जाती रही थी। अप्रैल 1997 और मार्च 2002 के बीच की अवधि में घरेलू रूप से उपभोग की गई बिजली की लागत, जिसका ईंधन समायोजन प्रभारों सहित ऊँची औद्योगिक दर पर भुगतान किया गया, 20.06 लाख रु. बनती थी। इसके विपरीत अ.अ. द्वारा आवासों के आंबियों से घरेलू दरों पर वसूल की गई राशि केवल 6.98 लाख रु. थी।

अ.अ., उ.ट्रां. ने सितम्बर 2002 तक घरेलू उपभोक्ताओं हेतु पृथक कनैक्शन प्राप्त नहीं किए थे। यदि ऐसे व्यक्तिगत कनैक्शनों के माध्यम से स्टाफ को बिजली उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए गए होते जैसा कि साधारणतया किया जाना चाहिए तो वित्तीय सहायता के रूप में किए गए 13.08 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सकता था।

मंत्रालय ने अक्टूबर 2002 में बताया कि इन आवासों को बने 60 वर्ष से अधिक हो गये थे तथा उनके बिजली के तारों की अवरक्षा जीर्ण-शीर्ण थी तथा पुनः तार डालने के लिए लगभग 25 लाख रु. के व्यय की आवश्यकता थी। इस ने आगे बताया कि पांच वर्षों की निगरानी के अंतर्गत अतिरिक्त मांग प्रभारों पर किया गया लगभग 24.30 लाख रु. का व्यय भी पृथक घरेलू कनैक्शनों के द्वारा बढ़ गया होता। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि, प्रथमतः जीर्ण-शीर्ण तारों को पुनः डालना तो वैसे भी आवश्यक था और इसे

निगरानी के अंतर्गत परिहार्य व्यय के विरुद्ध रोका नहीं जा सकता था और दूसरे, अतिरिक्त मांग प्रभार केवल 0.24 लाख रु. बनते थे न कि 24.30 लाख रु. जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया गया।

#### **5.11 नैमित्तिक कलाकारों को भुगतान: स्रोत पर कर की गैर-वसूली**

केन्द्रीय निर्माण केन्द्र दूरदर्शन की ओर से स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित वैधिक प्रावधान का अनुपालन करने की विफलता के परिणामस्वरूप नैमित्तिक कलाकारों से 11.65 लाख रु. तक की आयकर की गैर-वसूली हुई।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-जे के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति अथवा हिन्दु अविभाजित परिवार को छोड़कर जोकि किसी निवासी को पेशे के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो उसके खाते में से राशि क्रेडिट होने पर अथवा अन्य किसी विधि से भुगतान होने पर, जो भी दोनों में से पहले हो, स्रोत पर उस राशि पर पांच प्रतिशत की दर के बराबर कर की कटौती की जाएगी। तथापि, इस प्रकार की कटौती यदि, किया गया भुगतान वित्त वर्ष के दौरान 20,000 रु. से अधिक न हो, नहीं की जानी चाहिए।

स्पष्ट वैधिक प्रावधानों के विपरीत, निदेशक, केन्द्रीय निर्माण केन्द्र, दूरदर्शन, 1996-97 से 1998-99 से तीन वर्ष की अवधि के दौरान 307 नैमित्तिक कलाकारों से निर्धारित दर पर, इस तथ्य के होते हुए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल 20,000 रु. से अधिक में व्यावसायिक सेवाओं के लिए उनको शुल्क भुगतान किये गये थे, आयकर की कटौती करने में विफल रहा। इसके फलस्वरूप 9.03 लाख रु. औसतन तक आयकर की गैर-वसूली हुई।

आगे, जबकि केन्द्र ने 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान 237 नैमित्तिक कलाकारों को भुगतान किये गये शुल्क से स्रोत पर आयकर की कटौती की, यह पहले 20,000 रु. की कटौती करने के पश्चात किया गया था। यह गलत था क्योंकि अधिनियम की सम्बन्धित धारा निर्धारित नहीं करती तथा स्रोत पर कर की कटौती से रियायत केवल उन मामलों में लागू है जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान 20,000 रु. से अधिक नहीं होता है। इस गलती के परिणामस्वरूप 2.62 लाख रु. की सीमा तक स्रोत पर आयकर की कम कटौती हुई।

इस प्रकार, स्पष्ट तथा असंदिग्ध वैधिक प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप कुल 11.65 लाख रु. आयकर स्रोत पर कटौती नहीं की गई।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2002 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय VI : श्रम मंत्रालय

### कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

#### 6. जब्त परिसम्पत्तियों के निपटान में अनियमितताएं

यद्यपि कर्मचारी भविष्य निधि की देयताओं को चुकाने के लिए सरकारी कम्पनियों को सक्षम बनाने हेतु पुनः प्रवर्तन पैकेज सरकार के सक्रिय विचाराधीन था तथा केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन ने विशेष रूप से निर्देश दिये थे कि पुनः प्रवर्तन पैकेज के अनुमोदन के पश्चात् कम्पनी को इसकी देयताएं चुकाने की अनुमति दे दी जाए, कोलकाता में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्थानीय नीलामीदाताओं के मूल्यांकन के आधार पर तीन उपयोगी जलयानों की नीलामी में जल्दबाजी से कार्यवाही की। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम प्राप्ति हुई तथा लेन-देन की नेकनीयती के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह प्रकट करते हुए यह सरकार, कर्मचारियों अथवा कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं थी।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जलपरिवहन निगम, जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन एक सरकारी कम्पनी, को इसके कर्मचारियों के लिए अपनी भविष्य निधि योजना के प्रबन्धन की अनुमति प्रदान की थी। तथापि अपने कर्मचारियों से वसूल किये गए कुल 5.74 करोड़ रु. के अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा कराने, पहले बोर्ड की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् न्यासी बोर्ड के पुनर्गठन में कम्पनी की विफलता तथा अन्य कृताकृतों के कारण जुलाई 1999 में यह छूट वापस ले ली गई थी।

तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इसी दौरान कम्पनी को रुण इकाई के रूप घोषित कर दिया गया था तथा कि पुनः प्रवर्तन पैकेज सरकार के विचाराधीन था भविष्य निधि अंशदानों के बकाया तथा सम्बद्ध बकाया तथा सम्बद्ध देयताओं को प्रत्येक 15 लाख रु. की मासिक किश्त में चुकाने की अनुमति दे दी गई थी। सरकार के किसी बजटीय सहायता के अभाव में कम्पनी इस भुगतान अनुसूची का पालन करने में भी सक्षम नहीं थी। इसलिए जहाजरानी मंत्रालय के कहने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली मुख्यालय ने मई 2000 में इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता को, सरकार

द्वारा पुनः प्रवर्तन पैकेज के अनुमोदन के पश्चात कम्पनी की देयताओं को चुकाने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिये।

इस विशेष निर्देश के बावजूद, क्षेत्रीय कार्यालय ने फरवरी 2001 में कम्पनी की चल तथा अचल सम्पत्तियाँ ज़ब्त कर ली। यद्यपि बाद में जून 2001 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 6.50 करोड़ रु. देने के लिए पुनः प्रवर्तन पैकेज भी सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, फिर भी इन प्राप्तों के हिस्से की वसूली के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय ने जून 2001 में कम्पनी के तीन जलयानों को नीलाम करने का निर्णय लिया।

स्थानीय नीलामकार जिसने मूल्यांकन केवल जलयानों को देखकर ही किया था, द्वारा उपलब्ध करवाये गए मूल्यांकन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय ने इन जलयानों का आरक्षित मूल्य 16.50 लाख रु. नियत किया। तथापि, आधार जिस पर नीलामकार का चयन किया गया था, क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं थे। इस आधार पर कि जलयानों ने केवल अपने निर्धारित जीवन का आधार समय ही पूरा किया था अन्य 14 से 15 वर्ष तक प्रभावी रूप से उपयोग किये जा सकते थे तथा इस प्रकार जलयानों का पूर्ण रूप से कम मूल्यांकन किया था, कम्पनी ने जलयानों के आरक्षित मूल्य पर आपत्ति की थी।

यह इंगित करते हुए कि कुछ प्रत्याशित खरीददारों जो या तो स्वयं जलयान के स्वामी थे अथवा होटल उद्योग में लगे हुये थे ने जलयानों का उपयोग या तो जलयान के परिवहन अथवा प्लवमान होटल की स्थापना के उद्देश्य के साथ करने के लिए जलयान खरीदने की इच्छा जताई थी, जलयानों की उपयुक्तता तथा बाजार मूल्य के आधार पर आरक्षित मूल्य को 176 लाख रु. तक संशोधित करने के लिए कम्पनी ने अगस्त 2001 में क्षेत्रीय कार्यालय से अनुरोध किया। यहां तक कि कम्पनी ने क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिसूचित 16.50 लाख रु. के आरक्षित मूल्य के भुगतान पर तीन जलयानों को खरीदने की भी पेशकश की।

आरभिक रूप से, क्षेत्रीय कार्यालय जलयानों की नीलामी को आस्थगित करने पर सहमत हो गया तथा मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन (मै.स्क्रै.ट्रे.का.) लिमिटेड, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, को जलयानों का मूल्यांकन करने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में, मै.स्क्रै.ट्रे.का. ने सितम्बर 2001 में क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड ने जलयानों का फ्लोर मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया था जिनका कि निपटान होना था तथा परिणामतः जलयानों का और मूल्यांकन

आवश्यक नहीं था। इसके बजाए, मै.स्क्रै.ट्रै.का. लिमिटेड ने क्षेत्रीय कार्यालय के तीन जलयान खुली निविदा अथवा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचने की पेशकश की।

इस पेशकश को स्वीकार करने की बजाए तथा उच्च शक्ति निपटान समिति द्वारा निर्धारित मूल्य की अनदेखी करके, क्षेत्रीय कार्यालय ने 16.50 लाख रु. के बहुत कम मूल्य के आधार पर तीन जलयानों की नीलामी की कार्यवाही आरम्भ की। जलयान निजी फर्म को 21 लाख रु. के कुल मूल्य पर, जो कि अधिकतम बोली दाता था, अक्टूबर 2001 में बेच दिए गए, यद्यपि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड ने नीलामी में प्राप्त 21 लाख रु. की उच्चतम बोली से अधिक रूपये के भुगतान पर इन जलयानों को खरीदने की पेशकश दी थी। यद्यपि, जून 2002 तक सफल बोली दाता को केवल दो जलयान संपुर्द किये जा चुके थे, तब से तीसरा जलयान संपुर्द नहीं किया गया था क्योंकि बिक्री कर देयता के मामलों में खरीदार, कम्पनी तथा क्षेत्रीय कार्यालय के बीच में विवाद पैदा हो गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुछ सारहीन आधार कि यह (कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952) अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं होगा क्षेत्रीय कार्यालय ने जलयानों के निपटान के लिए मै.स्क्रै.ट्रै.का. लिमिटेड की सेवाएं न लेने का निर्णय लिया। तथापि, अधिनियम केवल यह उल्लेख करता है कि सम्पत्तियाँ जो कि प्रायों की वसूली के लिए जब्त हो को निपटान सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा तथा इस उद्देश्य के लिए लगाई जाने वाली बाहरी एजेन्सी पर रोक नहीं लगाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मै.स्क्रै.ट्रै.का. लिमिटेड ने क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से तीन जलयानों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटाने की पेशकश की थी तथा कम्पनी ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड की उच्च शक्ति निपटान समिति द्वारा निर्धारित फ्लोर मूल्य को भी स्वीकार किया था, नीलामी में असके साहचर्य से काल्पनिक रूप से जलयानों के लिए उच्चतर मूल्य प्राप्त होना। इससे निम्नलिखित सुनिश्चित होता (i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बिक्री मूल्य की अधिक प्राप्ति (ii) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को अधिकतर सीमा तक देयताओं की चुकौती, तथा (iii) भारी बिक्री मूल्य का उपयोग करते हुये कर्मचारी भविष्य निधि देयताओं का जल्दी निपटारा।

जलदबाजी जिससे क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने नई दिल्ली के मुख्यालय के विशेष निदेशों की अनदेखी करके कम्पनी की सम्पत्तियाँ जब्त कीं, उच्च शक्ति निपटान समिति के मूल्यांकन के सन्दर्भ में स्थानीय नीलामकार के मूल्यांकन को स्वीकार किया तथा

मै.स्क्रै.ट्रे.का. लिमिटेड तथा अपकृत कम्पनी की पेशकश को स्वीकार न करने का निर्णय लिया, सम्पूर्ण लेन-देन की नेकनीयती के बारे में गम्भीर सन्देह पेदा करते हैं, जो कि सरकार, कम्पनी अथवा कर्मचारियों के वित्तीय हितों में नहीं था। केवल सितम्बर 2002 में ही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने नई दिल्ली के केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कम्पनी के प्राप्तों की वसूली के सम्बंधि विकास के बारे में सूचित किया। महत्वपूर्ण यह है कि कम्पनी ने सरकार द्वारा पुनः प्रवर्तन पैकेज के अनुमोदन पर इस सम्बंध में अपनी सारी देयताओं को चुका दिया था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2002 में भेजा गया था; दिसम्बर 2002 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

## अध्याय VII: जहाजरानी मंत्रालय

### चेन्नई पत्तन न्यास

#### 7.1 लाइसेंस धारियों से निकर्षण हेतु प्रभारों की गैर-वसूली

दो लाइसेंस धारियों को पट्टे पर दिये गए दो बर्थों में संचालित नौभार के गिरा देने को आरोप्य गहराई की विकृति के लिए दर जिस पर वे प्रभार उनसे वसूल किये जायेंगे विशेष रूप से अनुबंधित करने अथवा इन प्रभारों के निर्धारण हेतु कोई उपयुक्त प्रणाली प्रस्तुत करने में, चेन्नई पत्तन न्यास की विफलता के कारण, अनिवार्य प्रभारों, जैसा कि इसके वित्तीय हितों के निर्धारण के लिए सम्बंधित समझौतों में विचार किया गया था, की गैर-वसूली हूई।

फरवरी 1998 तथा मार्च 1998 में चेन्नई पत्तन न्यास एक कम्पनी<sup>1</sup> तथा एक पार्टनरशिप फर्म<sup>2</sup> को जवाहर गोदी में दो बर्थ (जे डी वी तथा जे डी आई) 20 वर्ष तक पट्टे पर देने पर सहमत हो गया। लाइसेंस धारियों के साथ हुए समझौतों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल था:-

- (क) लाइसेंस धारी प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में 11 लाख रु. प्रतिवर्ष की अनुमानित दर पर अनुरक्षण निकर्षण प्रभार का अग्रिम में भुगतान करेंगे, इस सम्बन्ध में परिवर्तन की शर्त वार्षिक रूप<sup>3</sup> से 10 प्रतिशत की चक्रवृद्धि बढ़ातरी है।
- (ख) बर्थों में संचालित नौभार के गिर जाने के कारण गहराई की विकृति के लिए अपेक्षित प्रारूप<sup>4</sup> बनाए रखने हेतु, अनिवार्य निकर्षण करने के लिए लाइसेंस धारी से अनिवार्य प्रभार वसूल किये जायेंगे।
- (ग) जब भी जलयानों के लाइसेंस धारियों द्वारा बर्थों का उपयोग न हो, उनका उपयोग जैसे भी उपयुक्त समझा जाए, न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा लाइसेंस धारियों के जलयानों के गैर-अधिभोग के कारण किसी खाली अवधि में इसका उपयोग बोर्ड द्वारा लाइसेंस धारी<sup>5</sup> के अतिरिक्त जलयानों को, अन्य को उपलब्ध करवाया जायेगा।

<sup>1</sup> ए.सी.टी. इंडिया लिमिटेड

<sup>2</sup> ई.जी.ई. - सेरामिक (मलेशिया) एवं टी. आरमैदुरई

<sup>3</sup> अनुच्छेद III (जी)

<sup>4</sup> अनुच्छेद III (ओ)(11)

<sup>5</sup> अनुच्छेद III (घ)

पत्तन के सिविल अभियांत्रिकी विभाग के जलसर्वेक्षण प्रभाग, जो चैनलों, गोदियों, बर्थों इत्यादि में अनुसूचित गहराई की मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी था, द्वारा लेखापरीक्षा को पुस्तुत की गई सूचना के अनुसार, पत्तन का निकर्षक "प्राइड", पार्टनरशिप फर्म को, जे डी आई ने पट्टे पर दी गई, 25,175 क्यूबिक मीटर की मात्रा के निकर्षण के लिए जुलाई 1998 से मार्च 2001 के बीच 13 बार तैनात किया गया था। इसी प्रकार जे डी बी पर अन्य कम्पनी को पट्टे पर दी गई 18,150 क्यूबिक मीटर की मात्रा के निकर्षण के लिए, इसी अवधि के दौरान निकर्षक नौ अवसरों पर तैनात किया गया था। इन दो बर्थों पर लाइसेंस धारियों द्वारा संचालित कोयले के भारी छितराने के सम्बंध में निकर्षक की आवश्यकता पड़ना बताया गया था।

तथापि, लाइसेंस धारियों के विविध प्रभारों की वसूली से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दो लाइसेंस धारियों से जैसा कि समझौते के अनुच्छेद III (ओ)(11) में विशेष रूप से अनुबंधित था, अनिवार्य प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी तथा कि इसके बजाए केवल अनुच्छेद III (जी) में विचार किये गए वार्षिक अनुरक्षण निकर्षण प्रभारों की ही उनमें वसूली की गई थी।

दर जिस पर, बर्थों में संचालित किये गये नौभार के छितराने पर आरोप्य गहराई की विकृति के लिए प्रभार दो लाइसेंस धारियों से वसूल किये जाने थे, समझौतों में विशेष रूप के उल्लिखित नहीं किये थे, इस सम्बंध में पत्तन न्यास द्वारा अधित्याग किये गए राजस्व का परिकलन करना लेखापरीक्षा के लिए सम्भव नहीं था। तथापि, अन्य जलयानों द्वारा संचालित किये गये के सम्बंध में दो लाइसेंस धारियों के जलयान द्वारा संचालित किये गये कोयले की आनुपातिक मात्रा के आधार पर तथा इस उद्देश्य के लिए तैनाती निकर्षकों के सम्बंध में निर्धारित इकाई दर पर, यह 106.20 लाख रु. परिकलित की गई।

गलती इंगित किये जाने पर, पत्तन न्यास ने बताया (अक्तूबर 2001 तथा अप्रैल 2002) कि जबकि उसके लिए वांछित प्रारूप को बनाए रखना अनिवार्य था आरोप्य नौभार छितराव की मात्रा पूर्णतया निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि बर्थों का उपयोग लाइसेंस धारी के अतिरिक्त अन्य जलयानों द्वारा भी किया गया था। पत्तन ने आगे बताया कि समझौते में अनुबंधित वार्षिक अनुरक्षण प्रभार, लाइसेंस धारियों जिन्होंने नौभार के छितराने से बचने तथा जब आवश्यक हो ऐसे विखंडित नौभार को ठीक करने के प्रयत्न किये थे की देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे।

पत्तन न्यास द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को पृष्ठांकित करते समय मन्त्रालय ने बताया (जुलाई 2002) कि नौभार के छितराव के कारण गहराई में विकृति से सम्बंधित अनुच्छेद III (ओ)(11) को केवल यह बल देने के लिए समझौते में शामिल किया गया था कि अनुच्छेद III (जी) में अनुबंधित निकर्षण अनुरक्षण प्रभारों का भुगतान लाइसेंस धारियों द्वारा किया जाना था तथा निकर्षण के सम्बंध में अन्य प्रभारों का एकत्रण नहीं किया जाना था क्योंकि किसी विशेष बर्थ में छितराव की किसी विशेष जलयान अथवा उपभोक्ता के साथ पहचान नहीं की जा सकती थी।

तथापि, समझौते के अनुच्छेद III (जी) के अनुसार किसी भी मामले में लाइसेंस धारी, गाद द्वारा आवश्यक हुए निकर्षण अनुरक्षण के लिए लागू प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो पत्तन न्यास के जलसर्वेक्षण प्रभाग के अनुसार सामान्यतः दो वर्षों में एक बार उत्पन्न होता है। इन प्रभारों को 33 माह की अवधि के दौरान जे डी आई के सम्बंध में 13 अवसरों तथा जे डी वी के सम्बंध में नौ अवसरों पर कोयले के गिरने के कारण किये गए निकर्षण कार्यवाही के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं माना जा सकता है। यदि, जैसा बताया गया, इस सम्बंध में अतिरिक्त प्रभार वसूल करने का इरादा नहीं था तो, समझौते में इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त धारा जोड़ने का कोई मूलाधार नहीं था। इसलिए अनुच्छेद III (ओ)(11) की तर्कसंगत व्याख्या केवल यह होगी कि, इरादा वास्तव में किसी नौभार के छितराव द्वारा घटित किसी निकर्षण के लिए अतिरिक्त प्रभार वसूल करना था तथा यह वास्तव में सामान्य अनुरक्षण निकर्षण के अतिरिक्त अन्तरिम निकर्षण कार्यवाही की लागत की वसूली को सरल बनाने के लिए सचेतन अतिरिक्त पूर्वोपाय जोड़े गए थे।

इसके अतिरिक्त, यह विशेष रूप से सहमति हुई थी कि लाइसेंस धारियों द्वारा बर्थ के गैर-अधिभोग के कारण किसी खाली अवधि में जलयानों का उपयोग न्यासी बोर्ड द्वारा अन्य जलयानों की सहायता के लिए किया जाएगा। इन परिस्थितियों में पत्तन न्यास को समझौतों की शर्तों में, दर जिस पर बर्थों में संचालित नौभार के छितराव पर आरोप्य गहराई की विकृति के लिए प्रभार दो लाइसेंस धारियों से वसूल किये जायेंगे, को जोड़ कर अथवा वैकल्पिक रूप में, उनके निर्धारण हेतु उपयुक्त तथा पारस्परिक रूप से सहमत प्रणाली शामिल करके पत्तन न्यास को अपने वित्तीय हितों के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय करने चाहिए थे।

**कोचीन पत्तन न्यास****7.2 पूर्व-मानसून निकर्षण पर निष्पत्र व्यय**

**कोचीन पत्तन न्यास द्वारा 9.99 करोड़ रु. लागत का पूर्व-मानसून निकर्षण चैनलों की प्रतिक्रिया का निर्धारण उसकी आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना, किया गया जो निर्थक साबित हुआ।**

कोचीन पत्तन न्यास चैनलों के निकर्षण का नियमित उत्तर-मानसून अनुरक्षण लगभग तीन माह की अवधि के लिए संभालता है, जो प्रत्येक वर्ष सितम्बर से शुरू होता है। जून 1998 में, वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पत्तन न्यास ने उत्तर-मानसून अनुरक्षण के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की थी और मै. वैन और्ड ए.सी. जैड का प्रत्येक वर्ष के लिए 29.91 करोड़ रु. का न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फर्म के साथ किए गए करार में पूर्व-मानसून निकर्षण की गहराई के खर-खाव, जो डिज़ाइन ड्राफ्ट के लगभग होना चाहिए, उसी दर पर करने की जिम्मेवारी का भी प्रावधान था। सितम्बर 1998 से जनवरी 1999 के दौरान उत्तर-मानसून निकर्षण की जिम्मेवारी पूरी होने के बाद, पत्तन न्यास के मुख्य इंजीनियर (मु.इ.) ने फर्म को 29 मई 1999 से पूर्व-मानसून निकर्षण शुरू करने को कहा था। कार्य प्रारंभ होने के बाद, 4 जून 1999 को बोर्ड के सम्मेलन पूर्व-मानसून निकर्षण का प्रस्ताव रखा गया था। फर्म ने 9.99 करोड़ रु. की लागत पर जुलाई 1999 में कार्य पूरा कर लिया था। सितम्बर 1999 में, फर्म ने 1999-2000 के लिए नियमित मानसून के बाद निकर्षण भी शुरू कर दिया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पत्तन न्यास द्वारा 9.99 करोड़ रु. के व्यय का पूर्व-मानसून कार्य निम्नलिखित के कारण निर्थक प्रयोग था:

- (i) पूर्व-मानसून निकर्षण का पहले किसी भी समय या कभी भी पत्तन न्यास के इतिहास में प्रयत्न नहीं किया गया था। जबकि यह चैनलों की प्रतिक्रिया निर्धारण करने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर किया गया था, पत्तन न्यास ने उसकी सफलता की संभावना सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक कार्य नहीं किया था। यह न्यासी बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की प्रतीक्षा के बिना जल्दबाजी में किया गया था।
- (ii) मु.इ. के अनुसार, मानसून अवधि के बाद चैनल में उपलब्ध ड्राफ्ट पूर्व वर्षों में, अनुरूप अवधि के दौरान ड्राफ्ट से एक मीटर गहरा था। माटनचेरी और अरनाकुलम चैनलों पर 25 मई 1999 को उपलब्ध ड्राफ्ट, अर्थात् निकर्षण

से पहले, 9.20 मीटर और 10.50 मीटर था जबकि 31 जुलाई 1999 को उपलब्ध ड्राफ्ट अर्थात् निकर्षण के बाद, क्रमशः 8.50 मीटर और 10.60 मीटर थे। यह दर्शाता था कि अरनाकुलम चैनल पर उपलब्ध ड्राफ्ट वैसा ही था और माटनचेरी चैनल का ड्राफ्ट मानसून निकर्षण के बाद कम हो गया था। इसलिए, मु.इ. का दावा सही नहीं था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2002 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

### कोलकाता पत्तन न्यास

#### 7.3 निष्फल व्यय

**एक स्थिरक जलयान को निष्प्रयोगी घोषित करने में विफलता के कारण 2.91 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय**

कोलकाता पत्तन न्यास का 30 साल से अधिक पुराना स्थिर जहाज भीम, बास-बार खराब होने से अधोगामी हो गया था। अत्यधिक श्रम शक्ति लगने एवं पुरानी मशीन के परिणामस्वरूप इसकी उच्च परिचालन एवं अनुरक्षण लागत को ध्यान में रखते हुये पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने जुलाई 1993 में जलयान को निष्प्रयोगी घोषित करने का निर्देश दिया था।

जलयान के उपयोगी जीवन के उपरान्त इसकी निराकरण एवं निपटाने की कार्यवाही करने के बजाय पत्तन न्यास ने नवम्बर 1994 में इसे सर्वेक्षण मरम्मत हेतु चालू रखा। लेकिन मरम्मत का कार्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य न पाये जाने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। मार्च 1999 तक, जलयान के अन्दर पानी एकत्रित होने के कारण इसकी स्थिति चिन्ताजनक हो गई। इस प्रकार जलयान को 1994 से न ही मरम्मत के बाद परिचालित किया जा सका न ही, पत्तन प्रबंधन चेयरमैन के निर्देशानुसार, निष्प्रयोगी घोषित किया जा सका।

अन्ततः अक्टूबर 2000 में जलयान को अनुपयोगी घोषित किया गया। नवम्बर 2001 में जलयान की बिक्री हेतु निविदा खोली गई। पत्तन-न्यास द्वारा 20.20 लाख रुपये के प्रस्ताव को 18 जनवरी 2002 में स्वीकृत करते हुए क्रेता को 19 जनवरी 2002 को स्वीकृति प्रेषित कर दी थी जिसमें अदायगी की अन्तिम तारीख 12 फरवरी 2002 निर्धारित थी। इसी दौरान लगातार पानी भरने के कारण जलयान 22 जनवरी 2002 को

किङ्गुरपुर गोदी में डूब गया। क्रेता ने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया। चूंकि पोर्ट ट्रस्ट के पास जलयान मलबे को निकालने के लिए आवश्यक अवसंरचना का अभाव था जिससे यह डूबा पड़ा रहा (अक्टूबर 2002) तथा 20.20 लाख रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हो सका।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि नवम्बर 1994 से जनवरी 2002 के दौरान पत्तन-न्यास ने पोत-कर्मियों<sup>ज्ञारोड़</sup> के वेतन, भंडार, सीमांत लाभ तथा पोत अनुरक्षण हेतु सामान्य व्यय पर कुल 2.91 लाख रुपये व्यय किए थे जबकि जलयान इस दौरान निष्क्रिय पड़ा रहा।

स्थिरक जलयान को निष्प्रयोगी घोषित करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण 2.91 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

कोलकाता पत्तन न्यास ने (सितम्बर 2002) बताया कि यद्यपि पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने वर्ष 1993 में स्थिर जलयान को निष्प्रयोगी होने का निर्देश तो दिया था फिर भी लंगर-स्थल में काफी गतिविधियाँ जारी थीं तथा वर्ष 1994 में सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की समाप्ति पर उसे आन्तरिक घरेलू मरम्मत पर रखा गया था। लेकिन प्रतीक्षा अवधि में सूखे पत्तन स्थल की अनुपलब्धता के कारण पुनः पुनरीक्षण में अक्टूबर 2000 में अन्ततः जलयान को अनुपयोगी घोषित करने का निर्णय लिया गया।

जलयान को निष्प्रयोगी घोषित करने का निर्णय उसके आर्थिक अव्यवहार्यता को ध्यान में रखकर लिया गया था तथा उसके निराकरण में विलम्ब के कारण अत्यधिक परिहार्य व्यय हुआ।

मामला जुलाई 2002 में मंत्रालय को भेजा गया था उनका उत्तर अक्टूबर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### 7.4 व्यर्थ व्यय

**कोलकाता पत्तन न्यास क्रेनों को प्रचालन में उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा और जिसके परिणामस्वरूप 1.85 करोड़ रु. का व्यर्थ व्यय हुआ।**

कोलकाता पत्तन न्यास ने, गोदियों को आधुनिक क्रेनों की पर्याप्त मात्रा के साथ लैस करने के लिए, मार्च 1985 में 1.85 करोड़ रु. की लागत पर छ: 3 टन क्षमता वाले इलैक्ट्रिक लैवल लाइंग वॉर्फ क्रेनों की अधिप्राप्ति की। क्रेनों को 1986-87 के दौरान

किडरपोर की 27, 28 और 29 गोदियों पर चालू किया गया। क्रेनों की मितव्ययी जीवनावधि को 20 वर्षों तक अनुमानित किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि प्रचालन आवश्यकता होने के बावजूद कुछ अन्तर्निहित त्रुटियों के कारण क्रेनों का उपयोग नहीं किया गया था। जबकि मामला गारंटी अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता के साथ उठाया गया था, त्रुटियों का किन कारणों से सुधार नहीं किया जा सका ऐसा रिकार्ड में नहीं था तथा क्रेने अप्रयुक्त पड़ी रही। नवम्बर 1993 में पत्तन न्यास प्रशासन ने प्रयोक्ता विभाग (ट्रेफिक विभाग) से क्रेनों के कार्य न करने के बारे में पूछताछ और ट्रेफिक प्रचालन के लिए क्रेनों को बुक करने के निर्देश दिए। तदनुसार, क्रेनें प्रयोक्ता विभाग द्वारा प्रचालन के लिए दिसम्बर 1993 और अप्रैल 1994 के बीच मांगी गई थी लेकिन किसी भी अवसर पर क्रेनों को उपलब्ध नहीं करवाया गया क्योंकि वे चालू हालत में नहीं थी। फलस्वरूप, प्रयोक्ता विभाग ने मई 1994 से क्रेनों को बुक करना बन्द कर दिया था। जून 1994 में क्रेनें आवश्यकता के अतिरिक्त समझी गई और निपटान के लिए प्रस्तावित की गई थी। तथापि, क्रेनों का निपटान नहीं किया गया था (अक्तूबर 2002)।

सितम्बर 1997 में, मंत्रालय के कहने पर, पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अन्य पत्तनों/ घाटों पर उनके उपयोग के कार्यक्षेत्र की जांच की जानी चाहिए। तदनुसार क्रेनों की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त/मरम्मत/सुधार तथा क्रेनों को फिर से चालू करने के लिए मामला (मार्च 1998) निर्माता के साथ उठाया गया। निर्माता द्वारा न तो क्रेनों की क्षमता बढ़ायी गई और न ही किसी भी समय क्रेनों की मरम्मत की गई। अक्तूबर 2001 में, निराकरण समिति ने सभी क्रेनों के निपटान के लिए प्रस्तावित किया। इस प्रकार, क्रेने फरवरी 2002 में अनुपयोगी घोषित की गई थी। इसके पश्चात पत्तन न्यास ने (अगस्त 2002) अन्य पत्तनों पर क्रेनों की आवश्यकता के बारे में पूछताछ की और 15 सितम्बर 2002 तक उनका पुष्टिकरण मांगा। केवल टूटीकोरीन पत्तन ने निर्धारित समय के अन्दर सूचित किया कि उनके पत्तन को इस प्रकार की क्रेनों की आवश्यकता नहीं थी। क्रेनों का अभी भी अंतिम रूप से निपटान किया जाना था (अक्तूबर 2002)।

इस प्रकार, पत्तन न्यास की प्रचालन में क्रेनों को उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप 1.85 करोड़ रु. का व्यर्थ व्यय हुआ।

पत्तन न्यास ने बताया (सितम्बर 2002) कि पत्तन प्रचालनों के लिए क्रेनों का उपयोग करने के लिए कई अवसरों पर प्रयास किए गए थे लेकिन क्रेनों में कुछ अन्तर्निहित

त्रुटियों के कारण वे विफल रहे। पत्तन न्यास गारंटी अवधि अथवा उसके बाद भी निर्माता द्वारा त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने और क्रेनों का लार्भकारी उपयोग करने में विफल रहा।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2002 में भेजा गया और उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

### 7.5 तटवर्ती संग्रहालय की स्थापना पर निष्फल निवेश

पत्तन न्यास द्वारा एक ऐसे जलयान का जो एकए प्रतिष्ठित तैरते हुए संग्रहालय की स्थापना के लिए संरचनात्मक रूप से उपयुक्त नहीं था, जिसकी कोलकाता नगर का उपहार के रूप में संकल्पना की गई थी तथा अपंजीकृत स्थिति में उसका परिवर्तन करना और अनिवार्य सर्वेक्षण मरम्मत किए बिना अर्जन करना विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होता था। परिणामतः संग्रहालय स्वयं ही विखंडित हो गया और जलयान का निपटान करना पड़ा तथा 50.48 लाख रु. का कुल निवेश निष्फल रहा।

कोलकाता पत्तन न्यास ने जहाजरानी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर आधारित तटवर्ती संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए 27.30 लाख रु. (2.30 लाख रु. बिक्री कर सहित) की लागत पर नवम्बर 1991 में केन्द्रीय आंतर जल परिवहन निगम लिमिटेड से एक पैडल स्टीमर पी.एल.गंगा का अर्जन किया। जलयान की अधिप्राप्ति के समय यह माना गया कि संग्रहालय में परिवर्तित करने के पूर्व पोत खोल की अनिवार्य मरम्मत सुगम करने के लिए इसे शुष्क घाट की आवश्यकता होगी।

अगस्त 1992 के दौरान संचालित पराश्रव्य मोटाई जांच से पता चला कि जलमग्न होने वाली पोतखोल की पटिट्यों की मोटाई में विभिन्न स्थानों पर चौंका देने वाली कमी थी। तथापि, जब उसे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा था जलयान को शुष्कघाट पर रखने के बाद पोत खोल की पटिट्यों की आवश्यक मरम्मत नहीं की गई। जलयान का सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र भी अगस्त 1993 में समाप्त हो गया था जिसका आवश्यक सर्वेक्षण मरम्मतों के अभाव में नवीकरण नहीं किया गया था। अतः जलयान अपंजीकृत रहा।

फिर भी, इस बीच संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र का प्रयोजन पूरा करने के लिए जलयान को 40.42 लाख रु. की कुल लागत पर कुछ लघु मरम्मत और सुंदरीकरण के साथ परिवर्तित किया गया। संग्रहालय को नदी में मैन-ओ-जैटी पर जलयान को बाँधने के बाद अगस्त 1993 में जनता के लिए खोल दिया गया था।

तथापि, अपंजीकृत जलयान जनता के लिए नदी में न रखने की दृष्टि से संग्रहालय को फरवरी 1994 में बंद कर दिया गया और जलयान को घाट के भीतर स्थानांतरित कर दिया गया। यद्यपि पोत खोल की जलमग्न पटियों की स्थिति चौकन्ना करने वाली बनी रही और यह चिन्ता का कारण था, जलयान को शुष्क घाट में रखने के बाद भी आवश्यक मरम्मत नहीं की गई। इसके बावजूद, जलयान को कीड़रपोर डॉक पर रखा गया और संग्रहालय को व्यवस्थित करने के बाद फरवरी 1995 में जनता के लिए फिर से खोल दिया गया, सुरक्षा कारणों से एक समय में आगंतुकों की जहाज पर स्वीकार्य संख्या और उनके ठहरने की अवधि को प्रतिबंधित कर दिया गया। यह आगंतुकों के लिए सितम्बर 1998 से अंतिम रूप से बंद कर दिया गया क्योंकि जलयान में शिथिल रिसाव थे।

जब जलयान मेन-ओ-जैटी पर नदी में बांधा गया था सात माह की प्रारंभिक अवधि के दौरान प्रत्येक माह आने वाले व्यक्तियों की औसत जबकि 6,822 तक थी, 43 माह के अनुवर्ती अवधि के दौरान आगंतुकों की औसत संख्या मात्र 121 प्रति माह तक हो गई थी जब जलयान कीड़रपोर डॉक पर बांधा गया था जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र था जहाँ विशेष अनुमति देने पर प्रवेश नियमित किया जाता था। यह दर्शाता है कि अंतिम अवधि के दौरान संग्रहालय वास्तव में क्रियाशील नहीं था।

इस तथ्य पर विचार करने पर कि जलयान बहुत पुराना और असुरक्षित था तथा मरम्मत भी महंगी थी, पत्तन न्यास ने मार्च 1999 में जहाज पर सभी प्रदर्शनीय वस्तुओं साइंस सिटी काम्प्लेक्स को स्थानांतरित करने और साइंस सिटी प्राधिकरणों को 75 लाख रु. के एकमुश्त सहायता अनुदान पर उस काम्प्लेक्स में तटवर्ती संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, तैरता हुआ संग्रहालय विखंडित कर दिया गया और प्रदर्शनीय वस्तुओं को, दिसम्बर 1999, में साइंस सिटी काम्प्लेक्स को स्थानांतरित कर दिया गया था। जलयान का जनवरी 2002 में निपटान भी कर दिया गया जिसके फलस्वरूप पत्तन न्यास को 44.00 लाख रु. प्राप्त हुए।

जलयान के अधिग्रहण (27.30 लाख रु.), उसके परिवर्तन (40.42 लाख रु.) तथा संग्रहालय के अनुरक्षण और जनवरी 2002 में जलयान के निपटान (28.63 लाख रु.) पर कुल 96.35 लाख रु. के हुए व्यय के विरुद्ध, संग्रहालय में आगंतुकों से केवल 0.94 लाख रु. के राजस्व की वसूली हुई।

यह स्वीकार करते हुए कि जलयान में सर्वेक्षण मरम्मत नहीं हुई थी और अगस्त 1993 से होनी अपेक्षित थी, पत्तन न्यास ने बताया (सितम्बर 2002) कि ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मरम्मत में 50 लाख रु. तक की भारी वित्तीय विवक्षाएँ सम्मिलित थी तथापि जलयान आगन्तुकों के हित में उचित सुरक्षा स्थिति में रखा गया था। पत्तन न्यास ने यह भी बताया कि तटवर्ती संग्रहालय जो अपने आप में अद्वितीय था न्यास की ओर से कोलकाता नगर को एक उपहार स्वरूप था और मात्र राजस्व अर्जित करने के लिए स्थापित नहीं किया गया था।

यह अस्वीकार नहीं किया जाता है कि संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य प्रशंसनीय था और उसकी धारणा राजस्व अर्जित करने की नहीं थी। तथापि, एक प्रतिच्छित परियोजना की परिकल्पना और अधिग्रहण के समय पर जलयान की क्रांतिक संरचनात्मक स्थिति की जानकारी, अपंजीकृत स्थिति में इसके संग्रहालय के रूप में परिवर्तन तथा अनिवार्य सर्वेक्षण मरम्मत न करवाना बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत नहीं होता था। प्रत्यक्षतः यह प्रतीत होता था कि अभिप्रेत प्रयोजन के लिए जलयान की उपयुक्तता, उसके अधिग्रहण एवं परिवर्तन के संबंध में निर्णयों पर पहुंचने से पहले, पर्याप्त रूप से संस्थापित नहीं की गई थी। परिणामतः गौरवपूर्ण तैरता हुआ संग्रहालय जो नगर को उपहार स्वरूप समझा गया तथा, को विखंडित करना पड़ा और जलयान का निपटान किया गया तथा अंतिम विश्लेषण में कुल 50.48 लाख रु. का निवल निवेश निष्फल रहा।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### **कांडला पत्तन न्यास**

##### **7.6 परिपूर्णता में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की कम वसूली**

आठवीं कार्गो बर्थ की, सभी प्रकार से, परिपूर्णता में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण से सम्बन्धित एक अनुबन्ध की शर्तों की पत्तनन्यास द्वारा गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप 1.90 करोड़ रु. की कम वसूली तथा ठेकेदार को अनभिप्रेत लाभ हुआ।

दिसम्बर 1996 में कांडला पत्तन न्यास ने, 40.98 करोड़ रु. की निविदा लागत पर, एफकोन्स इन्कारस्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्तन में आठवीं कार्गो बर्थ का निर्माण कार्य सौंपा था। कार्य को 16 फरवरी 1999 तक पूरा करना अपेक्षित था।

इस उद्देश्य के लिए तैयार किये गये अनुबन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान था कि निविदा दस्तावेजों में निर्धारित अनुबन्ध की शर्तों तथा स्वीकृति पत्र, जिसके द्वारा अनुबन्ध की शर्तों में सुधार किया गया, भिन्नता आई या किसी भी प्रकार से संशोधन किया गया, के जारी होने से पहले किये गये पत्राचार को अनुबन्ध के भाग के रूप में पढ़ा समझा तथा उसका अर्थ लगाया जायेगा।

प्रारम्भिक तौर पर निविदा दस्तावेजों का भाग अनुबन्ध की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान था कि जब कार्य अनुबन्ध की निर्धारित अवधि के दौरान अपेक्षित कर्मिष्ठता के साथ आगे बढ़ाया जायेगा, ठेकेदार को, कार्य के अपूर्ण रहने तथा सौंपने में देरी की अवधि के लिए प्रत्येक सप्ताह के लिए कार्य की अनुबन्ध लागत की राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करना होगा, बशर्ते इस धारा के अनुसार देय कुल राशि अनुबन्ध लागत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यद्यपि इस धारा में, मार्च 1996 में, सभी अभिप्रेत निविदाकारों को जारी किये गये एक पत्र द्वारा सुधार किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि कार्य की सम्पूर्णता के लिए निर्धारित अवधि या बढ़ाई गई अवधि, जैसा भी मामला हो, के बाद परिपूर्णता में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली, निबन्ध लागत की एक चौथाई प्रतिशत की दर से प्रति सप्ताह के हिसाब से की जायेगी, बशर्ते यह अधिकतम, अनुबन्ध लागत के 5 प्रतिशत तक के बराबर हो। एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मार्च 1996 में इस शर्त को स्वीकार कर लिया था।

16 फरवरी 1999 की निर्धारित तिथि के विपरीत कार्य सभी प्रकार से केवल 16 नवम्बर, 1999 को पूरा किया गया था। यद्यपि कार्य पूरा करने की नियत तिथि को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति लगाये बिना दो महीने आगे बढ़ाया गया था जिसमें जून 1998 में चक्रवाक के कारण हुआ विलम्ब जोकि ठेकेदार को आरोप्य नहीं था, को शामिल नहीं किया गया था। कार्य के देरी से पूरा किया जाने के लिए क्षतिपूर्ति, तदपश्चात 17 अप्रैल से 16 नवम्बर तक की अवधि के लिए वसूलनीय थी। इस देयता को अनुबन्ध की कुल लागत (40.98 करोड़ रु.) के संदर्भ में परिकलित करने की अपेक्षा इसे केवल 16 अप्रैल 1999 के पश्चात अधूरा रहे कार्य की लागत के संदर्भ में गलत तरीके से परिकलित किया गया था। परिणामतः इस आशय के लिए वसूलनीय 3.18 करोड़ रु. अधिकतम सीमा राशि 2.05 करोड़ रु. (अनुबन्ध लागत का 5 प्रतिशत) के विरुद्ध पत्तन न्यास ने ठेकेदार से केवल 0.15 करोड़ रु. वसूल किये थे जिससे 1.90 करोड़ रु. की कम वसूली हुई।

पत्तन न्यास ने निम्नलिखित बताया (मई 2001)

- निविदा की सामान्य शर्तों तथा नीलामीपूर्व बैठक के दौरान दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, ठेकेदार को अधूरे रहे कार्य के लिए अनुबन्ध लागत को एक चौथाई प्रतिशत प्रति सप्ताह के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था ना की सौंपे गये कार्य पर, जोकि अधिकतम अनुबन्ध लागत के पांच प्रतिशत के बराबर होगी।
- विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का अधिकार मुख्य अभियंता का था जबकि पत्तन न्यास का अध्यक्ष क्षतिपूर्ति की कुल राशि को बट्टे खाते में डालने या कम करने के लिए सक्षम था।
- 16 अप्रैल 1999 को अधूरे रहे कार्य की लागत 1.94 करोड़ रु. बनती थी तथा विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति सम्बन्धी धारा के अनुसार इस राशि का एक चौथाई प्रतिशत प्रति सप्ताह के बराबर की दर से 15.03 लाख रु. क्षतिपूर्ति के रूप में ठेकेदार पर लगाये गये थे।

निम्नलिखित के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- मार्च 1996 के स्पष्टीकरण द्वारा अनुबन्ध की संशोधित सामान्य शर्तों जिसका वर्णन उत्तर में भी किया है, में स्पष्ट तौर पर अनुबन्धित है कि क्षतिपूर्ति का निर्धारण केवल अनुबन्ध लागत के संदर्भ में किया जायेगा ना कि निर्धारित या बढ़ाये गये कार्य के सम्पूर्णता समय के बाद रहे अधूरे कार्य की लागत के संदर्भ में। इसे पत्तन न्यास द्वारा भी मंजूर किया गया है।
- यद्यपि मुख्य अभियन्ता ने बिना कोई क्षतिपूर्ति लगाये, परिपूर्णता तिथि को 16 नवम्बर 1999 तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी थी इसे अध्यक्ष ने, इस आधार पर कि कार्य के पूरा होने में विलम्ब महत्वपूर्ण था तथा यह मूलरूप से ठेकेदार को आरोप्य था, अप्रैल 1999 में अनुमोदित किया था। इसलिए मुख्य अभियंता को जुर्माना की मात्रा का सुझाव देने को कहा गया था।
- नवम्बर 1999 में मुख्य अभियन्ता ने, शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपयोग करते हुए, 16 नवम्बर 1999 तक मंजूर किये गये समयावधि विस्तार को बिना क्षतिपूर्ति लगाये नियमित करने का निर्णय लिया। यद्यपि इस निर्णय को, अध्यक्ष

द्वारा, इस आधार पर कि मुख्य अभियंता को विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ण लगाने के लिए शक्तियां बाद में प्रत्यायोजित की गई थी, तथा ये वर्तमान मामले में लागू नहीं होती थी, रद्द कर दिया गया था।

इसलिये मुख्य अभियंता को पुनः क्षतिपूर्ति की मात्रा का सुझाव देने को कहा गया था।

- तदानुसार 13.99 लाख रु. की क्षतिपूर्ति लगाने का सुझाव मुख्य अभियंता द्वारा दिया गया था।
- जबकि क्षतिपूर्ति की मात्रा तय करने के आशय से अनुबन्ध के सम्बद्ध प्रावधानों, अनुबन्ध के संशोधित सामान्य शर्तों के साथ पठनीय, का पत्तन न्यास के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा ठीक प्रकार उल्लेख किया गया था उसने यद्यपि, 16 अप्रैल 1999 को केवल अधूरे रहे कार्य की लागत (1.94 करोड़ रु.) के आधार पर, ना की कुल अनुबंध लागत के संदर्भ में, जैसा होना चाहिये था, गलती से इस बारे में प्राप्य राशि का आकलन 15.03 लाख रु. किया था।

इस प्रकार अनुबन्ध की शर्तों की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 1.90 करोड़ रु. का अनाभिप्रेत लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2002 में भेजा गया था उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### **मार्मुगाव पत्तन न्यास**

##### **7.7 रीच स्टेकर के अल्प उपयोग के कारण हानि**

एक किराये पर लिए गये रीच स्टेकर का 1997-98 से 2001-02 के वर्षों के दौरान अल्प उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप 2.26 करोड़ रु. की हानि हुई।

मार्मुगाव पत्तन न्यास (मा.प.न्या.) ने, बीओओ.टी(बिल्ड, औन, ऑपरेट ट्रांसफर) के आधार पर, 10 वर्षों के लिए एक रीच स्टेकर किराये पर लेने के लिए मै. एबीजी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक करार किया। करार की शर्तों के अन्तर्गत, पत्तन ने उपयोग के प्रति घंटे के 18 लीटर की दर से वास्तविक ईंधन खर्चों के अतिरिक्त 60.39 लाख

रूपये प्रति वर्ष किराये प्रभारों के रूप में भुगतान करना था। रीच स्टेकर को अप्रैल 1997 में काम पर लगाया गया था।

करार करते समय, पत्तन, जहाजी कुलियों द्वारा काम पर लगाये गये 2 ट्रैक्टर ट्रेलरों तथा एक 50 टन क्षमता वाली टायर माउंटिड क्रेन का उपयोग करते हुए, 3383 बी.स.ई. (बीस समतुल्य इकाईयों) का संचालन कर रहा था। रेलवे गेज़ परिवर्तन के फलस्वरूप पत्तन पर कंटेनर यातायात में आगे वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए, पत्तन ने, एक रीच स्टेकर किराये पर लेने के लिए खुली निविदायें आमन्त्रित की थीं।

निम्नलिखित तालिका, रीच स्टेकर के उपयोग की सीमा, अर्जित राजस्व तथा स्टेकर के किराये पर लेने के व्यय को दर्शाती है:

वर्ष	पत्तन द्वारा संचालित कंटेनरों की सं.	रीच स्टेकर द्वारा संचालित संख्या	प्राप्त राशि लाख रु. में	किया गया व्यय (लाख रु. में)			हानि (छंघ)
				किराया प्रभार	ईधन	कुल	
क	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज
21997-98	3361	400	7.54	60.39	0.65	61.04	53.50
1998-99	4047	523	17.95	60.39	1.26	61.65	43.70
1999-00	6601	699	14.88	60.39	0.61	61.00	46.12
2000-01	6220	2828	7.64	60.39	1.28	61.67	54.03
2001-02	6247	6247	35.31	59.14	4.73	63.87	28.56
जोड़			83.32			309.23	225.91

यद्यपि, पत्तन द्वारा संचालित कंटेनरों की संख्या में सीमांत वृद्धि थी, फिर भी जैसा कि पत्तन द्वारा पूर्व अनुमान लगाया गया था, रीच स्टेकर का सर्वोच्च सीमा तक उपयोग नहीं किया जा सका था। 1997-2002 की अवधि के दौरान, पत्तन ने रीच स्टेकर पर 309.23 लाख रु. का व्यय किया था। यद्यपि, रीच स्टेकर के उपयोग द्वारा अर्जित राजस्व केवल 83.32 लाख रु. था, जिसके परिणामस्वरूप पत्तन को 225.91 लाख रु. की हानि हुई।

पत्तन ने बताया कि रीच स्टेकर की अनुपयोगिता एक मात्र कंटेनर यातायात की कमी के कारण नहीं थी बल्कि जहाजी कुलियों द्वारा निजी क्रेनों को कार्य पर लगाने के कारण भी थी। पत्तन ने आगे बताया कि रीच स्टेकर को किराये पर लेने का निर्णय, पत्तन के विकास तथा आधारिक संरचना सुविधाओं का एक हिस्सा था। इसके अतिरिक्त जहाजरानी मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार पत्तन को परियोजनाओं के लिए बी.ओ.ओ.टी. के आधार पर चलना था।

पत्तन का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर तर्क संगत नहीं है, कि पत्तन को, अधिप्राप्ति के समय, निजी क्रेनों के संचालनों का पहले ही ज्ञान था।

मामला मंत्रालय को जून 2001 में भेजा गया था। मंत्रालय ने दिसम्बर 2001 में बताया कि उपकरण को किराये पर लेते समय यह विचार था कि रीच स्टेकर का उपयोग एक सहारा (अतिरिक्त) क्रेन के रूप में किया जायेगा, इसलिए इसकी उपयोगिता कम ही होनी थी। फिर भी यह आवश्यक था कि इस उपकरण को, कन्टेनर यातायात के साथ जारी रखने के लिए एक मूल आधारिक संरचना के रूप में पत्तन के नियंत्रण में रखा जाता। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि, यदि रीच स्टेकर की उपयोगिता नाममात्र ही अपेक्षित थी, तो पत्तन को इसकी खरीद ही कर लेनी चाहिये थी। वर्तमान करार के अनुसार पत्तन को, मार्च 1997 को इसकी 132.82 लाख रु. की कीमत के विरुद्ध 60.39 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से किराया प्रभारों के रूप में 603.90 लाख रुपये मै.ए.बी.जी. को भुगतान करने होंगे। यद्यपि, मंत्रालय ने भी यह स्वीकार किया है कि रीच स्टेकर की खरीद के स्थान पर इसे किराये पर लेने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारी पर उत्तरदायित्व तय करने के लिए जांच पड़ताल प्रारम्भ कर दी गई है।

### मुम्बई पत्तन न्यास

#### 7.8 परिहार्य व्यय

**मुम्बई पत्तन न्यास की प्रबंधकीय लापरवाही के परिणामस्वरूप स्टोर्म गेट पर 1.52 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय तथा 26.48 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।**

मुम्बई पत्तन न्यास के इंदिरा गोदी पर एक अवरोध प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें जल द्वार के दो सैट अर्थात् भीतरी तथा बाहरी अवरोध द्वार हैं। यह ज्वास-भाटे पर निर्भरता के बगैर, हर समय जहाजों के प्रवेश एवं प्रस्थान को सुगम बनाने हेतु गोदी के भीतर जल को एक निर्धारित स्तर तक बनाए रखने की व्यवस्था करती है। समुद्र में अधिक तूफान आने के समय एक स्टोर्म गेट तूफानी मौसम के दौरान भीतरी तथा बाहरी अवरोध द्वारों की सुरक्षा करता है, स्टोर्म गेट तथा अवरोध द्वारों का संचालन प्रत्येक के लिए मुहैया कराए गए दो द्रवचालित तेल सिलेंडरों की मदद से किया जाता है।

जून 1996 में, अभूतपूर्व चक्रवाती तूफानी मौसम में, बाहरी अवरोध द्वार के पश्चिमी सिरे के एक द्रवचालित तेल सिलेंडर का फटना सूचित किया गया तथा एक दरार भी नोटिस की गई, जिससे कि सिलेंडर आगे उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त हो गया। तुरन्त ही द्वार का तारों की डोरी से संचालन शुरू किया गया तथा बाद में इसे प्रचालन योग्य बनाने

हेतु एक पुराना द्रवचालित सिलेंडर पुनः लगा दिया गया। क्षतिग्रस्त सिलेंडर को प्रतिस्थापित करने हेतु तथा ऐसी आपात-स्थिति को ध्यान में रखते हुए भंडार हेतु एक अतिरिक्त सिलेंडर की अधिप्राप्ति हेतु, पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने जून 1997 में अर्थात् घटना के एक वर्ष के पश्चात्, दो नए द्रवचालित सिलेंडरों की अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी। तथापि उनके लिए माँग-पत्र 19 माह के अन्तराल के पश्चात् फरवरी 1999 में दिया गया। विलम्ब के कारणों को दर्शाने हेतु अभिलेखों में कुछ भी उपलब्ध नहीं था। 18 सप्ताह में पूर्ति पूरी करने की शर्त सहित पूर्ति आदेश मार्च 2000 में जारी किए गए। नए सिलेंडरों की अधिप्राप्ति अप्रैल 2001 तक भी पूरी नहीं हो सकी जबकि तब तक भीतरी अवरोध द्वारा का सिलेंडर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था तथा उसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। चूंकि क्षतिग्रस्त सिलेंडर के प्रतिस्थापन हेतु अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध नहीं था, पत्तन न्यास ने स्टोर्म गेट से लगाया गया सिलेंडर हटाना उचित समझा तथा इसे भीतरी अवरोध द्वारा के साथ लगा दिया। इसके पश्चात् सिलेंडर के अभाव में स्टोर्म गेट का प्रचालन तारों की डोरी पर किया गया, यद्यपि पत्तन को यह जानकारी थी कि सामान्यतः मानसून जून के दूसरे सप्ताह में आएगा तथा तारों की डोरी पर द्वारा का प्रचालन सुरक्षित नहीं था।

मई 2001 में, मानसून के अनवेक्षित शीघ्र आगमन के कारण, स्टोर्म गेट, जिसका प्रचालन तारों की डोरी पर किया जा रहा था, समुद्र में गिर गया। सिलेंडर के अभाव तथा साथ ही साथ स्टोर्म गेट के अनुरक्षण में कमी इसके गिरने के लिए जिम्मेवार थे। उप मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार की जांच रिपोर्ट में घटना के बारे में बताया गया कि "यदि अतिरिक्त इकाई उपलब्ध होती स्टोर्म गेट की तरफ से इकाई को हटाने के सवाल पर विचार नहीं किया गया होता। अगर द्वारा द्रवचालित इकाई पर प्रचालित किया जा रहा होता तो द्वार के विफल होने का प्रश्न नहीं उठा होता, तथा वहाँ पर उपकरण के संगठित अनुरक्षण की भी कोई प्रणाली नहीं थी। फलस्वरूप 13 दिनों के लिए आठ जलयानों का नौपरिवहन संचालन प्रभावित हुआ तथा पत्तन को 21.08 लाख रु. राशि के पोत-कक्ष किराया प्रभारों से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त तीन अन्य जलयानों के संबंध में 5.40 लाख रु. की वापसी करनी पड़ी।

पत्तन न्यास ने क्रमशः मई तथा जून 2001 में स्टोर्म गेट को समुद्र से बाहर निकालने पर 80.00 लाख रु. तथा इसे प्रचालन योग्य बनाने हेतु 72 लाख रु. का व्यय किया। इस प्रकार, समयोचित उपचारात्मक साधन अपनाने में विफलता के परिणामस्वरूप 152 लाख रु. का परिहार्य व्यय तथा 26.48 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई। यह हानि आवश्यक अतिरिक्त सिलेण्डरों की अधिप्राप्ति अप्रैल 2001 तक न करने को आरोप्य थी।

यद्यपि पत्तन को उनकी आवश्यकता की जुलाई 1996 से ही जानकारी थी तथा उनकी अधिप्राप्ति की मंजूरी जून 1997 में ही प्राप्त कर ली गई थी।

मामला मंत्रालय को जून 2002 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### **नया मंगलौर पत्तन न्यास**

##### **7.9 गोदी कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन के बकायों की गैर वसूली के कारण हानि**

**नौभरकों से बकायों के गैर-वसूली के परिणामस्वरूप 1.97 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।**

नया मंगलौर पत्तन नौभार प्रबन्धन श्रमिक (रोजगार नियमन) योजना 1990 की शर्तों के अनुसार नया मंगलौर पत्तन सूचीबद्ध श्रमिक प्रबन्धन समिति (पत्तन प्रयोक्ताओं की निजी एजेंसी) के अन्तर्गत कार्य करने वाले नौभार प्रबन्धन श्रमिकों को जनवरी 1990 में नया मंगलौर पत्तन न्यास (न.म.प.न्यास) के नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, पत्तन न्यास ने पत्तन क्षेत्र के अन्तर्गत सभी नौभार प्रबन्धन संचालनों के लिए, नौभार-प्रबन्धन श्रमिकों के पंजीकृत संघ का अनुरक्षण तथा निर्धारित दरों पर लाइसेंस प्राप्त नौभरकों को उपलब्ध कराना था। योजना के अन्तर्गत श्रमिकों तथा स्टाफ को भुगतान किया गया वेतन, भत्ते तथा प्रोत्साहन, ऐसे श्रमिकों की तैनाती के वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर मांगकर्ता नौभरकों से वसूली योग्य थे।

अगस्त 2000 में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जनवरी 1997 से, वेतन संशोधन समिति द्वारा किए गए वेतन समझौते के परिणामस्वरूप सभी मुख्य पत्तन न्यासों के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की संशोधित दरें, गोदी श्रमिकों पर भी लागू की जानी थीं। जनवरी 1998 से अगस्त 2000 के लिए बकाया वेतन तथा भत्तों (मासिक दर पर) के कुल 5.34 करोड़ रु. का पत्तन निधियों से गोदी श्रमिकों को भुगतान किया गया।

अगस्त 2000 में पत्तन न्यास ने सभी सम्बन्धित नौभरकों तथा पत्तन प्रयोक्ताओं को वेतन तथा भत्तों में संशोधन पर ध्यान देने तथा गोदी श्रमिकों को बकायों के भुगतान से उद्भूत अतिरिक्त राशि के प्रेषण हेतु प्रबन्ध करने के लिए सूचित किया।

इसने सितम्बर 2000 के बाद से संशोधित वेतन के आधार पर नौभरकों से वेतन की वसूली आरंभ कर दी थी, किन्तु जनवरी 1998 से अगस्त 2000 की अवधि के दौरान पत्तन निधियों से वितरित बकायों के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की।

जनवरी 1998 से अगस्त 2000 की अवधि के लिए, गोदी श्रमिकों के वास्तविक परिनियोजन/बुकिंग के आधार पर नौभरकों से वसूली योग्य बकाया वेतन 1.97 करोड़ रु. परिकलित किया गया।

पत्तन न्यास ने दिसम्बर 2000 तक बकायों की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी, जैसाकि अन्य पत्तनों द्वारा की गई थी। तूतीकोरिन पत्तन न्यास ने पहले ही अतिरिक्त नौभार कर के रूप में कुल 10.69 करोड़ रु. के बकायों की वसूली कर ली थी। इसके अतिरिक्त, पारादीप पत्तन न्यास ने भी 1 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर पर विशेष अधिभार के रूप में 2.75 करोड़ रु. के बकायों की वसूली आरंभ कर दी थी।

उपयुक्त कार्यवाही करने में न.मं.प.न्या. की विफलता के परिणामस्वरूप 1.97 करोड़ रु. की वसूली नहीं की जा सकी।

मामला मंत्रालय को जून 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय VIII : लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

**केन्द्रीय औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता**

### 8.1 मशीन घंटा दरों का गलत निर्धारण

केन्द्रीय औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा मशीन घंटा दरों की तर्दर्थ बढ़ोतरी लागत के विभिन्न घटकों में वास्तविक बढ़ोतरी से असंबद्ध थी जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक सहायता मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों को देनी पड़ी जो केन्द्र द्वारा स्वीकृत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के विपरीत थी।

केन्द्रीय औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना लघु उद्योगों को मुख्यतः विक्रय के लिए औजारों के विनिर्माण और उनको मशीनरी सुविधाएं और उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य के साथ कोलकाता में की गई। केन्द्र लघु उद्योग क्षेत्र की औजार इंजीनियरी के क्षेत्र में शीघ्र वृद्धि को सुनिश्चित करना चाहता है।

केन्द्र की आय का मुख्य स्रोत ढांचों, जुड़नार और औजारों की बिक्री था। बिक्री का मूल्य निर्धारण करने के लिए, उत्पादन की लागत का परिकलन करना आवश्यक था जो सामान्यतः विभिन्न औजारों और जुड़नार के विनिर्माण में लगी मशीनों से सम्बन्धित निर्धारित घंटा दरों के आधार पर किया जाता था। प्रत्यक्ष श्रम, मूल्यहास, उपभोज्यों की लागत, बिजली की खपत, मरम्मत एवं अनुरक्षण की लागत एवं खर्च इन घंटों दरों के परिकलन के लिए आधार बनते थे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिक्री मूल्य यर्थार्थवादी है और उत्पादन की वास्तविक लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके लिए मशीन घंटा दरों को समय-समय पर संशोधित करना आवश्यक होगा। इससे उपयुक्त अनुरक्षण एवं पूर्ण लागत डाटा का परिणाम निकलता है जिससे टैरिफ में समय-समय पर परिवर्तन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की हकदारी आदि को लागू करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। विश्वसनीय लागत डाटा के आधार पर मशीन घंटा दरों को निर्धारित करने की बजाय अक्टूबर 1996 में केन्द्र की शासी परिषद ने यह निर्णय लिया कि यह दरें अब से प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होगी जिसमें पिछले वर्ष की लागू दरों से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी तथा ऐसे प्रस्ताव जिनमें 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक बढ़ोतरी होगी उन्हें भविष्य में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि लेखापरीक्षा को ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत तक एक

समान घंटों दरों की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था। जबकि लघु औद्योगिक इकाइयों की बिक्री समय-समय पर निर्धारित उत्पादन की लागत के आधार पर की जाती थी, शासी परिषद ने सितम्बर 1998 में निर्णय लिया कि पंजीकृत लघु इकाइयों के अलावा औद्योगिक इकाइयों के लिए मशीन घंटा दरें लघु उद्योगों के अनुमोदित दरों से 25 प्रतिशत अधिक होंगी।

जबकि वर्ष 1998-99 के लिए संशोधित मशीन घंटा दरें शासी परिषद के निर्णयानुसार 1 अप्रैल से लागू की जानी थी, केन्द्र ने केवल नवम्बर 1998 में इन दरों को संशोधित किया। इसके कारण, केन्द्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनों की दरें उत्पादन के विभिन्न घटकों की लागत को ध्यान में रखने के बाद पहुँची।

तथापि इसी प्रकार 1999-2000 एवं 2000-01 वर्षों के लिए लागू मशीन घंटा दरों के निर्धारण के लिए लागत के विभिन्न घटकों को ध्यान में नहीं रखा गया। तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के घंटा दरों को एक समान 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की बजाय, अधिकतर मामलों में, अनुमानतः शासी परिषद के अक्तूबर 1996 के निर्णय के आधार पर थे।

लेखापरीक्षा ने इन दो वर्षों के लिए लागू मशीन घंटा दरों के निर्धारण पर अभ्यास के तौर पर कार्य किया जो नवम्बर 1998 में केन्द्र द्वारा अपनाये गये सिद्धान्तों पर आधारित थी। इससे पता चला कि यदि लागत के विभिन्न घटकों को ध्यान में रखने के बाद घंटा दरों को परिकलित किया जाता, जैसा कि पहले किया गया था, विभिन्न मशीनों के लिए घंटा दरें केन्द्र द्वारा अपनायी गई वास्तविक दरों से अधिक होती, व्यक्तिगत मशीनों के संबंध में प्रतिशत विभिन्नता 27.30 से 124.00 के बीच थी। कुछ स्पष्ट उदाहरण नीचे तालिका में दिए गए हैं।

क्रम सं.	मशीन का नाम	प्रभारित मशीन घंटा दर एवं प्राप्य मशीन घंटा दर की प्रतिशतता में विभिन्नता	
		1999-2000	2000-2001
1.	सी.एन.सी. मीलिंग	72.31	69.51
2.	ट्रनिंग	57.65	63.33
3.	शेपिंग	57.50	62.35
4.	फीटिंग	57.14	66.67
5.	डिजाइन (सी.ए.डी.)	76.47	70.00
6.	पॉवर प्रेस	118.95	124.00
7.	इंजेक्शन मोल्डिंग	66.18	67.33

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पता लगा कि केन्द्र का उद्देश्य लघु क्षेत्र की सहायता करना था, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान पंजीकृत लघु उद्योगों के अतिरिक्त इकाइयों की बिक्री क्रमशः 92.40 प्रतिशत तथा 83.66 प्रतिशत थी।

मशीन घंटा दरों के निर्धारण में लागत के विभिन्न घटकों में वास्तविक बढ़ोतरी को ध्यान में न रखने के अभाव के फलस्वरूप केन्द्र के उत्पादों को ऐसे मूल्यों पर बेचा जिसका उत्पादन की वास्तविक लागत से कोई संबंध नहीं था। इसके, क्रम से, केन्द्र की राजस्व वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके आशय का सुसंगत ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण ठीक परिमाण निर्धारित नहीं किए जा सका।

नवम्बर 1998 के दौरान, केवल लागत के विभिन्न घटकों पर आधारित उत्पादन की वास्तविक लागत को मानते हुए निर्धारण किया गया ओर निर्धारित घंटा दरें बाद में एक समान 5 प्रतिशत से बढ़ती रही, केन्द्र ने बताया (जुलाई 2002) कि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन के संबंध में निर्धारित लागत प्रबलता से बढ़ी ओर दूसरी ओर, बिक्री मूल्य की मूल्य तालिका प्रतिस्पर्धा परिवेश जिसमें उसे कार्य करना था को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी थी। केन्द्र ने यह भी बताया कि उत्पादन की लागत में जुड़े हुए घटकों में वास्तविक बढ़ोतरी पर विचार करने के बाद यह लागत नीति तैयार की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2002) कि उत्पादन की लागत के घटकों के अलावा, मशीन घंटा दरें निर्धारित करते समय बाजार परिस्थितियां और विशेषकर अंतिम उत्पादों की आपूर्ति एवं मांग स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए ओर इसके अलावा यह कि उत्पादन इकाइयां ग्राहकों को आकर्षित करने में निम्न स्तरों पर मूल्य रखने के लिए प्रायः बाध्य करती है और प्रक्रिया में उनकी बिक्री प्राप्ति को बढ़ाती है।

मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं, औजारों, ढांचों आदि की बिक्री से वास्तविक बिक्री प्राप्तियों में 1997-98 में 133.55 लाख रु. से 2001-02 में 179 लाख रु. (अनंतिम) बढ़ोतरी हुई थी। इससे, यद्यपि, यह प्रकट होता है कि लागत के घटकों में वास्तविक बढ़ोतरी को वास्तव में ध्यान में रखे बिना शासी परिषद का प्रतिवर्ष घंटा दरों की एक समान 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार का निर्धारण वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अनुकरण के बाद विशेषकर निर्धारित लागतों की बढ़ोतरी के संदर्भ में आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, 5 प्रतिशत तक मशीन घंटा दरों को बढ़ाते हुए, बाजार परिस्थितियों और आपूर्ति एवं मांग स्थिति को भी स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं रखा गया।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र के अधिकांश उत्पादन को, केवल लघुक्षेत्र की इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों को बेचे जाने तथा प्रथमदृष्ट्या अस्थायी प्रयास पर आधारित प्रतीत होने वाली, मशीन घंटा दर के निर्धारण, के परिणामस्वरूप केन्द्र को मध्य एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता देनी पड़ी, जोकि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उसके मुख्य उद्देश्य के विरुद्ध था।

### **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग**

#### **8.2 फ्लैटों के अधिग्रहण पर निष्क्रिय निवेश**

कोलकाता में अपने कर्मचारियों हेतु अधिग्रहित किए जाने वाले फ्लैटों की सौंपे जाने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताओं के आकलन में विफलता के कारण खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया कुल 76.14 लाख रुपये का निवेश दिसम्बर 1996 से निष्फल पड़ा रहा तथा बांछित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

मई 1996 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के आवेदन के आधार पर, पश्चिम बंगाल आवास परिषद ने आवास परिषद के मत्कल-निमता परियोजना में 10 पूर्ण निर्मित आवसीय फ्लैटों (अनुमानित लागत 1.70 लाख प्रति फ्लैट) तथा ठाकुरपुर परियोजना में उस समय निर्माणाधीन 24 फ्लैटों (अनुमानित लागत 2.80 लाख रुपये प्रति फ्लैट) को आयोग को बेचे जाने हेतु उद्देष्टि किया था जिसका स्वामित्व दो वर्ष में दिया जाना प्रस्तावित था। इन फ्लैटों का प्रयोग स्टाफ क्वाटर्स के रूप में किया जाना था।

आयोग ने प्रस्ताव अक्टूबर 1996 में स्वीकार किया था। मत्कल निमता में पूर्ण निर्मित फ्लैटों की कीमत प्रति फ्लैट 1.90 लाख निर्धारित करने के दौरान 10 फ्लैटों हेतु ही 19.00 लाख रुपये का भुगतान आवास बोर्ड को कर दिया गया। तदन्तर, ठाकुरपुर परियोजना भवनों के संबंध में आवास परिषद के 67.20 लाख रुपये की मांग के विरुद्ध आयोग द्वारा 57.14 लाख रुपये की अनुमानित लागत की अंश-अदायगी दिसम्बर 1996 में की गई। ऐसा करते समय इन फ्लैटों के निर्माण स्थिति का पता नहीं लगाया गया। न ही आवास बोर्ड से कोई औपचारिक करार किया गया।

जून 1997 में, आवास बोर्ड ने आयोग को सूचित किया कि, वह जल्दी ही सामान्य क्षेत्रों के प्रबन्धन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायित्व तथा मत्कल निमता आवास

परियोजना की सुविधाओं को, आबंटियों द्वारा निर्मित एक सहकारी समिति को सौंप देगा तथा कहा कि क्योंकि मौजूदा नियमों के अन्तर्गत एक संगठन एक आवास सहकारी समिति का सदस्य नहीं बन सका, इसे आयोग को आबंटित 10 फ्लैटों से सम्बन्धित यातायात के दस्तावेज के पंजीकरण एवं कार्यान्वयन को सुलभ बनाने के लिए समिति की सामान्य सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए।

जब आयोग ने आवास सहकारी समिति का सदस्य बनने की अनुमति के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क किया तो सहकारी विभाग ने प्रारम्भिक तौर पर जुलाई 1999 में, आयोग को पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम 1983 के प्रावधानों के साथ पठित नियमों में सम्बद्ध प्रतिबन्धन प्रावधानों से छूट देते हुए, आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर दिया था। यद्यपि, सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा यह इंगित करने पर कि जिन प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग का छूट दी गई थी उनको सही ढंग से लागू नहीं किया गया था, एवं एक संगठन, जैसे कि खादी का ग्रामीण उद्योग आयोग, को सहकारी आवास सोसाइटी का सदस्य बनन की अनुमति नहीं दी जा सकती, इस अनुमोदन को विभाग ने जनवरी 2000 में वापस ले लिया था।

इसलिए आयोग ने फरवरी 2000 में आवास बोर्ड से, या तो 15 दिन के अन्दर मुक्तल-निमता परियोजना में 10 फ्लैटों का कब्जा सौंपने या इस बारे में पहले ही भुगतान किये गये 19.00 लाख रु. की राशि को क्रमशः 18 एवं 12 प्रतिशत के ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज सहित लौटाने का अनुरोध किया। यद्यपि आवास बोर्ड ने फरवरी 2000 में ही इन फ्लैटों से सम्बन्धित एक आदेश जारी किया था, परन्तु यह फिर से, आयोग द्वारा सहकारी आवास समिति की सदस्यता को प्राप्त करने की शर्त के साथ था। क्योंकि अनुरोध को राज्य सरकार ने नहीं माना था, फ्लैटों के कब्जा प्राप्त करने की समस्या का समाधान नहीं हो सका।

इसी प्रकार जब मार्च 2000 में ग्राकुरपुर परियोजना में 24 फ्लैटों में से 13, आयोग को सौंपे जाने के लिए तेयार थे, तथा बाकी 13 फ्लैट भी अगस्त 2001 में पूरे हो गये थे, तो आबंटियों द्वारा बनाई गई सहकारी समिति ने नवम्बर 1999 में आयोग को सूचित किया कि फ्लैटों का कब्जा लेने के लिए समिति की सदस्यता अनिवार्य थी। यद्यपि आयोग ने सहकारी विभाग से एक विशेष आदेश जारी रखने के लिए सम्पर्क किया था ताकि इसे समिति की सदस्यता प्राप्त करने में आसानी हो, क्योंकि मुक्तल निमता परियोजना के फ्लैटों के सम्बन्ध में एक गतिरोध पैदा हो गया था, इन फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया जा सका।

इस परिवेश में औसतन 76.14 लाख रु. के निवेश पांच वर्षों से अधिक निष्फल पड़े रहे तथा अभिप्रेत आशय पूरा नहीं हुआ। इसका फ्लैटों का कब्जा लेने में असमर्थता के कारण, आयोग ने भी उन कर्मचारियों को, जिन्हें अन्यथा इन फ्लैटों का आबंटन हो गया होता, आवास किराया भत्ते के भुगतान पर व्यय करना जारी रखा।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2001 में भेजा गया था। जबकि उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

आयोग न बताया (अक्टूबर 2001) कि जब आवास बोर्ड ने फ्लैटों की विक्री का प्रस्ताव किया था, सहकारी आवास समिति की सदस्यता प्राप्त करने की अपेक्षा का अनुबद्ध नहीं था तथा यह बाद में केवल जून 1997 में अभिहस्तांतरण दस्तावेज के कार्यान्वयित एवं पंजीकरण की सुलभता के लिए, इस सम्बन्ध में सलाह दी गई थी, तथा आयोग किसी भी प्रकार से इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं था कि राज्य सरकार ने जुलाई 1999 में किया गया अनुमोदन वापस ले लिया था। आयोग ने आगे बताया कि फ्लैटों का कब्जा लेने का मामला राज्य सरकार के साथ फिर से उठाया गया था तथा सहकारी आवास समिति में सदस्यता से सम्बन्धित विवाद, इस अनुबन्ध पर कि पंजीकरण शुल्क के रूप में 7.00 लाख रु. का भुगतान किया जाय, सुलझा हुआ प्रतीत हुआ तथा राज्य सरकार के वित्त सचिव से सितम्बर 2001 में आयोग को शुल्क के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया गया था।

जबकि इस सम्बन्ध में जून 2002 तक आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी, यह तर्क, कि आयोग को सहकारी आवास समिति की सदस्यता के बारे की आवश्यकता का ज्ञान नहीं था, स्वीकार्य नहीं था। इस तथ्य पर विचार करने पर कि पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम केवल वर्ष 1983 में लागू हुआ था आयोग को उसमें निहित प्रतिबन्धन प्रावधानों तथा छूट सम्बन्धी सक्षम बनाने वाले प्रावधानों की व्यावहारिकता का ज्ञान होना चाहिये था, या इसे कम से कम इतनी ही मात्रा में निवेशों के लिये जाने से पूर्व अनुपालन हेतु अपेक्षित औपचारिकताओं को आरम्भ से ही सुनिश्चित करना चाहिये था। ऐसा ना करना, आयोग की अपने वित्तीय हितों की अपर्याप्त सुरक्षा में विफलता का सूचक है।

प्रद्युम्न

मामला मंत्रालय को जून 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2003 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय IX : कपड़ा मंत्रालय

### भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगठन

#### 9. निष्क्रिय संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगठन द्वारा त्रुटिपूर्ण खरीद आदेश देने तथा प्रभावी अनुसरण कार्यवाही की कमी एवं बिना किसी औपचारिक समझौते अथवा पटसन मिल में संयंत्र चलाने की व्यवहार्यता पर विचार किये बिना पटसन मिल में संयंत्र चलाने के परिणामस्वरूप 45.66 लाख रु. की लागत का संयंत्र एवं उपकरण निष्क्रिय रहा। परियोजनाओं के उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके।

(i) पटसन तथा पटसन मिश्रित कपड़ों के विरंजन रंगाई तथा परिष्करण हेतु नुस्खा तैयार करने के लिए एवं कम्प्यूट्रीकृत कलर मैच प्रणाली में उपयोग करने के लिए डाटा बैंक भी तैयार करने हेतु भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगठन ने 17.39 लाख रु. के बराबर 29603 पौण्ड की लागत पर कलर टैक रंगाई मशीन के आयात के लिए अगस्त 1996 में एक फर्म को आदेश दिया।

यद्यपि फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र बीजक में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जब तक विशेष रूप से आदेश न दिये जाएं तथा भुगतान न किया जाए इसकी स्थापना नहीं होगी तथा इसे चालू नहीं किया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि संगठन ने खरीद आदेश में स्थापना तथा चालू करने की आवश्यकता को शामिल नहीं किया, जबकि वास्तव में संगठन के पास इस तरह के परिष्कृत उपकरण के संचालन की आवश्यक निपुणता नहीं थी।

बिक्री के नियमों एवं शर्तों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि इकाई की स्थापना तथा चालू करने के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार नहीं थे बल्कि वे केवल निर्माण की त्रुटियों के सम्बन्ध में ही जिम्मेवार थे, बशर्ते कि घटना होने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर लिखित शिकायत दर्ज की जाए।

उपकरण 17.68 लाख रु. की लागत पर फरवरी 1997 में प्राप्त हुआ था। मार्च 1997 में परीक्षण में चलाने के दौरान इसमें कुछ तकनीकी खराबियां आ गईं इसलिए इसे चालू नहीं किया जा सका। मई 1997 में, सुपुर्दगी के तीन माह पश्चात् संगठन ने खराबियों के सुधार के लिए फर्म से सम्पर्क किया परन्तु न तो इसने फर्म के साथ अनुसरण किया

और न ही इकाई चालू करने के लिए कोई अगली कार्यवाही की। मशीन का वारन्टी दिसम्बर 1997 में समाप्त हो गई। जून 2002 को मशीन बिना उपयोग के पड़ी हुई थी।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण खरीद आदेश तथा प्रभावी अनुसरण की कमी के परिणामस्वरूप 17.68 लाख रु. की लागत का उपकरण पांच वर्ष से अधिक निष्क्रिय रहा, इसके अतिरिक्त उद्देश्य जिसके लिए यह खरीदा गया था भी पूरे नहीं हुये।

(ii) कच्चे पटसन से अत्युत्तम रेशा निर्माण के लिए भाप विस्फोटक प्रौद्योगिकी की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने, टेलर-मेड पटसन रेशा उत्पादन की प्रौद्योगिकी के विकास तथा विनिर्माताओं को अन्तरण हेतु संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (सं.रा.वि.प.) द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधि से, अक्टूबर 1998 में एक भाप विस्फोटक संयंत्र का पाइलैंट मॉडल अधिप्राप्त किया। राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम (रा.प.नि.नि.), भारत सरकार के उपक्रम के नियंत्रणाधीन किनीसन जूट मिल के परिसर में जनवरी 1999 में स्थापना हेतु प्रभारों सहित इसकी कुल लागत 27.23 लाख रु. थी। पटसन मिल के साथ कोई औपचारिक समझौता किये बिना अथवा पटसन मिल में संयंत्र के चलाने की व्यवहार्यता पर विचार किये बिना ही, संयंत्र जुलाई 1999 से चालू किया गया था। जुलाई 1999 से नवम्बर 1999 के संयंत्र के प्रचालन की अवधि के दौरान, केवल 300 किलो कच्चे पटसन का संसाधन किया गया था तथा आगे संसाधन हेतु अन्य दो पटसन मिलों को दिया गया था। संगठन ने दिसम्बर 1999 में संयंत्र बन्द कर दिया क्योंकि मिल के कर्मचारियों ने संयंत्र की बार-बार मरम्मत तथा परिवर्तन हेतु अन्य मिलों से अभियंताओं तथा विशेषज्ञों के दौरें पर आपत्ति की थी। आगे मिल में अवसंरचना सुविधाओं के लिए सॉफ्ट वाटर तथा कार्यशाला की सेवाएँ उपलब्ध नहीं थीं। जनवरी 2000 में संगठन ने संयंत्र को अपने परिसर में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया जिस में मिल के बजाए अधिक प्रभावी विस्तृत प्रयोग करने की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध थीं। संयंत्र विखण्डित कर दिया गया तथा अप्रैल 2000 में 0.75 लाख रु. की लागत पर संगठन के परिसर से स्थानान्तरित करके अगस्त 2000 में स्थापित कर दिया गया। आवर्तक तकनीकी समस्याओं के कारण संयंत्र ने नवम्बर 2001 तक विरामी कार्य किया। इसके पश्चात यह बन्द हो गया तथा जून 2002 तक भी ऐसा ही था।

इस प्रकार किसी प्रकार के औपचारिक समझौता किये बिना पटसन मिल में संयंत्र के चलाने अथवा पटसन मिल में संयंत्र के चलने की व्यवहार्यता पर विचार न करने के

परिणामस्वरूप संयंत्र, जिस पर 27.98 लाख रु. का व्यय हुआ था निष्क्रिय हो गया इसके अतिरिक्त उद्देश्य जिनके लिए यह अधिप्राप्त किया गया था पूरे नहीं हुये।

त्रुटिपूर्ण खरीद आदेश देने तथा किसी औपचारिक समझौते के बिना पटसन मिल में संयंत्र चलाने के परिणामस्वरूप; 45.66 लाख रु. की लागत के संयंत्र तथा उपकरण निष्क्रिय रहा।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2002 में भेजा गया था; दिसम्बर 2002 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

## अध्याय X : शहरी विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय

**शहरी विकास विभाग**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

**10.1 उच्चतर दरों पर ठेका सौपना**

**मुख्य अभियंता द्वारा कार्य सलाहकार बोर्ड की अनुबद्ध दरों के बाहर ठेका सौपने के परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1.94 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने बसंत कुंज में उ.आ.व./म.आ.व./नि.आ.व. के 2304 गृहों के निर्माण का निर्णय लिया। 960 उ.आ.व., 416 म.आ.व. और 480 नि.आ.व. के बहुमंजिलीय गृह चार वर्गों में बनाये जाने थे, प्रत्येक में 240 उ.आ.व., 104 म.आ.व. व 120 नि.आ.व. के गृह सम्मिलित थे। वर्ग I और II के लिए जुलाई 2001 में क्रमशः 33.80 करोड़ रु. व 33.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर और वर्ग III और IV के लिए अगस्त 2001 में क्रमशः 34.45 करोड़ रु. व 34.22 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर निविदाएं आमंत्रित की गई। इन कार्यों के लिए मानक सूत्र के आधार पर दरों का औचित्य मानने के लिए संगणित की गई न्यायोचित दरें 40.27 करोड़ रु., 40.03 करोड़ रु., 41.00 करोड़ रु. व 40.70 करोड़ रुपये थीं जो अनुमानित लागत से क्रमशः 19.14 प्रतिशत, 19.27 प्रतिशत, 19.03 प्रतिशत व 18.95 प्रतिशत अधिक थीं।

कार्य सलाहकार बोर्ड (का.स.बो.) ने नवम्बर 2001 में यह निर्णय लिया कि मुख्य इंजीनियर (द.प.जोन) व मुख्य इंजीनियर (विद्युत) को न्यूनतम निविदादाता से मोल तोल करके दरों को कम से कम स्तर तक लाना चाहिए था ताकि यह सहमत दरें न्यायोचित दरों से 7.5 प्रतिशत नीचे हों।

जैसा कि संस्तुत किया गया था, न्यायोचित दरों का 7.5 प्रतिशत नीचे 37.25 करोड़ रु., 37.03 करोड़ रु., 37.92 करोड़ रु. व 37.64 करोड़ रु. संगठित हुआ था जो कि चारों कार्यों की अनुमानित लागत से क्रमशः 10.20 प्रतिशत, 10.32 प्रतिशत, 10.10 प्रतिशत व 10.03 प्रतिशत अधिक था। तथापि, का.स.बो. के आदेश के उल्लंघन में मु.इ.(द.प.जोन) ने मोल तोल के बाद, कार्यों को, मोल तोल के बाद की राशि, 37.73

करोड़ रु., 37.51 करोड़ रु., 38.41 करोड़ रु. व 38.13 करोड़ रु. की लागत पर सौंप दिया, जो कि अनुमानित लागत से क्रमशः 11.64 प्रतिशत (19.14 घटा 7.5), 11.76 प्रतिशत, 11.52 प्रतिशत और 11.45 प्रतिशत अधिक थी और का.स.बो. द्वारा निर्धारित उच्चतम मूल्य से अधिक थी। उच्चतर दरों पर कार्यों का सौंपे जाना, उच्चतम न्यायोचित राशि की गलत गणना के कारण हुआ था। मु.इ. ने न्यायोचित दर निकालने के लिये, न्यायोचित लागत का 7.5 प्रतिशत कम करने के बजाए, न्यायोचित प्रतिशत में से 7.5 प्रतिशत घटा दिया था। इसके परिणामस्वरूप कार्यों को उच्चतर दरों पर सौंपा गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

		वर्ग			
		I	II	III	IV
(क)	अनुमानित लागत	33.80	33.57	34.45	34.22
(ख)	निविदागत राशि	40.66	40.54	40.77	39.77
(ग)	न्यायोचित लागत निकालने के लिए प्रयोग किये गये प्रतिशत (अनुमानित लागत से ऊपर)	19.14 प्रतिशत	19.27 प्रतिशत	19.03 प्रतिशत	18.95 प्रतिशत
(घ)	न्यायोचित लागत	40.27	40.03	41.00	40.70
(ङ)	न्यायोचित दर से 7.5 प्रतिशत कम राशि	37.25	37.03	37.92	37.64
(च)	मोल तोल पर निविदागत लागत	37.73	37.51	38.41	38.13
(छ)	अन्तर (च.-ङ)	0.48	0.48	0.49	0.49
	कुल अन्तर	1.94 करोड़ रुपये			

अतः मु.इ. द्वारा कार्यों का सौंपा जाना, जोकि का.स.बो. की अनुबंधित न्यायोचित दरों से अधिक था, के परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को 1.94 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

#### 10.2 लागत वृद्धि के सम्बन्ध में परिहार्य अतिरिक्त भुगतान

नियमावली के प्रावधानों का पालन करने तथा दो ठेकेदारों द्वारा बिना रुकावट के निर्माण कार्य के निष्पादन को सुनिश्चित करने में प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप श्रम तथा सामग्री की लागत में वृद्धि के सम्बन्ध में 74.63 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

नियमों में व्यवस्था है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को तब तक निविदा सूचनाएँ जारी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक आरेखणों के पूर्ण सैट

सहित सभी निविदा दस्तावेज तथा स्थल उपलब्ध न हो जाएँ। प्राधिकरण ठेके में सहमत हुई अनुसूची के अनुसार ठेकेदारों को आवश्यक दस्तावेज आरेखण तथा अनुबंधित सामग्री की आपूर्ति करने तथा बिना रुकावट तथा समय पर निर्माणकार्यों<sup>1</sup> के निष्पादन हेतु शामिल विभिन्न अभिकरणों के साथ पर्याप्त समन्वयन सुनिश्चित करने हेतु भी उत्तरदायी था।

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के पूर्व प्रतिवेदनों<sup>2</sup> में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा करवाये गए अपर्याप्त प्रारम्भिक निर्माण कार्यों पर आरोप्य लागत वृद्धि के सम्बन्ध में ठेकेदारों को परिहार्य भुगतान के उदाहरणों को उजागर किया है।

प्राधिकरण ने जुलाई 1997 तथा सितम्बर 1993 में सम्बद्ध ठेकों को अंतिम रूप देने से पूर्व इन आवश्यक अपेक्षाओं को सुनिश्चित किये बिना निम्नलिखित तीन निर्माण कार्य ठेकेदारों को सौंपे गए जिसके परिणामस्वरूप नियत अवधि में निर्माण कार्य पूरे नहीं हुये।

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	निविदागत लागत (लाख रु. में)	कार्य समापन की तिथि	कार्य समापन में विलम्ब का समय (माह में)	
			नियत	वास्तविक	
1.	बसंत कुंज में दो समूहों में 304 एस.एफ.एस. मकानों का निर्माण समूह- I -152 समूह- II -152	349.74 348.19	30-7-1999 30-7-1999	30-6-2001 30-6-2001	23 23
2.	शेख सराय में 104 एस.एफ.एस. मकानों का निर्माण	248.15	19-6-1995	31-1-2000	55

इन तीन मामलों में नियत तिथि में कार्य समापन में चूक नीचे दिखाए गए कारणों से मुख्यतः प्राधिकरण पर आरोपित थी:-

<sup>1</sup> के.लो.नि.वि. नियमावली, खण्ड-II के पैरा संख्या 17.3.1, 4.21 तथा 4.24

<sup>2</sup> मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या 4 का पैरा 12.3

(ii) 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या 4 का पैरा 12.4 एवं 12.5

(iii) 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या 4 का पैरा 11.3, 11.4 एवं 11.5

(iv) 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या 4 का पैरा 13.2, 13.4, 13.5 एवं 13.6

क्र.सं.	कारण	वसंत कुंज <sup>3</sup>		शेख सराय (माह)
		समूह-I (माह)	समूह-II (माह)	
1.	स्थल की अनुपलब्धता	9	17	55
2.	विभिन्न आरेखों की आपूर्ति में विलम्ब	12	8	-
3.	अनुबंधित सामग्री जारी करने में विलम्ब	3	3	-
	जोड़	24	28	55

परिणामतः ठेकेदारों ने प्राधिकरण पर आरोप्य विलम्बों के सम्बन्ध में श्रम तथा सामग्री की लागत सूची में अन्तर निरूपित करते हुए अतिरिक्त भुगतानों के दावे किये। इन तीन ठेकों के सम्बन्ध में 30 जून 2001 तथा 31 जनवरी 2000 तक लागत वृद्धि के सम्बन्ध में क्रमशः 11.65 लाख रु., 26.25 लाख रु. तथा 36.73 लाख रु. का भुगतान किया गया। यदि दि.वि.प्रा. ने नियमावली के प्रावधानों का पालन किया होता तथा स्थल, आरेखों तथा सामग्री की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित किया होता तो कुल 74.63 लाख रु. के इन भुगतानों से बचा जा सकता था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2002 में भेजा गया था, दिसम्बर 2002 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

### 10.3 फ्लैटों के दोहरे आबंटन के परिणामस्वरूप हानि

सम्पत्ति रजिस्टर के अनुरक्षित न किए जाने से दोहरे आबंटन के कारण 24.38 लाख रुपये की परिहार्य हानि

दिल्ली विकास प्राधिकरण का आवास स्कंध, प्राधिकरण द्वारा पंजीकृतों को निर्मित फ्लैटों का आबंटन कम्प्यूटर द्वारा निकाले गए ड्रा के आधार पर करता है। जब कभी एक विशेष श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन के बारे में ड्रा निकालने का निर्णय लिया जाता है, आवास स्कंध विभिन्न स्थानों पर खाली फ्लैटों को सूचित करता है। तदनुसार, प्राथमिकता सूची में से पंजीकृतों की समान संख्या लेकर विशेष प्रकार के फ्लैटों का ड्रा निकाला जाता है।

वर्ष 1998-2001 के लिए अभिलेखों की नमूना जांच में 7 मामलों में दोहरा आबंटन प्रकाश में आया। ये दोहरे आबंटन कम्प्यूटर द्वारा ड्रा निकालते समय, सम्पत्ति सूचना की गलती के कारण हुए जो सम्पत्ति अभिलेखों के घटिया अनुरक्षण के चलते हुई।

<sup>3</sup> अवरोधन में अवधि की अतिव्याप्ति थी

बाद में नया आवंटन किया गया जिसमें एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

	मामले						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
मूल आवंटी को आवंटन की तिथि	29-03-86	*	26-02-93	07-06-88	23-03-89	26-02-93	02-12-93
वही फ्लैट दूसरे आवंटी को आवंटित करने की तिथि	20-09-91	20-09-91	19-06-96	20-09-91	06-09-90	06-06-95	06-03-95
दूसरे आवंटी को अन्य फ्लैट आवंटित करने की तिथि	20-10-99	24-03-00	19-10-00	14-10-99	13-06-99	07-02-00	05-05-00

\* दि.वि.प्रा. ने कई अनुस्मारकों के बावजूद तिथियां उपलब्ध नहीं कराई।

चूंकि मूल एवं बाद में किए गए आवंटन में विस्तृत समयान्तराल था इसलिए दि.वि.प्रा. ने आवंटियों से फ्लैटों की चालू कीमत ली। आवंटियों ने इस पर विरोध जताया तथा उनमें से एक उच्च न्यायालय में चला गया। अगस्त 1993 में न्यायालय ने आदेश दिया कि चूंकि आवंटियों की इसमें कोई गलती नहीं थी इसलिए उनसे मूल आवंटन के समय प्रचलित कीमत ली जानी चाहिए।

न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने नवम्बर 1993 में निर्णय लिया कि इस प्रकार के सभी मामलों में वैकल्पिक फ्लैटों के आवंटियों से, मूल आवंटन के समय पुरानी प्रचलित कीमत ली जाएगी। गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया। तथापि दिसम्बर 2002 तक कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी।

इसके परिणामस्वरूप, दोहरे आवंटन के सात मामलों में दि.वि.प्रा. ने उपरोक्त फैसले के तहत पुरानी कीमत 33.55 लाख रु. वसूल किए। इन सात फ्लैटों की कीमत वैकल्पिक आवंटन के समय 57.93 लाख रु. बनती थी।

इस प्रकार सम्पत्ति-अभिलेखों के अनुरक्षण न होने तथा पूर्व आवंटित फ्लैटों के दुबारा ढ़ा में सम्मिलित हो जाने के कारण दोहरा आवंटन हुआ तथा 24.38 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला सितम्बर 2002 में मंत्रालय को भेजा गया था उनका उत्तर दिसम्बर 2002 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय XI

## [11. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति]

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से यह अनुरोध करते हुए, कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दर्शाते हुए टिप्पणियां, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को प्रस्तुत करने हेतु, अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 1995-96 के दौरान की गई कार्यवाही टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति का पुनरीक्षण किया और अधिकांश मंत्रालयों द्वारा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर का.टि. देने में अत्यधिक विलम्ब और निरन्तर विफलता पाई। 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौरों प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित का.टि. के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा भली-भांति पुनरीक्षित कराकर संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2001 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (परिशिष्ट-VIII) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदेशों के बावजूद मंत्रालयों ने उनसे सम्बन्धित बहुत से पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 125 पैराग्राफों में से, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, 59 पैराग्राफों पर अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थी जबकि 66 पैराग्राफों के सम्बन्ध में का.टि. प्राप्त नहीं हुई थी।

66 पैराग्राफ, जिन पर का.टि प्रतीक्षित थी, में से 36 पैराग्राफ शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के मार्च 1989 से मार्च 1994 को समाप्त अवधि के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित थे।

(हर प्रसाद दास)


नई दिल्ली  
दिनांक: 25 अप्रैल 2003

महानिदेशक लेखापरीक्षा,  
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 25 अप्रैल 2003

(विजयेन्द्र नाथ कौल)  
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक



**परिशिष्ट - I**

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित  
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 2001-2002 के दौरान प्राप्त अनुदान/कर्जे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
<b>कृषि और सहकारिता</b>			
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	2740.00	शून्य
2.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	1586.60	4900.00
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	635.51	शून्य
4.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगाँव	500.00	शून्य
5.	भारतीय पशु- चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	91.65	उ.न.
		<b>5553.76</b>	<b>4900.00</b>
<b>रसायन एवं उर्वरक</b>			
6.	राष्ट्रीय औषधीन शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	1680.00	शून्य
		<b>1680.00</b>	<b>शून्य</b>
<b>वाणिज्य</b>			
7.	कृषि तथा संसाधित खाद्य पदार्थ, निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	4775.00	शून्य
8.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बंगलौर	4550.00	शून्य
9.	कॉफी बोर्ड (सामूहिक निधि लेखे), बंगलौर	3750.00	500.00
10.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई	49.54	शून्य
11.	निर्यात निरीक्षण अभिरण, कोचीन	24.19	उ.न.
12.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	585.19	शून्य
13.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	3520.00	शून्य
14.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम	7950.00	शून्य
15.	मसाला बोर्ड, कोची	1834.50	शून्य
16.	चाय बोर्ड, कोलकाता	7012.16	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
17.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्दूर	शून्य	शून्य
		<b>34050.58</b>	<b>500.00</b>
<b>रक्षा</b>			
18.	हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	151.60	शून्य
19.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेल संस्थान, पहलगाँव	27.26	शून्य
20.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	29.32	शून्य
		<b>208.18</b>	<b>शून्य</b>
<b>विदेश मामले</b>			
21.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद, नई दिल्ली	4162.00	शून्य
22.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली	134.36	शून्य
		<b>4296.36</b>	<b>शून्य</b>
<b>वित्त</b>			
23.	भारत का बीमा नियमन एंव विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य
24.	भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
<b>खाद्य एंव उपभोक्ता मामले</b>			
25.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	194.00	शून्य
		<b>194.00</b>	<b>शून्य</b>
<b>स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण</b>			
26.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	27138.00	शून्य
27.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	68.34	शून्य
28.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2590.51	शून्य
29.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1529.52	शून्य
30.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	223.72	शून्य
31.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	56.50	शून्य
32.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	766.00	शून्य
33.	भारतीय दन्त्य परिषद, नई दिल्ली	28.00	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
34.	भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली	42.00	शून्य
35.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	58.00	शून्य
36.	मोरार जी देसाई राष्ट्रीय योग तथा प्राकृतिक संस्थान, नई दिल्ली	250.00	शून्य
37.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	20.00	शून्य
38.	राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि, नई दिल्ली	30.00	शून्य
39.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	3813.00	शून्य
40.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	966.70	शून्य
41.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	1006.49	शून्य
42.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे	80.00	शून्य
43.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता	336.80	शून्य
44.	बहुउद्देश्य मधुमेह, मानसिक विकलांगता, सेरीबल अस्थिजम पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट	4200.00	शून्य
45.	राष्ट्रीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली	11.00	शून्य
46.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिषद, चंडीगढ़	12364.00	शून्य
47.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	50.54	शून्य
		<b>55629.12</b>	शून्य

**मानव संसाधन विकास**

48.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	14968.80	शून्य
49.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	10861.81	शून्य
50.	इलाहाबाद मुस्लिम सोसाइटी, इलाहाबाद	178.00	शून्य
51.	असम विश्वविद्यालय, सिल्वर	2215.29	शून्य
52.	अरोविल्ले प्रतिष्ठान, अरोविल्ले	153.80	शून्य
53.	बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	360.00	शून्य
54.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	14220.93	शून्य
55.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	1236.36	शून्य
56.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	495.90	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
57.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई	568.36	शून्य
58.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	202.55	शून्य
59.	केन्द्रीय बुद्धिष्ट अध्ययन संस्थान, लेह	267.85	शून्य
60.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	480.97	शून्य
61.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	1158.00	शून्य
62.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	48.90	शून्य
63.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	255.00	शून्य
64.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	528.00	शून्य
65.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली*	424.37*	शून्य
66.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	3097.32	शून्य
67.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	562.80	शून्य
68.	भारतीय सूचना तकनीक संस्थान, इलाहाबाद	1470.00	शून्य
69.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	1140.00	शून्य
70.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर	1200.00	शून्य
71.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	1086.11	शून्य
72.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड	1450.00	शून्य
73.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	1100.00	शून्य
74.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, चेन्नई	11750.00	शून्य
75.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी	9018.00	शून्य
76.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कानपुर	8595.00	शून्य
77.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, खड़गपुर	7062.50	शून्य
78.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुम्बई	9150.00	शून्य
79.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली	8872.18	शून्य
80.	राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता	760.00	शून्य
81.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	5000.00	शून्य

\* दार्शनिक अनुसंधान परिषद से दो लाख रु. प्राप्त हुये

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
82.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त महाविद्यालय, नई दिल्ली	5406.00	शून्य
83.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	615.78	शून्य
84.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	3924.24	शून्य
85.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	7893.87	शून्य
86.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	1035.00	शून्य
87.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	56442.94	शून्य
88.	खुदा बक्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना	137.67	शून्य
89.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ, नई दिल्ली	631.34	शून्य
90.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	514.13	शून्य
91.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	1300.00	शून्य
92.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	665.75	शून्य
93.	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल	446.25	शून्य
94.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	757.06	शून्य
95.	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इलाहाबाद	1190.00	शून्य
96.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	570.29	शून्य
97.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	417.00	शून्य
98.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, बड़ोदरा	20.00	शून्य
99.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	850.00	शून्य
100.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नई दिल्ली	450.00	शून्य
101.	राष्ट्रीय शहरी संस्थान परिषद, हैदराबाद		शून्य
102.	राष्ट्रीय संग्रहालय विज्ञान परिषद, कोलकाता	1604.37	शून्य
103.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली	6.00	शून्य
104.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	429.91	शून्य
105.	राष्ट्रीय ढलाई एवं जाली प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद	405.66	शून्य
106.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	1566.00	शून्य

2003 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
107.	राष्ट्रीय कला संरक्षण इतिहास संग्रहालय तथा संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	67.00	शून्य
108.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	892.25	शून्य
109.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	576.00	शून्य
110.	उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	167.12	शून्य
111.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	3946.40	शून्य
112.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, निरजुली, ईटा नगर	2000.00	शून्य
113.	उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	122.52	शून्य
114.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	1498.35	शून्य
115.	भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना, नई दिल्ली	165.44	शून्य
116.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	913.00	शून्य
117.	रामपुर राजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर	213.00	शून्य
118.	राष्ट्रीय संस्कृत संगठन, नई दिल्ली	265.33	शून्य
119.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	319.52	शून्य
120.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, हमीरपुर	375.00	शून्य
121.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोजीकोड़	1070.00	शून्य
122.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	375.00	शून्य
123.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राउरकेला	883.18	शून्य
124.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर	552.00	शून्य
125.	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वारंगल	668.50	शून्य
126.	क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	1144.75	शून्य
127.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	624.00	शून्य
128.	सलार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	740.00	शून्य
129.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	1068.50	शून्य
130.	सरदार बल्लभ भाई क्षेत्रीय अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सूरत	683.00	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
131.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	724.20	शून्य
132.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	54.02	शून्य
133.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजौर	38.08	शून्य
134.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	11886.00	शून्य
135.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	740.00	शून्य
136.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	740.00	शून्य
137.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	591.00	शून्य
138.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	370.00	शून्य
139.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	1625.32	शून्य
140.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	149956.00	शून्य
141.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4901.97	शून्य
142.	विकटोरिया स्मारक हॉल, कोलकाता	276.25	शून्य
143.	विश्वेस्वरेया क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपुर	731.25	शून्य
144.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	153.54	शून्य
		399335.55	शून्य
<b>उद्योग</b>			
145.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	21499.00	200.00
146.	नारियल जटा बोर्ड, कोची	1402.00	10.00
		22901.00	210.00
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>			
147.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	218.71	शून्य
148.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	9707.60	13930.00
		9926.31	13930.00
<b>श्रम</b>			
149.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	1976.00	शून्य
150.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
151.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
152.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	514.97	शून्य
		<b>2490.97</b>	शून्य
<b>विधि</b>			
153.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली	2227.67	शून्य
154.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़	45.00	शून्य
		<b>2272.67</b>	शून्य
<b>खान</b>			
155.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	1650.00	शून्य
		<b>1650.00</b>	शून्य
<b>विद्युत</b>			
156.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	1049.00	शून्य
		<b>1049.00</b>	शून्य
<b>रेलवे</b>			
157.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	1625.83	शून्य
		<b>1625.83</b>	शून्य
<b>ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार</b>			
158.	लोगों के कार्य के लिये उन्नति एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, नई दिल्ली	3000.00	शून्य
159.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	1305.00	शून्य
		<b>4305.00</b>	शून्य
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
160.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, मुम्बई	773.84	शून्य
161.	पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	1755.65	शून्य
162.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	140.00	शून्य
163.	शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली	499.05	शून्य
164.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद	566.50	शून्य
165.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, औलतपुर	1127.41	शून्य
166.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांकता संस्थान, देहरादून	639.27	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
167.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	465.03	शून्य
		<b>5966.75</b>	शून्य
<b>जहाजरानी</b>			
168.	चेन्नई गोदी श्रमिक बोर्ड, चेन्नई	शून्य	शून्य
169.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	शून्य	5301.00
170.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	शून्य
171.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नेहवा शेवा	शून्य	शून्य
172.	कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांडला	शून्य	शून्य
173.	कांडला पत्तन न्यास, गाँधीधाम	शून्य	शून्य
174.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	शून्य	शून्य
175.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	शून्य	शून्य
176.	मरम्बांव पत्तन न्यास, गोवा	शून्य	शून्य
177.	मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
178.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
179.	नया मंगलौर पत्तन न्यास	शून्य	शून्य
180.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	शून्य
181.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
182.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य
183.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
184.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
		शून्य	<b>5301.00</b>
<b>दूरसंचार</b>			
185.	भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	1400.00	शून्य
		<b>1400.00</b>	शून्य
<b>वस्त्र</b>			
186.	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर	10942.00	शून्य
187.	पटसन निर्माता विकास परिषद, कोलकाता	1700.00	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
188.	वस्त्र समिति, मुम्बई	1799.00	शून्य
		14441.00	शून्य
<b>पर्यटन एवं संस्कृति</b>			
189.	ऐशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	412.50	शून्य
190.	केन्द्रीय सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली	671.48	शून्य
191.	दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड, नई दिल्ली	527.56	शून्य
192.	कला क्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	246.14	शून्य
		1857.68	शून्य
<b>शहरी विकास एवं गरीबी निवारण</b>			
193.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	113.00	शून्य
194.	राजधानी समाधि समिति, नई दिल्ली	141.00	शून्य
		254.00	शून्य
<b>जल संसाधन</b>			
195.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	शून्य	शून्य
196.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	2031.00	शून्य
197.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
198.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी	1400.00	शून्य
		3431.00	शून्य
	<b>जोड़</b>	<b>574518.76</b>	<b>24841.00</b>

**परिशिष्ट - II**

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2001-2002 के लेखे/सूचना दिसम्बर 2002 तक प्राप्त नहीं हुये

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
वाणिज्य	
1.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली
2.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
3.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	
4.	चितरंजन राष्ट्रीय कैसर संस्थान कोलकाता
5.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
गृह मंत्रालय	
6.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली
मानव संसाधन विकास	
7.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
8.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
9.	डा० अच्चेडकर क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जालंधर
10.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
11.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
12.	मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
14.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
17.	राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली
19.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली
20.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
21.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
22.	विश्व भारती, शान्ति निकेतन
खान	
23.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
नौपरिवहन	
24.	मुख्य पत्तन टैरिफ प्राधिकरण, नई दिल्ली
वस्त्र	
25.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	
26.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
27.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली
शहरी विकास एवं गरीबी निवारण	
28.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली

## परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प(क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत  
लेखापरीक्षित केन्द्रीय निकायों द्वारा 2001 -02 के दौरान प्राप्त अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान
कृषि तथा सहकारिता		
1.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली	360.00
2.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	1240.00
3.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव	10271.86
4.	लघु तथा सीमान्त कृषक विकास एजेंसी, दिमापुर	उ.न.
वाणिज्य		
5.	अभियांत्रिकी निर्यात उन्नति परिषद, कोलकाता	382.19
6.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	300.00
7.	शैलाक निर्यात प्रौन्ती परिषद, नई दिल्ली	28.49
8.	खेलकूद सामग्री खेलकूद प्रौन्ती परिषद, नई दिल्ली	91.55
9.	अभियांत्रिकी निर्यात उन्नति परिषद, नई दिल्ली	516.00
10.	भारतीय निर्यात संगठन संघ, नई दिल्ली	559.00
विदेश		
11.	नोन एलेगेन्ट एवं अन्त विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना पद्धति	137.00
उद्योग		
12.	केन्द्रीय पल्प एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर	487.00
13.	खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग, दीमापुर	शून्य
14.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	614.00
15.	राष्ट्रीय संस्थान उद्यमवृत्ति एवं लघु व्यवसाय विकास	शून्य
16.	भारतीय काजू निर्यात उन्नति परिषद, कोटी	95.23
17.	केन्द्रीय घर वियरं प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	30.00
18.	केन्द्रीय उत्पादन तकनीकी संस्थान	1200.00
19.	केन्द्रीय टूल रूप प्रशिक्षण केन्द्र कोलकाता	उ.न.
सूचना तथा प्रसारण		
20.	भारतीय बाल फ़िल्म संस्थान, नई दिल्ली	337.14
21.	भारतीय व्यापक संचार संस्थान	507.20
22.	सत्यजीत रे फ़िल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, कलकत्ता	उ.न.

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>		
23.	लाला रामस्वरूप क्षय रोग तथा संबंध रोग संस्थान, नई दिल्ली	1435.00
24.	राष्ट्रीय जीवन विज्ञान संस्थान	385.00
25.	क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली	90.00
26.	परिवार सेवा संस्थान	17.67
<b>मानव संसाधन विकास</b>		
27.	भारतीय खेल प्राधिकरण, दीमापुर	उ.न.
28.	भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	210.25*
29.	मौलाना अब्दूल कलाम आजाद एसियन अध्ययन संस्थान	61.25
30.	रामकृष्ण मिसन संस्कृति संस्थान, कोलकाता	उ.न.
31.	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक संघ, कोलकाता	उ.न.
<b>पेट्रोलियम एवं रसायन</b>		
32.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तकनीकी संस्थान, हैदराबाद	उ.न.
<b>योजना</b>		
33.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता	उ.न.
<b>दूरसंचार</b>		
34.	इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर	893.83
<b>वस्त्र</b>		
35.	भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता	उ.न.
36.	राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र	308.00
<b>पर्यटन</b>		
37.	होटल प्रबंधन तथा खानपान संस्थान, कोवलम	171.00
38.	होटल प्रबंधन खानपान एवं पोषण संस्थान	उ.न.
39.	होटल प्रवेचन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान, कोलकाता	उ.न.
<b>ग्रामीण क्षेत्र तथा विकास</b>		
40.	जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, पांडिचेरी	945.43
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>		
41.	आंध्रप्रदेश महिला समता सोसाईटी, हैदराबाद	130.00

\* भ.त.शि.स. से अनुवाद प्राप्त हुये

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान
42.	सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता	उ.न.
43.	लिबनशिल्प विशाखापत्तनम, मानसिक विकलांग संघ शहरी विकास तथा गरीबी निवारण	63.48
44.	राष्ट्रीय शहरी मामले संरक्षण जल संसाधन	144.00
45.	राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संरक्षण, रुडकी	589.45
	कुल	22601.02

## परिषिष्ट - IV

## (पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2001-02 के लेखे/सूचना 31 दिसम्बर 2002 तक प्राप्त नहीं हुये थे

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
<b>कृषि एवं सहकारिता</b>	
1.	भारत जर्मन नीलगिरी विकास एजेन्सी-उधगमंडलम
2.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ-भिवानी
3.	राष्ट्रीय सहकारिता परिषद
<b>वाणिज्य</b>	
4.	राष्ट्रीय संस्थान उद्यम वृत्ति एवं लघु व्यवसाय विकास
<b>रसायन एवं उर्वरक</b>	
5.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
6.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
7.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर
<b>नागरिक उड्डयन</b>	
8.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली
<b>वित्त</b>	
9.	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
10.	भारतीय उपकरण केन्द्र, नई दिल्ली
11.	भारतीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
<b>खाद्य संसाधन उद्योग</b>	
12.	धान संसाधन अनुसंधान केन्द्र, तन्जावुर
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>	
13.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण न्यास संस्थान अम्बाथुराई, डिंगीगुल जिला गांधीग्राम
14.	परिवार सेवा संस्थान, नई दिल्ली
15.	भारतीय पेस्च्यूर संस्थान, कूनूर
<b>मानव संसाधन विकास</b>	
16.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
17.	भारतीय विश्वविद्यालय संगठन
18.	भगवथुला चैरिटेबल न्यास, गेलमोन्चीली, विशाखापत्तनम
19.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली
20.	भारत स्काउट एवं गाईड, नई दिल्ली
21.	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
22.	भारतीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
23.	भारतीय राष्ट्रीय पैतृक सांस्कृतिक न्यास
24.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता
25.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान
26.	राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली
27.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
28.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपूरुम्बुदूर
29.	राज्य अनुसंधान केन्द्र प्रौद्ध शिक्षा केन्द्र, हैदराबाद
<b>उद्योग</b>	
30.	भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संघ पुणे
31.	केन्द्रीय उपकरण रूपांकन संस्थान, बालानगर, हैदराबाद
32.	द्रव नियंत्रण अनुसंधान परिषद, पलक्कड़
33.	भारतीय हीरा संस्थान, सूरत
34.	भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई
35.	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान
36.	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण, हैदराबाद
37.	भारतीय गुणवत्ता परिषद
<b>श्रम</b>	
38.	केन्द्रीय अनुदेशात्मक जल संचार संस्थान, नई दिल्ली
39.	बाल श्रम उन्मूलन सहायता योजना सोसाईटी, वेलूर
40.	हास्य परियोजना सोसाईटी, सलेम
<b>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन</b>	
41.	केन्द्रीय सिविल सेवाएँ खेलकूद एवं सांस्कृतिक बोर्ड, नई दिल्ली

2003 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
42.	गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली
43.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
	<b>योजना</b>
44.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
	<b>विद्युत</b>
45.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
46.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिक केन्द्र, चैन्सई
47.	ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र
	<b>ग्रामीण क्षेत्र तथा विकास</b>
48.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, कार निकोबार
49.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, पोर्ट ब्लेयर
50.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, नीलगिरी
51.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, कोयम्बटूर
52.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, कुड्डालोर
53.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, धर्मपुरी
54.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, डीनडीगुल
55.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, ईरोड़
56.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, कांचीपुरम्
57.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, कन्याकुमारी
58.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, करूर
59.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, मदुराई
60.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, नागापट्टिनम्
61.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, नामाक्कल
62.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, पेराम्पलूर
63.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, पुडुकोट्टाई
64.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, नामनाथपुरम्
65.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, सलेम
66.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, शिवगंगा

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
67.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, तन्जावुर
68.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, थेनी
69.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, थीरुवल्लूर
70.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, तिरुवन्नमलाई
71.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, थिरुवनूर
72.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, तिरुचिरापल्ली
73.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, तिरुनीवल्ली
74.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, तूतीकोरीन
75.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, वेलूर
76.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, विल्लुपरम
77.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, विरुधूनगर
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>	
78.	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली
79.	अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, पोर्ट ब्लेयर
80.	आंग्रे प्रदेश महिला समता सोसाईटी, हैदराबाद
81.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली
82.	केन्द्रीय उत्पादन प्रौद्योगिकी, वैलूर
83.	जिला पुनर्वास केन्द्र विजयवाड़ा
84.	जिला पुनर्वास केन्द्र विजयवाड़ा
85.	हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली
86.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली
87.	आर्थिक विकास संस्थान
88.	मानसिक विकास केन्द्र, विजयवाड़ा
89.	मावसिक विसाका केन्द्र, विजयवाड़ा
90.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति
91.	शोषण उन्मूलन परिषद, नई दिल्ली
92.	समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
93.	जिला विकलांगुला संगम, विनू कोंडा भूतल परिवहन
94.	राष्ट्रीय राजमार्ग अभियांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली वस्त्र
95.	बम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ
96.	हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद, चैन्नई
97.	हैंडलूम हाऊस, हैदराबाद
98.	हैंडलूम हाऊस विशाखापत्तनम
99.	खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर
100.	दक्षिण क्षेत्र वस्त्र अनुसंधान संगठन, कोयम्बटूर पर्यटन
101.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान, नई दिल्ली
102.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान, हैदराबाद
103.	होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी और प्रायोगिक पोषण संस्थान, चैन्नई
	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन
104.	भवन सामग्री प्रौद्योगिक संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
105.	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान
	युवा मामले एवं खेलकूद
106.	भारतीय ओलम्पिक संगठन, नई दिल्ली
107.	श्री अरविंदो सोसाईटी, नई दिल्ली
108.	भारतीय युवा होस्टल संघ, नई दिल्ली

## परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
(क)	तीन से छः माह तक का विलम्ब	
1.	बालभवन सोसायटी	21.12.2001
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	15.10.2001
3.	कॉफी बोर्ड सामान्य निधि	16.10.2001
4.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्धित परिषद	15.10.2001
5.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	19.11.2001
6.	भारतीय सामाजिक शास्त्र अनुसंधान परिषद	18.10.2001
7.	भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली	14.12.2001
8.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, इन्डौर	22.10.2001
9.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	22.10.2001
10.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	14.12.2001
11.	संत लौंगोवाल अभियान्त्रिकी एंव प्रौद्योगिकी संस्थान	15.10.2001
12.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	12.12.2001
13.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	30.10.2001
14.	राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एंव अनुसंधान संस्थान	1.10.2001
15.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	19.10.2001
16.	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास कला एंव संस्कृति संग्रहालय	9.10.2001
17.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	10.10.2001
18.	स्नातकोत्तर विकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान संस्थान	10.10.2001
19.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	6.11.2001
20.	भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, मुम्बई	31.12.2001
21.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, नागपुर	15.10.2001
22.	भारतीय खेल प्राधिकरण	20.12.2001
23.	भारतीय दूरसंचार नियंत्रणीय प्राधिकरण	19.11.2001
(ख)	छः माह से अधिक विलम्ब	
1.	कॉफी बोर्ड (पूल फण्ड एकाउन्ट्स	11.11.2002
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1.5.2002
3.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय भौतिक शिक्षा संस्थान	9.5.2002
4.	राष्ट्रीय रूग्नता सहायता निधि	21.1.2002
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद, हैदराबाद	13.2.2002
6.	राष्ट्रीय व्यक्ति कल्याण न्यास	14.3.2002
7.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन	1.4.2002
8.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	7.7.2002

**परिशिष्ट - VII**

(पैराग्राफ 1.1 देखें )

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2002 तक प्रस्तुत न करना

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, गुवाहाटी
4.	नालंदा विश्वविद्यालय
5.	राष्ट्रीय पिछळा वर्ग आयोग
6.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
7.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दिमापुर
8.	प्रसार भारती

**परिशिष्ट - VII**

( पैराग्रा 1.2 देखें )

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(लाख रु.में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे।	
		संख्या	राशि
कृषि और सहकारिता	1990-91	3	11.25
	1991-92	8	16.50
	1992-93	1	2.50
	1996-97	10	10.62
	1997-98	17	40.78
	1998-99	16	105.07
	1999-2000	36	53647.79
		<b>91</b>	<b>53834.51</b>
अंडमान तथा निकोबार प्रशासन	1999-2000	10	180.80
		<b>10</b>	<b>180.80</b>
आण्विक ऊर्जा	1988-89	2	2.96
	1991-92	1	2.51
	1992-93	1	0.37
	1994-95	3	2.22
	1995-96	1	1.19
	1996-97	14	15.90
	1997-98	21	44.03
	1998-99	21	60.39
	1999-2000	44	190.78
		<b>108</b>	<b>320.35</b>
उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण	1983-84	3	1.62
	1985-86	1	0.37
	1987-88	1	3.00
	1988-89	1	3.70
	1989-90	2	11.50
	1994-95	1	4.00
	1996-97	1	100.00
	1997-98	1	11.00
	1999-2000	2	100.00
		<b>13</b>	<b>235.19</b>
पर्यावरण तथा वन	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे। मार्च 2002 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	290	8909.92
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	549	194.23
	1990-91	70	123.30
	1991-92	91	1539.88
	1992-93	232	3026.11
	1993-94	64	74.18
	1994-95	142	1204.24
	1995-96	12	24.50
	1996-97	485	15815.12
	1997-98	612	9852.58
	1998-99	431	463.09
	1999-2000	542	10070.42
		<b>4343</b>	<b>55205.01</b>
(ii) समुद्री विकास	1983-84	8	101.52
	1984-85	22	22.66
	1985-86	45	40.26
	1986-87	23	27.20
	1987-88	3	175.04
	1988-89	66	59.25
	1989-90	95	106.42
	1990-91	17	227.46
	1991-92	27	124.51
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	10	160.47
	1995-96	53	58.77
	1996-97	54	152.82
	1997-98	84	925.95
	1998-99	96	1354.95
	1999-2000	72	2814.65
		<b>699</b>	<b>6395.13</b>
विदेश मामले	1991-92	2	2.00
	1997-98	5	31.67
	1998-99	4	12.08
	1999-2000	16	562.98
		<b>27</b>	<b>608.73</b>

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे। मार्च 2002 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
वित्त	1996-97	1	31.38
आर्थिक मामले*	1997-98	1	16.27
	1999-2000	7	214.64
		9	262.29
खाद्य संसाधन उद्योग	1991-92	4	60.28
	1992-93	13	101.15
	1993-94	14	98.79
	1994-95	16	134.42
	1995-96	20	202.19
	1996-97	21	234.09
	1997-98	12	196.34
	1998-99	22	375.80
	1999-2000	113	1444.06
		235	2847.12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1980-81	2	1.46
(i) स्वास्थ्य	1982-83	1	0.62
	1983-84	2	24.80
	1984-85	5	29.26
	1985-86	8	2.47
	1986-87	5	5.39
	1987-88	4	0.54
	1988-89	10	2.45
	1989-90	21	47.28
	1990-91	5	5.71
	1991-92	5	0.97
	1992-93	1	0.15
	1993-94	38	1532.19
	1994-95	26	1201.89
	1995-96	84	3193.30
	1996-97	130	2453.39
	1997-98	189	7302.07
	1998-99	131	13250.27
	1999-2000	435	28318.09
		1102	57372.30
(ii) परिवार कल्याण	1982-83	4	2.95
	1986-87	2	9.45
	1987-88	3	4.13

\* बैंकिंग प्रभाग भू.ले.अ. आकस्मिकता जोखिम बीमा योजना तथा बैंकिंग से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल नहीं हैं।

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे। मार्च 2002 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	1989-90	7	17.35
	1990-91	8	13.00
	1992-93	2	7.79
	1993-94	34	178.89
	1994-95	72	102.87
	1995-96	126	966.39
	1996-97	149	1324.69
	1997-98	93	2300.93
	1998-99	108	5461.99
	1999-2000	113	19698.82
		<b>721</b>	<b>30089.25</b>
मानव संसाधन विकास	1986-87	169	473.02
(i) महिला तथा बाल विकास	1987-88	252	789.65
	1988-89	372	1174.61
	1989-90	408	3008.84
	1990-91	351	1319.76
	1991-92	385	1888.37
	1992-93	427	2486.72
	1993-94	575	3385.47
	1994-95	640	3217.37
	1995-96	393	1862.72
	1996-97	693	2956.83
	1997-98	447	2304.93
	1998-99	415	7315.18
	1999-2000	410	3606.78
		<b>5937</b>	<b>35790.25</b>
(ii) युवा मामले तथा खेलकूद	1987-88	20	10.04
	1988-89	103	76.00
	1989-90	153	63.00
	1990-91	185	100.00
	1991-92	135	114.00
	1992-93	386	700.00
	1993-94	381	1028.00
	1994-95	256	483.00
	1995-96	349	1007.00
	1996-97	393	4636.00
	1997-98	279	1896.00
	1998-99	560	12205.00
	1999-2000	848	4582.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे।	
		संख्या	राशि
		4048	26900.04
<b>(iii) शिक्षा</b>			
<b>(क) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा</b>	1977-78	50	96.14
	1978-79	147	109.11
	1979-80	55	83.38
	1980-81	40	96.30
	1981-82	48	144.94
	1982-83	62	152.10
	1983-84	68	209.33
	1984-85	92	351.20
	1985-86	218	1183.41
	1986-87	95	442.80
	1987-88	339	2531.36
	1988-89	425	2562.13
	1989-90	284	3068.96
	1990-91	51	122.61
	1991-92	154	1157.67
	1992-93	201	2293.23
	1993-94	252	3367.45
	1994-95	127	5477.26
	1995-96	150	6935.35
	1996-97	158	11979.41
	1997-98	222	12035.10
	1998-99	236	6826.54
	1999-2000	1018	33490.25
		<b>4492</b>	<b>94716.03</b>
<b>(ख) प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता</b>	1978-79	2	0.50
	1979-80	18	5.66
	1980-81	3	0.57
	1982-83	8	7.68
	1983-84	19	8.27
	1984-85	53	27.09
	1985-86	55	37.17
	1986-87	78	53.63
	1987-88	22	29.63
	1988-89	68	92.59
	1989-90	90	151.76
	1990-91	42	316.75
	1991-92	33	138.15

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे।	
		संख्या	राशि
	1992-93	38	690.77
	1993-94	52	1288.31
	1994-95	92	2879.13
	1995-96	140	6204.62
	1996-97	168	82220.74
	1997-98	175	47690.66
	1998-99	201	7299.71
	1999-2000	464	75098.72
		1821	224242.11
(iv) संस्कृति	1982-83	2	0.45
	1983-84	4	0.53
	1984-85	10	2.07
	1985-86	3	0.61
	1986-87	8	2.57
	1987-88	5	1.37
	1988-89	14	3.00
	1989-90	14	3.00
	1990-91	74	13.00
	1991-92	96	812.00
	1992-93	806	3278.00
	1993-94	771	5611.00
	1994-95	477	1379.00
	1995-96	520	4164.00
	1996-97	736	3568.00
	1997-98	728	3870.00
	1998-99	602	6935.00
	1999-2000	713	2924.00
		5583	32567.60
गृह मामले	1999-2000	3	287.82
आर पी ए ओ (आई.बी. शिलांग)		3	287.82
उद्योग			
(i) औद्योगिक नीति तथा प्रौन्ति विभाग	1999-2000	5	145.65
		5	145.65
(ii) लघु उद्योग तथा कृषि तथा ग्रामीण उद्योग	1996-97	1	20.00
	1997-98	2	49.00
	1998-99	5	246.00
	1999-2000	5	41.78
		13	356.78

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे। मार्च 2002 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
सूचना एवं प्रसारण	1982-83	1	4.22
	1983-84	2	3.37
	1995-96	1	600.00
	1996-97	1	279.50
		5	887.09
सूचना प्रौद्योगिकी	1999-2000	12	991.00
		12	991.00
श्रम*	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	6	1.81
	1987-88	4	3.19
	1988-89	3	6.58
	1989-90	11	10.53
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	3	0.71
	1993-94	10	32.07
	1994-95	5	5.61
	1995-96	36	191.84
	1996-97	259	466.04
	1997-98	6	5.28
	1998-99	44	126.43
	1999-2000	62	348.72
		474	1244.83
अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत	1983-84	3	13.17
	1984-85	1	2.19
	1993-94	1	2.43
	1994-95	4	22.18
	1995-96	22	33.93
	1996-97	32	48.47
	1997-98	34	62.26
	1998-99	24	106.66
	1999-2000	21	326.80
		142	618.09
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन			
व्यक्तिगत तथा प्रशिक्षण	1996-97	1	2.30
	1997-98	1	5.00
	1998-99	2	413.00

\* बाल श्रम कक्ष शामिल नहीं है।

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे। मार्च 2002 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
	1999-2000	4	21.00
		8	<b>441.30</b>
योजना तथा सांख्यिकी	1990-91	4	2.15
योजना आयोग	1991-92	4	2.45
	1992-93	2	1.22
	1994-95	2	31.35
	1995-96	1	4.55
	1996-97	5	2.57
	1997-98	5	254.86
	1998-99	3	4.43
	1999-2000	12	32.00
		38	<b>335.58</b>
ग्रामीण विकास	1997-98	4	197.06
	1998-99	15	1532.41
	1999-2000	29	4850.43
		48	<b>6579.90</b>
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	2	0.21
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	9	2.87
	1983-84	5	0.75
	1984-85	12	2.23
	1985-86	4	1.05
	1986-87	11	3.95
	1987-88	6	4.98
	1988-89	1	0.05
	1989-90	3	3.08
	1990-91	4	5.64
	1991-92	1	1.24
	1992-93	1	1.01
	1993-94	2	1.28
	1994-95	8	11.07
	1995-96	6	1.95
	1996-97	12	23.44
	1997-98	5	14.05
	1998-99	23	92.95
	1999-2000	31	82.17
		149	<b>254.43</b>

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे। मार्च 2002 के अंत तक की स्थिति	
		संख्या	राशि
भूतल परिवहन	1999-2000	1	100.00
वाणिज्य और कपड़ा		1	100.00
हथकरघा विकास, आयुक्त दिल्ली	1978-79	9	52.49
	1979-80	6	18.64
	1980-81	3	4.30
	1982-83	6	5.93
	1983-84	1	0.53
	1984-85	4	2.06
	1985-86	4	2.30
	1986-87	3	2.05
	1987-88	2	2.53
	1988-89	1	0.25
	1989-90	6	4.99
	1990-91	2	3.55
	1991-92	3	7.47
	1992-93	17	36.30
	1993-94	18	103.30
	1994-95	55	45.47
	1995-96	80	382.01
	1996-97	38	185.29
	1997-98	57	206.68
	1998-99	52	410.97
	1999-2000	83	499.83
		450	1976.94
पर्यटन	1996-97	1	6.00
	1997-98	4	136.00
	1998-99	5	804.03
	1999-2000	8	812.62
		18	1758.65
शहरी विकास	1983-84	4	1.20
	1984-85	5	1.82
	1985-86	11	6.00
	1986-87	4	1.36
	1987-88	4	4.35
	1988-89	13	6.74
	1989-90	11	10.57
	1990-91	15	35.50
	1991-92	7	14.01
	1992-93	22	84.60
	1993-94	51	1912.08

2003 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2002 तक)	मार्च 2000 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो सितम्बर 2001 तक देय थे।	
		संख्या	राशि
	1994-95	61	101.05
	1995-96	46	430.74
	1996-97	26	919.94
	1997-98	18	4619.30
	1998-99	48	4732.56
	1999-2000	67	7029.34
		413	19911.16
जल संसाधन	1985-86	1	1.27
	1986-87	3	27.01
	1987-88	4	11.89
	1988-89	3	8.80
	1989-90	7	11.46
	1990-91	3	7.17
	1991-92	1	10.29
	1992-93	1	0.03
	1993-94	1	0.25
	1994-95	1	5.13
	1995-96	4	22.66
	1996-97	1	4.71
	1997-98	3	8.90
	1998-99	11	29.69
	1999-2000	18	77.76
		62	227.02
कुल जोड़		31080	657682.95

## परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ सं. 11 देखें)

अक्तूबर 2002 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
1.	वाणिज्य	2001	1	1	--
2.	वित्त (राजस्व विभाग)	2001	2	--	2
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	2	2	--
		2000	1	--	1
		2001	1	--	1
4.	मानव संसाधन विकास (संस्कृति विभाग)	1997	1	--	1
		1998	2	--	2
		2000	2	2	--
		2001	2	2	--
	साक्षरता एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	2001	1	--	1
		1997	2	--	2
		1999	1	--	1
		2000	8	--	8
	महिला एवं बाल विकास विभाग	2001	11	3	8
		2000	1	--	1
5.	सूचना एवं प्रसारण	1997	4	--	4
		1998	6	--	6
		1999	1	--	1
		2000	3	--	3
		2001	9	--	9

2003 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
6.	श्रम	1998	1	-	1
		1999	3	-	3
		2000	4	4	--
		2001	1	1	--
7.	विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य	1998	1	-	1
8.	शहरी विकास	2000	1	1	-
9.	जहाजरानी	2001	5	5	-
10.	लघु उद्योग	2000	1	1	-
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1999	1	--	1
		2001	2	--	2
12.	वस्त्र	2000	1	1	--
13.	पर्यटन तथा संस्कृति	2001	1	1	--
14.	शहरी विकास एवं गरीबी निवारण	1989	1	1	-
		1990	5	5	-
		1991	8	8	-
		1992	9	9	-
		1993	12	12	-
		1994	1	1	-
		2001	6	6	-
जोड़			125	66	59